वार्षिक प्रतिवेदन
2024-25

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

वार्षिक प्रतिवेदन
2024-25

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कलम से

मुझे भारतीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) के वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह प्रतिवेदन वर्ष के दौरान हमारी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करता है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डालता है।

साई इंडिया को अपना अधिकार और अधिदेश भारत के संविधान और उसके कानूनों से प्राप्त होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की हमारे देश के संघीय ढांचे में एक विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा का दायित्व सौंपा गया है और साथ ही अधिकांश सरकारों के लेखाओं के संकलन की भी ज़िम्मेदारी है। हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और विधानमंडलों के प्रति सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं।

हम अपने मूल अधिदेश को प्राप्त करने में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। हमने 2024-25 के दौरान 156 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया, जिनमें से 19 संसद में और 137 राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किये जाने हेतु थे। हमने मार्च 2025 तक 2023-24 के लिए सभी 28 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखों को संकलित और प्रमाणित कर दिया है।

लेखापरीक्षा प्रणालियों के पूर्ण डिजिटलीकरण के अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमने अपनी बुनियादी ढाँचागत पहलों में लगातार प्रगति की है। एक आईएएडी एक प्रणाली (ओआईओएस) एप्लिकेशन

- एक आरंभ से अंत तक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली - की तैनाती के साथ, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। हमें यह संज्ञान में लेते हुए गर्व हो रहा है कि साई इंडिया ऐसी नवीन तकनीकों को अपनाने वाली अग्रणी सरकारी संस्थाओं में से एक है। 81 मुख्य और 49 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ-साथ 24 राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को भी ओआईओएस में शामिल किया गया है। वर्तमान में 137 क्षेत्रीय कार्यालय, संगठन के दैनिक आधिकारिक कार्यों के लिए एनआईसी के डिजिटल कार्यस्थल समाधान - ई-ऑफिस - का उपयोग कर रहे हैं और 37,000 से अधिक उपयोगकर्ता बनाए गए हैं। साई इंडिया के अंतर्गत सभी कार्यालयों में ई-एचआरएमएस 2.0 का क्रियान्वयन पूरा हो चुका है।

हमने लेखापरीक्षा और क्षमता निर्माण में आईटी के उपयोग के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और "एआई, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा ऑडिट" पर नौ महीने का ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स तैयार किया। आईएएंडएएस अधिकारियों और व.प्र.अ/स.प्र.अ सहित 103 अधिकारियों के पहले बैच का प्रशिक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। हमने सात अन्य परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें आईआईटी मद्रास के सहयोग से साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, डेटा गवर्नेंस नीति आदि जैसे विभिन्न आईटी-संबंधित पहलुओं पर मार्गदर्शन और रूपरेखा विकसित करने के लिए क्रियान्वित किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, जो जमीनी स्तर पर शासन के अंतिम स्तर का गठन करते हैं, के लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करना उच्च प्राथमिकता रही। दो बैचों में 191 अभ्यर्थियों ने 'प्रमाणित पंचायत/नगरपालिका लेखाकारों के लिए पाठ्यक्रम' उत्तीर्ण किया, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के सहयोग से विकसित और प्रक्षेपित किया गया था। ये व्यक्ति अब स्थानीय सरकारों में लेखा संबंधी कार्यों के लिए प्रमाणित हैं, जिससे पंचायतों के लिए स्थानीय लेखापरीक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। राजकोट में स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईसीएएल), जिसका उद्घाटन जुलाई 2024 में हुआ था, ने जिला स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों, हमारे कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को शासन के अंतिम स्तर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

साई इंडिया ने 16 नवंबर 2024 को चौथा ऑडिट दिवस मनाया – यह दिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्थापना का प्रतीक है। अपनी आउटरीच गतिविधियों के एक भाग के रूप में, हम ने भारत के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए तीसरी बार एक चयनित समसामयिक विषय पर राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता (अंग्रेजी और हिंदी में) का आयोजन किया। हमने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कॉलेज के छात्रों के लिए पहली बार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। हमारे युवा नागरिकों को शामिल करने का उद्देश्य शासन और सार्वजनिक जवाबदेही प्रतिमान के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाना और सीएजी संस्थान से उनकी अपेक्षाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करना था। विजेताओं को ऑडिट दिवस पर नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

साई इंडिया एक जन-संचालित संगठन है और हमारे कर्मचारी हमारी संपत्ति हैं। संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए, सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार 2021 में लागू किए गए थे। 2024 में इसके चौथे संस्करण के दौरान, देश भर में हमारे कार्यालयों से चुनी गई छह टीमों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरस्कारों ने उन परियोजनाओं को मान्यता दी, जिन्होंने लीक से हटकर सोच और उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने और हमारी प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के जुनून का प्रदर्शन किया। यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अलावा, संगठनात्मक दृष्टिकोण से सर्वांगीण गुणात्मक सुधार को पोषित करना भी महत्वपूर्ण है, 'वर्ष का कार्यालय' के लिए पुरस्कार चार कार्यालयों को प्रदान किए गए, जिन्होंने लेखा, लेखापरीक्षा और ज्ञान एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में निर्धारित मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

हमारी उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों का परिणाम हैं। हम अपने कर्मचारियों के निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं। हमारे क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि उनकी विशेषज्ञता का विकास हो और उन्हें उनके कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से सुसज्जित किया जा सके। नोएडा, जयपुर और राजकोट स्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और स्थानीय शासन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हमने आईजीओटी और एसडब्ल्यूएवायएएम प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान की है जो हमारे संगठन के लिए उपयोगी हैं। साई इंडिया में ज्ञान के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और सीएजी के ज्ञान संसाधनों को समय पर अद्यतन करने के लिए, हमने साई इंडिया के लिए एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार के विकास की पहल की है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, हम ईंटोसाई (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन) और एसोसाई (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियाई संगठन) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार बने रहे। साई इंडिया ने सितंबर 2024 में नई दिल्ली में 16$^{वीं}$ एसोसाई सभा की मेजबानी की। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थीं, ने राष्ट्रीय शासन में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। नई दिल्ली घोषणा को अपनाना और एसोसाई की अध्यक्षता का साई इंडिया को हस्तांतरण महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, जो 2024-2027 की अवधि के लिए साई इंडिया के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के विकास और क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एसोसाई के निरंतर योगदान के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। वर्ष के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के पाँच निकाय हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे, – खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।

साई इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में बेहतर व्यावसायिक प्रथाओं के लिए ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अन्य साई के साथ साझेदारी को हमेशा बहुत महत्व दिया है। 2024-25 के दौरान, हमने बहरीन, सऊदी अरब, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान के साई के साथ पांच नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन साई के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध न केवल इन देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि बेहतर लेखापरीक्षा गुणवत्ता व्यवस्था के विकास के लिए आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं।

हमने 2023-2030 की अवधि के लिए रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सुशासन के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बिठाना जारी रखा है। 10 रणनीतियों में से प्रत्येक के संबंध

में रणनीति प्रबंधकों को रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक ढाँचा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। रणनीतिक योजना निगरानी समिति रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समग्र निगरानी करती है। रणनीतिक योजना के सफल कार्यान्वयन से हमें उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षण के माध्यम से आश्वासन प्रदान करने, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने तथा सरकार को सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने के हमारे संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

हमने 2026-30 की अवधि के लिए साई इंडिया की रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करने की पहल की है। रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

हमने 16$^{वें}$ वित्त आयोग के साथ भी बातचीत की, जिसमें संघ और राज्य वित्त, स्थानीय निकायों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और व्यापक राजकोषीय संघीय मुद्दों पर सीएजी के विचार व्यक्त किए गए।

मुझे आशा है कि यह वार्षिक प्रतिवेदन विधायकों, कार्यपालकों, शिक्षाविदों और आम जनता सहित हमारे हितधारकों को हमारे कार्य की अच्छी जानकारी प्राप्त करने तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में हमारे प्रयासों की सराहना करने में सहायक होगा।

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विषयसूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	1
	महत्वपूर्ण तथ्य	3
	खंड 1: साई इंडिया: अधिदेश और संरचना	
अध्याय 1	भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास में मील के पत्थर	9-13
अध्याय 2	साई इंडिया का अधिदेश	17-23
अध्याय 3	साई इंडिया का संगठन	27-30
अध्याय 4	क्षमता निर्माण अवसंरचना	33-42
अध्याय 5	हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं	45-48
	खंड 2: अपना अधिदेश पूरा करना	
अध्याय 1	हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना	53-65
अध्याय 2	हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना	69-82
अध्याय 3	साई इंडिया की रणनीतिक योजना 2023-30	85-90
	खंड 3: वर्तमान प्रगति	
अध्याय 1	मार्गदर्शन का विकास	95-102
अध्याय 2	क्षमता निर्माण	105-120
अध्याय 3	आंतरिक नियंत्रण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन	123-124
अध्याय 4	हमारी सूचना प्रौघोगिकी पहल	127-145
अध्याय 5	ऑडिट दिवस 2024	149-157
अध्याय 6	अन्य गतिविधियाँ, जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं	161-171
	धारा 4: हितधारकों के साथ बातचीत	
अध्याय 1	विधायी समितियों के साथ हमारा विचार-विमर्श	177-179
अध्याय 2	लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड	183-184
अध्याय 3	अधिगम की प्रगति	187-197
	खंड 5: अंतर्राष्ट्रीय संबंध	
अध्याय 1	संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता	203-206
अध्याय 2	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	209-217
अध्याय 3	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	221-229
अध्याय 4	बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय परस्पर संवाद	233-241
अध्याय 5	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	245-255

प्रस्तावना

इस वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में

भारतीय संविधान और भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा और लेखांकन के क्षेत्र में विविध उत्तरदायित्व सौंपे हैं। अधिकांश राज्यों की सरकारों के लेखाओं का संकलन और केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों की गतिविधियों की लेखापरीक्षा करना, भारत के सीएजी की प्रमुख वैधानिक ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, सीएजी कार्यपालिका को लेखांकन मानकों एवं नीतियों तथा वित्तीय विवरणों के स्वरूप से संबंधित मामलों में सलाह प्रदान करता है और कुछ राज्यों के लिए हकदारी संबंधी कार्य भी करता है।

सीएजी और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग मिलकर भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (साई) का गठन करते हैं, जिनका दायित्व सरकार के मामलों में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

यह प्रतिवेदन साई इंडिया की जवाबदेही आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। यह वर्ष 2024-25 के दौरान हमारी गतिविधियों और उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है, साथ ही हमारे संसाधनों के उपयोग में नियमितता और दक्षता तथा हमारे कार्य के प्रभाव का भी विवरण प्रस्तुत करता है।

हमारा उद्देश्य साई इंडिया के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना है। हम अपने ग्राहकों और हितधारकों को अपने प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना चाहते हैं तथा अपने कुछ असाधारण कार्यों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि सार्वजनिक जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी के योगदान की बेहतर सराहना की जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य

156

अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

₹ 2,599.03
करोड़
लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर वसूल की गई धनराशि

95.90
प्रतिशत
पेंशनभोगियों/पीएफ अंशदाताओं से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण

8,701
जांच किये गए लेखे

39,570
अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल इकाइयाँ (नियोजित इकाइयों का 96.07 प्रतिशत)

25,502
जारी निरीक्षण प्रतिवेदन

2,706
अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशें

3,010
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाई की जांच

1,943
निरीक्षित कोषागार

1,90,437
सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के अंतिम भुगतान के मामले निर्धारित समय के भीतर निपटाए गए (96.19 प्रतिशत)

4,79,288
मूल एवं पुनरीक्षण पेंशन मामले निपटाए गए (प्राप्त मामलों का 93.37 प्रतिशत)

2,158
क्षेत्रीय ज्ञान एवं क्षमता निर्माण संस्थानों/ केंद्रों और आंतरिक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

47,000
उपरोक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिभागी

5
वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन – खाद्य एवं कृषि संगठन (2020-2025), विश्व स्वास्थ्य संगठन (2024-2027), रासायनिक हथियार निषेध संगठन (2024-2026) और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (2022-2027)

5
2024-25 के दौरान अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

सीएजी कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा

खंड 1

साई इंडिया: अधिदेश और संरचना

अध्याय 1
भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास में मील के पत्थर

अध्याय 2
साई इंडिया का अधिदेश

अध्याय 3
साई इंडिया का संगठन

अध्याय 4
क्षमता निर्माण अवसंरचना

अध्याय 5
हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

अध्याय 1:
भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास में मील के पत्थर

1.1 हमारी विरासत

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका विधायिका और अभ्यास के माध्यम से विकसित हुई है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की पहल की थी। इसके परिणामस्वरूप, मई 1858 में पहली बार एक महालेखाकार के नेतृत्व में एक अलग विभाग की स्थापना हुई। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेन-देन के लेखांकन और लेखापरीक्षा के लिए ज़िम्मेदार था।

1857 के बाद, ब्रिटिश राज ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने 1860 में शाही आय और व्यय के वार्षिक बजट की प्रणाली शुरू की। इस बजट प्रणाली ने शाही लेखापरीक्षा की नींव रखी। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला।

"भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक" पदनाम का पहली बार प्रयोग 1884 में किया गया था। 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद, महालेखापरीक्षक सरकार से स्वतंत्र हो गए। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय व्यवस्था में प्रांतीय महालेखापरीक्षकों का प्रावधान करके महालेखापरीक्षक की स्थिति को मजबूत किया। 1947 तक, अंतिम ब्रिटिश महालेखापरीक्षक, सर बर्टी मोनरो स्टैग, को बागडोर सौंपे जाने के बाद भी यह विभाग ब्रिटिश प्रशासन का अभिन्न अंग बना रहा और सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एकीकृत लेखा और लेखापरीक्षा व्यवस्था प्रदान की।

स्वतंत्रता के बाद, ये व्यवस्थाएँ 1950 में भारत के संविधान को अपनाने तक जारी रहीं, जिसके तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था का गठन हुआ। श्री वी. नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक बने। 1971 में संसद द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम पारित होने से सार्वजनिक व्यय पर निगरानी की व्यापक ज़िम्मेदारी वाले एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) की स्थिति और मज़बूत हुई।

संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था,

"मेरा मानना है कि यह गणमान्य व्यक्ति संभवत: भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि संसद द्वारा पारित व्यय, विनियोग अधिनियम में संसद द्वारा निर्धारित राशि से अधिक न हो, या उसमें कोई परिवर्तन न हो।"

1.2 साई इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर

नियुक्ति | कानून | संगठन | अंकेक्षण | अंतरराष्ट्रीय | पुरस्कार

स्वतंत्रता पूर्व

1858 – ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेनदेन के लेखांकन और लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार महालेखाकार के अधीन एक अलग विभाग बनाया गया।

1860 – ब्रिटिश राज के अधीन भारत के प्रथम महालेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई।

1866 – भारत के महालेखापरीक्षक को "महालेखानियंत्रक" के रूप में नामित किया गया था।

1884 – महालेखानियंत्रक को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के रूप में पुनः नामित किया गया, जिसकी लेखापरीक्षा और लेखा दोनों की जिम्मेदारियां होंगी।

1919 – भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने सीएजी को भारत में अंतिम लेखा परीक्षा प्राधिकरण के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान की और इसे भारत में महालेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया।

1921 – महालेखापरीक्षक नियम 1921 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

1924 – सीमा शुल्क राजस्व की लेखापरीक्षा महालेखापरीक्षक को सौंपी गई।

1925 – भारतीय लेखापरीक्षा विभाग में वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई।

1935 – भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने सीएजी की स्वतंत्रता और स्थिति को मजबूत किया, इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए:

(i) इंग्लैंड के राजा द्वारा सीएजी की नियुक्ति,

(ii) संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधार पर सीएजी को पद से हटाना

(iii) पद छोड़ने पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को भारत में राजशाही के अधीन कोई भी पद धारण करने से रोक दिया गया। महालेखापरीक्षक के पद को भारत का महालेखापरीक्षक नामित किया गया।

1936 – भारत सरकार (लेखापरीक्षा एवं लेखा) आदेश, 1936 जारी किया गया, जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यों का विवरण दिया गया।

1938 – लेखापरीक्षा संहिता को अद्यतन किया गया, जिसने 1921 में जारी पूर्व नियमों और निर्देशों का स्थान ले लिया।

नियुक्ति | कानून | संगठन | अंकेक्षण | अंतरराष्ट्रीय | पुरस्कार

स्वतंत्रता के बाद

1947
भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखा आदेश), 1936 को भारतीय अनंतिम संविधान आदेश, 1947 द्वारा अपनाया गया।

1948
श्री वी. नरहरि राव, तत्कालीन वित्त विभाग के सचिव को 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

1950
भारत के संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की व्यवस्था की गई, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, जिनमें केंद्र शासित क्षेत्र/संघ शासित प्रदेश भी शामिल थे, के लेखांकन और लेखापरीक्षा संबंधी कार्य सौंपे गए थे।

1953
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1953 प्रख्यापित किया गया।

1956
भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 ने सरकारी कंपनियों को कानूनी दर्जा दिया और सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया, जो कंपनियों के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार को सलाह भी देता था।

1960
आयकर प्राप्तियों और प्रतिदायों के लेखापरीक्षा के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सहमति हुई।

1962
लेखापरीक्षा संहिता के स्थान पर दो खंडों में स्थायी आदेश (तकनीकी) नियमावली जारी की गई।

1971
सीएजी के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए संविधान के तहत सीएजी की डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।

1976
भारत सरकार के लेखाओं के रखरखाव से संबंधित कर्तव्यों और कार्यों से सीएजी को मुक्त करने के लिए सीएजी के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया था।

1984
संयुक्त महालेखाकार कार्यालयों को दो अलग-अलग संवर्गों वाले कार्यालयों में विभाजित किया गया, अर्थात् महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सभी लेखापरीक्षा कार्यों को देखेंगे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सभी लेखांकन और हकदारी कार्यों को देखेंगे।

1991
स्थायी आदेश नियमावली (तकनीकी) को संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर स्थायी आदेश नियमावली (लेखापरीक्षा) कर दिया गया।

1993
सीएजी 1993-1999 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का सदस्य बना।

1994
प्रथम लेखापरीक्षा मानक जारी किए गए जिनमें उन बुनियादी सिद्धांतों और अभ्यासों का विवरण दिया गया जिनका लेखापरीक्षकों को पालन करना चाहिए।

1996
सीएजी 1996-2004 के लिए अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का बाह्य लेखापरीक्षक बना।

नियुक्ति | कानून | संगठन | अंकेक्षण | अंतरराष्ट्रीय | पुरस्कार

स्वतंत्रता के बाद

1997
सीएजी 1997-2003 के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखापरीक्षक बना।

1998
साई इंडिया को जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया सरकारी लेखा परीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान के लिए ईंटोसाई कांग्रेस (इन्कोसाई) द्वारा जोर्ग कंदुत्श पुरस्कार, साई इंडिया द्वारा प्रदान किया गया।

1999
सीएजी ने एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया।

वाउचर स्तर पर कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत की गई।

2000
सीएजी 2000-2012 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और 2000-2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का बाह्य लेखापरीक्षक बना।

2002
सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की गई थी, जिसका उद्देश्य जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने सहित सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों को स्थापित करना और उनमें सुधार करना था।

2002
स्थायी आदेश (लेखापरीक्षा) नियमावली को संशोधित और अद्यतन किया गया।

2002
सीएजी के संशोधित लेखापरीक्षा मानक जारी किए गए, जिनमें 2001 में ईंटोसाई द्वारा जारी पुनर्गठित लेखापरीक्षा मानकों को उपयुक्त रूप से अपनाया गया।

2012
सीएजी 2012-2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और 2012-2017 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) का बाह्य लेखा परीक्षक बना।

2012
लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय अभिविन्यास लाने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों का पुनर्गठन लागू किया गया।

2010
सीएजी 2010-2016 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का बाह्य लेखापरीक्षक बना।

2007
सीएजी द्वारा डीपीसी अधिनियम के तहत नियम और विनियम बनाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 जारी किए गए।

2004
सीएजी 2004-2012 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बना।

2004
निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) भारत को निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में मदद मिली।

2002
सीएजी 2002-2008 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बना।

नियुक्ति | कानून | संगठन | अंकेक्षण | अंतरराष्ट्रीय | पुरस्कार

स्वतंत्रता के बाद

2014 — सीएजी 2014-2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का सदस्य बना।

2014 — संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए।

2016 — अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए।

2017 — सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों को संशोधित और अद्यतन किया गया।

2020 — लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 को लेखापरीक्षा और लेखा विनियम (संशोधन) 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2020 — क्लस्टरों/क्षेत्रों के आधार पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों का पुनर्गठन लागू किया गया।

2020 — सीएजी को 2020-2025 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), 2020-2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और 2020-22 के लिए अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) का बाह्य लेखापरीक्षक बनाया गया।

2021 — सीएजी 2021-2023 की अवधि के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) और 2022-2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बाह्य लेखापरीक्षक बने।

2022 — 1 दिसम्बर 2022 से जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत, साई इंडिया ने साई20 सहभागिता समूह की अध्यक्षता संभाली।

2023 — सीएजी 2024-2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के बाह्य लेखापरीक्षक बने।

2023 — सीएजी को 2024-2027 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में फिर से चुना गया।

2023 — सीएजी संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष बने।

2024 — 16वीं एएसओएसएआई सभा नई दिल्ली में आयोजित हुई। सीएजी 2024-27 की अवधि के लिए एएसओएसएआई के अध्यक्ष बने।

2024 — सीएजी को 2024-26 की अवधि के लिए ओपीसीडब्ल्यू के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया।

अध्याय 2:
साई इंडिया का अधिदेश

2.1 साई इंडिया के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और उनके अधीन कार्यरत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईए एवं एडी) मिलकर भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) का गठन करते हैं, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन के संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत, यह तंत्र कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकृत मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट के साथ-साथ अनुपूरक विनियोजनों को भी मंजूरी देते हैं और सरकार को कर संग्रह के लिए अधिकृत करते हैं। लोक निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और ईमानदारी के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियम हैं। सरकारी विभागों और अन्य सार्वजनिक निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोक निधि प्राप्त करते और खर्च करते समय इन नियमों का पालन करें और इनमें निर्धारित रूपरेखा का पालन करें। व्यय विभाग अपने द्वारा किए गए व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रति जवाबदेह होते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद की सहायता हेतु सीएजी की एक विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के लेखाओं का लेखा-जोखा रखता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

संघीय बहुदलीय लोकतंत्र में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें संघ और राज्य सरकारें दोनों ही पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों से जुड़ी बड़ी संख्या में योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। विकास, सर्व-समावेशी कल्याण, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास को बढ़ावा देने, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई पर भी निरंतर जोर दिया गया है। इसकी अनुक्रिया में, साई इंडिया भी अपनी प्रक्रियाओं, अवसंरचना और क्षमताओं का निरंतर पुनर्मूल्यांकन और विकास कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उभरते शासन मॉडलों और सूचना प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफार्मों में सीएजी के अधिदेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन हो सके।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का उचित लेखाकरण और लेखापरीक्षण, सभी केंद्रीय वित्त आयोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। तदनुसार, हमने स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों/स्थानीय निधि परीक्षकों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने और राज्य संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, साथ ही जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने के प्रयास में हितधारकों के साथ भी सहयोग किया है।

2.2 हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

दूरदृष्टि

(हमारा उद्देश हमारी भावी अभिलाषा को दर्शाता हैं)

हम लोक संसाधनों पर स्वतंत्र एवं विश्वसनीय आश्वासन देते रहें एवं सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में सार्वभौम लीडर बने।

उद्देश्य

(हमारा उद्देश हमारी वर्तमान भूमिका के बारे में जानकारी देता है एवं यह बताता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा देते हैं एवं अपने विधानमंडल, आम जनता एवं कार्यपालिका को इस संबंध में स्वतंत्र एवं समयोचित आश्वासन देते है कि सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण तरीके एवं कुशलता से संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा है।

नैतिक मूल्य

(हमारे आधारभूत मूल्य वह मौलिक विश्वास हैं जो हमारी संस्था तथा हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं)

संस्थागत मूल्य : व्यावसायिक (प्रोफेशनल) मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखना।

लोक मूल्य : नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक क्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरूकता।

2.3 साई इंडिया की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को भारत सरकार और राज्यों की कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 और 150 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जायेगा, तथा संसद या राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो न तो कार्यपालिका का और न ही विधानमंडल का हिस्सा है।

संविधान निम्नलिखित प्रावधान करके सीएजी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लेखापरीक्षा को सक्षम बनाता है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;
- सीएजी का वेतन और व्यय संसद के दत्तमत के अधीन नहीं है; और
- कार्यकाल पूरा होने के बाद सीएजी को कोई अन्य सरकारी पद धारण करने के लिए अयोग्य बनाना।

संविधान में आगे यह प्रावधान है कि साई इंडिया में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें तथा सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति द्वारा सीएजी के परामर्श के पश्चात बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

21 जुलाई 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का अभिभाषण

"जहाँ तक राज्य निधि का संबंध है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को किसी भी अधिकारी, चाहे वह कितना भी उच्च पदस्थ क्यों न हो, को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। इसलिए उसे सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्यों का सर्वोत्तम संभव तरीके से निर्वहन सुनिश्चित करते हुए सुचारू रूप से कार्य कर सके।"

2.4 हमारा लेखा अधिदेश

सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971[1] (सीएजी का डीपीसी अधिनियम, 1971) सीएजी द्वारा राज्य सरकारों के खातों के संकलन का प्रावधान करता है। लेखा को संकलित करने के अलावा, सीएजी लेखा को तैयार करने और राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के

[1] सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धाराएं 10, 11 और 12

प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। वह खातों की तैयारी से संबंधित जानकारी भी दे सकता है और सहायता प्रदान कर सकता है। सीएजी राज्य सरकारों के कोषागार और अन्य अधिकारियों द्वारा जमा किए गए सहायक लेखों से राज्य सरकारों के लेखा को संकलित करता है। सीएजी उन मामलों की सूचना देता है जहां सार्वजनिक धन को प्राधिकार से अधिक निकाला जाता है, और अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों में ऐसी अनियमितताओं को उजागर करता है। सीएजी व्यय प्रतिमान पर भी सक्रिय रूप से निगरानी रखता है तथा निधि की अधिकता, वापसी और चूक पर सलाह और सूचना प्रदान करता है।

संघ सरकार, सीएजी के परामर्श के बाद, संघ और राज्य सरकार के विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत है, जिसमें लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को लेखा प्रस्तुत करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रारंभिक और सहायक लेखाओं को रखने का तरीका भी शामिल है।

2.5 हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

2.5.1 सीएजी का डीपीसी अधिनियम, 1971

सीएजी का लेखा-परीक्षा अधिदेश सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 और संसद द्वारा पारित कुछ अन्य कानूनों में परिभाषित है। सीएजी को निम्नलिखित का लेखापरीक्षण और सूचित करने का अधिदेश प्राप्त है:

- संघ और राज्य सरकारों की समेकित निधि में देय सभी प्राप्तियां और व्यय;
- आपातकाल की स्थिति में सामान्य बजट (जिसे आकस्मिकता निधि कहा जाता है) के बाहर सभी वित्तीय लेनदेन;
- केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा न्यासी या बैंकर (जिसे लोक लेखा कहा जाता है) के रूप में रखे गए जनता के निजी धन का अंतर्वाह और बहिर्वाह;
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र और अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के सभी स्टोर और स्टॉक लेखा;
- सभी सरकारी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित किसी भी अन्य कंपनी के खाते;
- सभी विनियामक निकायों और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों/ निगमों के लेखा, जहां शासकीय कानून सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का प्रावधान करते हैं;
- सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के खाते, जिनका वित्तपोषण मुख्यतः सरकारी खजाने से होता है;
- सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के समर्थनकारी प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रपति/राज्यपाल/ उपराज्यपाल द्वारा, जनहित में, विशेष रूप से सीएजी को सौंपा गया हो।

सीएजी को निम्नलिखित विशेष जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं :

- क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर, राज्यों ने सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्कंधों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) प्रदान करने की भूमिका सीएजी को सौंपी है, जो स्थानीय सरकारों के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं। टीजीएस के घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा मानकों की स्थापना, लेखापरीक्षा योजना, बेहतर लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाने और क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षकों का समर्थन और मार्गदर्शन शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र/राज्य सरकारों से अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि के उपयोग तथा स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, उन स्थानीय निकायों की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है जो या तो भारत/राज्यों की संचित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं या जहां ऐसी लेखापरीक्षा राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में केंद्र सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- केन्द्रीय करों/शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करना, जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य है।

2.5.2 न्यायिक घोषणा के माध्यम से अधिदेश

सीएजी को किसी निजी कंपनी के लेखा की भी लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो आमतौर पर सीएजी के लेखापरीक्षण अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बशर्ते कंपनी को लाइसेंस की शर्तों के तहत अल्प प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई हो, जिसके तहत कंपनी को इससे मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा सरकार के साथ साझा करना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों से संबंधित 17 अप्रैल 2014 के अपने फैसले में इस अधिकार को बरकरार रखा था।

2.6 हमारी शक्तियाँ

2.6.1 लेखापरीक्षा की शक्तियां

उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन करते हुए, सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियां[2] हैं

- अपने लेखापरीक्षा के अधीन किसी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण करना;
- किसी भी लेखापरीक्षित संस्था से कोई भी अभिलेख, कागजात और दस्तावेज मांगना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय करना;
- सभी लेन-देन की जांच करना और कार्यपालक से पूछताछ करना; और

[2] सीएजी के डीपीसी अधनियिम 1971 की धाराएं 18, 21, 22, 23 और 24

- जब परिस्थितियां ऐसी आवश्यकता उत्पन्न करें, तो किसी लेखा या लेनदेन के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को समाप्त करना तथा ऐसे लेखा या लेनदेन के संबंध में ऐसी सीमित जांच लागू करना जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है।

2.6.2 प्रत्यायोजन की शक्तियाँ

सीएजी डीपीसी अधिनियम, 1971 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत अपने विभाग के किसी भी अधिकारी को अपनी शक्तियां सौंप सकता है, इस अपवाद के साथ कि जब तक सीएजी छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित न हो, कोई भी अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

2.6.3 विनियम बनाने की शक्तियाँ

सीएजी डीपीसी अधिनियम, 1971 के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बना सकता है, जहां तक वे लेखापरीक्षा के दायरे और सीमा से संबंधित हैं, जिसमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिए सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांत और प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में व्यापक सिद्धांत निर्धारित करना शामिल है।

सार्वजनिक लेखापरीक्षकों के संचालन के परिवेश में महत्वपूर्ण विकास को देखते हुए, जैसे कि शासन प्रतिमान, सरकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सेवा वितरण में आईटी उपकरणों की व्यापक तैनाती और सरकार का आंकड़ा परिवेश, संस्थागत व्यवस्था के नए रूप, सीएजी के अधिदेश की न्यायिक व्याख्या, सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रावधानों का दायरा और प्रयोज्यता आदि, उपर्युक्त शक्तियों के तहत 2007 में जारी किए गए 'लेखा और लेखा परीक्षा विनियमों' की समीक्षा की गई और उन्हें लेखापरीक्षा और लेखा (संशोधन) 2020 विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2.7 साई इंडिया द्वारा संचालित विभन्न लेखापरीक्षा

सीएजी की शक्तियाँ किसी भी लेखापरीक्षा के संचालन में अपनाए जाने वाले कार्य-क्षेत्र, सीमा, कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को निर्धारित करने तक विस्तारित हैं। सीएजी अपने अधिदेश, मानकों और इस संबंध में सीएजी द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखा परीक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा या इन प्रकार की लेखापरीक्षाओं के किसी संयोजन का संचालन करता है।

सीएजी द्वारा किए जाने वाली लेखापरीक्षा के प्रकार

वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या किसी इकाई के वित्तीय विवरण और सूचना उचित रूप से तैयार की गई है, सभी प्रकार से पूर्ण है और निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है। लेखापरीक्षा पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करके की जाती है, जिससे लेखापरीक्षक यह राय व्यक्त कर सके कि क्या वित्तीय विवरण और सूचना इकाई की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और क्या वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या कोई दी गई विषय-वस्तु (कोई गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, किसी इकाई या इकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय जांच है कि क्या सरकारी संस्थाएं, संस्थान, संचालन, कार्यक्रम, निधियां, गतिविधियां (उनके इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, परिणाम और प्रभाव सहित) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो रही हैं और क्या उनमें सुधार की गुंजाइश है।

अध्याय 3:

साई इंडिया का संगठन

3.1 साई इंडिया का संगठन

सीएजी भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साई इंडिया एक ज्ञान-आधारित और मानव संसाधन-संचालित संगठन है। इसमें लगभग 40,800 कर्मचारी कार्यरत हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय, साई इंडिया का मुख्यालय है। 2024-25 के दौरान, साई इंडिया को 138 क्षेत्रीय कार्यालयों (भारत भर में फैले 132 कार्यालय और विदेशों में स्थित छह कार्यालय) द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिनमें चार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 12 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र शामिल हैं जो क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करते हैं।

सीएजी कार्यालय, साई इंडिया के लेखापरीक्षण, लेखा और पात्रता संबंधी सभी गतिविधियों का निर्देशन, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया के दीर्घकालिक दृष्टिकोण, उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यह और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अंतिम प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए नीतियाँ, लेखापरीक्षण मानक और प्रणालियाँ भी निर्धारित करता है।

इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकार लेखापरीक्षा, स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा, व्यावसायिक कार्यप्रणालियाँ, रणनीतिक प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, ज्ञान एवं क्षमता निर्माण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, बृहत डेटा प्रबंधन आदि से संबंधित अलग-अलग प्रभाग हैं। इन प्रभागों का नेतृत्व उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक करते हैं, जो सीएजी को आरव्या देते हैं। उन्हें महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप-निदेशक सहयोग प्रदान करते हैं, जो सभी वरिष्ठ/मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं।

देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखा अधिदेश के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। लंदन, कुआलालंपुर, नैरोबी और वाशिंगटन डीसी स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय भारत सरकार के विदेशी उद्देश्यों की लेखापरीक्षा करते हैं, जबकि रोम और जिनेवा स्थित हमारे बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारे कार्यक्षेत्र हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार संरचित हैं, जैसे, संघ सरकार की लेखापरीक्षा, राज्य सरकार की लेखापरीक्षा, लेखा और पात्रता तथा क्षमता निर्माण और मानव संसाधन।

साई इंडिया का संगठन चार्ट

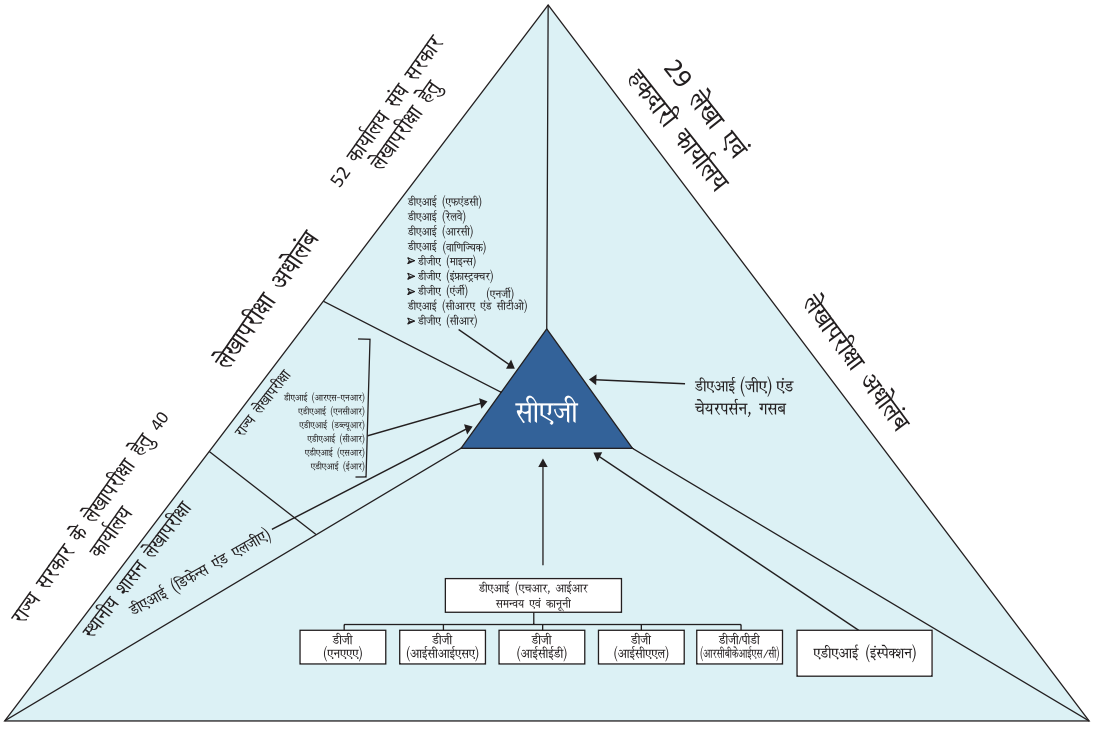

एच.आर.एम एंव अन्य

डीएआई: उप नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक
एडीएआई: अवर उप नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक
29 लेखा एवं हकदारी कार्यालय
राज्य सरकार के लेखापरीक्षा हेतु 40 कार्यालय
संघ सरकार की लेखापरीक्षा हेतु 52 कार्यालय (लंदन, कुआलालंपुर, नौरोबी और वाशिंगटन डीसी सहित 4)
2 बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय (रोम तथा जेनेवा में स्थित)
12 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संगठन/केन्द्र (एक आरसीबीकेसी अलग कार्यालय नहीं है)
4 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान

कार्यालय का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट https://cag.gov.in/en/organisation-chart पर उपलब्ध है।
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए वेब लिंक https://cag.gov.in/en/home/our-office/1 पर उपलब्ध है।

3.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर सीएजी को सलाह देने तथा सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के भीतर लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित एवं निष्पादन में सुधार का सुझाव देने के लिए एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एएबी) है।

बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों के नामांकित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ-साथ साई इंडिया के उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भी सदस्य होते हैं। बोर्ड के सदस्य मानद हैसियत से कार्य करते हैं। एएबी का पुनर्गठन हर दो साल में किया जाता है। पहला एएबी 1999 में गठित किया गया। तब से, 31 मार्च 2024 तक, बोर्ड का दस बार (2001,

2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2021 और 2023) पुनर्गठन किया जा चुका है। 31 मार्च 2025 तक, ग्यारहवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष

श्री के. संजय मूर्ति
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

सदस्य

श्री अशोक गुलाटी
कृषि अर्थशास्त्री

डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी
नारायण हेल्थ के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक

श्री एच. के. दाश
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

सुश्री किरण मजूमदार शॉ
उद्यमी

श्री मनीष सभरवाल
मानव संसाधन सलाहकार

श्री मारूफ रज़ा
सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक

श्री नितिन देसाई
प्रतिष्ठित फेलो, टेरी

डॉ. राजीव लोचन बिश्नोई
क्रेडिट एवं वित्तीय विशेषज्ञ

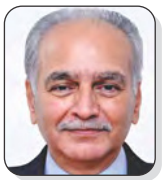

डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया
अर्थशास्त्री

श्री एस.एम. विजयानंद
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

श्री पी.के.श्रीवास्तव
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

पदेन सदस्य

सभी उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

3.3 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी प्रकार, राज्यों में संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एसएएबी) का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाहरी सदस्यों को प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से नामित किया जाता है।

राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार एवं अनुभवी पेशेवरों के बीच व्यावसायिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करके, हमारी लेखापरीक्षाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार होती है और इनका पुनर्गठन हर दो साल में किया जाता है।

अध्याय 4:
क्षमता निर्माण अवसंरचना

4.1 साई इंडिया की क्षमता निर्माण अवसंरचना

साई इंडिया के क्षमता निर्माण अवसंरचना में चार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) और दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) शामिल हैं। यह अध्याय हमारे प्रशिक्षण संस्थानों के अधिदेश और संरचना का वर्णन करता है। इन संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 2 और भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 5 में दिया गया है।

4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए) साई इंडिया का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने और आईएएंडएएस और अन्य अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

एनएएए शिमला

एनएएए नए भर्ती हुए अधिकारियों को सक्षम अधिकारियों के एक ऐसे संवर्ग में विकसित करता है, जो लेखा परीक्षा, लेखांकन, लोक प्रशासन और सुशासन के क्षेत्र में समकालीन सर्वोत्तम प्रथाओं से पूरी तरह अभिज्ञ हों। अकादमी में 89 सप्ताह तक चलने वाला प्रवेश प्रशिक्षण हर साल दिसंबर के आसपास शुरू होता है और चरण-I, सेवाकालीन-प्रशिक्षण (ओजेटी) और चरण-II प्रशिक्षण के सैंडविच पैटर्न में आयोजित किया जाता है। चरण-I प्रशिक्षण को सेमेस्टर-I और II में विभाजित किया गया है, जिसमें सरकारी लेखा, वाणिज्यिक लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के सिद्धांत, लोक वित्त, कानून और नीति, प्रशासन और सार्वजनिक व्यय, व्यवहार में लेखापरीक्षा - I और II, उन्नत वाणिज्यिक लेखांकन, वित्तीय लेखा परीक्षा, लागत और प्रबंधन खाते और वित्तीय प्रबंधन, और सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा और आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साई इंडिया के क्षेत्रीय संरचनाओं में काम करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए देश भर के चुनिंदा क्षेत्रीय कार्यालयों में 30 सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा कक्षा प्रशिक्षण को पूरक बनाया जाता है।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को डोमेन विशिष्ट ज्ञान के लिए अन्य उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों में भी भेजा जाता है, जिनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), भारतीय

रिजर्व बैंक (आरबीआई), नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) और संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) शामिल हैं।

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान, खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक आउटरीच और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से अधिकारी प्रशिक्षुओं के पारस्परिक कौशल और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न समितियाँ संचालित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों में 'अकादमी कॉलिंग' और 'यारोज़ ड्यू' पत्रिकाओं का प्रकाशन, 'अभिव्यक्ति' के रूप में ज्ञात संपूर्ण साई इंडिया की वार्षिक फोटोग्राफी-सह-प्रदर्शनी का आयोजन, वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता 'बैटल ऑफ़ आइडियाज़', वार्षिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 'क्यूरियोसिटी', वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 'सामना', प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच का संचालन, रक्तदान और स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन, स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता पर सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित हैं।

यारोज़ हॉस्टल, एनएएए, शिमला

एनएएए आईएएंडएएस अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों को मध्य-करियर और सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। एनएएए अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय सेना आदि के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करता है।

अकादमी में शैक्षणिक, प्रशासनिक और उपयोगिता अनुभागों सहित अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। शैक्षणिक अनुभाग में दो सेमिनार हॉल (सतपुड़ा और हिमाद्रि), ऑल-इन-वन पीसी वाला एक कंप्यूटर केंद्र (अरावली), स्मार्ट बोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाओं वाला एक चर्चा कक्ष (पूर्वांचल) और 69 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक सभागार (नीलगिरि) है। प्रशासनिक अनुभाग में कार्यालय, लाउंज और एक सम्मेलन कक्ष शामिल हैं, जिसके सभी कमरे केंद्रीय हीटिंग प्रणाली से जुड़े हैं।

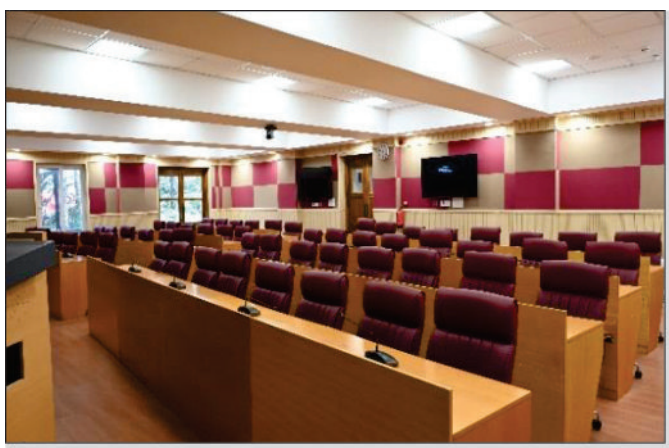

एनएएए शिमला में सुविधाएं

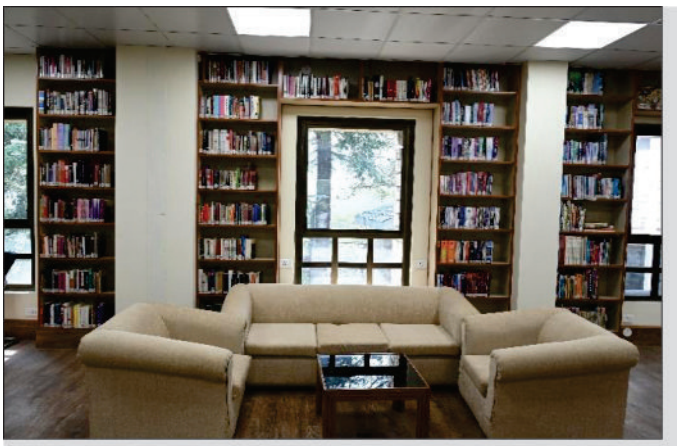

एनएएए शिमला में पुस्तकालय

नोबेल पुरस्कार विजेता श्री सी. वी. रमन के नाम पर स्थित इस पुस्तकालय में 23,000 से ज़्यादा पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं। यह राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़ा है और 100 से ज़्यादा विदेशी ई-पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है। इसमें फीचर और वृत्तचित्र फिल्मों के लिए भी अनुभाग हैं। पुस्तकालय का एक ई-पोर्टल "निम्बस" भी है, जिसे https://naaa.knimbus.com/user#/home के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। यह मैगज़्टर नामक एक पत्रिका पोर्टल की भी सदस्यता लेता है, जिसमें लगभग 1000 पत्रिकाएँ है। इसके अलावा, अकादमी अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) पोर्टल तक भी पहुँच प्राप्त कर सकती है, जिसके माध्यम से कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ नि:शुल्क उपलब्ध है।

एनएएए शिमला में खेल सुविधाएं

संकाय और सहायक कर्मचारी परिसर में ही रहते हैं, जिससे निरंतर संपर्क और सुविधा सुनिश्चित होती है। आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु (ओटी) मुख्य रूप से आवासीय परिसर के मध्य में रहते हैं: 'यारोज़', कुछ प्रशिक्षुओं और सभी अतिथियों को 'ग्लेन' और 'सीडर' में ठहराया जाता है, जो सभी केंद्रीय हीटिड आवासीय भवन हैं और ईपीएबीएक्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

मनोरंजन सुविधाओं में टेनिस, स्क्वैश, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स जैसे खेल और एक सुसज्जित व्यायामशाला शामिल हैं। अकादमी में आधुनिक वाद्ययंत्रों से सुसज्जित एक जीवंत संगीत कक्ष भी है। ओटी को अपनी पसंद का कोई भी शौक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा)

आईसीसा परिसर

आईसीसा की स्थापना मार्च 2002 में अग्रणी लेखापरीक्षा उत्पादों को डिजाइन करने तथा नवीनतम शिक्षण और प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए की गई थी। आईसीसा का लक्ष्य सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर विचार नेतृत्व प्रदान करना है। आईसीसा, आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह द्वारा नामित एक वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है और यह आईएसओ 9001:2008 और आईएसओ 27001 प्रमाणित संस्थान है।

आईसीसा परिसर

दस से अधिक (40,468 वर्ग मीटर) में फैला यह परिसर, प्रतिभागियों के प्रवास को आरामदायक और जीवंत बनाने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। सुंदर भू-दृश्य वाले इस परिसर में प्रशिक्षण और आवास के लिए ब्लॉक के अलावा कई मनोरंजक और खेल सुविधाएँ भी हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, परिसर में बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल, वर्षा जल संचयन पुनर्भरण प्रणाली और बागवानी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक खाद बनाने की इकाई भी है।

आईसीसा दुनिया भर के साई के लेखापरीक्षा पेशेवरों के सार्वजनिक लेखा परीक्षा, डेटा विश्लेषण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में योगदान देता है। साई इंडिया के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अलावा, आईसीसा अन्य संगठनों/सेवाओं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवाएँ, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएँ, भारतीय सिविल लेखा सेवाएँ और केंद्रीय स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारियों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

आईसीसी परिसर

आईसीसा परिसर

आईसीसा, विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत तीन से चार सप्ताह की अवधि के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। विभिन्न भारतीय खेल प्राधिकरणों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारी तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, प्रशांत और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के देशों की सरकारों के अधिकारी इन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

आईसीसा, साई इंडिया और अन्य साई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत, और व्यक्तिगत साई के अनुरोधों के आधार पर, अनुकूलित द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न साई के क्षमता निर्माण में भी योगदान देता है। आईसीआईएसए ने अफगानिस्तान, भूटान, चिली, स्वाज़ीलैंड, इराक, जमैका, मालदीव, नेपाल, ओमान, युगांडा, वियतनाम, सीरिया, कंबोडिया और मंगोलिया जैसे कई देशों के प्रतिभागियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार और संचालित किए हैं। ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई और संबंधित देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का एक प्रभावी साधन हैं.

आईसीआईएसए ने भाषा संबंधी बाधाओं को न्यूनतम करने, सीखने के परिणामों को अधिकतम करने तथा अपने प्रशिक्षण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विदेशी भाषा भाषांतरकार का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण में भी प्रवेश किया है।

4.1.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

आईसीईडी जयपुर

आईसीईडी की स्थापना मई 2013 में भारत के सीएजी के तत्वावधान में जयपुर में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ज्ञान साझाकरण और अनुसंधान हेतु की गई थी। महासागर-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, सीएजी ने आईसीईडी में नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया है। यह केंद्र क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समग्र और एकीकृत लेखापरीक्षा को बढ़ावा देना है।

आईसीईडी, पर्यावरण लेखापरीक्षा कार्य समूह (डबल्यूईजीए) और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के निष्कर्षण उद्योगों की लेखापरीक्षा कार्य समूह (डबल्यूईजीआई) का एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र (जीटीएफ़) है। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाला एक अग्रणी संस्थान भी है। इसके अलावा, साई इंडिया के एक समर्पित और प्रमुख केंद्र के रूप में, आईसीईडी पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में व्यापक क्षमता निर्माण और अनुसंधान करता है, और ऐसे लेखापरीक्षा संचालन में साई इंडिया की समृद्ध विशेषज्ञता का उपयोग करता है।

आईसीईडी "ग्रीन फाइल्स" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है, जो पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। यह पत्रिका लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखापरीक्षा संबंधी चिंता के क्षेत्रों की पहचान करने और उभरते पर्यावरणीय विषयों पर जानकारी रखने में मदद करती है।

आईसीईडी का परिसर, जो 16 एकड़ में फैला है, ऐतिहासिक शहर जयपुर के ठीक बाहर, अरावली पहाड़ियों की मनोरम पृष्ठभूमि में स्थित है। यह जैव-विविधता वाले भूभाग में लगभग 10,537 पौधों और पेड़ों (झाड़ियों और झाड़ियों सहित) की एक विस्तृत हरित पट्टी का रखरखाव करता है। कुल क्षेत्रफल का 85 प्रतिशत परिसर विविध वनस्पतियों और जीवों से युक्त एक 'हरित क्षेत्र' है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति साई इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, आईसीईडी को जीवंत वातावरण का एक हिस्सा बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परिसर में कई हरित विशेषताएँ प्रदर्शित हैं, जैसे।

- कंक्रीट और ईंटों में फ्लाई ऐश का उपयोग।
- मौसमरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी भवन।

- डिज़ाइन में ऊर्जा कुशल विशेषताएँ और फिक्स्चर।
- सौर ऊर्जा फार्म के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग।
- जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन प्रणाली।
- सीवेज उपचार संयंत्र के माध्यम से जल का पुन: उपयोग।
- दुर्लभ वृक्ष पार्क।

यह सतत पर्यावरण के प्रति साई इंडिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

आईसीईडी, जयपुर परिसर में पर्यावरणीय संतुलन

स्थानीय औषधीय पौधों और पारिस्थितिक महत्व वाली दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए आईसीईडी में दुर्लभ वृक्ष पार्क

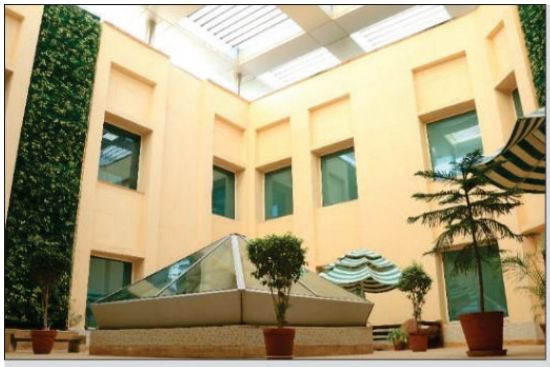

दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करके बेसमेंट और प्रशिक्षण हॉल में प्रकाश के लिए स्काई लाइट्स और ऊर्जा संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रकाश पर निर्भरता कम करना।

स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के लिए आईसीईडी परिसर में सौर फार्म

अन्य सुख-सुविधाएँ और सुविधाएँ

आईसीईडी में बहु-व्यंजन भोजन और खेल सुविधाओं सहित आरामदायक आंतरिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आईसीईडी प्रशिक्षण स्थल

आईसीईडी एम्फीथिएटर का विहंगम दृश्य

आईसीईडी पुस्तकालय

4.1.4 स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएएल)

आईसीएएल, राजकोट का उद्घाटन जुलाई 2024 में दुनिया भर में स्थानीय शासन के लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य निम्नलिखित की क्षमता का निर्माण करना है:

- भारत और विश्व भर की स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकारी अधिकारी,

आईसीएएल, राजकोट

- राज्य सरकारों और अधीनस्थ लेखापरीक्षा संस्थाओं के स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षक।

यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तर पर स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रों में जमीनी स्तर पर शासन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एक ज्ञान केंद्र और थिंक-टैंक के रूप में भी कार्य करेगा। इंटोसाई के व्यापक मिशन, विजन और मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए, आईसीएएल अपने सदस्यों के लिए स्थानीय सरकारों के लेखा परीक्षण में अमूल्य अनुभव, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु एक वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है। आईसीएएल द्विपक्षीय आदान-प्रदान और आईटीईसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों, साई और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भी सहयोग करेगा।

आईसीएएल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकारों के लेखा परीक्षकों, कार्यपालकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास पहलों के माध्यम से अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सशक्त बनाना है।

प्रतिभागी स्थानीय शासन और लोक प्रशासन की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और उपकरण प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरते हैं। प्रशिक्षण गतिविधियाँ उभरती चुनौतियों का समाधान करने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं में सुधार लाने और समुदायों में सुशासन, समावेशी विकास और सतत परिणामों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

आईसीएएल प्रशिक्षण कक्ष

4.1.5 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र (आरसीबीकेआई/सीएस)

साई इंडिया के अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखा, लेखा परीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई और दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) स्थित हैं। ये संस्थान चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, प्रयागराज, रांची और शिलांग में स्थित हैं। दो आरसीबीकेसी बेंगलुरु और दिल्ली में स्थित हैं।

आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी, उन्हें सौंपे गए विशिष्ट विशेषज्ञता क्षेत्रों के लिए ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में, आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी अपने निर्दिष्ट विशेषज्ञता क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम), केस स्टडी और अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। वे उन्हें आवंटित विशेषज्ञता के क्षेत्र में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

आरसीबीकेआई शिलांग

आरसीबीकेआई नागपुर

आरसीबीकेआई रांची

आरसीबीकेआई जयपुर

आरसीबीकेआई प्रयागराज

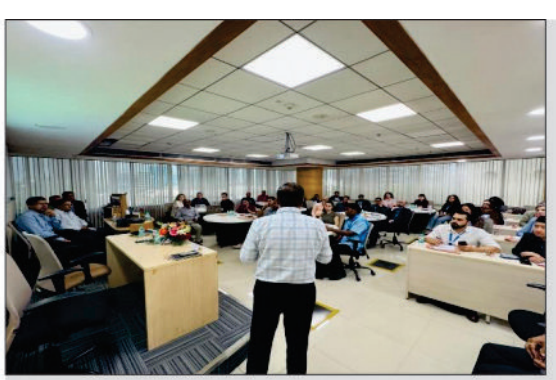

आरसीबीकेआई मुंबई

अध्याय 5:

हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

5.1 वित्तीय प्रबंधन - व्यय के घटक

हमने 2024-25 में ₹ 6,426.22 करोड़ खर्च किए। कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा (89.94 प्रतिशत) सीधे हमारे मानव संसाधनों पर खर्च हुआ – 84.94 प्रतिशत 'वेतन' पर और 5.00 प्रतिशत 'यात्रा' पर। व्यय का घटकवार विवरण नीचे दिया गया है:

व्यय के घटक (₹ करोड़ में)

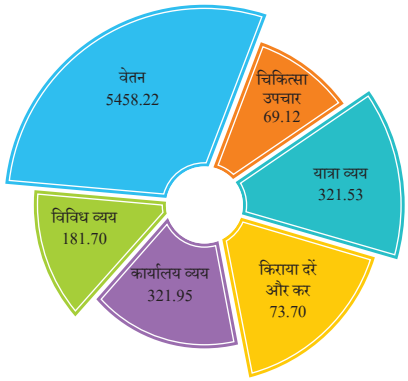

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए कुल व्यय क्रमशः ₹ 5,352.06 करोड़, ₹ 5,871.02 करोड़ और ₹ 6,103.76 करोड़ था।

5.1.1 कार्यात्मक आधार पर व्यय पैटर्न

सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों ने सबसे अधिक व्यय किया, उसके बाद लेखा एवं हकदारी कार्यालयों का स्थान रहा। कुल मिलाकर हमने लेखापरीक्षा पर लगभग 70.31 प्रतिशत व्यय किया (मुख्यालय को छोड़कर)। लेखा एवं हकदारी कार्यालयों पर कुल व्यय लगभग 23.96 प्रतिशत था।

तालिका 5.1.1

कार्यालय की श्रेणी	वास्तविक व्यय[1] (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय कार्यालय	256.91	4.00
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	3,441.69	53.56
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	311.53	4.85
वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय	207.41	3.23
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	321.45	5.00
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	187.03	2.91
लेखा एवं हकदारी कार्यालय	1,539.86	23.96

[1] व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं.

कार्यालय की श्रेणी	वास्तविक व्यय[1] (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा (बाहरी लेखापरीक्षा निदेशकों का कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन-जिनेवा और एफएओ-रोम)	4.57	0.07
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	44.04	0.69
क्षमता निर्माण	88.37	1.37
केंद्रीकृत खरीद	23.36	0.36
कुल	**6,426.22**	**100**

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

चूँकि हम एक ज्ञान-आधारित संगठन हैं, इसलिए लोग हमारी प्रमुख संपत्ति हैं। आईएससाई 40 में यह प्रावधान है कि साई को ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्मित करनी चाहिए जो उसे यह आश्वासन प्रदान करें कि उसके पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं।

हमारी जनशक्ति को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च 2025 तक)
आईए और एएस	651
पर्यवेक्षी संवर्ग	19,045
लेखापरीक्षा और लेखा कर्मचारी	19,125
बहु-कार्य कर्मचारी	1,957
कुल	**40,778**

साई इंडिया में 48.30 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी स्तरों पर हैं और 46.90 प्रतिशत लोग लेखापरीक्षा और लेखा कर्मचारी हैं।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईए एवं एएस) - अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। भारतीय लेखा सेवा (साई) इंडिया के शीर्ष, वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन स्तरों पर इसी सेवा के अधिकारी कार्यरत होते हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारियों को भी पदोन्नति द्वारा इस सेवा में शामिल किया जाता है। ये भारत सरकार में ग्रुप ए सेवा का गठन करते हैं।

पर्यवेक्षी संवर्ग - पर्यवेक्षी संवर्ग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (समूह क- राजपत्रित), सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (समूह ख- राजपत्रित) और पर्यवेक्षक (समूह ख- अराजपत्रित) शामिल हैं। ये हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालन प्रबंधन का निर्माण करते हैं। सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी या तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा आते हैं या अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में लोकप्रिय अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इस संवर्ग में पदोन्नत होते हैं।

लेखापरीक्षा एवं लेखा कर्मचारी - डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ), लिपिक, लेखापरीक्षक/लेखाकार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखाकार और सहायक पर्यवेक्षक इस संवर्ग का निर्माण करते हैं। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या फीडर संवर्ग से पदोन्नत किया जाता है।

बहु-कार्य कर्मचारी- भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के विभिन्न कार्यालयों में सहायक कार्य मल्टी-टास्किंग स्टाफ द्वारा किए जाते हैं।

5.2.1 योग्यताएँ

आईएएंडएएस संवर्ग में 15 डॉक्टरेट, 227 स्नातकोत्तर और 403 स्नातक हैं। इनमें से 393 पेशेवर रूप से योग्य[2] अधिकारी हैं। गैर-आईएएंडएएस संवर्ग के समूह 'ए', 'बी' और 'सी' के अधिकारी और कर्मचारी भी सुयोग्य हैं। इन संवर्गों में हमारे पास 53 डॉक्टरेट, 5,119 पेशेवर रूप से योग्य कर्मचारी, 4,866 स्नातकोत्तर और 21,745 स्नातक हैं।

5.2.2 भर्ती

2024-25 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग विभाग का मुख्य केंद्र-बिन्दु बना रहा।

- 2024-25 के दौरान आईए एवं एएस संवर्ग में 17 अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- हमने 2024-25 में कनिष्ठ अनुवादक संवर्ग में 25 व्यक्तियों की भर्ती की।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर 208 सलाहकारों की नियुक्ति की गई।

[2] अभियंता, प्रबंधक, डॉक्टर, सीए, आईडब्यूए, सीएफई, सीआईएसए आदि

5.2.3 लिंग संतुलन

नीचे दी गई तालिका विभिन्न संवर्गों में विभाग के महिला-पुरुष प्रतिनिधित्व के संतुलन को दर्शाती है।

श्रेणी	महिला	पुरुष	महिलाओं की प्रतिशतता
आईए और एएस	195	456	29.95
पर्यवेक्षी संवर्ग और लेखा परीक्षा/ लेखा कर्मचारी	5,836	32,334	15.29
बहु-कार्य कर्मचारी	359	1598	18.34
कुल	**6,390**	**34,388**	**15.67**

जबकि पर्यवेक्षी संवर्ग और बहु-कार्य कर्मचारी के मामले में महिलाओं का अनुपात क्रमशः 15.29 और 18.34 प्रतिशत था, वहीं आईएएंडएएस में यह 29.95 प्रतिशत अधिक था।

5.2.4 कर्मचारी संघ

हमारे पास 226 कर्मचारी संघ और पाँच अखिल भारतीय महासंघ हैं जो लेखापरीक्षा एवं लेखा कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षी संवर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा संबंधित क्षेत्र स्तरीय सेवा संघों के साथ समय-समय पर राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती थीं।

खंड 2

अपना अधिदेश पूरा करना

अध्याय 1
हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना

अध्याय 2
हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

अध्याय 3
साई इंडिया की रणनीतिक योजना 2023-30

सीएजी कार्यालय परिसर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा

अध्याय 1:
हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना

1.1 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा प्रक्रिया भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, जैसा कि निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है:

रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना, साई इंडिया में दीर्घकालीन समयावधि के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियोजन हेतु व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान निष्पादन हेतु अलग-अलग योजनाबद्ध लेखापरीक्षाओं का विवरण शामिल होता है। वार्षिक योजना कार्य में मामले या इकाई और उपलब्ध मानव संसाधन के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश; जोखिम निर्धारण; और अन्य प्रासंगिक मापदण्डों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों का चयन विभिन्न विचारों जैसे जोखिम मूल्यांकन, सार तथा महत्व, विषय की दृश्यता, पिछली लेखापरीक्षाएं, अनुमानित प्रभाव, योजना विकास का कवरेज और चरण, आदि द्वारा निर्देशित किया जाता है।

हम तैनात किए जाने वाले लेखापरीक्षा दलों, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तिथियों का वर्णन करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित इकाई को एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष या वह जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उन्हें संघ तथा राज्य स्तर पर संसद/विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए आगे संसाधित किया जाता हैं।

लेखापरीक्षित इकाईयों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है और उनसे यह अपेक्षित है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई अभ्युक्तियाँ भेजें। संघ और राज्य स्तरों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित लोक लेखा समितियों (पीएसी) और लोक उपक्रम समितियों (सीओपीयू)

द्वारा चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की भी जाँच की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियां लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक तंत्र है। लेखापरीक्षित इकाई और साई इंडिया के अधिकारियों से बनी लेखापरीक्षा समितियां, अनुवर्ती प्रक्रिया का अनुवीक्षण करती हैं ताकि, अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके और बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

1.2 रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना

जनवरी 2025 में साई इंडिया की अवधि 2026-30 की रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना, तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को 2026-30 के दौरान किए जाने वाले निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षाओं के लिए विषयों का एक पोर्टफोलियो तैयार करना था, लेखापरीक्षा क्षेत्र के न्यूनतम वांछित कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए मापदंडों का एक समूह निर्धारित करना था और रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, जनशक्ति और संसाधनों के एक समूह की पहचान करना था, तथा लेखापरीक्षा क्षेत्र के वांछित कवरेज और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। समिति द्वारा मार्च 2025 में रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिस पर मार्च 2025 में वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श हेतु साझा किया गया।

1.3 वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2024-25 में अनिवार्य वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई। अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा का हमारा कवरेज जोखिम मूल्यांकन और हमारे शेष संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा निर्देशित था, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया गया था।

हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ कई बार विचार-विमर्श करने के बाद, हमने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)', 'क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) की कार्यप्रणाली' और 'जल जीवन मिशन' पर क्रॉस कटिंग लेखापरीक्षा की।

1.4 लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ

साई इंडिया के मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), और उनके अधीन स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है। साई इंडिया इन कार्यात्मक क्षेत्रों में वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन करता है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य परिणाम निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं, जो लेखापरीक्षित इकाई के प्रबंधन को जारी किए जाते हैं। इन लेखापरीक्षा परिणामों में सूचित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया

जाता है। इन लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना साई इंडिया का मुख्य परिणामी क्षेत्र है। आगामी परिच्छेदों में, हमने 2024-25 के दौरान अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं तथा हमारे लेखापरीक्षा परिणामों के मुख्य बिंदुओं की सूचना दी है।

1.4.1 वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, साई इंडिया आर्थिक सहायता करारों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

2024-25 के दौरान, हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य सत्त्वों के 8,701 लेखाओं की जांच की और प्रत्येक लेखे के लिए एक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र टिप्पणियां जारी की।इनमें से केवल 2,142 लेखे ही निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हुए। हालाँकि, अधिकांश लेखाओं का विलंब से प्राप्ति के बावजूद, हमने समय के भीतर 6,146 लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/अभ्युक्तियाँ जारी कीं।

से संबन्धति लेखे	जांच किए गए लेखाओं की संख्या	निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त लेखाओं की संख्या	निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र
संघ/राज्य सरकार	1,601	843	803
पीएसयू (केंद्र/राज्य)	1,669	757	938
सवयात्त निकाय (केंद्र/राज्य)	1,042	275	405
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (केंद्र/राज्य)	224	136	143
अन्य (केंद्र/राज्य)[1]	4,165	131	3,857
कुल	**8,701**	**2,142**	**6,146**

लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलंब मुख्यत लेखापरीक्षित निकायों से लेखे प्राप्त होने में विलंब, प्रबंधन/सांविधिक लेखापरीक्षक से उत्तर/प्रत्युत्तर की प्राप्ति में विलंब, संशोधित लेखे प्राप्त होने में विलंब, जो एक वर्ष से अधिक समय तक लेखाओं की प्राप्ति आदि के कारण हुआ।

[1] अन्य में ग्राम पंचायत और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखा शामिल हैं।

1.4.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

1.4.2.1 लेखापरीक्षा कवरेज

2024-25 के दौरान कुल 41,189 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई। इसके सापेक्ष वर्ष के दौरान 39,570 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर 98.28 प्रतिशत नियोजित लेखापरीक्षाएं तथा राज्य स्तर पर 94.90 प्रतिशत नियोजित लेखापरीक्षाएं पूरी हो गई।

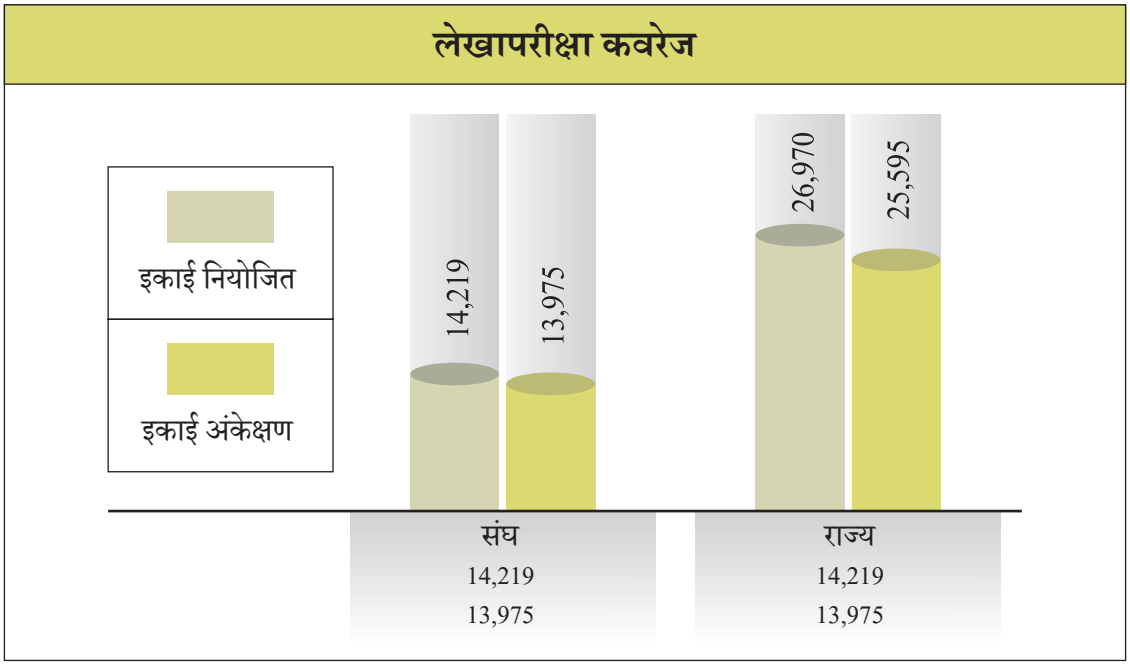

1.4.2.2 निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रत्येक लेखापरीक्षा के पूरा होने पर लेखापरीक्षित इकाई को निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर) जारी की जाती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 39,570 इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया, जिनमें से 21,687 इकाइयों (54.81 प्रतिशत) के मामले में निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, 3,815 निरीक्षण प्रतिवेदन उन इकाइयों के लिए भी जारी की गईं जिनकी लेखापरीक्षा 2024-25 से पहले की गई थी।

संघ स्तर पर, 85.65 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर, अर्थात् 30 दिनों के भीतर जारी की गईं, जबकि राज्य स्तर पर, समय पर निष्पादन 68.05 प्रतिशत रहा।

निरीक्षण प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान वास्तव में लेखा-परीक्षित इकाईयों के लिए जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	2024-25 से पहले लेखापरीक्षित इकाइयों को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान जारी की गईं कुल निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों में जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	8,588	1,101	9,689	8,299	85.65
राज्य	13,099	2,714	15,813	10,761	68.05
कुल	**21,687**	**3,815**	**25,502**	**19,060**	**74.74**

1.4.2.3 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया गया है। 2024-25 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में कुल 981 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (संघीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 617 और राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 364) शामिल की गईं। स्टैंडअलोन अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए महत्वपूर्ण विषय थे 'आयकर विभाग द्वारा 'डिस्टिलरी और ब्रुअरीज' के व्यवसाय में कार्यरत कंपनियों के मूल्यांकन की जाँच', 'आयकर करदाताओं पर बकाया माँग', 'पूर्वी तट रेलवे में मंचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप का कार्यकरण', 'छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-कुर्ला स्टेशन के बीच 5$^{वीं}$ और 6$^{वीं}$ लाइन का निर्माण' और 'भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) की गतिविधियाँ'।

संघ स्तर पर, 617 लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से 45 को स्वीकार किया गया और 23 को लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। राज्य स्तर पर, 364 लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से 173 को स्वीकार किया गया तथा 55 को लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

1.4.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

अनुच्छेद 1.3 में उल्लिखित अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा एवं क्षैतिज लेखापरीक्षा के अलावा, सरकारी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में संघ एवं राज्य स्तर पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण विषय थे 'लघु खनिजों सहित खनन पर जीएसटी का आंकलन, उद्ग्रहण एवं संग्रहण', 'परियोजना आयात योजना', 'भारतीय रेलवे में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं और स्वच्छता', 'भारतीय रेलवे में माल ढुलाई प्रोत्साहन योजनाएं', 'जलवायु स्कैनर उपकरण का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के लिए तैयारियों का आंकलन', 'कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी)', 'पब्लिक स्कूल शिक्षा', 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण', 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी', 'कामकाजी महिला छात्रावास और अनाथालयों की पर्याप्तता', 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सूक्ष्म परियोजनाओं का कामकाज', 'राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली', 'युवा सेवा और खेल विभाग और जम्मू और कश्मीर खेल परिषद का कामकाज', 'भूमि रिकॉर्ड

सूचना प्रणाली', 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)', 'आपातकालीन प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली (डायल 112)', 'ईडब्ल्यूएस घर, रैन बसेरा, जन सुविधा परिसरों का निर्माण और शहरी मलिन बस्तियों का सुधार' तथा 'दिल्ली में भूकंप और बाढ़ के खतरों का आपदा प्रबंधन'।

1.4.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह परिकल्पित करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद या राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदनों को तैयार करेंगे एवं राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेंगे।

2024-25 के दौरान, 156 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 19 प्रतिवेदन संसद में एवं 137 राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जानी थीं। 2024-25 के दौरान 156 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से, नौ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 72 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, अप्रैल 2024 से पहले अनुमोदित 10 संघीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं और 66 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी 2024-25 के दौरान क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को, संसद/ विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने के बाद, https://cag.gov.in/en/audit-report पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

1.4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.4.5.1 लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुसंशाओं की स्वीकृति

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच, अनुमोदित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में की गई 2,370 अनुसंशाओं में से औसतन 958 अनुसंशाएं लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा स्वीकार की गईं।

2024-25 के दौरान अनुमोदित 156 लेखापरीक्षा रिपोर्टों में की गई अनुसंशाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	की गई अनुसंशाएं	स्वीकार की गई अनुसंशाएं
संघ सरकार	19	286	32
राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सरकारें	137	2,420	1,146
कुल	**156**	**2,706**	**1,178**

इस प्रकार 2024-25 के दौरान, अनुमोदित 156 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में 2,706 अनुसंशाएं की गईं, जिनमें से 1,178 अनुसंशाएं लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा स्वीकार की गईं।

1.4.5.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

हमारी कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां करों के कम आंकलन या राजकोष को हुई विशिष्ट हानि से संबंधित हैं, जिसके लिए संबंधित पक्षों से वसूली आवश्यक है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान स्वीकृत औसत वसूली ₹ 41,255.73 करोड़ थी, जबकि इसी अवधि के दौरान की गई वसूली ₹ 4,998.27 करोड़ थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई वसूलियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

	स्वीकृत की गई वसूली	प्रभावित वसूली
संघ सरकार	6,830.78	755.65
राज्य सरकार	17,362.44	1,843.38
कुल	**₹ 24,193.22**	**₹ 2,599.03**

1.4.5.3 पीएसयू की वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रभाव

(i) वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 2024-25 के दौरान 1,416 कंपनियों एवं निगमों (संघ एवं राज्य दोनों) के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी एवं लेखाओं पर इन लेखापरीक्षाओं का प्रभाव था: (क) लेखा टिप्पणियों में संशोधन: ₹ 73,935.91 करोड़ (ख) वर्गीकरण गलतियाँ: ₹ 49,212.62 करोड़ (ग) लाभ एवं हानि में परिवर्तन: ₹ 48,270.15 करोड़, एवं (घ) परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में परिवर्तन: ₹ 1,93,579.35 करोड़।

(ii) लेखांकन नीतियों/लेखे पर टिप्पणियों में परिवर्तन (सीपीएसयू)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए प्रबंधन पत्रों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:

- लेखापरीक्षा पूछताछों के आधार पर, **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड** ने कार्य प्रगति/अर्ध-निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में अप्रचलन के लिए प्रावधान हेतु मानक तैयार किए और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मानकों के अनुसार प्रावधान किया।
- लेखापरीक्षा पूछताछों के आधार पर, **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड** ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर ह्रास हानि के लिए अपनी लेखांकन नीति में संशोधन किया।
- लेखापरीक्षा पूछताछ के आधार पर **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय** ने परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में व्यवहार में एकरूपता लाने के लिए सभी रणनीतिक व्यावसायिक

इकाइयों/ इकाइयों को दिशानिर्देश जारी किए।

- लेखापरीक्षा पूछताछों के आधार पर, **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड** ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इंड एएस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप परिसंपत्तियों के लिए पृथक परिसंपत्ति कोड आवंटित किए।

- लेखापरीक्षा पूछताछों के आधार पर, **हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड** ने लेखांकन निर्देश (एआई 23) जारी किया, जिसमें गैर-गतिशील भंडार के निर्धारण की एक समान पद्धति को दोहराया।

- 2022-23 में **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (एचपीसीएल) की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान किए गए अभ्युक्तियों के आधार पर, एचपीसीएल ने 2023-24 में अन्य सीपीएसई के साथ उद्योग सहमति के तहत कुछ पाइपलाइनों, जिनमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) व्यवसाय की पाइपलाइनें शामिल हैं, की अवशिष्ट मूल्य को पांच प्रतिशत से संशोधित कर 'शून्य' कर दिया।

- वर्ष 2022-23 के लिए एचपीसीएल की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान अभ्युक्तियों के आधार पर, 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' से संबंधित लेखांकन नीति को एचपीसीएल द्वारा 'भौतिक लेखांकन नीति सूचना' में शामिल किया गया था।

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के लेखाओं पर पूरक लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त अभ्युक्तियों के आधार पर, अधीनस्थ ऋणों को उचित मूल्य पर उधार (नोट 15) के अंतर्गत दर्शाया गया है और अंतर राशि को अन्य देयताओं (नोट 18) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें चालू और गैर-चालू के बीच उचित विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के वार्षिक लेखों में नकदी प्रवाह विवरण में, भारत सरकार को देय लेकिन भुगतान न की गई मूल राशि को शामिल करने के संबंध में सुधार किया गया है, जबकि यह वित्तपोषण गतिविधि से नकदी प्रवाह के अंतर्गत एक गैर-नकद मद है।

- वर्ष 2022-23 की **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान की गई अभ्युक्तियों के आधार पर, कंपनी द्वारा डननेज के लेखांकन हेतु अपनाई गई असंगत लेखांकन नीति को वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों में प्रस्तुत प्रमुख लेखांकन नीतियों में सम्मिलित किया गया।

- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए **कोल इंडिया लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों पर की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई अभ्युक्तियों के आधार पर, कोयला उत्पादन और हटाए गए अधिभार के बीच अधिभार हटाने की लागत के निर्धारण एवं उसके विभाजन की नीति की समीक्षा की गई ताकि एकरूपता और स्थिरता लाई जा सके। साथ ही, अपेक्षित उपयोगी जीवन काल में इसकी पहचान और उसके परिशोधन की कार्यप्रणाली को भी परिभाषित किया गया।

- वर्ष 2022-23 के लिए **एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड** के अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान अभ्युक्तियों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखांकन नीति में फर्नीचर और

फिक्स्चर के संबंध में प्रयुक्त/उपयोगी कार्यकाल मूल्यह्रास दर और कार्यालय उपकरण के संबंध में उपयोगी कार्यकाल को बदल दिया गया है।

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी प्रबंधन पत्र के आधार पर, **कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ने वित्तीय विवरण के मुद्रित संस्करण में परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण को सुधारा।

(iii) लेखांकन नीतियों/लेखाओं पर टिप्पणियों में परिवर्तन (एसपीएसयू)

कर्नाटक

- **उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम** की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए अभ्युक्तियों के आधार पर, वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण में, परिसंपत्तियों की प्रकृति पर विचार करते हुए, भवनों और अन्य सिविल संरचनाओं पर अलग-अलग दरों पर मूल्यह्रास लगाने के लिए लेखांकन नीति को संशोधित किया गया था।

- **कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड** के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जारी टिप्पणी के आधार पर, पूंजी अनुदान के संबंध में लेखांकन नीति को वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया।

- **कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण** के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जारी टिप्पणी के आधार पर, वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में अनुदानों के उपचार के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया।

1.4.5.4 लेखापरीक्षा के आग्रह पर नीतियों, कानूनों एवं नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी अभ्युक्तियों के आधार पर संघ/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों, कानूनों, नियमों एवं प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं:

संघ लेखापरीक्षा

(i) प्रत्यक्ष कर- 2023 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (अनुपालन लेखापरीक्षा)

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल अनुसंशाओं के आधार पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

- धारा 281बी के तहत आदेश के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसमें अनंतिम अनुलग्नक के लिए आवश्यक सभी आवश्यक जानकारी शामिल की गई है ताकि स्थिरता और कानूनी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

- निर्धारण अधिकारियों को प्रभावी, पारदर्शी और कानूनी रूप से स्थायी तरीके से अनंतिम कुर्की की

कार्यवाही शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए मत अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट मानदंड तैयार किए गए हैं।

- अनंतिम कुर्की के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जिसमें धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश की संबंधित प्राधिकरणों को सूचना देने की प्रक्रिया भी शामिल है, ताकि अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और सरकार के राजस्व की रक्षा की जा सके।

- धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेशों को संबंधित प्राधिकरणों को अधिसूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) भी शामिल है, तथा प्राधिकरणों को अनंतिम कुर्की को नोट करने और उसमें जारी निर्देशों के करदाता द्वारा अनुपालन की निगरानी करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं।

- तलाशी और जब्ती के दौरान जांच हेतु उपयुक्त परिसंपत्तियों के चयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

- राजस्व हित को अधिकतम करने के उद्देश्य से निर्धारण हेतु उपयुक्त और पर्याप्त संपत्ति के चयन की सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

- कुर्क की जाने वाली संपत्ति की स्वामित्व स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र निर्धारित किया गया है।

(ii) रेलवे लेखापरीक्षा

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(2022 की प्रतिवेदन संख्या 25)** के आधार पर, रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे में नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं।

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(वर्ष 2021-22 की प्रतिवेदन के पैरा संख्या 3.16)** के आधार पर, उत्तर मध्य रेलवे के सभी मंडलों को घरेलू और वाणिज्यिक बिजली कनेक्शनों के लिए अलग-अलग मीटरिंग कराने की सलाह दी गई है।

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(2024 की प्रतिवेदन संख्या 4)** के आधार पर, रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को राष्ट्रीय स्तर पर एक समान भूमि लाइसेंस शुल्क प्रथाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे वित्तीय सटीकता के लिए एक नया मानक स्थापित होगा।

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(2024 का अनंतिम पैराग्राफ 9)** के आधार पर, भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें विकेन्द्रीकृत भुगतान को हटाकर स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है।

(iii) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की **2023 की प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा 4.4** में सम्मिलित अभ्युक्तियों के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी अनुरक्षण मैनुअल 2023 में भवनों के रजिस्टर के रख-रखाव और भवन संरचना के निरीक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने भवन परिसंपत्तियों से संबंधित सभी आंकड़ों के अभिलेखन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है।

- सीपीडब्ल्यूडी, संविदाकार के लाभ एवं ओवरहेड प्रभार (सीपीओएच) की गणना सीपीओएच सहित सकल राशि पर जीएसटी की गणना करने के बजाय, जीएसटी घटक सहित सकल राशि पर कर रहा था। अनुमानित दर की गणना की इस पद्धति से कार्य की अनुमानित लागत में कुल मिलाकर दो प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ती के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी ने निर्देश दिया (अगस्त 2024) कि डीएसआर-2023 के अनुसार अनुमान लगाते समय, 0.973 का गुणन कारक लागू किया जाएगा।

राज्य लेखापरीक्षा

(i) ओडिशा

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती (विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन और आईटीडीए द्वारा प्राप्त सामग्रियों की खरीद पर एसएससीए) के आधार पर, आईटीडीए के सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं को धनराशि के अनियमित हस्तांतरण पर, राज्य सरकार ने प्रक्रिया को संशोधित किया जिसके अनुसार, किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य के आधार पर धनराशि प्रेषित की जाएगी।

(ii) महाराष्ट्र

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती के आधार पर, **महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड** (एमएसईडीसीएल) **(वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा)** ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया कि वे विद्युत शुल्क और विद्युत बिक्री पर कर (टीओएसई) लगाने से पहले सरकारी उपभोक्ताओं (एचटी/एलटी) का सत्यापन करें।

(iii) केरल

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(निरीक्षण प्रतिवेदन)** के आधार पर, केरल सरकार ने स्वामित्व में परिवर्तन होने पर लाइसेंस की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए अपने विदेशी शराब नियमों में संशोधन किया।

- लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(राज्य आबकारी विभाग की प्रवर्तन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा, 2020-21 से 2022-23 तक)** के आधार पर, केरल सरकार ने ऐसे मामलों में पालन किए जाने वाले चरणों को स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें विभिन्न स्रोतों से खुफिया सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

(iv) तमिलनाडु

- स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ती **(विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदन)** के आधार पर, तमिलनाडु सरकार ने 'बिक्री विलेख की रद्दीकरण प्रक्रिया' तथा 'विभाजन एवं विमोचन विलेख के संदर्भ में परिवार की परिभाषा' को लेकर राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

(v) पुदुचेरी

- लेखापरीक्षा अवलोकन **(मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन का पैरा 4.1)** के आधार पर, पुडुचेरी सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किराया मुक्त आवास भत्ता बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किए और भुगतान की गई अस्वीकार्य राशि वसूल की।

(vi) उत्तर प्रदेश

- **उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड** में, अनुमान और तकनीकी स्वीकृति में प्रतिशत-आधारित प्रभार एवं श्रमिक उपकर की राशि पर जीएसटी की गणना नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी की राशि का नुकसान हुआ क्योंकि निगम प्रतिशत-आधारित प्रभार एवं श्रमिक उपकर सहित पूरे कार्य पर जीएसटी जमा कर रहा था, लेकिन ग्राहक विभाग / प्राधिकरणों / संगठनों आदि से इसकी वसूली नहीं की गई। **निरीक्षण प्रतिवेदन(104/2024-25)** के पैरा के आधार पर, पीएसयू ने मार्च 2025 में परिपत्र जारी किया, जिसमें इसकी इकाइयों को प्रतिशत-आधारित प्रभार एवं श्रमिक उपकर की राशि पर जीएसटी की गणना करने और ग्राहक विभागों से जीएसटी राशि वसूलने का निर्देश दिया गया।

1.4.5.5 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं उनके डेटाबेस का उपयोग कर जीएसटी राजस्व की डिजिटल लेखा-परीक्षा प्रारंभ करना

1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश में लागू किया गया। जीएसटीएन निर्धारितियों को एकल बिंदु इंटरफ़ेस सुविधा प्रदान करके माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकीय आधार संरचना उपलब्ध करा रहा है। यह केंद्र तथा राज्य सरकारों की कर प्रशासन प्रणालियों एवं लेखा प्राधिकरणों सहित अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

जीएसटी राजस्व की डिजिटल लेखापरीक्षा प्रारंभ करने हेतु लेखापरीक्षा पद्धति को इस प्रकार पुनःसंरेखित किया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं उनके डेटाबेस का समुचित उपयोग किया जा सके। सरकार के साथ जीएसटी डेटा तक पहुँच की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया तथा आंकड़ा-आधारित दृष्टिकोण को विभाग में औपचारिक रूप से अपनाया गया। इससे देश भर में स्थित 9 केंद्रीय जीएसटी लेखापरीक्षा कार्यालयों एवं 31 राज्य जीएसटी लेखापरीक्षा कार्यालयों में जीएसटी लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति का मानकीकरण सुनिश्चित हुआ है।

डेटा-आधारित दृष्टिकोण के अपनाए जाने से लेखापरीक्षा निष्कर्षों की गुणवत्ता तथा उनके प्रति कार्यपालिका

की स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों के राजस्व निहितार्थ में उल्लेखनीय वृद्धि के अतिरिक्त, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सुधारात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रथम चरण के दौरान जीएसटी रिटर्न के लेखापरीक्षा नमूनों में आंकड़ों की प्रविष्टि से संबंधित त्रुटियों की मात्रा लगभग 17 प्रतिशत थी, जो प्रणाली में प्रविष्टियों की बेहतर सत्यापन व्यवस्था के कारण द्वितीय चरण में घटकर लगभग 6 प्रतिशत रह गई है।

1.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसएआई 10 में यह प्रावधान है कि साई को लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि लेखापरीक्षित इकाइयां अपनी अभ्युक्तियों एवं अनुशंसाओं पर उचित रूप से ध्यान दें और सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। 'लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 में यह प्रावधान है कि, संबंधित विभाग के सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों के संदर्भ में स्पष्ट एवं स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई संबंधी नोट तैयार करेंगे जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा और उन्हें लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुवर्ती कार्रवाई नोट दर्शाता है :-

- क्या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्य एवं आंकड़े स्वीकार्य हैं;
- वे परिस्थितियाँ जिनके कारण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितता घटित हुई;
- उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु की गई कार्रवाई तथा उसकी पूर्ति के लिए संभावित समय-सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं अनुशंसाओं पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई; तथा
- भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु की गई अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई।

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से (1,043 एटीएन) तथा राज्य सरकारों से (846 एटीएन) कुल 1,889 एटीएन प्राप्त हुए। इसी अवधि में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कार्यालयों द्वारा कुल 3,010 एटीएन (केंद्र सरकार की 1,131 एवं राज्य सरकारों की 1,879) का परीक्षण किया गया, जिनमें वे एटीएन भी सम्मिलित थे जो वर्ष 2024-25 से पूर्व प्राप्त हुए थे, किंतु उनका परीक्षण वर्ष 2024-25 में किया गया। वर्ष के दौरान 1,428 एटीएन (केंद्र सरकार से 638 एटीएन और राज्य सरकार से 790 एटीएन) का निपटान किया गया। मार्च 2025 के अंत तक कुल 8,011 एटीएन (केंद्र सरकार से संबंधित 742 एवं राज्य सरकारों से संबंधित 7,269) ऐसे थे जो परीक्षण के उपरांत भी निपटान लिए लंबित थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 6,818 एटीएन (545 केंद्र सरकार की एवं 6,273 राज्य सरकारों की) ऐसे थे जिन्हें संबंधित सरकारों द्वारा एक बार भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ रहा कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई अथवा प्रस्तावित की गई है या नहीं।

अध्याय 2

हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 12 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के संबंध में सीएजी के कर्त्तव्य तथा शक्तियां निर्धारित की गई हैं। सीएजी पर राज्य सरकारों (एनसीटी दिल्ली एवं गोवा एवं पुदुचेरी को छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और इन्हें तैयार करने, 20 राज्यों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखाओं का अनुरक्षण, 19 राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने और नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी (जीई) कार्यों एवं 18 राज्यों में लोक निर्माण संभागीय लेखाकारों का कैडर नियंत्रित करने का दायित्व है (विवरण इस अध्याय के अंत में **तालिका-II.2.1** में प्रस्तुत किए गए है)। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्य निष्पादन की निगरानी के अतिरिक्त, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (जीए) के प्रभार के अंतर्गत सरकारी लेखा (जीए) स्कन्ध संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत सलाह भी प्रदान करता है, जिसमें मुख्य रूप से संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने, प्रपत्र, प्रक्रियाएं और लेखांकन नियम से संबंधित सलाह सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, जीए विंग को संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे (सीएफआरए) तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेखाओं का एक संग्रह है। यह कार्य पंजाब कार्यालय को सौंपा गया है। हरियाणा कार्यालय, पंजाब कार्यालय द्वारा संकलित सीएफआरए का लेखा-जोखा रखता है। अपनी तरह के पहले आयोजन में, सीएजी के तत्वावधान में राज्य वित्त सचिवों का एक वार्षिक सम्मेलन अक्टूबर 2024 में सामान्य लेखा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।

2.1 लेखा कार्य से संबंधित निष्पादन

2.1.1 राज्य के प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले)/महालेखाकार (म.ले)/ (लेखा एवं हकदारी) संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं, जिन पर, लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, निर्धारित समय सीमा के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए सीएजी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

2.1.2 वार्षिक लेखाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को नियमित रूप से मासिक सिविल लेखाओं तथा व्यय के आंकड़ों से सम्बन्धित विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकारों को अग्रेषित करने हेतु प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक़.) द्वारा "वार्षिक लेखे: एक दृष्टि में" तैयार किया जाता है, जो वित्त और विनियोग लेखाओं पर वृहत विहंगावलोकन प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतक भी है।

2.1.3 लेखाओं की समयबद्धता

(i) वित्त एवं विनियोग लेखे

वर्ष 2023-24 के लिए सभी 28 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखों को मार्च 2025 तक विधिवत प्रमाणित कर दिया गया। इनमें से, 24 राज्य सरकारों के वित्त और विनियोग लेखों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र से पहले या उसके दौरान राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि इनमें से 10 राज्यों में, 2023-24 के लिए वित्त एवं विनियोग लेखे शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत किए गए।

(ii) मासिक सिविल लेखे (एमसीए)

2024-25 के दौरान लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा 28 राज्यों के 364[2] मासिक सिविल लेखाओं में से 296 (81 प्रतिशत) लेखे समय पर प्रदान किए गए थे। शेष लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों के कोषागारों/ प्रभागों/अन्य लेखे प्रदान करने वाली इकाईयों(एआरयू) से विलम्ब से प्राप्त होने के कारण और कुछ मामलों में राज्य सरकार की ओर से तकनीकी गड़बड़ियों होने के कारण था।

(iii) मासिक सिविल लेखाओं को बंद करने की तिथि की समय-सीमा को अग्रसारित करना

जीए स्कन्ध 28 राज्यों के संबंध में मासिक मुख्य संकेतकों (एमकेआई) को समय पर पूरा करने की निगरानी कर रहा है और उसके बाद, सीएजी की वेबसाइट पर मासिक मुख्य संकेतक (एमकेआई) अपलोड कर रहा है। वर्ष के दौरान, जीए शाखा ने राज्य सरकारों को एमसीए प्रस्तुत करने की समय-सीमा को वर्तमान की अगले माह की 25 तारीख से अग्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए, इसने आरबीआई और राज्य वित्त सचिवों के साथ समन्वय किया। इस पहल के परिणामस्वरूप, वर्ष 2024-25 के दौरान 10 प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय अगले महीने की 10 तारीख तक राज्य सरकारों के मासिक मुख्य संकेतकों (एमसीए) को पूरा करने में सक्षम रहे।

(iv) तुल्यकालन स्कन्ध के साथ संयुक्त कार्यशालाएँ

पिछले वर्ष की तरह, जीए स्कन्ध द्वारा राज्य प्रतिवेदन स्कन्ध और तुल्यकालन स्कन्ध के साथ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों और क्षेत्रवार लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए क्षेत्रवार संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा और लेखा विभागों के अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया, जो जुलाई 2024 और अगस्त 2024 के महीनों के दौरान आयोजित की गईं, अर्थात राज्य सरकारों के वार्षिक लेखा 2023-24 के समापन के बाद आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्यों के वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करने और उनके प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाना, सभी मुद्दों का समाधान, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करना और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएफएआर) की गुणवत्ता में सुधार करना था।

2.1.4 संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे

संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे (सीएफआरए) एक सूचनात्मक संकलन है, जिसमें संघ, संघ शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के एक वर्ष के लेखों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित है, जिसमें उनकी शेष राशि और बकाया देयताएं और वित्तीय स्थिति के बारे में अन्य जानकारी सम्मिलित है। सीएफआरए प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और यह कई हितधारकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति को एक स्थान पर समेकित करता है। सीएफआरए प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और यह कई हितधारकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति को एक स्थान पर समेकित करता है।

तीन खंडों वाले सीएफआरए विवरणों को महालेखाकार (ले. एवं हक.) पंजाब द्वारा संकलित किया जाता है

[2] मार्च (अनुपूरक) लेखों सहित वर्ष में 28 राज्य X 13 लेखे

और महालेखाकार (ले. एवं हक.) हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। "संघ और राज्य वित्त पर एक नज़र" सीएफआरए विवरणों के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। सीएफआरए 2020-21 पर सितंबर 2024 में सीएजी द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इसे सीएजी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया।

केंद्र/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2019-20 तक की पाँच वर्षों की अवधि के सीएफआरए डेटा वाला एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड सीएजी वेबसाइट[3] पर उपलब्ध है। सीएफआरए 2020-21 के डेटा के लिए डैशबोर्ड का अद्यतनीकरण प्रक्रियाधीन है।

2.2 वीएलसी का तकनीकी उन्नयन और नए लेखांकन अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान, जीए विंग ने वीएलसी और तथा नई लेखांकन अनुप्रयोग के तकनीकी उन्नयन से संबंधित कार्य शुरू किया। वीएलसी के तकनीकी उन्नयन में सर्वर प्रतिस्थापन और ओरेकल संस्करण को इसके नवीनतम संस्करण में अद्यतन करना शामिल है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2024 में मौजूदा वीएलसी प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई लेखांकन अनुप्रयोग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। जीए विंग, परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) और परियोजना संचालन समिति (पीएससी) के माध्यम से, आईएस विंग के सहयोग से कार्यान्वयन प्रक्रिया की सक्रिय रूप से निगरानी और सुविधा प्रदान कर रहा है।

2.3 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना - वित्त सचिवों का सम्मेलन

रणनीतिक योजना 2023-30 (रणनीति 9) के अनुसार, जीए विंग का उद्देश्य 'विशेष रूप से राज्यों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं वित्तीय सूचना विश्लेषण तथा विश्लेषण के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्य में मूल्य संवर्धन करना' है।

इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु, राज्य वित्त सचिवों का प्रथम सम्मेलन 8 अक्टूबर, 2024 को आयोजित किया गया। एक दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान जीए विंग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिए गए तथा विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, जैसे–(**i**) राज्य वित्त पर वार्षिक प्रकाशन, (**ii**) एमसीए की तैयारी के लिए समयसीमा को आगे बढ़ाना, (**iii**) विनियोग/वस्तु शीर्ष की प्राथमिक इकाई का युक्तिकरण एवं सामंजस्य, (**iv**) राज्यों में अनुदान सहायता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रथाओं की समीक्षा। सम्मेलन के पश्चात उपर्युक्त विषयों की सम्यक् समीक्षा तथा विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन योग्य निर्णयों/अनुशंसा के प्रस्तुतीकरण हेतु तीन कार्य समूहों का गठन किया गया। यह सम्मेलन अब संस्थागत हो गया है और इसे राज्य वित्त सचिवों, सीजीए, सीजीडीए, आरबीआई, क्षेत्रीय कार्यालयों के पीएएसजी/

राज्य वित्त सचिवों के प्रथम सम्मेलन में भाग लेते हुए सीएजी

[3] http:// cag.gov.in – ऑडिट रिपोर्ट – संघ एवं राज्य वित्त के लिए डैशबोर्ड

एएसजी और जीए विंग के अधिकारियों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक वित्त एवं लेखा से संबंधित उभरते मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जीए विंग के वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा।

2.4 हितधारकों की सहभागिता

2.4.1 16वें वित्त आयोग के साथ सहभागिता

सरकारी लेखा विंग ने 16वें वित्त आयोग के साथ सीएजी के इंटरफेस का भी समन्वय किया। मार्च 2025 में 16वें वित्त आयोग के साथ आयोजित बैठक में केंद्र एवं राज्य की वित्तीय व्यवस्था, स्थानीय निकायों, केंद्र एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया तथा व्यापक राजकोषीय संघीय मुद्दों पर सीएजी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया।

मार्च 2025 में 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक

2.4.2 राज्य वित्त पर सीएजी के वार्षिक प्रकाशन के संबंध में हितधारकों के परामर्श

जुलाई 2024 में सीएजी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में राज्य वित्त पर प्रस्तावित वार्षिक प्रकाशन के परामर्श हेतु हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने की। इस प्रकाशन में राज्यों के वित्त पर बहु-स्तरीय एवं समयान्तराल आँकड़े एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसमें सभी राज्यों की प्राप्तियों, व्यय, ऋण, घाटा आदि से संबंधित प्रमुख राजकोषीय मानदंड सम्मिलित किए जाएँगे।

जुलाई 2024 में सीएजी कार्यालय में आयोजित हितधारकों की बैठक की गई

2.4.3 राज्य सरकार के हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय सहभागिता

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार के कार्मिकों में लोक वित्त और लेखा से संबंधित क्षमता निर्माण के मुद्दों पर विचार-विमर्श हेतु भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित किए गए। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

क्रम सं.	राज्य	गतिविधियों का सारांश
1.	हरियाणा	जुलाई एवं नवंबर 2024 में कोषागार अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में लंबित डीसी बिल एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के गुम वाउचरों से संबंधित समस्याओं एवं उनके डिजिटलीकरण, समायोजन तथा ई-कुबेर असफल लेन-देन के निस्तारण पर चर्चा की गई।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	अगस्त एवं सितंबर 2024 में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के महानिदेशक लेखा एवं कोषागार तथा वित्त निदेशकों के साथ लंबित ए.सी. बिल एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के निपटान हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
3.	केरल	जुलाई 2024 में स्थानीय स्वशासन अधिकारियों और फरवरी 2025 में प्रभागीय लेखाकारों के लिए ऑनलाइन समाधान प्रशिक्षण आयोजित किया गया; साथ ही, कोषागार एवं वित्त विभागों को समायोजन स्थिति रिपोर्ट देखने हेतु अभिगम प्रदान किया गया।
4.	तेलंगाना	सीसीओ के साथ प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के ऑनलाइन समाधान पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
5.	गुजरात	फरवरी 2025 में कोषागार अधिकारियों के साथ समायोजन तथा मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत करने से संबंधित दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
6.	राजस्थान	फरवरी 2025 में आईएफएमएस/वीएलसी में गलत वर्गीकरण के मुद्दों और आहरण एवं संवितरण अधिकारी बैंक खाता आंकड़े पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एजी (ले.व.हक) अधिकारियों ने भाग लिया।
7.	त्रिपुरा	नवंबर 2024 में राज्य वित्त/राजस्व विभाग के साथ लेखांकन मुद्दों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।
8.	तमिलनाडु	लेखा एवं हकदारी कार्यालय द्वारा नवंबर 2024 में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों को जागरूक करने हेतु एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 में सीसीओ के साथ समायोजन तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) से संबंधित विषयों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

तमिलनाडु कार्यालय द्वारा लेखा एवं हकदारी कार्य के प्रति संवेदनशीलता एवं सुदृढ़ीकरण पर संगोष्ठी

जम्मू और कश्मीर कार्यालय द्वारा आयोजित लेखा संबंधी मुद्दों पर कार्यशाला

2.5 तिमाही केआरए रिपोर्ट्स के माध्यम से कार्यालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी

प्रत्येक लेखा एवं हकदारी कार्यालय, मुख्यालय को एक त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है जिसमें सभी लेखा, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन और राजपत्रित हकदारी (जीई) सहित कार्यात्मक क्षेत्रों में परिभाषित मुख्य परिणाम क्षेत्रों (केआरए) के संबंध में अपने कार्य निष्पादन का विवरण होता है। इन प्रतिवेदनों में श्रमबल की स्थिति, कोषागारों, प्रभागों, डीडीओ से संबंधित आँकड़े, संसाधित वाउचरों की मात्रा तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों की स्थिति भी सम्मिलित होती है।

जीए स्कन्ध सभी 31 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों से प्राप्त केआरए प्रतिवेदनों का विस्तृत विश्लेषण करता है। प्रतिवेदनों का मूल्यांकन एक निर्धारित ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता होती है, उन्हें संबंधित पीएजी/एजी के साथ नियमित पत्राचार के माध्यम से इंगित किया जाता है तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं।

उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखाकरण एवं अध्यक्ष, गसब) को समेकित तिमाही रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की जाती है। समीक्षा के आधार पर, संबंधित पीएएसजी/एएसजी को सुधार के लिए कार्रवाई योग्य सुझाव भेजे जाते हैं। केआरए रूपरेखा के क्रियान्वयन से लेखा एवं हकदारी कार्यालयों की दक्षता एवं प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.6 कोषागार निरीक्षण

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता होने के नाते, प्र.म.ले/म.ले (ले.व.ह), राज्य सरकारों के लेखाओं की कोषागार निरीक्षण के माध्यम से कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करते है। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आशवासन प्राप्त करना है कि कोषागारों द्वारा आंरभिक लेखा तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिंदुओं तथा क्रियाविधियों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोषागार कम्प्यूटरीकृत हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल नियोजित 2,007 कोषागारों/उप-कोषागारों के सापेक्ष 1,943 कोषागारों/उप-कोषागारों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, 1,781 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गईं, जिनमें ले.एवं हक. कार्यालयों द्वारा 4,875 अनुसंसाएँ की गईं।

2.6.1 कोषागार निरीक्षणों के परिणाम

वर्ष 2024-25 के दौरान कोषागार निरीक्षणों में राज्य के वित्तीय/हकदारी नियमों के अनुपालन से संबंधित कई विचलन, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र का पता चला, जिसका प्रभाव राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ा। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

क्रम सं.	राज्य	पाए गए एवं उजागर किए गए मुद्दे
1.	आंध्र प्रदेश	पेंशन के संबंध में 21 मामलों में दोहरे भुगतान का मामला सामने आया है, जिसमें अनधिकृत लाभार्थियों को दो बार में ₹ 1.50 करोड़ का भुगतान किया गया। कोषागार (अवनीगड्डा) के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया एवं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
2.	छत्तीसगढ	रायगढ़ कोषागार के अंतर्गत सहायक कलेक्टर, आदिवासी विकास, रायगढ़ द्वारा ₹ 78.21 लाख की राशि का भुगतान विक्रेता को टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटे बिना किया गया|
3.	ओडिशा	संबलपुर कोषागार और विशेष कोषागार, भुवनेश्वर के अंतर्गत विफल लेनदेन के निपटान के दौरान ₹ 22.84 लाख का संदिग्ध भुगतान पाया गया।
4.	महाराष्ट्र	रायगढ़ कोषागार के अंतर्गत आहरण एवं संवितान अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 430.95 करोड़ तथा धुले कोषागार के अंतर्गत ₹ 16.04 करोड़ की राशि वितरित नहीं की गई थी।
5.	तेलंगाना	अपात्र पेंशनभोगियों को पेंशन, महंगाई राहत और चिकित्सा भत्ते की अतिरिक्त राशि के रूप में ₹ 1.54 करोड़ का अनियमित आहरण पाया गया।

6.	तमिलनाडु	पेंशनभोगियों/विशेष पेंशनभोगियों (ग्राम सहायक पेंशनभोगियों) से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (एनएचआईएस) के लिए ₹ 80.86 लाख की सदस्यता शुल्क की कटौती न किए जाने का मामला सामने आया।
7.	पश्चिम बंगाल	(i) लाइसेंसधारी स्टांप विक्रेताओं को निर्धारित सीमा से अधिक ₹ 40.67 लाख की छूट प्रदान की गई।

2.7 हकदारी कार्यों के संबंध में निष्पादन

देश भर के लेखा एवं हकदारी कार्यालयों ने पेंशनभोगियों, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अंशदाताओं और राजपत्रित हकदारी अधिकारियों के बीच संतुष्टि स्तर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। यह उपलब्धि हकदारी कार्यों को सुव्यवस्थित करके और अंतिम जीपीएफ भुगतान, पेंशन प्राधिकरण और वेतन पर्ची जारी करने से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान द्वारा प्राप्त की गई है। ई-प्राधिकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक डेटा हस्तांतरण में परिवर्तन से कई कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आई है। नागरिक चार्टर में निर्धारित मामलों के निपटान की समय-सीमा का पालन करने के लिए सभी प्रयास किए गए। अधिकांश लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत हैं।

2.7.1 हकदारी कार्यों से संबंधित जानकारी

पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और सामान्य भत्ते के कार्यों की स्थिति की जानकारी संबंधित महालेखाकार कार्यालयों की वेबसाइटों पर एसएमएस आधारित सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध है, जहां राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों को विवरण प्रदान किए गए हैं और कुछ राज्यों में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध है। इससे संबंधित हितधारकों और अन्य आगंतुकों को संबंधित राज्य महालेखाकारों की वेबसाइटों पर अपलोड की गई जानकारी देखने और एसएमएस और आईवीआरएस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

2.7.2 अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामले

पेंशन प्राधिकरण का कार्य 20 ले. व हक़. कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यालयों ने 2024-25 के दौरान मूल और पेंशन संशोधन के कुल 4,79,288 मामलों को अंतिम रूप दिया। 2024-25 के दौरान प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए कुल राज्यवार पेंशन मामलों की जानकारी अध्याय के अंत में **तालिका ॥.2.2** में दी गई है। नागरिक चार्टर के अनुसार, मूल पेंशन मामलों को महालेखाकार कार्यालय में सभी प्रकार से पूर्ण मामला प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना होता है। पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र- ।, महाराष्ट्र- ॥, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निर्धारित समय सीमा के भीतर था। शेष राज्यों में पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय 30 दिन से अधिक था, जिसका मुख्य कारण संबंधित विभागों से सूचना का अभाव, बड़ी संख्या में मामलों की प्राप्ति या श्रमबल की कमी जैसी अन्य परिचालन बाधाएं थीं।

2.7.3 जीपीएफ खातों का अनुरक्षण

20 राज्यों में, 22 ले. व हक़. कार्यालय, राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। 2024-25 के दौरान, इन कार्यालयों द्वारा 24,04,705 जीपीएफ खाते अनुरक्षित थे। 2004 से राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू करने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में अंशदाताओं की संख्या में 5.66 प्रतिशत की कमी आई है (पिछले वर्ष अंशदाताओं की कुल संख्या 25,48,995 थी)।

2.7.4 जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रूप प्रदान करना

वर्ष 2024-25 के दौरान, जीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए देय 1,97,990 मामलों में से, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों ने निर्धारित समय सीमा (सभी प्रकार से पूर्ण मामले की प्राप्ति की तिथि से एक माह) के भीतर 1,90,437 अंतिम भुगतान मामलों (96.19 प्रतिशत) को अंतिम रूप दिया।

2024-25 में देय जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों की संख्या	अंतिम भुगतान मामलों की संख्या
1,97,990	**1,90,437**

2.7.5 हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय जुड़ाव

2024-25 के दौरान, पेंशनभोगियों और ग्राहकों के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न पेंशन/जीपीएफ अदालत/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन आयोजनों का उद्देश्य पेंशनभोगियों की शिकायतों को दूर करना, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श प्रदान करना और पेंशनभोगियों और ग्राहकों को सेवा वितरण में सुधार करना है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

क्र.सं.	राज्य	गतिविधियों का सारांश
1.	**आंध्र प्रदेश**	दो पेंशन कार्यशालाओं (तिरुपति और मछलीपट्टनम) को संचलित किया और जिला स्तर पर तीन पेंशन अदालतों और पांच जीपीएफ अदालतों का संचालन किया।
2.	**कर्नाटक**	बेंगलूरु में पुलिस विभाग के लिए दो विशेष सत्रों सहित पेंशन स्वीकृति अधिकारियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
3.	**ओडिशा**	पेंशनभोगी की शिकायतों को दूर करने, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और लंबित ग्रेच्युटी मामलों के निपटान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार पेंशन अदालतों का संचालन किया गया।

क्र.सं.	राज्य	गतिविधियों का सारांश
4.	पंजाब	नवंबर 2024 में छह जिलों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन / पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने पर, ध्यान केंद्रित किया गया, ज्यादातर मामले तत्काल रूप से।
5.	मेघालय	नवंबर 2024 में राज्य सरकार के साथ एक पेंशन कार्यशाला का संचालन किया।
6.	त्रिपुरा	जीपीएफ और डीडीओ के साथ पेंशन मामलों पर मार्च 2025 में एक कार्यशाला आयोजित की।

आंध्र प्रदेश कार्यालय द्वारा आयोजित डीटीएओ-मछलीपट्टनम में पेंशन कार्यशाला और राजमुंदरी में पेंशन और जीपीएफ अदालत

ग्वालियर कार्यालय द्वारा आयोजित जीपीएफ अदालत

पंजाब कार्यालय द्वारा आयोजित पटियाला में पेंशन अदालत

पुलिस आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु में प्रशिक्षण

ओडिशा कार्यालय द्वारा आयोजित पेंशन अदालतें

2.8 सीएजी वेबसाइट में वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र

साई इंडिया के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र है। जीपीएफ ग्राहक /पेंशनभोगी, संबंधित ले. एवं हक. कार्यालयों में ऑनलाइन या ई-मेल के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित सभी लिंक सीएजी की वेबसाइट[5] पर उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करने पर, प्रणाली स्वचालित रूप से शिकायत की एक विशेष पंजीकरण संख्या प्रदान करती है और आगे के संदर्भ के लिए शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेजती है।

2024-25 के दौरान, राज्य पेंशनभोगियों/ग्राहकों से सीएजी के कार्यालय में कुल 1,489 शिकायतें (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन) प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,428 का निवारण नागरिक चार्टर की समय सीमा के भीतर किया गया। निपटान के लिए लंबित शेष शिकायतें नागरिक चार्टर की निर्धारित अवधि (30 कार्य दिवस) में थीं। प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण पर एक रिपोर्ट मासिक/त्रैमासिक आधार पर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है।

2.9 समाधान - ओडिशा में शिकायत निवारण प्रणाली

पहले से संचालित उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) पहल ईएएसई - ओडिशा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ई-प्रशासन समाधान के एक हिस्से के रूप में एक वेब-आधारित 'समाधान' नामक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस अनुप्रयोग की शुरुआत 31 दिसंबर 2024 को की गयी और 1 जनवरी 2025 से इसका प्रचालन कर दिया गया।

आरंभ में इसे शिकायत निवारण (जीआर) प्रकोष्ठ द्वारा बनाए गए शिकायत रजिस्टर को डिजिटल बनाने के लिए संकल्पित किया गया था, समाधान लगातार एक मजबूत, आरंभ से अंत तक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- शिकायत निवारण कार्यप्रवाह का पूर्ण डिजिटलीकरण, पूरी तरह से कागज रहित प्रक्रिया को सक्षम करना।
- प्रभावी अनुवर्ती और संचार में सहायता के लिए प्राप्तियों की द्विभाषी पावती।

[5] https://cag.gov.in/en/page-entitlement-grievance

- सुव्यवस्थित छंटाई, फ़िल्टरिंग और नेविगेशन के लिए आधुनिक उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ एक सहज डैशबोर्ड।
- ऑनलाइन समाधान क्षमता, जिसमें शिकायतों को संबंधित अनुभागों या कार्मिकों तक अग्रेषित करने का प्रावधान है।
- जवाबदेही को मजबूत करने और बेहतर निगरानी को सक्षम करने के लिए शिकायतों की अनुभागवार ट्रैकिंग।
- एक एकीकृत शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली, कई स्रोतों से आंकड़ो को एकीकृत करना - जिसमें शिकायत प्रकोष्ठ, ईमेल, सीपीजीआरएएमएस, डीएके, एजी वेबसाइट और मुख्यालय से संचार शामिल हैं।
- रुझानों, आवर्ती मुद्दों और चिंता के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एआई-संचालित विश्लेषण।

यह एक मोबाइल-अनुकूल प्रगतिशील वेब अनुप्रयोग है। इसे ओपन-सोर्स तकनीकों, मल्टी-ऑफिस सपोर्ट और विभिन्न डेटाबेस स्कीमा के माध्यम से आंकड़ा पृथक्करण के साथ विभिन्न कार्यालयों को एक साथ जोड़ने की सुविधा का उपयोग करके बनाया गया है। इसे एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, और इस मॉड्यूल को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है।

तालिका II.2.1

राज्य महालेखाकारों (ले. एवं हक.) के साथ कार्य

लेखाएं	सामान्य भविष्य निधि	पेंशन	राजपत्रित पात्रता	डीए कैडर नियंत्रण
1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. अरुणाचल प्रदेश* 4. बिहार 5. छत्तीसगढ़ 6. गुजरात 7. हरियाणा 8. हिमाचल प्रदेश 9. जम्मू एवं कश्मीर 10. झारखण्ड 11. कर्नाटक 12. केरल 13. मध्य प्रदेश$ 14. महाराष्ट्र$ 15. मणिपुर 16. मेघालय 17. मिजोरम* 18. नागालैंड 19. ओडिशा 20. पंजाब 21. राजस्थान 22. सिक्किम 23. तमिलनाडु 24. तेलंगाना 25. त्रिपुरा 26. उत्तर प्रदेश[$] 27. उत्तराखंड 28. पश्चिम बंगाल	1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. छत्तीसगढ़ 4. गुजरात 5. हरियाणा 6. हिमाचल प्रदेश 7. कर्नाटक 8. केरल 9. मध्य प्रदेश 10. महाराष्ट्र 11. मणिपुर 12. मेघालय 13. नागालैंड 14. ओडिशा 15. तमिलनाडु 16. तेलंगाना 17. त्रिपुरा 18. उत्तर प्रदेश 19. उत्तराखंड 20. पश्चिम बंगाल	1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. बिहार 4. हरियाणा 5. हिमाचल प्रदेश 6. जम्मू एवं कश्मीर 7. झारखण्ड 8. कर्नाटक 9. केरल 10. महाराष्ट्र 11. मणिपुर 12. मेघालय 13. नागालैंड 14. ओडिशा 15. पंजाब 16. तमिलनाडु 17. तेलंगाना 18. त्रिपुरा 19. पश्चिम बंगाल	1. असम 2. बिहार 3. झारखण्ड 4. कर्नाटक 5. केरल 6. मणिपुर 7. मेघालय 8. नागालैंड 9. तमिलनाडु	1. अरुणाचल प्रदेश* 2. बिहार 3. छत्तीसगढ़ 4. गुजरात 5. हरियाणा 6. हिमाचल प्रदेश 7. झारखण्ड 8. मध्य प्रदेश$ 9. महाराष्ट्र$ 10. मणिपुर 11. ओडिशा 12. पंजाब 13. राजस्थान 14. तमिलनाडु 15. त्रिपुरा 16. उत्तर प्रदेश$ 17. उत्तराखंड 18. पश्चिम बंगाल

** ये कार्यालय लेखा एवं हकदारी तथा लेखापरीक्षा कार्यों के लिए संयुक्त कार्यालय हैं।*

$ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो-दो लेखा एवं हकदारी कार्यालय हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, मध्य प्रदेश के पास केवल सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) संबंधी कार्य हैं।

तालिका II.2.2

2024-25 के दौरान मूल पेंशन मामलों को राज्यवार अंतिम रूप देना और पेंशन मामलों में पुनरावलोकन

क्र. सं.	कार्यालय	प्राप्त पेंशन मामले (प्रारंभिक शेष सहित)	पेंशन मामलों का निपटारा	प्राप्त संशोधन मामले (प्रारंभिक शेष सहित)	संशोधन मामलों का निपटारा
1	आंध्र प्रदेश	14,679	13,818	4,546	4,480
2	असम	15,784	15,783	778	765
3	बिहार	22,062	19,968	47,180	42,894
4	हरियाणा	11,395	10,923	9,127	8,965
5	हिमाचल प्रदेश	14,930	13,998	38,029	30,735
6	जम्मू एवं कश्मीर	15,324	15,275	8,723	8,707
7	झारखंड	9,118	8,742	4,841	4,716
8	कर्नाटक	27,585	26,131	33,776	26,351
9	केरल	20,918	20,403	4,685	4,607
10	महाराष्ट्र -I	27,045	27,045	15,362	15,362
11	महाराष्ट्र-II	21,146	21,146	12,300	12,300
12	मणिपुर	3,027	2,563	395	308
13	मेघालय	2,764	2,762	255	255
14	नागालैंड	4,486	4,434	3,272	2,598
15	ओडिशा	12,444	11,783	2,307	2,190
16	पंजाब	16,929	16,929	11,213	11,156
17	तमिलनाडु	27,981	25,872	13,304	12,909
18	तेलंगाना	8,380	7,904	1,145	1,110
19	त्रिपुरा	5,155	4,678	126	126
20	पश्चिम बंगाल	17,848	15,676	2,955	2,921
	कुल	**2,99,000**	**2,85,833**	**2,14,319**	**1,93,455**
प्राप्त कुल मामले (मूल पेंशन मामले और पुनरावलोकन पेंशन मामले)		**5,13,319**			
कुल मामलों का निपटान		**4,79,288**			

अध्याय 3:

साई इंडिया की रणनीतिक योजना 2023-30

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र शासन तंत्र तेजी से बदल रहा है- जिस तरह से व्यवसाय किया जा रहा है, सेवाओं को वितरित किया जा रहा है, जानकारी संसाधित की जा रही है और जोखिमों का प्रबंधन किया जा रहा है। बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, हमने 2023-2030 की अवधि हेतु अपनी रणनीतिक योजना[1] विकसित की और अपनाई है। इसका उद्देश्य हमारी प्रक्रियाओं को रूपांतरित, मानकीकृत और संस्थागत बनाना है ताकि हम अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के साथ अपने अधिदेश को प्राप्त कर सकें। इसमें हमारे मुख्य कार्यों के साथ-साथ हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं को संबोधित करने के लिए चार व्यापक लक्ष्यों के तहत 10 रणनीतियां शामिल हैं।

रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रत्येक 10 रणनीतियों के संबंध में रणनीति प्रबंधकों को नामित किया गया है। रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की समग्र निगरानी के लिए उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर, समन्वय एवं विधि) की अध्यक्षता और रणनीति प्रबंधकों की सदस्यता वाली एक रणनीतिक योजना निगरानी समिति का भी गठन किया गया है।

रणनीतिक योजना के सफल कार्यान्वयन से हमें उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा के माध्यम से आश्वासन प्रदान करने, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने और सरकार को सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लक्ष्यों और रणनीतियों पर संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:

› लक्ष्य 1 - व्यावसायिक और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के माध्यम से सुशासन एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना

पहला रणनीतिक लक्ष्य लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, ताकि सार्थक लेखापरीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस लक्ष्य के तहत हमने लेखापरीक्षा योजना, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग में बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित पांच रणनीतियों को तैयार किया है ताकि लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से बेहतर मूल्य और समय अनुरूप प्रभाव प्रदान किया जा सके।

- **रणनीति 1 - मध्यम रूप के तीन साल की अवधि की लेखापरीक्षा योजना बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना**

नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रासंगिक एक प्रमुख विषय पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति है, और उस क्षेत्र में लेखापरीक्षा के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि में लेखापरीक्षा योजना और कार्यान्वयन को पूरा करना है। प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्य के लिए लेखापरीक्षा का समय पर संरेखण इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण विचार है। योजना अवधि के दौरान कई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उसके बाद एक क्षेत्रीय संकलन मुख्य उद्देश्य होंगे। इस रणनीति के आधार पर, नीली अर्थव्यवस्था को केंद्र बिंदु के रूप में चुना गया है और तीन वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र से संबंधित कई लेखापरीक्षा किए जा रहे हैं।

[1] वर्ष 2023-2030 के लिए साई इंडिया की रणनीतिक योजनाhttps://cag.gov.in/uploads/media/project_flip_book/index.html

इस अवधि के दौरान नीली अर्थव्यवस्था के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर, 2028 के अंत तक नीली अर्थव्यवस्था पर एक क्षेत्रीय संग्रह प्रकाशित करने की योजना है।

- **रणनीति 2 - स्थानीय सरकार की लेखापरीक्षा को मुख्यधारा में लाना**

स्थानीय सरकार शासन का तीसरा स्तर बनाती है और अधिकांश केंद्रीय योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। जमीनी स्तर पर लाभ प्रदान करने में स्थानीय सरकारों के निष्पादन का आकलन करने की आवश्यकता को समझते हुए, हमने स्थानीय सरकारों की लेखापरीक्षा को मुख्यधारा में लाने और उसे बढ़ाने के लिए यह रणनीति विकसित की है।

इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए, हमने हितधारक जुड़ाव सहित स्थानीय सरकार की लेखापरीक्षा से संबंधित अपनी प्रक्रियाओं और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

सभी राज्यों[2] में स्थानीय सरकार के लिए सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से तैयार करने की योजना बनाई गई है। पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों दोनों को शामिल करते हुए स्थानीय सरकारों के कामकाज के बारे में अधिक समग्र और सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, अप्रैल 2024 में स्थानीय सरकार पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का एक नया साँचा जिला-केंद्रित लेखापरीक्षा पर एक अध्याय के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में तुलनात्मक स्थानीय शासन और सेवा वितरण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना है।

(i) स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षकों को सीएजी द्वारा प्रभावी तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) प्रदान करने एवं (ii) सीएजी की स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए राज्य विधानसभाओं में अलग-अलग समितियों/उप-समितियों के गठन के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग को प्रारम्भ किया गया है। हमारे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा टीजीएस के संचालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

74$^{वें}$ संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए), 1992 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा का एक संग्रह: भारत का परिदृश्य, खंड I नवंबर 2024 में जारी किया गया था।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सहयोग से साई इंडिया ने स्थानीय सरकारों की लेखाओं के अनुरक्षण हेतु प्रशिक्षित प्रमाणित लेखाकारों का एक समूह तैयार करने के लिए ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों[3] का एक सेट विकसित किया है। कुल 191 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है और उन्हें स्थानीय सरकारों में लेखा कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2024 में योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि राज्य स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा सहायता प्राप्त हितधारकों द्वारा किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ सीएजी द्वारा किए जा रहे निष्पादन लेखापरीक्षा के अभिसरण के लिए सहयोग किया जा सके।

[2] आठ छोटे राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा) को छोड़कर, जहां स्थानीय सरकारों पर सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सीएजी की सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में एक अलग अध्याय के रूप में हैं।

[3] link:https:lba.icaiarf.org.in/

- **रणनीति 3 - समकक्ष समीक्षा/तकनीकी लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना**

इस रणनीति का उद्देश्य, समकक्षी समीक्षाओं और तकनीकी निरीक्षण के माध्यम से, पूरे संस्थान में निर्धारित दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप उच्च-गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य लेखापरीक्षा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना और परिणामी सीख को पूरे संगठन में, विशेष रूप से इसकी सीमा तक पहुँचाना है।

इस रणनीति के कार्यान्वयन, विभिन्न दिशा-निर्देश और जांच सूची तैयार करने एवं अन्य पहल किए गए हैं। हमारे लेखापरीक्षा कार्यालयों की समकक्षी समीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, समकक्षी समीक्षा दिशानिर्देशों के पूरक के रूप में तकनीकी निरीक्षण के लिए संक्षिप्त दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। लेखा और हकदारी कार्यालयों के लिए समकक्षी समीक्षा दिशानिर्देश भी तैयार किए जा रहे हैं। समकक्षी समीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण निष्कर्षों/कमियों को स्वतः उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सभी कार्यालयों में प्रसारित किया जाता है।

- **रणनीति 4 - निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कार्रवाई उन्मुख प्रभावी अनुशंसा करना ताकि निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें कमियों के मूल कारणों का अध्ययन करने के बाद, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस विषय में लेखापरीक्षक की अनुशंसाओं के साथ कमियों को इंगित किया गया हो, उन पर कार्रवाई किए जाने और अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की अधिक संभावना होती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, इस रणनीति में यह परिकल्पना की गई है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की कुशल निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, साई इंडिया को अपने लेखापरीक्षा उत्पादों में अनुशंसा-आधारित रिपोर्टिंग को अपनाना चाहिए।

इस रणनीति के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन नोट का नियमन प्रगति पर है।

- **रणनीति 5 - ज्ञान प्रबंधन और साझाकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाना**

किसी भी साई के लिए लेखापरीक्षा संचालित करने और निष्पक्ष लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने के लिए मौजूदा जानकारी और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं। कई प्लेटफार्मों पर बढ़ते डिजिटलीकरण और आंकड़ों की उपलब्धता के साथ, एक प्रणाली के तहत ऐसे सभी ज्ञान को एकत्र करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के ज्ञान को आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सके और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार, यह रणनीति साई इंडिया के भीतर एक औपचारिक और संरचित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना करती है जो संगठन के भीतर ज्ञान के सरल अधिग्रहण, विश्लेषण, संचार, उपयोगिता और साझाकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

साई इंडिया का एक केंद्रीकृत ज्ञान कोष (सीकेआर) विकसित किया जा रहा है। सीकेआर का उद्देश्य साई इंडिया में ज्ञान के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और एक सुसंगठित, सुलभ और व्यापक ज्ञान कोष बनाने के लिए

सीएजी के ज्ञान संसाधनों का समय पर अद्यतन करना है। सीकेआर से अपेक्षा की जाती है कि वह बेहतर निर्णय लेने, संरचित ज्ञान साझा करने और संगठनात्मक शिक्षा की सुविधा प्रदान करके साई इंडिया की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में योगदान देगा।

क्षेत्रीय ज्ञान अधिकारियों (एसकेओ) और ज्ञान केंद्रों का नामांकन प्रक्रियाधीन है। नामांकित होने के बाद, एसकेओ को अपने क्षेत्रों में ज्ञान संसाधनों की पहचान और अधिग्रह एवं कोष में योगदान का काम सौंपा जाएगा, और अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में ज्ञान केंद्रों के प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे।

ज्ञान की बुनियाद के निर्माण के उद्देश्य से 2024-25 के दौरान भिन्न विषयों पर विभिन्न व्याख्यान/संगोष्ठी/कार्यशालाएं संचालित की गईं।

› लक्ष्य 2 -हितधारकों के बीच सार्वजनिक पहुंच और संचार को बढ़ाने के लिए

हमारे हितधारकों के साथ हमारी पहुंच को व्यापक बनाने और उनके कार्यों को मूल्य प्रदान करने के लिए हमारी शक्तियों के दोहन के इरादे से इस रणनीतिक लक्ष्य को पूरी तरह से उनके इर्द-गिर्द निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तीन रणनीतियां तैयार की गई हैं। जो इस प्रकार हैं:

- **रणनीति 6 - विभागीय मूल्यांकन नोट (डीएएन), प्रबंधन पत्र, अध्ययन रिपोर्ट, संग्रह आदि जैसे मूल्य वर्धित लेखापरीक्षा उत्पादों का परिचय और विस्तार करना, ताकि वे 'प्रबंधन में सहायता' के रूप में कार्य करें**

इस रणनीति में हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अतिरिक्त नए लेखापरीक्षा उत्पाद तैयार करने की परिकल्पना की गई है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर मुद्दों की अधिक व्यापक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। साई इंडिया के पास उपलब्ध सूचना, ज्ञान और विश्लेषण का उपयोग हमारे हितधारकों के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित करने हेतु प्रस्तावित है, जिससे उन्हें लेखापरीक्षा मामलों के प्रमुख मुद्दों पर सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। साई इंडिया के मूल्यवर्धित उत्पादों की परिभाषा निर्धारित कर दी गई है।

- **रणनीति 7 - हितधारकों (संचार नीति) के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए ऑडिट दिवस जैसे अवसर**

वैश्विक स्तर पर, साई ने साई की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने और साई के लेखापरीक्षा कार्य और परिणामों की समझ सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ने के महत्व को स्वीकार किया है। इस तरह के जुड़ाव हमारे हितधारकों की अपेक्षाओं को समझने में मदद करते हैं और सुशासन के प्रति हमारे योगदान में उनका विश्वास बनाने में मदद करते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य हमारी लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रसार के साथ-साथ हमारे कामकाज के अन्य पहलुओं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में साई इंडिया की उपस्थिति को उजागर करने में साई इंडिया के संचार और पहुंच का विस्तार करना है। हमारा उद्देश्य संचार के सभी पहलुओं और इसकी पहुंच के संबंध में साई इंडिया के भीतर एक सुसंगत दृष्टिकोण को सक्षम करना है।

सभी संचार और पहुँच गतिविधियों के लिए साई इंडिया में एक सुसंगत और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु, अगस्त 2024 में अपनी संबद्ध मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ एक व्यापक संचार और पहुँच नीति

जारी की गई है। साइनेज बोर्ड, होर्डिंग और विजिटिंग कार्ड में उपयोग किए जाने वाले रंग पैलेट को मानकीकृत करके साई इंडिया के लिए एक दृश्य पहचान विकसित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखपरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रकाशनों के लिए एक समान डिजाइन और प्रारूप - जिसमें कवर पेज और फ़ॉन्ट शामिल हैं - को अपनाया गया है।

- **रणनीति 8 - आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने और उसे मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और उनके साथ जुड़ना।**

सरकार में जोखिम का बेहतर प्रबंधन और बेहतर आंतरिक नियंत्रण, सरकार की लेखाओं पर सीएजी द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन में काफी मददगार साबित होगा। इसलिए, यह रणनीति आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने का प्रयोजन रखती है।

इस रणनीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त तरीके की पहचान की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि (i) राज्य/केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम मूल्यांकन तंत्र/संरचनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करें; (ii) इन मौजूदा संरचनाओं को सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का अंतरराष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) और ऐसे अन्य सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित संरचनाओं/पद्धतियों के साथ मैप करें; और (iii) मौजूदा संरचनाओं में अंतरालों की पहचान करें और इन अंतरालों को भरने के लिए तंत्र तैयार करें।

› **लक्ष्य 3 - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, लेखा और पात्रता कार्यों में मूल्य संवर्धन करना**

एकल रणनीति से युक्त इस लक्ष्य का उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और वित्तीय सूचना विश्लेषण के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्य में मूल्य जोड़ने के लिए हमारी लेखाओं और हकदारी वर्टिकल के पास उपलब्ध वित्तीय आंकड़े का उपयोग करना है।

- **रणनीति 9 - लेखा और हकदारी कार्यालयों को विश्लेषणात्मक मंचों में बदलना ताकि लेखापरीक्षा कार्य में मूल्यवर्धन हो और वित्तीय सूचना विश्लेषण में सहायता मिले**

साई इंडिया के लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक.) कार्यालय, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य सरकारों का पहला संपर्क बिंदु हैं। राज्य प्रणालियों और सूचना प्रोद्यौगिकी क्रांति के साथ ले. एवं हक. कार्यालयों को एकीकृत करना वित्तीय सूचना प्रवाह और बड़े डेटासेट तक पहुंच में सुधार करता है।

लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को वैश्लेषिकी मंच में बदलने की रणनीति है जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सहायता के लिए आउटपुट का उत्पादन करेगा और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए लगातार इनपुट प्रदान करेगा। सूचना प्रोद्यौगिकी सक्षम निरंतर सुधार, हकदारी प्रक्रियाओं के सेवा वितरण को आगे बढ़ाएंगे।

विशेष रूप से राज्यों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और वित्तीय सूचना विश्लेषण और विश्लेषिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्य में मूल्य जोड़ने की दिशा में विभिन्न कार्रवाई की जा रही है।

› लक्ष्य 4 - भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान में सूचना प्रोद्यौगिकी संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना

यह रणनीतिक लक्ष्य विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की कल्पना करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति तैयार की गई है।

• रणनीति 10 – साई इंडिया में बेहतर निष्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

हमने पूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन के लिए एक-आईएएडी-एक प्रणाली (ओआईओएस) मंच पर अपने सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों का सफलतापूर्वक ऑन-बोर्डिंग करके एक विशेष उपलब्धि पाई है। इसके अलावा, संगठन में मौजूदा सूचना प्रोद्यौगिकी बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में हमारी सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित क्षमताओं को सशक्त करने हेतु यह रणनीति 2023-30 के लिए आगे के मार्ग की रूपरेखा तैयार करती है।

- लेखापरीक्षा - लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन, आंकड़ा विश्लेषण और सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा;
- हकदारियाँ;
- लेखा और अन्य लेखा एवं हकदारी अनुप्रयोगों;
- प्रशासन और अन्य संबंधित क्षेत्र; और
- सूचना प्रोद्यौगिकी अवसंरचना

कार्य प्रक्रियाओं और आउटपुट में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना साई इंडिया का एक निरंतर प्रयास है। इस रणनीति को लागू करने की दिशा में उचित कार्रवाई की जा रही है।

लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न आंकड़ा वैश्लेषिकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है/अन्वेषण किया जा रहा है और इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए हमारे कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमता प्रणाली, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विभिन्न पहलों को लागू करने के उद्देश्य और योजना के साथ आईआईटी दिल्ली, बीआईएसएजी-एन, आईआईटी-मद्रास जैसे प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों के साथ सहभागिता की गयी है। आईआईटी मद्रास के माध्यम से स.ले.प.अ. और उससे ऊपर के पदों के लिए एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। सीएजी कार्यालय में एक उन्नत निष्पादन कंप्यूटिंग केंद्र की मेजबानी की गई है। सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा को मजबूत करने की दिशा में विभिन्न पहल की गई है। मौजूदा वीएलसी प्रणाली का उन्नयन शुरू कर दिया गया है। अधिकांश कार्यालयों में अधिक कुशल और सुरक्षित नेटवर्क के लिए एलएएन का उन्नयन पूरा कर लिया गया है। सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस अनुप्रयोग लागू किया गया है।

खंड 3

वर्तमान प्रगति

अध्याय 1
मार्गदर्शन का विकास

अध्याय 2
क्षमता निर्माण

अध्याय 3
आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन

अध्याय 4
हमारी सूचना प्रौद्योगिकी पहल

अध्याय 5
ऑडिट दिवस 2024

अध्याय 6
अन्य गतिविधियाँ, जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं

सीएजी कार्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा

अध्याय 1:

मार्गदर्शन का विकास

व्यावसायिक मानक, गुणवत्ता लेखाकरण और लेखापरीक्षण का आधार है। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों दोनों के लिए व्यावसायिक मानकों और प्रक्रियाओं के महत्व के प्रति सचेत हैं। ये विभिन्न परिस्थितियों में सभी व्यावसायिकों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के लिए मानक के रूप में कार्य करते हैं। साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों में परिकल्पना की गई है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए।

1.1 सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के परामर्श से, सीएजी ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) का गठन किया। सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार लाने हेतु लेखाकरण मानकों का नियमन और अनुशंसा करना इसका उद्देश्य है। नई प्राथमिकताएं सार्वजनिक व्यय में सुशासन, राजकोषीय विवेक, दक्षता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

गसब में सरकार (संघ और राज्य), वृत्तिक लेखाकरण संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक से उच्च-स्तरीय प्रतिनिधित्व वाले 15 सदस्य हैं।

गसब दो प्रकार के मानक विकसित करता है:

(i) भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) जो नकद आधारित लेखाकरण प्रणाली पर आधारित है। वे सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से संघ, राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयोग किया जाना अनिवार्य है; और

(ii) भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफ़आरएस) प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण प्रणालियों के आधार पर भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस) है, जो अनुशंसात्मक है। संघ और राज्य स्तर पर प्रोद्भवन लेखाकरण में माइग्रेशन पर पायलट अध्ययन और अनुसंधान प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोद्भवन आधार पर लेखाकरण ढांचे और लेखाकरण मानकों की आवश्यकता हेतु इन्हें विकसित किया गया था।

1.2 2024-25 के दौरान लेखाकरण मानकों/प्रकटीकरण विवरणों पर प्रगति

1.2.1 नियत प्रक्रिया का पुनरावलोकन

अब तक गसब का कार्य वर्ष 2011 में बनाए गए 'व्यवसाय के नियम' द्वारा निदेशित किया गया था। हालांकि, उन्हें अधिक केंद्रित, मजबूत और समावेशी बनाने के लिए गसब के कार्यों को सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध करने हेतु, दृष्टि, लक्ष्य, गसब के उद्देश्य, हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, मानकों के निर्माण की प्रक्रियाएं और मानकों की संरचना आदि को इंगित करते हुए 'गसब की सम्यक प्रक्रिया' को अगस्त 2020 में परिशोधित किया गया था।

गसब के सभी सदस्यों की राय को सम्मिलित करने के लिए दस्तावेज़ में पुनरावलोकन किया जा रहा है। 29 जून 2022 को आयोजित 36$^{वीं}$ बोर्ड बैठक में परिशोधित नियत प्रक्रिया पर चर्चा की गई थी, जहां एमओएफ और अन्य

हितधारकों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। अंतिम मसौदा दिसंबर 2023 में बोर्ड के सदस्यों को अग्रेषित किया गया था। नियत प्रक्रिया विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है। मुख्यालय के वाणिज्यिक विंग, सीजीए, सीजीडीए, आईसीएआई, आरबीआई और एमओएफ से इनपुट प्राप्त हुए हैं।

1.2.2 आईपीएसएएस नकद आधार अनुपालन वित्तीय विवरण तैयार करना

गसब ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोग से आईपीएसएएस नकद आधार अनुपालन विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों की पहचान की:

(i) आकस्मिक देयताएं;

(ii) राजस्व प्राप्तियों की पहचान;

(iii) बाह्य सहायता के प्राप्तकर्ता:

आकस्मिक देयता के लिए ड्राफ्ट आईजीएएस को प्रस्तावित आईजीएफ़आरएस -5 'आकस्मिक देनदारियां (गारंटी के अलावा) और आकस्मिक परिसंपत्ति: प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ मैप किया जाना था। 'सरकार द्वारा दी गई गारंटी: प्रकटीकरण आवश्यकताएं' पर आईजीएएस-1 के मद्देनजर ड्राफ्ट आईजीएएस में 'आकस्मिक देयता' की परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाना था।

'राजस्व मान्यता' से संबंधित मानक आईपीएसएएस (नकद आधार) की अनिवार्य/अनुशंसात्मक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

"बाह्य सहायता प्राप्तकर्ताओं" के संबंध में, दस्तावेज़ के प्रमुख शीर्षों और अन्य अनुलग्नकों को आरंभ करने से संबंधित मुद्दों पर सीजीए कार्यालय के साथ चर्चा चल रही है। सीजीए से अंतिम प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में सीजीए ने उल्लेख किया कि उन्होंने दो अनुलग्नकों के अंतर्गत कुछ सूचना प्रदान करने के लिए सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (सीएएए) के कार्यालय से बैठक की थी। हालांकि, यह निर्णय लिया गया था कि उक्त अनुलग्नकों को अद्यतित किया जाएगा और गसब अनुभाग परिशोधित मसौदा सीजीए को भेजेगा और मौजूदा देय प्रक्रिया का पालन करेगा।

1.2.3 आरक्षित निधियों पर मानक मसौदा

आरक्षित निधियां, भविष्य के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए धन का संचय हैं और अव्यपगत हैं। वर्तमान में, धन का अ-हस्तांतरण/अल्पकालिक हस्तांतरण और निर्धारित उद्देश्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए धन का उपयोग आदि जैसे विभिन्न मुद्दों से आरक्षित निधि ग्रस्त है।

इस मानक का उद्देश्य उस तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना है जिसमें आरक्षित निधि का लेखाकरण और इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की जानी हो ताकि निधियों के अंतर्गत शेष राशि की मात्रा, आरक्षित निधियों में धन के हस्तांतरण, निधियों से प्राप्त व्यय की जानकारी का ठीक से प्रकटन किया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें बनाया गया था।

आरक्षित निधियों पर परिशोधित मसौदा मानक अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है और इसे सभी हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा।

1.2.4 मानकों की समीक्षा अधिसूचना के लिए भेजी गई है लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है

आईजीएएस -1: सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: 2010 में अधिसूचित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निम्नलिखित के संदर्भ में पुनरावलोकन/आशोधन की आवश्यकता है:

(i) एमओएफ की परिशोधित सरकारी गारंटी नीति 2022

(ii) राज्यों द्वारा दी गई गारंटी को सम्मिलित करना, और

(iii) एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अंतर्गत परिकल्पित अतिरिक्त गारंटी।

(क) उपर्युक्त लेखाकरण विकास की प्रासंगिकता के साथ, आईजीएएस-1 के प्रारंभिक अध्ययन से पता चला कि आईजीएएस-1 को अधिक पारदर्शिता के लिए पुनरावलोकन की आवश्यकता है। तदनुसार, अतिरिक्त गारंटी पर प्रकटीकरण को सम्मिलित करने के लिए मौजूदा मानक की समीक्षा हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(ख) आशोधित मानक अर्थात, आईजीएएस-2: केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवंटित अनुदान सहायता (जीआईए) के संवितरण के लिए केंद्रीय नोडल और एकल नोडल एजेंसी की नई शुरू की गई प्रणाली के आलोक में सहायता अनुदान के लेखाकरण और वर्गीकरण की समीक्षा की जा रही है। व्यापक परामर्श से लिए गए विचारों के आधार पर इसका आशोधन किया जाएगा।

(ग) आशोधित मानक अर्थात, आईजीएएस-3: सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, पहली बार फरवरी 2012 में अधिसूचित किए गए थे और सभी हितधारकों से अभ्युक्तियाँ लेने के बाद आगे पुनरावलोकन के लिए समीक्षा की जा रही है।

(घ) साई इंडिया ने सरकारी लेखाकरण वातावरण में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए घोषणाओं को अद्यतित करने, आशोधित करने, प्रासंगिक रखने और प्रतिबिंबित करने के लिए हर तीन साल में मौजूदा घोषणाओं की समीक्षा करने को प्रस्तावित किया था। मसौदा मानकों को वित्त मंत्रालय को भेजे जाने के बाद से समय अंतराल और अधिसूचना के प्रयोजन के लिए इन मानकों के लंबित रहने को देखते हुए, निम्नलिखित चार मानकों और मार्गदर्शन नोट को स्वतः परिशोधित करने का निर्णय लिया गया:

(i) विदेशी मुद्रा लेनदेन और विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हानि या लाभ: प्रकटीकरण के अंतर्गत विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हानि/लाभ को दर्शाने के लिए पूर्व अवधि समायोजन लेखा (पीपीएए) की पद्धति को शामिल करते हुए परिशोधित मसौदा जारी किया गया तथा परामर्श प्रक्रिया चल रही है।

(ii) सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विनिवेश: सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश पर प्रकटीकरण पर

मानक मसौदे को परिशोधित किया गया है और वित्त मंत्रालय तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। विचार-विमर्श के बाद, परिशोधित मसौदे को अनुमोदन हेतु गसब के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) सरकार के लोक ऋण और अन्य देयता: मसौदा को अभ्युक्तियों के अनुसार परिशोधित किया जाएगा और पूरी तरह से जांच के बाद संशोधित किया जाएगा।

(iv) निर्धारित परिसंपत्ति के लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट को परिशोधित करने के लिए विचार किया जा रहा है और यह नियमन के अंतिम चरणों में है।

1.3 भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण (एनआरए): एक अवलोकन

सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) - प्राकृतिक संसाधनों की लेखाकरण में उन्नति:

प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण (एनआरए) के नए क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए गसब अंतरराष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने की भारत की आवश्यकता को समझते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है।

सतत विकास - भविष्य से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों के लिए उपयोग

पर्यावरण आर्थिक लेखा की प्रणाली – केंद्रीय ढांचा (एसईईए-सीएफ़) एनआरए के लिए नवीनतम अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत ढांचा है। एसईईए-सीएफ, चार स्तरीय रणनीति के कार्यान्वयन में लचीलेपन को स्वीकार करता है और देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित करने में भी सक्षम बनाता है। इससे प्रेरित होकर, एक अवधारणा पत्र (जुलाई 2020) लाया गया, जिसमें परिमित अनवीकरणीय संसाधनों के लेखाकरण के साथ शुरू होने वाली एक व्यापक योजना तैयार की गई और फिर धीरे-धीरे 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ एसईईए ढांचे के अन्य चरणों तक पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ा।

साई इंडिया द्वारा तैयार की गयी कार्य योजनाएँ

अल्पावधि लक्ष्य	मध्यावधि लक्ष्य	दीर्घकालिक लक्ष्य
• राज्यों में खनिज और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी • प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित राजस्व और व्यय के विषय में प्रकटीकरण लेखाओं की पहल और तैयारी। (2019-20 से 2021-22)	• खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर राष्ट्रीय परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी • राज्यों में अन्य चार संसाधनों अर्थात् जल, भूमि और वानिकी तथा वन्यजीव संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी • पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए किए गए आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में लेनदेन और अन्य जानकारी रिकॉर्ड करने वाले कार्यात्मक लेखाओं की तैयारी। (2022-23 से 2024-25)	• भौतिक और मौद्रिक संदर्भ में आपूर्ति और उपयोग तालिकाएं जो इनपुट, उत्पाद और अवशिष्ट के प्रवाह को दर्शाती हैं; और • जिसमें ह्रास समायोजित आर्थिक समुच्चयों पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक लेखा तैयार करना (2025 - 26 के बाद से)

एनआरए के कार्यान्वयन में गसब की पहलों और प्रयासों पर निम्नलिखित परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

i. सतत विचार-मंथन - परामर्शदात्री समिति और राज्य एनआरए प्रकोष्ठ: भारत सरकार/राज्य सरकारों के हितधारक मंत्रालयों, नियामक एजेंसियों, ज्ञान केंद्रों और शिक्षाविदों के साथ केंद्रीय और राज्य स्तरीय एनआरए प्रकोष्ठों का गठन किया गया। इन विशेषज्ञों की विशेषज्ञता बहुत लाभदायक रही, क्योंकि गसब ने राज्यों में महालेखाकार कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं के टेम्पलेट तैयार किए, जिनमें आंकड़ा एकत्र किया जाना था।

(i) निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और सहायता: कार्य की प्रगति की स्थिति, विचारों के आदान-प्रदान, चुनौतियों और अच्छी पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर, 2021 से प्रत्येक माह सभी 28 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य इस समयबद्ध कार्य को पूरा करने में एक साथ हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर निगरानी और समर्थन के लिए मासिक रिपोर्ट और त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से इस प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

चल रही गतिविधियां:

(क) वर्ष 2021-22 के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं का सार-संग्रह।

गसब ने वर्ष 2020-21 के लिए परिसंपत्ति लेखाओं का एक सार -संग्रह पहले ही तैयार किया था और इसे अक्टूबर 2022 में जारी किया था। इसकी अगली कड़ी के रूप में वर्ष 2020-21 के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं के सार-संग्रह का अगला संस्करण 13 नवंबर 2024 को जारी किया गया था।

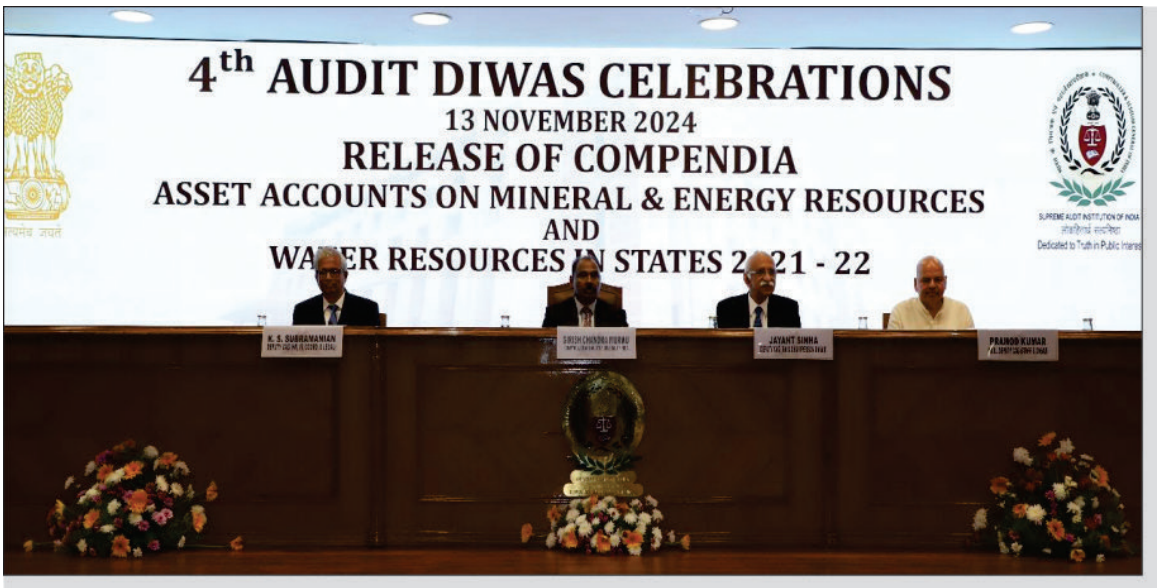

13 नवंबर 2024 को खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों के संग्रह के विमोचन के अवसर पर सीएजी

परिसंपत्ति लेखाएं, नीति निर्माताओं के लिए निम्नलिखित उपलब्ध कराकर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और सुशासन में सहायता के लिए अभिकल्पित किए गए हैं।

- खनिज संसाधनों के वास्तविक निष्कर्षण के भौतिक और मौद्रिक मूल्यों का संकलन।
- संसाधनों की स्थिरता लाने के लिए दोहन की गति प्रदान करें - वर्षों में।
- बाजार मूल्य/निर्यात मूल्य की तुलना में राजस्व के विश्लेषण से राज्य के राजस्व हित की रक्षा के लिए रॉयल्टी दरों का आँकलन और समीक्षा करना आसान हो जाएगा।
- भविष्य में राजस्व सृजन के नए क्षेत्र का आँकलन करना संभव होगा।
- संसाधनों के स्टॉक और प्रवाह पर खदान-वार आंकड़ा - अखिल भारतीय।
- पर्यावरणीय क्षति के लिए लेखाकरणः परिसंपत्ति लेखाकरण के समानांतर और एसईईए-सीएफ ढांचे के तीसरे चरण को ध्यान में रखते हुए, गसब ने संसाधनों के दोहन और संसाधनों के प्रबंधन एवं पर्यावरणीय क्षति के शमन पर किए गए व्यय से प्राप्त प्राप्तियों के लेखाकरण को भी रेखांकित किया है। असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में 2023-24 के दौरान किए गए प्रायोगिक अध्ययन सफल रहे और इस बात का प्रमाण दिया कि उपर्युक्त इनपुट को ग्रहण के लिए गसब द्वारा तैयार किए गए टेम्पलेट, व्यावहारिक और लागू करने योग्य हैं।

(ख) वर्ष 2021-22 के लिए जल संसाधन पर परिसंपत्ति लेखाओं का सार-संग्रहः

भारत को आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से जल संसाधनों के प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रण और निगरानी प्रक्रियाओं को लागू करना प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। पानी की कमी, भूजल में कमी, पानी की गुणवत्ता में गिरावट, अंतर-राज्यीय जल विवाद, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आदि चुनौतियाँ हैं।

संयुक्त राष्ट्र के रेखांकित विशिष्ट लक्ष्यों और **उद्देश्य 6 के अंतर्गत लक्ष्य के भाग के रूप: स्वच्छ जल और स्वच्छता** विशेष रूप से जल संसाधनों पर केंद्रित है। गसब ने भारत भर के 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जल संसाधन आंकड़ा प्राप्त करने की पहल की और तब से उन्हें संकलित किया है।

सलाहकार समिति के सदस्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करके जल संसाधन पर परिसंपत्ति लेखा तैयार की गयी थी। 19 सितंबर 2024 को सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।

19 सितंबर 2024 को सलाहकार समिति की बैठक के दौरान समूह फोटो

वर्ष 2021-22 के लिए जल संसाधन पर परिसंपत्ति लेखाओं का सार-संग्रह 13 नवंबर 2024 को जारी किया गया है।

13 नवंबर 2024 को जल संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों के संग्रह के विमोचन के अवसर पर सीएजी

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति और मार्गदर्शन

व्यावसायिक व्यवहार समूह (पीपीजी) के अधिदेश में नई लेखापरीक्षा पद्धतियों का विकास, प्रसार और कार्यान्वयन शामिल है और यह लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए एक सलाहकार शाखा के रूप में कार्य करता है। नई प्रक्रिया या पहल करने से पहले और मौजूदा प्रक्रियाओं को परिशोधित करते समय, पीपीजी एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाता है।पीपीजी नई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के विकास के साथ-साथ विभाग में नए दिशानिर्देशों और अभ्यास नोट जारी करके सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अंतरराष्ट्रीकरण पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों को वृत्तिक सूचना भी प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गुणवत्ता आश्वासन, लेखापरीक्षा प्रकाशनों के मानकीकरण आदि जैसे मामलों को सम्मिलित करते हुए मौजूदा पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण जारी किए गए।

1.5 स्थानीय सरकारों के लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए

2024-25 के दौरान स्थानीय सरकारों के लेखापरीक्षा के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए थे:

जमीनी स्तर पर सेवा वितरण की लेखापरीक्षा की दिशा में सूक्ष्म दृष्टिकोण को ग्रहण करने के लिए, स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा स्कन्ध द्वारा अप्रैल 2024 में स्थानीय सरकार पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का एक नया टेम्पलेट जारी किया गया था जिसका उपयोग वित्त वर्ष 2022-23 के बाद की लेखापरीक्षा रिपोर्टों से किया जाएगा। *पंचायती राज संस्थानों* (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) दोनों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय सरकारों के कामकाज का अधिक समग्र और सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए नया प्रारूप संरचित किया गया है। परिशोधित संरचना में एक महत्वपूर्ण संयोजन जिला-केंद्रित लेखापरीक्षा पर एक अध्याय की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य किसी राज्य के विभिन्न जिलों में तुलनात्मक स्थानीय शासन और सेवा वितरण प्रस्तुत करना है।

अध्याय 2:
क्षमता निर्माण

2.1 परिचय

साई इंडिया क्षमता निर्माण की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से अपने कर्मियों में व्यावसायिक कौशल और विशेषज्ञता को लगातार उन्नत करने का प्रयास करता है। प्रशिक्षण रणनीति का उद्देश्य **"व्यावसायिक और संस्थागत विकास को बढ़ाने"** के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्मिकों को उनकी भूमिकाओं के निष्पादन में सहायता प्रदान करना और उन्हें मजबूत बनाना तथा गहन प्रशिक्षण और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से मूल्य सृजन करना है।

2.2 साई इंडिया में क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण के संदर्भ में साई इंडिया के उद्देश्य:

- कार्य क्षेत्र ज्ञान में सुधार और प्रशिक्षण सामग्री में इसका अनुवाद
- ज्ञान तथा सूचना साझाकरण
- शिक्षण और सीखने के वातावरण में सुधार
- सीखने के परिणामों में सुधार

2.3 प्रशिक्षण कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ

(i). केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी) ध्यान, गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए साई इंडिया में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों और कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा की जाती है। सीटीएसी, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थानों की क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के काम की भी देख-रेख करती है। उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आइआर एवं समन्वय और विधि कार्य) की अध्यक्षता में सीटीएसी की 49$^{वीं}$ बैठक का आयोजन 09 अप्रैल 2025 को सीएजी के कार्यालय में किया गया था।

(ii). प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण (टीएनए) प्रशिक्षण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की दिशा में पहला कदम है और पाठ्यक्रमों के प्रभावी डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है।वर्ष 2024-25 के लिए विभाग के सभी कार्यालयों हेतु एसएआई सीबी पोर्टल के माध्यम से टीएनए आयोजित किया गया था। टीएनए के आधार पर, आरसीबीकेआई/सी ने वर्ष 2025-26 के लिए अपने वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर (सीओटीपी) तैयार किया।

(iii). संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम्) एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सामग्री और संदर्भों का एक संक्षिप्त पैकेज है। इसमें एक प्रशिक्षक के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्गदर्शक पत्र, पृष्ठभूमि दस्तावेज और नोट के अलावा प्रतिभागियों के लिए पठन सामग्री शामिल है। विषय विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा, प्रशिक्षण मॉड्यूल की विषय-वस्तु तैयार की जाती है।

31 मार्च 2025 तक, 91 एसटीएम विकसित किए गए हैं, समकक्षी समीक्षा की गई है और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी को प्रसारित किया गया है। निम्नलिखित एसटीएम को 2024-25 के दौरान विकसित और अनुमोदित किया गया था:

- सड़क निर्माण की लेखापरीक्षा
- अत्यावश्यक खंड के अंतर्गत रक्षा कार्य
- आईपीएसएएस
- पुल के निर्माण का लेखापरीक्षा
- सामान्य प्रशासनिक मुद्दे, आरक्षण रोस्टर, सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही

(iv). प्रकरण अध्ययन /शोध पत्रों का विकास प्रकरण अध्ययन, वयस्क शिक्षाशास्त्र के लिए शक्तिशाली और व्यावहारिक उपकरण हैं। प्रकरण अध्ययन पद्धति एक ऐसी कक्षा का निर्माण करती है जिसमें विद्यार्थी केवल तथ्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करके ही नहीं सीखते, बल्कि वास्तविक मुद्दों को विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व और समूहिक कार्य के कौशल का प्रयोग करके भी सीखते हैं।

31 मार्च 2025 तक, 77 प्रकरण अध्ययन विकसित किए गए हैं, समकक्षी समीक्षा की गई है और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी को प्रसारित किया गया है। 2024-25 के दौरान निम्नलिखित प्रकरण अध्ययन विकसित किए गए थेः

- एक ऑडिट पैरा की यात्रा
- प्रणालीगत खामियों पर विषयगत पैरा
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
- कानूनी शुल्क का धोखाधड़ी से भुगतान
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन से संबंधित पीआरआई की लेखापरीक्षा
- वर्ष 2020-21 (लाइसेंस शुल्क देयता) के लिए एमटीएनएल के वित्तीय विवरणों पर अभ्युक्तियाँ
- वर्ष 2020-21 के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अभ्युक्तियाँ (आस्थगित कर परिसंपत्ति)
- वर्ष 2020-21 के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अभ्युक्तियाँ
- धन का अनावश्यक पुनर्विनियोजन
- आई. टी. नियंत्रण
- माइनर हेड-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

2.4 साई इंडिया के संस्थानों में के प्रशिक्षण

साई इंडिया के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे में चार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) और दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) शामिल हैं।

2.4.1 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण

2.4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए)

2024-25 के दौरान, एनएएए ने 2022, 2023 और 2024 बैचों के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का संचालन किया, जिसमें भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के 57 अधिकारी प्रशिक्षु, भूटान का शाही लेखापरीक्षा प्राधिकरण के छह अधिकारी और साई मालदीव के दो अधिकारी अकादमी में प्रशिक्षित हुए थे। 2022 बैच के 14 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं ने अगस्त 2024 में अकादमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और 2023 बैच के 26 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षु जिन्होंने अकादमी में अपना चरण-1 प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वर्तमान में अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं। 2024 बैच के 17 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षु और शाही लेखापरीक्षा प्राधिकरण, भूटान के दो अधिकारियों ने दिसंबर 2024 में अकादमी के प्रारंभिक प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं और वर्तमान में अकादमी में चरण-1 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अकादमी का एक प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण, पाठ्येतर और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सिविल सेवक के रूप में व्यावसायिक ज्ञान और योग्यता प्राप्त करने में सहायता करना है। व्यावसायिक ज्ञान के लिए इनपुट, संवादात्मक कक्षा का वातावरण, अध्ययन दौरों के माध्यम से विभिन्न संगठनों के कामकाज पर व्यावहारिक सत्र और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान, श्रृंखला के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, अकादमी ने साइबर कानून विशेषज्ञ और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. पवन दुग्गल, पूर्व मुख्य सचिव और हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी जैसी कई प्रतिष्ठित हस्तियों के व्याख्यान आयोजित किए, जिसमें मार्च 2025 में प्रो. रामचंद्र गुहा द्वारा "पर्यावरण और विकास" पर 'प्रज्ञान' व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत एक व्याख्यान भी शामिल था।

आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रारंभिक प्रशिक्षण के साथ-साथ, अकादमी सेवारत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास और प्रबंधन विकास कार्यक्रम तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं और अन्य सेवाओं तथा भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखा संवेदीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करती है। 2024-25 के दौरान, अकादमी में दो कार्यशालाओं सहित 14 सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 250 अधिकारियों ने भाग लिया।

2.4.1.2 अंतरराष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा)

आईसीसा अपनी अंतरराष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहलों को उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखित करती है, जिससे दुनिया भर के लेखापरीक्षकों और व्यावसायिकों को अपने अनुभव साझा करने और निरंतर सुधार करने में सहायता मिलती है। आईसीसा में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान, विभिन्न सरकारी विभागों और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और नियंत्रण संघ (आईएसएसीए) यूनिसेफ, विश्व बैंक जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे प्रसिद्ध शैक्षणिक

संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

आईसीसा ने, आवासीय अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 154 देशों के 5,959 प्रतिभागियों और ऑनलाइन बहुपक्षीय कार्यक्रमों के माध्यम से 126 प्रतिभागियों को 31 मार्च 2025 तक प्रशिक्षित किया है।

आईसीसा ने 2024-25 के दौरान 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जिनमें 819 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

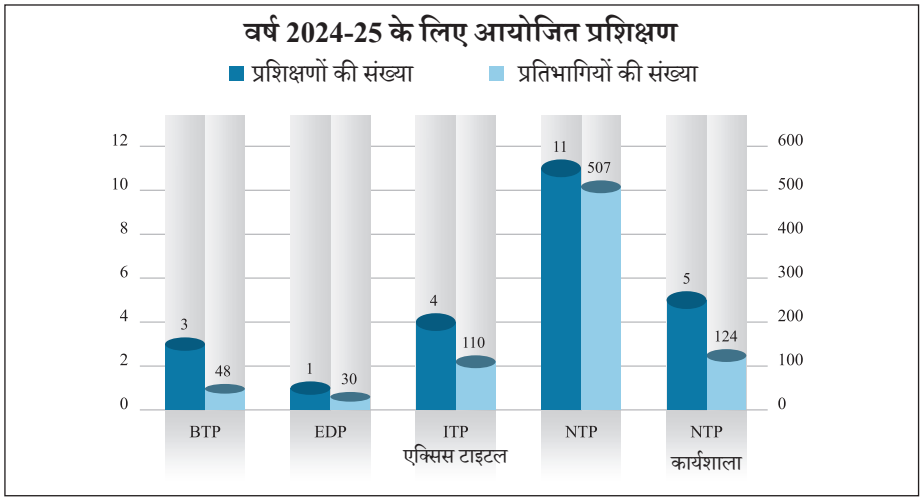

भाषा की बाधाओं को दूर करके और सीखने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाकर ज्ञान साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, आईसीसा अब विदेशी भाषाओं में व्याख्या के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रही है। आईसीसा ने साई सीरिया के 13 अधिकारियों के लिए 2-13 सितंबर, 2024 तक "गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन" पर अरबी व्याख्यान के साथ एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषा विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया था। इसके आधार पर, आईसीसा ने निष्पादन लेखापरीक्षा (10-21 मार्च, 2025) पर 163$^{वें}$ अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान "वर्डली" मंच का उपयोग करते हुए वास्तविक समय में कृत्रिम बुद्धिमता-संचालित स्पेनिश व्याख्या की शुरुआत की, जिससे स्पेनिश भाषी देशों के प्रतिभागियों की सहभागिता बढ़ गयी।

आईसीसा एक द्विवार्षिक ई-जर्नल "पर्सुइट" प्रकाशित करता है जिसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित किया जाता है और आईसीसा वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। नवीनतम तकनीकी प्रगति पर ज्ञान के प्रसार के लिए ई-जर्नल एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। इस अवधि के दौरान, आंकड़ा संरक्षण और आंकड़ा गोपनीयता विषय पर नौवां संस्करण प्रकाशित किया गया है।

आईसीसा अन्य आरसीबीकेआई/सीके द्वारा विकसित उभरती प्रौद्योगिकियों पर एसटीएम की समकक्षी समीक्षा और प्रकरण अध्ययन में व्यस्त है और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा 2024 पर नियमावली को अद्यतित करने में भी योगदान दिया है।

नवाचार और जुड़ाव को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में आईसीसा ने 19 नवंबर 2024 को इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ऑडिट सप्ताह समारोह के दौरान "उन्नत पारदर्शिता और शासन के सूचना प्रोद्यौगिकी

या कृत्रिम बुद्धिमता/एमएल के प्रयोग" विषय पर एक प्रस्तुति/प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को अपने विचारों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता और शासन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है।

आईसीसा ने अपने पुनर्परिभाषित दृष्टिकोण और मिशन के अंतर्गत, अपनी रणनीतिक योजना 2025-30 तैयार की है, जिसका उद्देश्य लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के केंद्र के रूप में अपना स्थान बनाना है। इस रणनीतिक योजना का उद्देश्य है:

- सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में अनुसंधान और लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से लेखापरीक्षा और शासन में नवाचार को आगे बढ़ाने में ज्ञान और अग्रणी विचारकेंद्र के रूप में आईसीसा को विकसित और मजबूत करना।

बेहतर पारदर्शिता और शासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता/एमएल या सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

- सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और नवीन दृष्टिकोणों को अपनाकर तथा लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा क्षमता विकास कार्यक्रमों के वैश्विक प्रभाव को विस्तारित और सुदृढ़ करना।

- आईसीसा में मौजूदा बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना तथा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहलों का समर्थन करने और लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास करना।

आईसीसा की क्षमता निर्माण यात्रा दो दशकों से अधिक की उत्कृष्टता और प्रभाव की यात्रा है। मार्च 2002 में अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र ने 11 मार्च 2025 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लॉरेंस लियांग द्वारा एक व्याख्यान - 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करना' का आयोजन किया। शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस विचारोत्तेजक व्याख्यान में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कानून, नैतिकता और शासन के अंतर्संबंध की जांच की गई, तथा इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि वैधानिक और राजनीतिक संरचनाएं शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती हैं और उसे किस प्रकार आकार देती हैं। विनियामक चिंताओं से परे, इस वार्ता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी तार्किक चिंताओं का पता लगाया गया - विशेष रूप से यह किस प्रकार मानव और मानवेतर एजेंसी के बीच की सीमा को अस्थिर करती है।

'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करना' विषय पर व्याख्यान के दौरान प्रोफेसर लॉरेंस लियांग के साथ डीएआई (एचआर)

व्याख्यान के दौरान प्रोफेसर लॉरेंस लियांग

आईसीसा ने अपने न्यूज़लेटर का पहला संस्करण (अक्टूबर 2024) प्रकाशित किया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र द्वारा की गई क्षमता निर्माण गतिविधियों की विविधता की झलक प्रस्तुत की गई। न्यूज़लेटर में अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र की शोध गतिविधियों, नई पहलों और उल्लेखनीय कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया।

2.4.1.3 पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीईडी)

पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए 2013 में पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीईडी) की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य वर्षों से पर्यावरण लेखापरीक्षा आयोजित करने में साई इंडिया की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। आईसीईडी, पर्यावरण लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह (इंटोसाई डब्ल्यूजीईए) और निष्कर्षण उद्योगों पर इंटोसाई कार्य समूह (इंटोसाई डब्ल्यूजीईआई, अगस्त 2016 से) का एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) भी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आईसीईडी द्वारा 24 क्षमता-निर्माण और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें से 13 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीन राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/क्षेत्रीय सेमिनार, दो संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और छह अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ/वेबिनार सम्मिलित थे। तीन कार्यक्रम ऑनलाइन रीति में आयोजित किए गए, 20 ऑफलाइन रीति में आयोजित किए गए जबकि एक प्रशिक्षण संकरित रीति में आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में कुल 639 प्रतिभागियों (314 अंतर्राष्ट्रीय और 325 राष्ट्रीय) ने भाग लिया।

आईसीईडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान-मद्रास) ने 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सीएजी की उपस्थिति में पर्यावरण लेखापरीक्षा और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) में क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी सीएजी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षा के इन विशिष्ट क्षेत्रों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), मशीन लर्निंग (एमएल) और अन्य तकनीकी प्रगति का लाभ उठाएगी। इस पहल के एक भाग के रूप में, विभाग के 50 अधिकारियों को अप्रैल 2025 में आईसीईडी परिसर

में भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान-मद्रास के संकाय द्वारा "पर्यावरण लेखापरीक्षा और ईएसजी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एमएल का उपयोग" पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा। इस समूह से, चयनित प्रतिभागियों को तीन महीने का गहन हाइब्रिड कोर्स कराया जाएगा, जिसमें डेढ़ महीने का भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान-मद्रास में व्यक्तिगत प्रशिक्षण और डेढ़ महीने का वर्चुअल प्रशिक्षण सम्मिलित होगा। इस कार्यक्रम का समापन भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान-मद्रास द्वारा प्रतिभागियों को पर्यावरण लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उपयोग पर प्रमाणन प्रदान करने के साथ होगा।

आईसीईडी के पास अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से एक जीवंत आंतरिक अनुसंधान कार्यक्रम भी है, जो साई इंडिया की पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करता है।

आईसीईडी ने एशियन जर्नल ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साई इंडिया की ओर से लेख प्रकाशित किए हैं। आईसीईडी का एक लेख, "शहरी अपशिष्ट प्रबंधन का लेखा-परीक्षण - साई इंडिया का एक अवलोकन और अनुभव" एशियन जर्नल गवर्नमेंट ऑडिट के अप्रैल 2024 संस्करण में प्रकाशित हुआ था।

आईसीईडी ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 2025-30 के लिए एक रणनीति योजना की परिकल्पना की है:

(i) रणनीतिक उद्देश्य 1: आईसीईडी को पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास लक्ष्यों तथा पर्यावरणीयमुद्दों पर एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करना।

(ii) रणनीतिक उद्देश्य 2: पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दों पर क्षमता विकास में प्रभावी रूप से संलग्न होना।

(iii) रणनीतिक उद्देश्य 3: आईसीईडी को एक अत्याधुनिक, सतत विकास और समावेशी बुनियादी ढांचे वाले संस्थान के रूप में विकसित करना जो नवीन शिक्षण पद्धतियों का समर्थन करता हो, तथा उभरती हुई तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित हो।

मुख्यालय द्वारा जारी 2 दिसंबर 2019 को पर्यावरण से संबंधित लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप, वर्ष 2024-25 के दौरान आईसीईडी ने नीली अर्थव्यवसथा, जैव विविधता और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक पर्यटन, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन और जल निकासी सुधार और वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर लेखापरीक्षा की योजना बनाने और संचालन के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को आलेख -अप, टिप्पणी, शोध पत्र, लेख, लेखापरीक्षा अभिकल्प आव्यूह लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि के रूप में सहायता प्रदान की है।

आईसीईडी विभिन्न पर्यावरण संबंधी रिपोर्टों और अन्य संबंधित सामग्री से प्राप्त इनपुट्स को मिलाकर एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर "ग्रीन फाइल्स" प्रकाशित करता है। 2024-25 की अवधि के दौरान, आईसीईडी ने प्रदूषण, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे समकालीन पर्यावरणीय विषयों और अनुभागों को सम्मिलित किया है।

(i) त्रैमासिक समाचार पत्र 'ग्रीन फाइल्स' का 49वां संस्करण "पर्यावरण पर केन्द्रित कृषि" विषय के अंतर्गत प्रकाशित हुआ।

(ii) आईसीईडी द्वारा "पर्यावरण पर केन्द्रित कृषि खंड II" विषय के अंतर्गत 'ग्रीन फाइल्स' का 50वां खंड प्रकाशित किया गया।

(iii) आईसीईडी द्वारा "वायु प्रदूषण" विषय के अंतर्गत प्रकाशित 'ग्रीन फाइल्स' का 51वां खंड प्रकाशित किया गया।

ब्लू इकोनॉमी पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आईसीईडी

आईसीईडी में एक "ब्लू इकोनॉमी पर उत्कृष्टता केंद्र" स्थापित किया गया, जो प्रशिक्षण और अनुसंधान दोनों को सम्मिलित करते हुए क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है, ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में समग्र एकीकृत लेखापरीक्षा करने और एसडीजी 14 "पानी के नीचे जीवन" के अनुपालन में मदद मिल सके। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, आईसीईडी निम्नलिखित पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण में योगदान देने में लगा हुआ है-

(i) आईसीईडी ने ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए टीईआरआई, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), आईआईटी कानपुर, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) आदि जैसे अग्रणी प्रबुद्ध मंडलों के साथ मिलकर काम किया है।

(ii) आईसीईडी ने पर्यावरण लेखापरीक्षा और शासन, जलवायु चिरस्थायी सतत विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उभरते रुझानों पर क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान मद्रास के साथ तकनीकी सहयोग किया है।

(iii) सतत समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण और सतत समुद्री पर्यटन पर समर्पित सामयिक शोध पत्र आईसीईडी द्वारा ब्लू इकोनॉमी विषय के अंतर्गत प्रकाशित किए गए।

2024-25 के दौरान आईसीईडी द्वारा ब्लू इकोनॉमी क्षेत्रों पर तैयार किए असामयिक शोध पत्र (ओआरपी)

(i) "जयपुर शहर के बाढ़ जोखिम आकलन" पर सामयिक शोध पत्र, जयपुर शहर की सीमा में मानसून के मौसम के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ पर केंद्रित है, जिसमें क्वांटम भौगोलिक सूचना प्रणाली (क्यूजीआईएस) के उन्नत कार्यों का उपयोग करके बाढ़ की स्थिति में योगदान करने वाले कारकों का मानचित्रण और मूल्यांकन किया गया है। इस शोध पत्र में प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और तैयारी के महत्व पर जोर दिया गया।

(ii) "सतत समुद्री मत्स्य पालन पर लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य" पर सामयिक शोध पत्र, सतत समुद्री मत्स्य पालन प्रबंधन में प्रथाओं की पड़ताल करता है और मत्स्य पालन विनियमन के जटिल क्षेत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक समृद्धि समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के साथ संरेखित हो। यह पत्र नीति निर्माताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम कर सकता है, ताकि वे ऐसी नीतियों को विकसित और परिष्कृत कर सकें जो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक मानकों के अनुरूप हों।

(iii) "समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण पर लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य: सूक्ष्म प्लास्टिक कणों पर संकेंद्रित" पर सामयिक शोध पत्र लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन के लिए ज्ञान संसाधन बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और दस्तावेज़ीकरण के साथ-साथ माइक्रोप्लास्टिक्स पर आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य का संग्रह संभव हो पाता है।

(iv) ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सतत समुद्री पर्यटन पर चयनित परिप्रेक्ष्य पर सामयिक शोध पत्र "ओड़ीशा में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण" पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पर्यटन और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर समुद्री पर्यटन को सतत समुद्री पर्यटन में बदलने पर शोध करता है।

2.4.1.4 स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएएल)

जुलाई 2024 में उद्घाटन किया गया आईसीएएल राजकोट, स्थानीय सरकारों से जुड़े नीति निर्माताओं, प्रशासकों और लेखापरीक्षकों को एकजुट करने वाले एक सहयोगी मंच बनने की ओर उठाया गया कदम है। आईसीएएल विश्व भर के विशेषज्ञों, व्यवसायियों और हितधारकों के साथ मिलकर व्यापक मानक विकसित करेगा, जो स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्यप्रणालियों और सिद्धांतों को परिभाषित करेगा। ये मानक गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करेंगे तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में स्थिरता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे।

यह लेखापरीक्षकों, स्थानीय सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार नवीनतम उपकरणों और पद्धतियों से सुसज्जित हैं। प्रशिक्षण गतिविधियों का ध्यान उभरती चुनौतियों का समाधान करने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं में सुधार लाने तथा समुदायों में सुशासन, समावेशी विकास और टिकाऊ परिणामों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आईसीएएल से अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर और स्थानीय सरकार की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय सरकारों के लेखापरीक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाएगा।

आईसीएएल स्थानीय शासन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थानों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहित स्थानीय शासन पर क्षमता निर्माण हस्तक्षेप के लिए काम कर रहा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आईसीएएल ने विभिन्न राज्यों के डीएलएफए/ईएलएफए और आईएएडी अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवा वितरण उन्मुख लेखा परीक्षा पर चार राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और दो संपर्क कार्यक्रम (i) क्राइस्ट कॉलेज, राजकोट के यूजी छात्रों के लिए स्थानीय सरकारों के लेखाकारों के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम पर जागरूकता कार्यक्रम (ii) पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी) विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के छात्रों के लिए "लघु नगर पालिकाओं में शहरी शासन" पर कार्यशाला आयोजित की।

2.4.2 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थानों/केंद्रों में प्रशिक्षण/आंतरिक प्रशिक्षण

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के देश भर में 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) और दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्प अवधि के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

2024-25 के दौरान, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र ने 586 पाठ्यक्रम (337 सामान्य, 216 सूचना प्रौद्योगिकी और 33 हाइब्रिड) आयोजित किए और 15,707 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। इसी अवधि के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1,572 आंतरिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए और 31,293 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

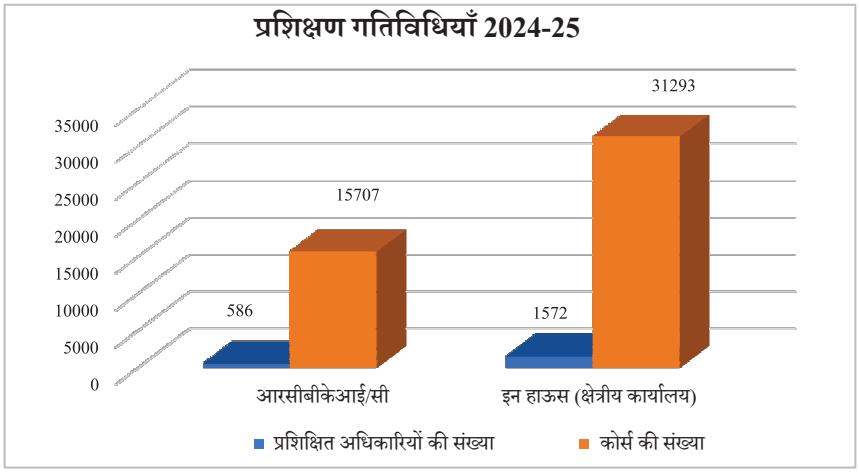

ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी, तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन अभ्यास मार्गदर्शिका, एडोब कैप्टिवेट, अनुबंध की लेखापरीक्षा, खरीद समझौता और कार्य लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी विषयों जैसे आंकड़ा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में लेखापरीक्षा, ओरेकल, टेबल्यू, पायथन आदि पर आयोजित किए गए थे।

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान रांची में समूह गतिविधि

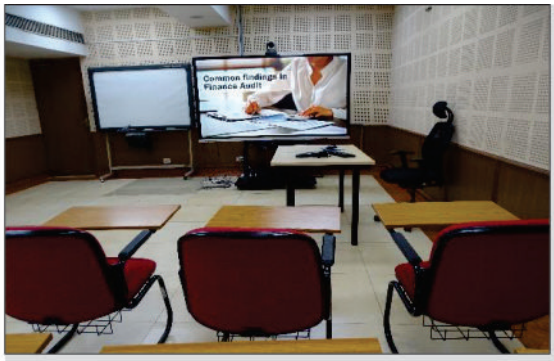

आरसीबीकेआई कोलकाता-स्मार्ट कक्षा

2.5 प्रतिष्ठित संस्थानों में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारियों के लिए कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण

मई 2016 में जारी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग आदेशों के अनुसार आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) के पैटर्न को संशोधित किया गया था। वर्तमान में इसमें सम्मिलित हैं:

(i) **7-9 वर्ष की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी)** ताकि सार्वजनिक नीति और वित्तीय मुद्दों की समझ बढ़ाई जा सके, विश्लेषणात्मक उपकरणों और प्रबंधन कौशल को मजबूत किया जा सके।

(ii) **14-16 वर्ष की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)** ताकि अनुभव और तकनीकी जानकारी को बढ़ाया जा सके, विश्लेषणात्मक उपकरणों, प्रबंधन कौशल और पारस्परिक कौशल को मजबूत किया जा सके।

(iii) **26-28 वर्ष की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एएमडीपी)** ताकि नीति विकास, प्रदर्शन प्रबंधन, संगठनात्मक डिजाइन, बातचीत और नेतृत्व सहित वरिष्ठ प्रबंधकों के सामने आने वाले बहुआयामी मुद्दों के बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके।

वर्ष 2024-25 के लिए आईएएंडएएस अधिकारियों की एमसीटीपी निम्नानुसार आयोजित की गई:

- 2024-25 के दौरान, 20 उम्मीदवारों के लिए ईडीपी 17-27 सितंबर 2024 के दौरान दो सप्ताह के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान बैंगलोर में आयोजित किया गया था।
- 2024-25 के दौरान, एमडीपी का एक सप्ताह का घरेलू घटक 2-6 सितंबर 2024 तक 20 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए आईआईएम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था और 11-14 नवंबर 2024 तक एनएएए में एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया था।
- एएमडीपी का आयोजन आईएसबी हैदराबाद (मोहाली परिसर) में 24 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक 14 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए किया गया।

2.6 वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

2024-25 के दौरान, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में सार्वजनिक भाषण, संचार और प्रस्तुति कौशल, मूल्य, नैतिकता और संगठनात्मक संस्कृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बृहत आंकड़ा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता और निगरानी और कानून पर विशेष पाठ्यक्रम (अनुकूलित) पर पांच प्रशिक्षणों में 97 वलेपअ/सलेपअ को प्रशिक्षित किया गया।

2.7 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए स्व-नामांकन योजना

सीएजी ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में वलेपअ/सलेपअ के प्रशिक्षण के लिए स्व-नामांकन

योजना को मंजूरी दी (अक्टूबर 2019)। स्व-नामांकन योजना को नवंबर 2021 में संशोधित किया गया था ताकि वलेपअ/सलेपअ को भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन/हाइब्रिड प्रशिक्षणों में भी भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके।

2024-25 के दौरान, आईआईएम कोझीकोड को भारतीय प्रबंध संस्थान की सूची में जोड़ा गया और पाठ्यक्रमों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, कोझीकोड, लखनऊ में 24 प्रशिक्षण आयोजित किए गए और 114 वलेपअ/सलेपअ को प्रशिक्षित किया गया।

2.8 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ज्ञान एवं क्षमता निर्माण स्कन्ध ने मार्च 2022 से वलेपअ/सलेपअ के लिए पांच स्तरीय मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) लागू किया है, जो इस प्रकार है:

एमसीटीपी	विवरण
स्तर 1	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र में सीधी भर्ती वाले सलेपअ/पदोन्नत सलेपअ के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया गया
स्तर 2	7 से 12 वर्ष के सेवा करियर वाले सलेपअ के लिए - क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र में
स्तर 3	12-17 वर्ष के सेवा करियर वाले वलेपअ/सलेपअ के लिए- क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/ क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र
स्तर 4	बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (ओपीजेजीयू) सोनीपत, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) गुड़गांव में 17-22 वर्ष की सेवा अवधि वाले वलेपअ/सलेपअ के लिए।
स्तर 5	अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) फरीदाबाद में 22 वर्ष से अधिक सेवा करियर वाले वलेपअ/सलेपअ

2024-25 के दौरान, 57 एमसीटीपी आयोजित किए गए जिनमें 1,761 वलेपअ/सलेपअ को प्रशिक्षित किया गया।

2.9 निष्पादन अनुवीक्षण तंत्र

मात्रात्मक मापदंडों के साथ क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/सी के लिए एक प्रदर्शन अनुवीक्षण तंत्र (पीएमएफ) तैयार किया गया और 2015-16 में पेश किया गया। पीएमएफ में क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/सी की आंतरिक प्रक्रियाओं को हितधारकों की अपेक्षाओं से जोड़कर उत्कृष्टता को आंतरिक और संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके और प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। क्षेत्रीय क्षमता

निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र और इसके उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा आवंटित अंकों का सत्यापन क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र का भौतिक निरीक्षण करके किया जाता है। छह क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/सी के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएफ सत्यापन 2024-25 के दौरान पूरा कर लिया गया था।

2.10 2024-25 के दौरान ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (केएंडसीबी) स्कन्ध द्वारा किए गए विशेष प्रयास

2024-25 के दौरान क्षमता निर्माण में निम्नलिखित अन्य उपलब्धियां भी हासिल की गईं:

(i) 2-6 सितंबर 2024 तक 19 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान दिल्ली में **'कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग' पर एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।**

(ii) **साई इंडिया में इंटर्नशिप योजना:** 2024-25 के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान में इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत, ज्ञान और क्षमता निर्माण स्कन्ध ने आईआर (दो युवा पेशेवर) और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/सीएस (13 युवा पेशेवर) के लिए युवा पेशेवरों को नियुक्त किया।

(iii) **सीधी भर्ती वाले सलेपअ के लिए आगमन प्रशिक्षण:** सीधी भर्ती वाले सलेपअ (एसएससी-सीजीएलई 2022) के लिए आगमन प्रशिक्षण निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

चरण 1: क्षेत्रीय कार्यालयों में अधीनस्थ लेखा सेवा तैयारी सहित तीन महीने का कक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण।

चरण 2: क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन महीने का सेवाकालीन प्रशिक्षण।

चरण 3: सलेपअ/पर्यवेक्षकों के लिए छह सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण

(iv) **सलेपअ/पर्यवेक्षकों के लिए छह सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण:** 2024-25 के दौरान, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/सी द्वारा आयोजित छह सप्ताह के अभिविन्यास प्रशिक्षण में 608 सलेपअ /पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(v) **सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) परीक्षा के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण**- केएंडसीबी स्कन्ध ने वर्ष 2022 से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) परीक्षा के लिए परीक्षा-पूर्व ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन शुरू किया। यह प्रशिक्षण एसएओ/एसआरडीएओ/एएओ/डीएओ ग्रेड I के लिए बाह्य प्रशिक्षण साझेदार, आईसीआईएसए नोएडा और इन-हाउस प्रशिक्षण के साथ आयोजित किया गया था।

वर्ष 2025 के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रशिक्षण को साई इंडिया के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित करने का निर्णय लिया है।

सीपीडी	प्रशिक्षण संस्थान
सी-1 वित्तीय प्रबंधन	आरसीबीकेआई मुंबई
सी-2 लेखांकन और लेखा परीक्षा सिद्धांत एवं मानक	आरसीबीकेआई प्रयागराज
सी 3 सार्वजनिक वित्त	आरसीबीकेआई नागपुर
सी-4 अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत	आरसीबीकेआई दिल्ली
सी-6 सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा	आईसीसा नोएडा
सी-5 सामान्य अध्ययन एवं वर्तमान आर्थिक विकास	एनएएए

(vi) **डॉ. बी आर अम्बेडकर ज्ञान व्याख्यान श्रृंखला**

आईएएडी फरवरी 2018 से डॉ. बी आर अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विचारों और मुद्दों से अवगत कराना है।

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित व्याख्यान आयोजित किये गए:

क. दिनांक 11.02.2025 को **पीएम गतिशक्ति और लेखापरीक्षा में जीआईएस और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर:** श्री विनय ठाकुर, विशेष महानिदेशक, बीआईएसएजी-एन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थानों के लिए ईआरपी पर: श्री संजीव सिंह, प्रोफेसर, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सूचना विज्ञान और संचार संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय।

ख. 24 फरवरी 2025 को भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक श्री कामकोटि द्वारा **'डिजिटल दुनिया में शासन' पर**

(vii) **साई इंडिया के कर्मचारियों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) का कार्यान्वयन-**

एपीएएआर का तात्पर्य स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है। यह भारत में सभी छात्रों/पेशेवरों के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसमें भारत में छात्रों/पेशेवरों के लिए एक डिजिटल पहचान प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो "एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी" कार्यक्रम का हिस्सा है।

साई इंडिया के कर्मचारियों के लिए एपीएएआर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, केएंडसीबी स्कन्ध ने सीटीआई/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र के अधिकारियों के लिए एपीएएआर आईडी बनाने और उपयोग करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला का संचालन शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

साई इंडिया के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे एपीएएआर आईडी बनाएं और उसे साई प्रशिक्षण पोर्टल में अपडेट करें।

(viii) **एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस)**

एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस) पहल भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है।

चूंकि साई इंडिया एक ज्ञान-संचालित संगठन है, इसलिए अधिकारियों को व्यापक जागरूकता और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रबंधकीय कौशल, निर्णय लेने, योग्यता वृद्धि आदि सम्मिलित होना चाहिए। केएंडसीबी स्कन्ध ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आईएएडी के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को ओएनओएस मंच पर पंजीकृत किया है। आईएएडी के सभी कार्यालयों को ओएनओएस मंच पर भी पहुंच प्रदान की गई है।

(ix) **केंद्रीकृत ज्ञान भंडार**

केएंडसीबी स्कन्ध, साई इंडिया के लिए एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार (सीकेआर) विकसित करने की प्रक्रिया में है। सीकेआर का उद्देश्य साई इंडिया में ज्ञान के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और सीएजी के ज्ञान संसाधनों को समय पर अद्यतन करना है, ताकि एक सुव्यवस्थित, आसानी से सुलभ और व्यापक ज्ञान भंडार बनाया जा सके। सीकेआर से अपेक्षा की जाती है कि वह बेहतर निर्णय लेने, संरचित ज्ञान साझा करने और संगठनात्मक शिक्षा की सुविधा प्रदान करके साई इंडिया की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में योगदान देगा।

(x) **स्वयम एवं आईजीओटी कोर्स**

ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (केएंडसीबी) स्कन्ध ने सभी क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थानों/केन्द्रों (क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/सी) को निर्देश दिया कि वे उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करें, तथा बुनियादी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा करने के लिए छोड़ दें। इसके अतिरिक्त, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट आदि जैसे बुनियादी विषयों पर प्रशिक्षण आईजीओटी मंच पर उपलब्ध स्व-गति मॉड्यूल के माध्यम से दिए जाने का निर्देश दिया गया। अधिकारी विकास को और अधिक समर्थन देने के लिए, केएंडसीबी स्कन्ध ने स्वयम और आईजीओटी पोर्टलों पर उपलब्ध प्रासंगिक प्रमाणन पाठ्यक्रमों की एक सूची भी प्रचारित की है, जिसके पूरा होने पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(xi) **बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर**

लेखापरीक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कार्यालय ने फरवरी-मार्च 2025 के दौरान अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता में सुधार करना और सार्वजनिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पहलुओं में पेशेवर दक्षताओं का निर्माण करना है। समझौता ज्ञापन में अ-संज्ञानात्मक कौशल, शहरी विकास, क्रय, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल परिवर्तन और क्षेत्र-विशिष्ट लेखा परीक्षा सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है।

फरवरी-मार्च 2025 में सीएजी कार्यालय और बाहरी संस्थानों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- **लेखापरीक्षा के लिए गैर-संज्ञानात्मक कौशल पर सीएजी -सीएमआई समझौता ज्ञापन,** जिसका उद्देश्य लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले गैर-संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना है, जिसके लिए पेशेवर प्रभावशीलता, नैतिक नेतृत्व और संचार के लिए सॉफ्ट स्किल्स पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

- शहरी विकास में लेखापरीक्षा योजना, प्रक्रियाओं और क्षमता निर्माण को मजबूत करने, शहरी लेखापरीक्षा विषयों पर सामग्री और प्रशिक्षण विकसित करने और साइट-विजिट और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए **शहरी लेखापरीक्षा के लिए सीएजी-एनआईयूए समझौता ज्ञापन।**

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में डोमेन-विशिष्ट लेखापरीक्षा विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए संरचित क्षमता निर्माण हेतु खरीद पर **सीएजी-भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई समझौता ज्ञापन,** जैसे कि माल सूची प्रबंधन और संभार तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की लेखापरीक्षा।

- **सीएजी-बीआईएसएजी-एन समझौता ज्ञापन** भौगोलिक सूचना प्रणाली और रिमोट सेंसिंग का लाभ उठाते हुए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए लेखापरीक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। बीआईएसएजी-एन ने मांग के आधार पर अपने सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों को समर्पित सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे उन समस्या विवरणों को अग्रेषित करें जहां वार्षिक लेखा परीक्षा योजना 2025-26 में आगामी पीए/एसएससीए के दौरान जीआईएस/रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

- **सीएजी-भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान मद्रास के मध्य समझौता ज्ञापन** आंकड़ा शासन, बृहत आंकड़ा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/एमएल में नवाचार पर सहयोग के माध्यम से डिजिटल और टिकाऊ लेखापरीक्षा को बढ़ावा देगा। आईसीईडी जयपुर और भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान मद्रास के बीच पर्यावरण लेखापरीक्षा और ईएसजी में शैक्षणिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। "कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़ा विज्ञान और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा" पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और 24 आईएएंडएएस अधिकारियों और 78 वलेपअ/सलेपअ वाले पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यालय ने सात परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, आंकड़ा गवर्नेंस नीति आदि जैसे विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित पहलुओं पर मार्गदर्शन और रूपरेखा विकसित करने के लिए भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

- **सीएजी-भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद समझौता ज्ञापन** का उद्देश्य विद्युत और रेलवे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उभरते आर्थिक क्षेत्र में लेखापरीक्षा ढांचे को मजबूत करना है।

अध्याय 3:
आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन

3.1 निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन

निरीक्षण एवं समकक्ष समीक्षा (आईपीआर) स्कन्ध को साई इंडिया के सभी कार्यात्मक कार्यालयों (दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों सहित 131 क्षेत्रीय कार्यालयों) की परीक्षण जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह स्कन्ध पेशेवर घोषणाओं और प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से निरीक्षण कार्य करता है, जिससे श्रम शक्ति के इष्टतम उपयोग और कुशल अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम सुधार की सुविधा मिलती है। निरीक्षण, पृथक पृथक कार्यालयों में देखी गई अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, यह स्कन्ध शाखा कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यस्थल पर निरीक्षण करती है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यात्मक शाखाओं के निरीक्षण और जवाबदेही की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:

क. निरीक्षण की प्रक्रिया को खुला और सहभागी बनाने के लिए, स्कन्ध ने संबंधित कार्यात्मक स्कंधों के प्रमुखों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने और बनाए रखने का प्रयास किया है;

ख. निरीक्षण दल उपलब्ध सामग्री जैसे पूर्व सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण के लिए नियोजित कार्यालयों से मांगी गई विस्तृत जानकारी और नियमित आधार पर कार्यात्मक स्कंधों से प्राप्त आवधिक रिटर्न/इनपुट का डेस्क अध्ययन करते हैं। टीमें कार्य शुरू करने से पहले और फील्ड असाइनमेंट पूरा होने के बाद उच्चतम स्तर पर जानकारी देने एवं लेने के सत्रों में सम्मिलित होते हैं;

ग. रिपोर्टें मानक प्रारूपों में तैयार की जाती हैं और हितधारकों को रचनात्मक तरीके से सम्मिलित करने के लिए सिफारिशें दी जाती हैं;

घ. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक की अनुमोदित निरीक्षण रिपोर्टें (आईआर) केएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

ड. क्षेत्रीय कार्यालयों से दो श्रेणियों के अंतर्गत टिप्पणियों का अनुपालन करने को कहा गया है, अर्थात् (i) श्रेणी-क- जहां अनुपालन कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाना है, और (ii) श्रेणी-ख- जहां अनुपालन राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसी बाह्य अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर है। प्रत्येक कार्यालय को एक समय सीमा तय करने की सलाह दी गई है जिसके भीतर निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए सभी टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए।

3.2 वर्ष 2024-25 के दौरान गतिविधियाँ

- निरीक्षण कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए पिछले वर्ष 2023-24 से जारी अभ्यास के अनुसार निरीक्षण दलों का पर्यवेक्षण एक समूह अधिकारी द्वारा किया गया।
- वर्ष के दौरान, 21 क्षेत्रीय कार्यालयों (लेखा एवं हकदारी कार्यालय-6, लेखा परीक्षा कार्यालय-2,

केंद्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय-2, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय-1, रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय-3 और क्षेत्रीय ज्ञान एवं क्षमता निर्माण संस्थान-7) के निरीक्षण की योजना बनाई गई और निरीक्षण योजना के अनुसार पूरा किया गया। उठाई गई, निपटाई गई और बकाया टिप्पणियों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2024-25 के दौरान जारी किए गए आईआर/ टिप्पणियों की संख्या		2024-25 के दौरान निपटाए गए अवलोकनों की संख्या	मार्च 2025 के अंत तक बकाया पैरा/आईआर की संख्या	
		आईआर	पैरा		पैरा की संख्या	आईआर की संख्या
21	21	20	2,173	2,411	2,614	51

3.3 आंतरिक समकक्ष समीक्षाएं

आईपीआर स्कन्ध गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में साई इंडिया में कार्यालयों की सहकर्मी समीक्षा आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान, 14 क्षेत्रीय कार्यालयों (लेखा एवं हकदारी कार्यालय-4, लेखापरीक्षा कार्यालय-5, केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय-1, रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय-1, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय-1 और रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय-2) की समकक्ष समीक्षा की योजना बनाई गई थी। सभी समकक्ष समीक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

3.4 सीखे गए सबक की रिपोर्ट

विभिन्न सहकर्मी समीक्षा रिपोर्टों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने वाली 'सीखे गए सबक रिपोर्टें' कार्यात्मक स्कन्ध (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों (लेखापरीक्षा और लेखा एवं हकदारी) को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी की गई हैं।

अध्याय 4:
हमारी सूचना प्रौद्योगिकी पहल

साई इंडिया अपने विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अनुप्रयोगों को निरंतर केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों में उन्नत कर रहा है। केंद्रीकृत समाधानों का प्रबंधन आसान है एवं अत्याधुनिक सुरक्षा सेटअप को लागत प्रभावी तरीके से केंद्रीकृत अनुप्रयोग में तैनात किया जा सकता है। डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने का उद्देश्य हमारी कार्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना, प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा लेखापरीक्षा कार्यों के लिए अन्य सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों द्वारा उत्पन्न डिजिटल आंकड़ों का लाभ उठाना है।

साई इंडिया में अनुप्रयोगों को सेवाओं की उच्च उपलब्धता एवं बेहतर गुणवत्ता/निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। नए केंद्रीकृत समाधानों में उन्नत साइबर खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा संरचना सम्मिलित है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नेटवर्क, बुनियादी ढांचे एवं एप्लिकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, बाहरी, सरकारी पैनल वाली एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है।

साई इंडिया में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- साई इंडिया के लिए सूचना प्रणाली (आईएस) नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन;
- नए सूचना प्रद्योगिकी अनुप्रयोगों का अभिकल्प एवं कार्यान्वयन;
- मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की सहायता, विशेष रूप से लेखांकन एवं हकदारी कार्यों के संबंध में;
- सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबंधन एवं रखरखाव;
- लेखापरीक्षा कार्यों की योजना एवं निष्पादन में सहायता के लिए आंकड़ा विश्लेषण हेतु एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना; एवं
- सरकारों एवं अन्य लेखापरीक्षित संस्थाओं की प्रणालियों की लेखापरीक्षा।

4.1 नवीन पहल एवं विकास

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अनुरूप, साई इंडिया अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। 1 अप्रैल 2023 से एक - आईएएंडएडी – एक प्रणाली (ओआईओएस) अनुप्रयुक्ति, एक आद्योपांत लेखापरीक्षा प्रक्रिया एवं ज्ञान प्रबंधन प्रणाली – जो साई इंडिया का एक प्रमुख लेखापरीक्षा प्रकार्य है - के विकास, कार्यान्वयन एवं चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-ऑफिस (एनआईसी की फाइल प्रबंधन एवं स्थानांतरण प्रणाली) एप्लीकेशन पर प्रशिक्षित किया गया है। हमारे कार्मिकों के लिए एक व्यापक एचआर पैकेज (ई-एचआरएमएस) लागू करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

इसके अतिरिक्त, साई इंडिया के मुख्यालय में आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण (सीडीएमए) केंद्र भी है। सीडीएमए अन्य सरकारी अनुप्रयोगों एवं उनके द्वारा उत्पन्न आंकड़ों तक केंद्रीकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है एवं आंकड़ा विश्लेषण एवं आंकड़ा बहाली में साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करता है। सीडीएमए ने चयनित लेखापरीक्षा कार्यों के लिए केंद्रीकृत डेस्क समीक्षा शुरू कर दी है।

साई इंडिया के पास एक अलग सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा प्रकार्य भी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

के लिए ऑडिटी सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के जोखिम मूल्यांकन एवं प्राथमिकता के लिए उत्तरदायी है एवं मध्यावधि समीक्षा के माध्यम से योजना एवं डिजाइन से लेकर रिपोर्टिंग तक व्यक्तिगत सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा असाइनमेंट के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है।

4.1.1 एक - आईएएंडएडी – एक प्रणाली

4.1.1.1 ओआईओएस का अभिकल्प, विकास एवं रोल-आउट

साई इंडिया एक बड़ा संगठन है जिसके मुख्य लेखापरीक्षा कार्य में लगभग 29,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। अब तक, विभागीय जानकारी को विविधतापूर्ण एवं बिखरे हुए तरीके से संग्रहीत किया जा रहा था, जिसमें कागज-आधारित फाइलें, व्यक्तिगत डेस्कटॉप पर संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक फाइलें, कुछ मामलों में स्थानीयकृत इन-हाउस सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम शामिल थे, जिसमें विभाग के भीतर आंकड़ों के व्यवस्थित साझाकरण के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था।

2019 में, साई इंडिया ने लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन एवं ज्ञान प्रबंधन के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन एवं रोल-आउट की शुरुआत की, जिसे वन आईएएडी वन सिस्टम (ओआईओएस) कहा जाता है। ओआईओएस परियोजना का उद्देश्य एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मंच तैयार करना है जो साई इंडिया की लेखापरीक्षा गतिविधियों के संबंध में सत्यता का एकल स्रोत तैयार करेगा। यह एक कार्य प्रवाह -आधारित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग है जहाँ सभी गतिविधियाँ अनुप्रयोग के भीतर ही वास्तविक समय में आदि से अंत तक संचालित होती हैं। इस समाधान में चार मुख्य घटक सम्मिलित हैं:

(i) व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से लेखापरीक्षा नियोजन, लेखापरीक्षा अभिकल्प, लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इसमें सभी प्रकार की लेखापरीक्षाएँ (वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षाएँ) सम्मिलित हैं।

(ii) ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जिसमें लेखापरीक्षितियों (जैसे की नीतिगत टिप्पणियां, सरकारी आदेश रिपोर्ट, अधिनियम, नियम, परिपत्र, निर्देश, दिशानिर्देश, आदि) एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया (अधिदेश, विनियमन, स्थायी आदेश, दिशानिर्देश, मार्गदर्शन नोट, अभ्यास नोट आदि) से संबंधित असंरचित जानकारी रखी जाती है।

(iii) रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें एमआईएस रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड बनाए एवं प्रबंधित किए जा सकते हैं।

(iv) आंकड़ा संग्रह प्लेटफ़ॉर्म जिसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए संरचित आंकड़ा (फोटो, वीडियो, भूस्थिति आदि सहित) एकत्र किया जा सकता है।

ओआईओएस अनुप्रयोग में एक मोबाइल स्कैनर अनुप्रयोग सम्मिलित है जो जियोटैग्ड छवियों, वीडियो एवं दस्तावेजों को कैप्चर करने एवं उन्हें प्रमुख दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संलग्न करने में सहायता करता है। भौगोलिक स्थानों पर, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम या नहीं है, लेखापरीक्षा निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक ऑफलाइन मॉड्यूल भी ओआईओएस अनुप्रयोग का हिस्सा है।

ओआईओएस अनुप्रयोग पुनरावृत्तीय विकास के लिए एजाइल स्क्रम पद्धति पर आधारित है। इसमें उत्पाद स्वामी (साई इंडिया) टीम एवं सिस्टम इंटीग्रेटर टीम के बीच गहन सहभागिता सम्मिलित है।

साई इंडिया (लगभग 150 लेखापरीक्षा कार्यालयों वाले) जैसे संगठन में परिवर्तन प्रबंधन एक चुनौती है। साई इंडिया की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में, ओआईओएस ने वर्तमान में अपनाई जाने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं का स्थान ले लिया है। ये प्रक्रियाएं कार्यालय दर कार्यालय अलग-अलग होती हैं - कुछ कार्यालय-विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण होती हैं, एवं कुछ केवल प्रथागत होती हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, ओआईओएस पर कार्यालय को चालू रखने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है।

4.1.1.2 ओआईओएस अनुप्रयोग विकास एवं रोल-आउट की स्थिति

ओआईओएस के पहले संस्करण के लिए अनुप्रयोग विकास पूरा हो चुका है। प्राथमिक कार्यात्मक मॉड्यूल (लेखापरीक्षा योजना, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा उत्पादों की समीक्षा एवं अंतिम रूप देना - निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सामग्री, संचार, लेखापरीक्षा अनुवर्ती एवं लेखापरीक्षा योजना) विकसित किए जा चुके हैं। मोबाइल स्कैनर ऐप एवं ऑफलाइन ऐप भी लॉन्च किए जा चुके हैं।

साई इंडिया कार्यालयों में इस अनुप्रयोग की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई एवं 1 अप्रैल 2023 से यह 130 लेखापरीक्षा कार्यालयों (81 मुख्य एवं 49 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालय) में शत-प्रतिशत चालू हो गया है। 31 मार्च 2025 तक, 29 राज्य ले एवं हक. कार्यालयों (28 मुख्य एवं 1 शाखा कार्यालय) को भी ओआईओएस (कोषागार निरीक्षण के लिए) में सम्मिलित किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 159 क्षेत्रीय कार्यालयों (109 मुख्य एवं 50 शाखा कार्यालय) तक हो गई है।

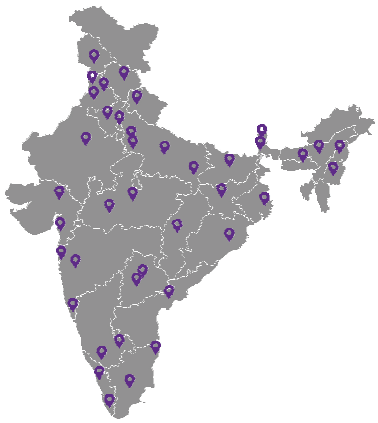

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, एवं

47 राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय एवं शाखा	18 केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय एवं शाखा
15 वित्त एवं संचार	11 केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा कार्यालय
17 वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय	21 रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय
29 लेखा एवं हकदारी कार्यालय एवं शाखाएं	

31 मार्च 2025 तक समग्र कार्यान्वयन संकेतक नीचे दर्शाए गए हैं:

109 मुख्य कार्यालय	50 शाखा कार्यालय	34,220 कर्मचारी
11,33,263 लेखापरीक्षित संस्थाएं	127,670 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा	11,91,793 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओआईओएस कार्यान्वयन के प्रमुख आंकड़ा संकेतक

प्रत्येक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय या शाखा कार्यालय में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित व्यापक गतिविधियां सम्मिलित हैं - प्रारंभिक संलग्नता; आधार शिविर (जिसमें मास्टर आंकड़ा अभिग्रहण एवं संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं); प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन।

कार्यालय स्तर पर सहभागिता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, साई इंडिया एवं आईसीसा, नोएडा के विभिन्न क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थानों/केंद्रों में ओआईओएस कार्यात्मक हेल्पडेस्क के लिए 23 समर्पित पद स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक हेल्पडेस्क कर्मचारी कई कार्यालयों को सेवाएँ प्रदान करता है। वे संपर्क के पहले स्तर के रूप में काम करते हैं - ताकि उपयोगकर्ता को किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत मदद मिल सके।

4.1.2 सुरक्षित आईएएडी वीएलएएन का कार्यान्वयन

साई इंडिया के मुख्य कार्यालयों को आईएएडी-नेट नामक एक वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जो एनआईसी-नेट का एक भाग है। इस नेटवर्क का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाता है। आईएएडी नेट को विभिन्न साई इंडिया क्षेत्रीय कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए अभिकल्प किया गया है, ताकि साई इंडिया-विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों तक पहुंच को उचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके एवं एनआईसी के केंद्रीकृत खतरा प्रबंधन समाधान का उपयोग करके इंटरनेट तक पहुंच को सुरक्षित किया जा सके।

यह देखते हुए कि कार्यालय का अधिकतर कार्य वेब-आधारित अनुप्रयोगों की ओर बढ़ रहा है, आईएएडी-नेट तक सुरक्षित पहुंच होना महत्वपूर्ण है। इसलिए, मौजूदा एलएएन अवसंरचना को सुधारने तथा सुरक्षित आईएएडी वीएलएएन एवं वाई-फाई पहुंच स्थापित करने के लिए एक परियोजना चल रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है:

- भौतिक एलएएन अवसंरचना का ओवरहालिंग - अंतिम बिन्दु उपकरणों में वृद्धि के संबंध में विस्तार, पुराने एलएएन केबलों/राउटरों को बदलना आदि।
- कार्यालय-व्यापी निर्बाध वाई-फाई पहुंच प्रदान करना।
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) के माध्यम से सुरक्षा नीतियों का केंद्रीकृत प्रवर्तन।
- एक समर्पित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पैच प्रबंधन आदि के लिए आईएएडी नेटवर्क/एंडपॉइंट उपकरणों का केंद्रीकृत रखरखाव।
- आईएएडी वर्चुअल एलएएन (एनआईसी उपयोगकर्ता लॉग-इन आईडी आधारित पहुँच) के लिए सुरक्षित पहुँच नियंत्रण।

4.1.2.1 आईएएडी वीएलएएन परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

यह परियोजना एनआईसी की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की शुरुआत आवश्यकता मूल्यांकन हेतु अभिकल्प दस्तावेज़ों (कार्यालयवार) की तैयारी से होती है। कार्यालय-स्थल पर होने वाले कार्य में सम्मिलित हैं - निष्क्रिय कार्य - फाइबर केबलों का भौतिक रूप से बिछाना एवं सक्रिय घटकों (स्विच, राउटर) की स्थापना। इसके बाद नेटवर्क नीतियों एवं समनुरूपन का केंद्रीकृत परिनियोजन होता है, जो नेटवर्क लाइव का निर्माण करता है।

कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से, परियोजना को कवर किए जाने वाले कार्यालयों की संख्या के अनुसार चार चरणों (1, 2ए, 2बी एवं 3) में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीकृत विन्यास (जिसे सभी कार्यालयों में दोहराया जाएगा) को अंतिम रूप देने के लिए, परीक्षण कार्यान्वयन के लिए पाँच कार्यालयों को चुना गया एवं विन्यास का अंतिम परीक्षण दिसंबर 2021 में पूरा किया गया।

चरण 1, 2ए, 2बी एवं 3 में 150 कार्यालयों को नए नेटवर्क पर सम्मिलित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिवाय 7 साइट नॉट रेडी (एसएनआर) साइटों के, जो स्थानांतरण, कार्यालय के नवीनीकरण आदि जैसे विभिन्न कारणों से एलएएन उन्नयन के लिए तैयार नहीं हैं।

4.1.3 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)

सीएजी मुख्यालय (मुख्यालय) कार्यालय के लिए ईएचआरएमएस 1.0 का रोलआउट 6 जनवरी, 2022 को परीक्षण आधार पर शुरू किया गया था। इसके बाद, आईसीसा, आईसीईडी, एनएएए शिमला एवं सभी आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी (आरसीबीकेसी दिल्ली को छोड़कर, जो डीजीसीआर दिल्ली के अंतर्गत आता है) में इसे कार्य में लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई।

इसके बाद, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ईएचआरएमएस 1.0 को ईएचआरएमएस 2.0 में अपग्रेड करने की सूचना दी, जिसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया जा रहा है।

ई-एचआरएमएस 2.0 को लागू करने के लिए, सीएजी कार्यालय, आईसीसा, आईसीईडी, एनएएए शिमला एवं सभी आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी (आरसीबीकेसी दिल्ली को छोड़कर) में उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को

ई-एचआरएमएस 1.0 से ई-एचआरएमएस 2.0 में स्थानांतरित करने का कार्य 30 सितंबर 2023 को पूरा हो गया। ईएचआरएमएस 2.0 के अवकाश एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल इन कार्यालयों में 1 अक्टूबर 2023 से लागू किए गए।

साई इंडिया के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में ई-एचआरएमएस 2.0 का चरणबद्ध कार्यान्वयन किया जा चुका है। यह चरणबद्ध कार्यान्वयन परीक्षण चरण, चरण-I एवं चरण-II के माध्यम से प्रभावी हो चुका है। वर्तमान में, 197 कार्यालयों (मुख्य एवं शाखा कार्यालयों) के लगभग 40,778 कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल (समाचार पत्र, टेलीफोन एवं बाल शिक्षा भत्ता) का उपयोग कर रहे हैं। ये उपयोगकर्ता ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर इन सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

4.1.4 ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

ई-ऑफिस एक डिजिटल वर्कफ्लो-आधारित अनुप्रयोग है, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के आदि से अंत तक मूवमेंट/स्टोरेज की अनुमति देता है। यह एनआईसी द्वारा विकसित एक वेब-आधारित अनुप्रयोग है एवं इसे इंटरनेट पर कहीं से भी चालू किया जा सकता है। ई-ऑफिस का कार्यान्वयन प्रशासनिक गतिविधियों के प्रसंस्करण पर केंद्रित है।

वर्तमान में, 137 कार्यालय (शाखा सहित) अलग-अलग स्तर पर ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं एवं 37,000 से अधिक उपयोगकर्ता बनाए गए हैं तथा लगभग 3,62,300 फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से संसाधित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष ई-ऑफिस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं एवं बनाई गई फाइलों का विवरण

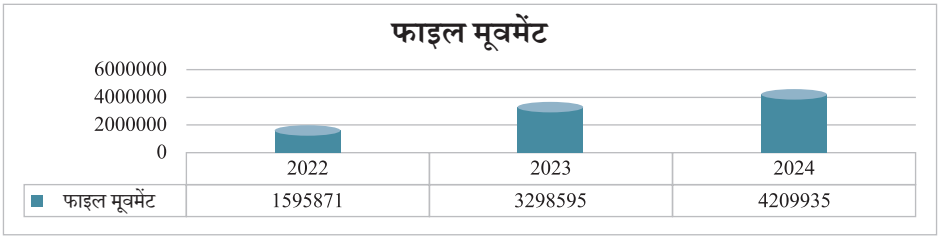

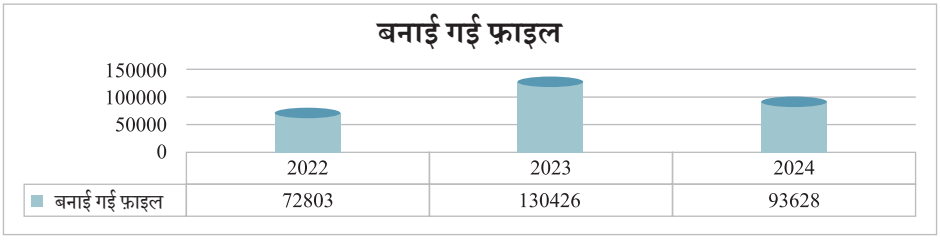

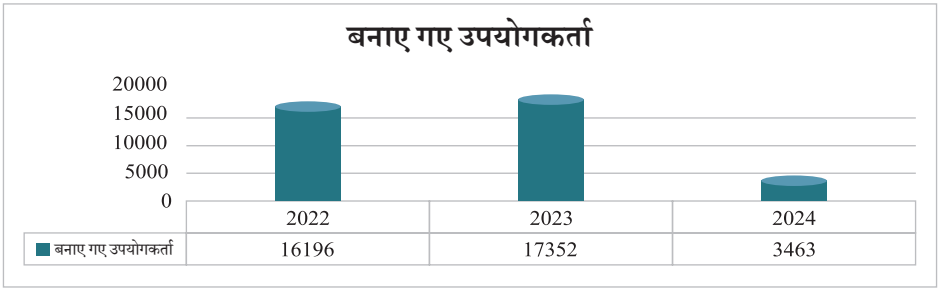

4.1.5 ईमेल खातों का कार्यात्मक क्षेत्र

साई इंडिया के ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (जैसे ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, ओआईओएस आदि) के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास वैध एवं सक्रिय नाम आधारित ईमेल खाता हो। यह लॉगिन करने एवं उस विशेष अनुप्रयोग का उपयोग करने के लिए पूर्व-अपेक्षित/ आवश्यकता है। हालाँकि हमारे विभाग ने एनआईसी के माध्यम से बहुत पहले से ही नाम-आधारित ईमेल खाते बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सभी ईमेल निर्माण/संशोधन/अद्यतन करने का कार्य अंततः वर्ष 2018 में हमारे विभाग को सौंप दिया गया। उस समय, ईमेल पोर्टल पर 42,369 ईमेल खाते थे एवं उसके बाद पिछले सात वर्षों में लगभग 31,000 ईमेल खाते बनाए गए हैं। चालू वर्ष (अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के दौरान 2,367 उपयोगकर्ता ईमेल खातों को अपडेट किया गया है एवं 2,300 से अधिक उपयोगकर्ता खाते बनाए गए हैं। 31 मार्च 2025 तक, आईएएडी के ईमेल पोर्टल पर 52,432 सक्रिय ईमेल आईडी थीं, जिनमें आईएएडी के अंतर्गत सभी प्रकार के ईमेल खाते (अर्थात, नाम आधारित, पदनाम आधारित, अनुभागीय/विंग आधारित एवं कार्यालय ईमेल खाते) सम्मिलित हैं।

4.2 सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबंधन एवं रखरखाव

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी-एएमसी, उपभोग्य सामग्रियों एवं सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए धन का आवंटन केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जाता है। ओआईओएस एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लोकार्पण के साथ, एवं कोविड महामारी को देखते हुए, जिसने घर से काम करने की सुविधा पर जोर दिया है, साई इंडिया के अधिकारियों के लिए समर्पित एंडपॉइंट डिवाइस (लैपटॉप/डेस्कटॉप) की सुविधा पर जोर दिया गया। यह मुख्य रूप से लैपटॉप एवं डेस्कटॉप की केंद्रीकृत खरीद के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा पार्टियों को ओआईओएस पर काम करने में सक्षम बनाने के लिए, मोबाइल वाई-फाई डिवाइस भी प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में 500 लैपटॉप की केंद्रीकृत खरीद पूरी कर ली गई।

4.2.1 वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का सहयोग

आईएस स्कंध विभिन्न विभागीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन एवं रखरखाव में आवश्यकतानुसार आवश्यक सहायता प्रदान करता है। सीएजी मुख्यालय में विभिन्न स्कंध जैसे स्टाफ स्कंध, बजट, वाणिज्यिक स्कंध, गसब स्कंध एवं निदेशक (पी) स्कंध हेतु नौ मौजूदा अनुप्रयोग चल रहे हैं। आईएस स्कंध वर्तमान में कई अनुप्रयोगों के रखरखाव एवं अद्यतन का काम देख रहा है।

लेखा एवं हकदारी कार्यालय वीएलसी, जीपीएफ, पेंशन एवं राजपत्रित पात्रता प्रसंस्करण के लिए ओरेकल आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताया गया है:

अनुप्रयोग का नाम	राज्यों की संख्या
लेखा (वीएलसी)	28
जीपीएफ	20

अनुप्रयोग का नाम	राज्यों की संख्या
पेंशन	19
राजपत्रित पात्रता	9

आईएस स्कंध अनुप्रयोगों के संशोधन एवं रखरखाव के लिए कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जब भी आवश्यक हो हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सहायता भी प्रदान की जाती है।

आईएस स्कंध ने पहले ही वीएलसी अनुप्रयोग को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के अनुरूप तकनीकी रूप से उन्नत करने का कार्य शुरू कर दिया है।

4.3 आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का लेखापरीक्षा केंद्र

आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (सीडीएमए) आईए एवं एडी में आंकड़ा विश्लेषण गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल निकाय है। सीडीएमए क्षेत्रीय कार्यालयों को आंकड़ा विश्लेषण पर मार्गदर्शन प्रदान करता है एवं आंकड़ा विश्लेषण की भविष्य की दिशा में अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है।

सीडीएमए के दृष्टिकोण "सेवा के तौर पर आंकड़े" एवं "सेवा के तौर पर आंकड़ा विश्लेषण" के अपने मॉडल के माध्यम से साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों को सहायता प्रदान करना है, जिसे विभिन्न आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाओं एवं समर्थन गतिविधियों के माध्यम से साकार किया जा रहा है।

4.3.1 उच्च निष्पादन संगणन

सीडीएमए में एक नया उच्च निष्पादन संगणन (एचपीसी) सर्वर स्थापित किया गया है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में दोहरे इंटेल जिऑन गोल्ड 6342 प्रोसेसर, 4 * 32 जीबी डीडीआर4 रैम, तेज बूट एवं एप्लिकेशन एक्सेस के लिए - रिडंडेंट ऐरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क (आरएआईडी) 1 कॉन्फ़िगरेशन में सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) एवं उच्च क्षमता वाले स्टोरेज के लिए आरएआईडी 5 में 24टीबी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट (एसएटीए) एचडीडी से सुसज्जित एक मास्टर नोड सम्मिलित है। मास्टर नोड को 10 कंप्यूट नोड्स एवं एक अतिरिक्त जीपीयू कंप्यूट नोड सपोर्ट करते हैं। प्रत्येक कंप्यूट नोड 256जीबी रैम एवं एसएसडी स्टोरेज के साथ शक्तिशाली डुअल जिऑन सीपीयू सेटअप को दर्शाता है, जबकि जीपीयू नोड में त्वरित प्रोसेसिंग के लिए क्वाड्रो आरटीएक्स 5000 ग्राफिक्स कार्ड सम्मिलित है।

सर्वर में आरएआईडी 6 में कॉन्फ़िगर किए गए 11 x 8 टीबी एसएएस ड्राइव के साथ एक डुअल-कंट्रोलर स्टोरेज यूनिट भी है, जो फॉल्ट टॉलरेंस एवं एक हॉट स्पेयर ड्राइव के साथ कुल 58.2टीबी की उपयोग योग्य स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है। उच्च गति आंकड़ा ट्रांसफर एवं सिस्टम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, सर्वर उच्च क्षमता वाले ईथरनेट स्विच द्वारा समर्थित है। यह मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर गहन आंकड़ा प्रोसेसिंग एवं एनालिटिक्स वर्कलोड को सपोर्ट करने के लिए अभिकल्प किया गया है।

यह एचपीसी सर्वर बड़े डेटासेट का संसाधन एवं विश्लेषण कर सकता है, एआई/एमएल मॉडल प्रशिक्षण

एवं परीक्षण को सक्षम कर सकता है एवं सिमुलेशन या भू-स्थानिक विश्लेषण का समर्थन कर सकता है। इसका उच्च-गति संचार नेटवर्क एवं जीपीयू त्वरण इसे गहन शिक्षण, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण एवं जीआईएस प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के लिए भी आदर्श बनाता है। यह स्थापना आंकड़ा-संचालित लेखापरीक्षा में बड़े डेटासेट को संभालने एवं लेखापरीक्षा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने की सीडीएमए की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

4.3.2 2024-25 के दौरान आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाएं

आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाओं के अंतर्गत, प्रमुख सरकारी योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है एवं आंकड़ा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। आंकड़ा विज्ञान में नवीनतम मशीन लर्निंग एवं कृत्रिम बुध्दिमत्ता तकनीकों का उपयोग उन अंतर्दृष्टियों एवं जोखिम क्षेत्रों को सामने लाने के लिए किया गया, जिन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण से प्राप्त करना कठिन होता। सामान्य मापदंडों का उपयोग करके उच्च जोखिम वाली संस्थाओं की पहचान की गई, जिन्हें फिर क्षेत्र लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। बृहत आंकड़ा शंकाओं के तीव्र निष्पादन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एवं क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन को विभिन्न एनआईसी क्लाउड सर्वरों के माध्यम से अपनाया गया है। 2024-25 के दौरान निम्नलिखित आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाएँ शुरू की गईं:

I. एनआईसी (जीईपीएनआईसी) की सरकारी ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा ई-खरीद

क. अक्टूबर 2024 में भेजी गई रिपोर्ट

ख. जनवरी 2025 में सभी ई-खरीद संबंधी आंकड़ा विश्लेषण के लिए प्रसारित किया गया टेम्पलेट

II. कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (उत्तर रेलवे) के लिए भारतीय रेलवे ई-खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) के तीन मॉड्यूलों (i) निविदा मॉड्यूल, (ii) पार्किंग, स्टॉल आदि जैसी रेलवे परिसंपत्तियों की नीलामी पट्टे पर देने, और (iii) स्क्रैप की बिक्री के लिए नीलामी के लिए आंकड़ा विश्लेषण किया गया।

क. निविदा मॉड्यूल के संबंध में प्रतिवेदन फरवरी 2025 में भेजा गया

ख. ई- पट्टा और नीलामी (स्क्रैप की बिक्री) मॉड्यूल के संबंध में प्रतिवेदन अप्रैल 2025 में भेजा गया।

III. खुले बाजार बिक्री योजना अर्थात ओएमएसएस (चावल, गेहूं आदि की नीलामी/बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम की एक योजना) के लिए नेटवर्क विश्लेषिकी।

IV. वीएलसी आंकड़े मानकीकरण- वीएलसी प्रणालियों से प्राप्त प्राप्ति और भुगतान आंकड़े को 10 राज्यों में एक समान प्रारूप में मानकीकृत किया गया (प्रत्येक विक्रेता के लिए दो राज्यों को शामिल किया गया)। मानकीकृत आंकड़े को आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र क्लाउड पर होस्ट किए गए पोस्टग्रेएसक्यूएल डाटाबेस में समेकित किया गया, जिससे संभावित जोखिम क्षेत्रों का प्रदर्शन और विश्लेषण संभव हो सका।

V. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति का विश्लेषण एवं मानकीकरण

क. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के लिए नियोजित जोखिम मूल्यांकन पद्धति का गहन विश्लेषण किया गया तथा आईडीईए, टैब्ल्यू और केएनआईएमई जैसे कंप्यूटर-सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) उपकरणों का उपयोग करते हुए एक मानकीकृत पद्धति विकसित की गई।

ख. मानकीकृत कार्यप्रणाली का आधिकारिक तौर पर 17 फरवरी 2025 को आयोजित अखिल भारतीय प्रस्तुति के दौरान प्रदर्शन किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 2025 और 10 मार्च 2025 के बीच क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा योजना के लिए टेबलो नमूना तैयार करने की आद्योपान्त प्रक्रिया को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्षमता निर्माण में सहायता करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए वर्तमान में मांग के आधार पर सीएएटी उपकरणों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं।

ग. क्षमता निर्माण में सहायता करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए वर्तमान में मांग के आधार पर कंप्यूटर-सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक उपकरणों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं।

घ. सभी राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों ने इस पद्धति को अपनाया है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। साथ ही, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा टैबलो का उपयोग दिसंबर 2024 में 758 मामलो से बढ़कर 3,339 मामलो (31 मार्च 2025 तक) तक पहुँच गया है। यह बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है और सही निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।

4.3.3 तकनीकी सहायता

आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र हर छः महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहन, सारथी और ई-चालान का अखिल भारतीय आंकड़े एकत्र करता है। यह आंकड़े, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र के क्लाउड सर्वर पर पुनर्स्थापित किया जाता है और अनुरोध के आधार पर सीएसवी प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र क्षेत्रीय कार्यालयों को उपर्युक्त डाटाबेस के आंकड़े प्रवाह और आंकड़े संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है और उन्हें प्रासंगिक तालिकाओं की पहचान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा के दौरान आंकड़े पर प्रश्नों को निष्पादित करने में सहायता करता है। 2024-25 के दौरान, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र ने 25 क्षेत्रीय कार्यालयों को वाहन, सारथी और ई-चालान आंकड़े प्रसारित किया है, क्योंकि 'क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कामकाज' पर क्षैतिज क्रॉस-कटिंग निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.लेप.) प्रगति पर था।

इसके अलावा, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र ने कार्यालय प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-II) महाराष्ट्र, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-II) कर्नाटक, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा) मिजोरम, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड और प्र.म.ले (लेखापरीक्षा) आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को वाहन, सारथी और ई-चालान डाटासेट पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है।

इसके अतिरिक्त, वाहन और सारथी डाटाबेस पर एक नियमावली तैयार की गई और उसे साई इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के केएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया।

आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किए गए आंकड़े विश्लेषण के परिणामों को भी सत्यापित करता है और सुधार का सुझाव देता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान की जाने वाली ऐसी गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है:

तकनीकी समर्थन		लेखापरीक्षा विषय/कार्यालय
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़े विश्लेषण परिणामों का सत्यापन	1.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), उत्तर प्रदेश
	2.	केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सड़क और परिवहन विभाग के कामकाज पर विषय-विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय, अहमदाबाद।
	3.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा, कार्यालय महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली
	4.	"सड़कों के पुनः मरम्मत पर परिहार्य व्यय" पर मसौदा पैरा कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़
	5.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश कार्यालय की छात्रवृत्ति योजना लेखापरीक्षा के लिए प्रतिवेदन सत्यापन।
आंकड़े पुनर्स्थापना	1.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), गोवा कार्यालय के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) आंकड़े
	2.	सूचना प्रणाली विंग द्वारा प्राप्त ग्राफ डाटाबेस के लिए किराये के सर्वर पर सभी 28 राज्यों के वीएलसी आंकड़े की पुनः स्थापना।
	3.	राजस्थान कार्यालय के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आंकड़े की पुनर्स्थापना और प्रसार
	4.	विदेश व्यापार महानिदेशालय के आंकड़ों की पुनर्स्थापना और सीमा शुल्क विंग को प्रसारित करना।
	5.	'एयरपोर्ट सूचना प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस)' लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न हवाई अड्डों का आंकड़े पुनर्स्थापन (प्रमुख कार्यालय - महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना) का कार्यालय, नई दिल्ली।

सेवा के रूप में आंकड़े प्रसार और आंकड़े विश्लेषण	1.	संभावित लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर प्रश्नों का निष्पादन किया गया और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त और संचार), लखनऊ शाखा के साथ 'सीएससी 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित परिणाम फाइलें साझा की गईं।
	2.	संभावित लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर प्रश्नों का निष्पादन किया गया और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरएफआईडी टैग (रेडियो आवृत्ति पहचान टैग) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन से संबंधित परिणाम फाइलें महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), नई दिल्ली के कार्यालय के साथ साझा की गईं।
	3.	संभावित लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर प्रश्नों का निष्पादन किया गया और 'आरटीओ के कामकाज' पर क्षैतिज क्रॉस-कटिंग निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित परिणाम फाइलें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय के साथ साझा की गईं।
	4.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अनुरोध पर निर्धारित प्रारूप में वाहन डाटाबेस से जिलावार जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया गया।
	5.	मुख्यालय के मध्य क्षेत्र विंग के अनुरोध पर वाहन डाटाबेस से पंजीकरण, वाहन वर्ग, श्रेणी, बिक्री राशि और स्थिति के बारे में विवरण निकाला गया।
	6.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली कार्यालय के लिए डिस्कॉम में सब्सिडी के बाह्य प्रभावों के लिए आंकड़े विश्लेषण।
	7.	वस्तु एवं सेवा कर विंग के लिए 'खनिजों पर जीएसटी के आकलन, लेवी और संग्रह' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भारतीय खान ब्यूरो और डीजी सिस्टम से खनिकों के आंकड़े का आंकड़े विश्लेषण।
अन्य संचालन एवं क्रियान्वयन सहायता गतिविधियाँ	1.	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के संबंध में आंकड़े एक्सेस, भंडारण और बहाली के लिए लेखापरीक्षा महानिदेशक (आई एंड सीए) के कार्यालय को तकनीकी सहायता। (स्थिति: जारी)
	2.	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के संबंध में आंकड़े तक पहुंच प्राप्त करने के लिए महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त और संचार) कार्यालय को तकनीकी सहायता
	3.	'एयरपोर्ट सूचना प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस)' के लिए आंकड़े एक्सेस और उसके बाद की बहाली के लिए महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना) कार्यालय को तकनीकी सहायता (स्थिति: जारी)

	4.	आंकड़े एनालिटिक्स परियोजना(ओं) के लिए प्रशिक्षु अधिकारी बैच 2023, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी शिमला को तकनीकी सहायता

4.3.4 क्षमता निर्माण

आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र आंतरिक और वाह्य स्रोतीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। यूएनईईसीओपीएस के माध्यम से 95 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टेबलो पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी शामिल है और आंकड़े एनालिटिक्स और संबंधित उपकरणों जैसे आईडीईए, नाइम , टेबलो, पावर बीआई, आर प्रोग्रामिंग भाषा, पायथन प्रोग्रामिंग भाषा, एसक्यूएल आदि की सामान्य समझ पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए :

क. राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला (जनवरी 2025)

ख. सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ) (मई 2024)

ग. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र - आईसीआईएसए)

घ. अन्य क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान / क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र

4.3.5 अन्य पहल

क. आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया और अगस्त 2024 में एक छात्र प्रशिक्षु को नियुक्त किया गया।

ख. मुख्यालय के ज्ञान एवं क्षमता निर्माण विंग के लिए एसटीएम का मूल्यांकन किया गया।

ग. उत्कृष्टता केन्द्रों जैसी बाह्य एजेंसियों को आंकड़े प्रसारित करते समय क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए गोपनीयता समझौते का मसौदा तैयार करना।

घ. डीबीटी रिपोर्ट पर वृहद् भाषा मॉडल (एलएलएम) के निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ अवधारणा प्रमाण।

आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र 102 क्षेत्रीय कार्यालयों को टैबलो एक्सप्लोरर (2,793 अनुज्ञप्तियां)/ व्यूअर (2,265 अनुज्ञप्तियां)/क्रिएटर (35 अनुज्ञप्तियां) के वितरण में भी सम्मिलित रहा है। अधिक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय आंकड़े-संचालित समझ और उसका विश्लेषण करने के लिए टैबलो सर्वर के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र क्षेत्रीय कार्यालयों की हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं की तकनीकी विशिष्टताओं का भी मूल्यांकन करता है और तदनुसार, उनकी खरीद के लिए सूचना प्रणाली विंग को अनुशंसाएँ करता है। 2024-25 के दौरान, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र ने कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के लिए हार्डवेयर उन्नयन के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है।

4.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और संबंधित गतिविधियाँ

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सीटीओ की अध्यक्षता में सूचना प्रणाली-II विंग क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को जोखिम आधारित लेखापरीक्षा योजना, निष्पादन और सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कार्यों के प्रारूपण में सहायता प्रदान करता है।

कई लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आईएफएमएस, ई- खरीद और अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) प्रणालियों की लेखापरीक्षा जैसे सामान्य विषयों पर काम किया गया। इस अवधि के दौरान भारी पानी बोर्ड की ईआरपी प्रणाली की लेखापरीक्षा की गई।

4.3.7 वेबसाइट/वेब पोर्टल

सूचना प्रणाली विंग ने वर्ष 2020 में साई इंडिया के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक मुख्य साइट और उप-साइटों (133 नंबर) का संग्रह विकसित और लॉन्च किया है। संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रकाशन के अतिरिक्त सूचना प्रणाली विंग द्वारा मुख्यालय के वेबपेजों से संबंधित सामग्री नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।

4.4 लेखा एवं पात्रता कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल

4.4.1 आद्योपान्त डिजिटलीकरण

सेवाओं के शीघ्र और कागज रहित वितरण को सक्षम बनाने के लिए पात्रता कार्यों (पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और राजपत्रित पात्रता का आद्योपान्त डिजिटलीकरण सरकारी लेखा (जीए) विंग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है।

पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और राजपत्रित पात्रता कार्य के आद्योपान्त डिजिटलीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

i. **पेंशन कार्य:** पेंशन कार्यों को संभालने वाले 20 कार्यालयों में से छह कार्यालयों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) ने पेंशन प्रक्रियाओं का पूर्णतः डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक कर लिया है। शेष कार्यालय पेंशन मॉड्यूल के विकास और डिजिटलीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ii. **सामान्य भविष्य निधि कार्य:** सामान्य भविष्य निधि कार्यों को संभालने वाले 22 कार्यालयों में से 11 कार्यालयों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश-II, महाराष्ट्र-I और II, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड) ने सामान्य भविष्य निधि प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण कर लिया है। शेष कार्यालय सामान्य भविष्य निधि मॉड्यूल के विकास और डिजिटलीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

iii. **राजपत्रित पात्रता कार्य:** राजपत्रित पात्रता कार्यों को संभालने वाले नौ कार्यालयों में से, दो कार्यालयों (केरल और कर्नाटक) ने सामान्य भविष्य निधि प्रक्रियाओं का पूर्णतः डिजिटलीकरण कर लिया है। शेष कार्यालय राजपत्रित पात्रता मॉड्यूल के विकास और डिजिटलीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

4.4.2 हकदारी कार्यों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर परियोजना

पात्रता कार्यों (पेंशन और सामान्य भविष्य निधि) से संबंधित पुराने अभिलेखों को बनाए रखना और संशोधन/अद्यतन के समय उन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसलिए, एक संपूर्ण दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की परिकल्पना की गई, जो न केवल मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करेगी, बल्कि निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही मज़बूत बैक-अप और सूचना पुनर्प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे कार्यालय की जगह भी बचेगी, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल होगी। इसके अलावा, यह व्यवसाय निरंतरता नियोजन में मदद करेगा और कहीं से भी काम करने की सुविधा प्रदान करेगा।

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 10 करोड़ पृष्ठों को डिजिटल बनाने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी, जिसका कार्य फरवरी 2021 में सौंपा गया था। वर्तमान में सभी नौ स्थलों पर डिजिटलीकरण कार्य चल रहा है और अब तक लगभग 5.40 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। डिजिटलीकरण कार्य को कार्यान्वित करने वाले विक्रेताओं में से एक ने एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली विकसित किया है।

हकदारी कार्यों को संभालने वाले अन्य कार्यालयों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण या तो आंतरिक रूप से या संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के लिए लक्षित कुल 19.25 करोड़ पृष्ठों में से पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और राजपत्रित पात्रता अभिलेखों से संबंधित लगभग 17.82 करोड़ पृष्ठों का अब तक डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पांच कार्यालयों (पंजाब, नागालैंड, ओडिशा, हरियाणा और तेलंगाना) में पेंशन और सामान्य भविष्य निधि दोनों अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, आठ कार्यालयों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र-I, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना) ने सभी सामान्य भविष्य निधि अभिलेखों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है। बिहार कार्यालय ने राजपत्रित पात्रता अभिलेखों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है। शेष कार्यालयों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जारी है। पूरा होने पर, सभी कार्यालयों के सभी डिजिटल आंकड़े को केंद्रीकृत वर्चुअल एंटाइटेलमेंट आंकड़े एक्सेस सिस्टम (वीईडीएएस) पर होस्ट किया जाएगा, जो वर्तमान में विकसित किया जा रहा है।

4.4.3 डिजी लॉकर के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देना

भारत सरकार ने "मेरी पहचान" नाम से राष्ट्रीय "सिंगल साइन ऑन (एसएसओ)" पोर्टल लॉन्च किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत तीन सिंगल साइन ऑन सेवा प्रदाताओं को एक साथ जोड़ता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन को किसी भी सिंगल साइन ऑन सेवा प्रदाता, जैसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जन परिचय, प्रगत संगणन विकास केंद्र से ई-प्रमाण और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग से डिजीलोकर के साथ एकीकृत करें।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के अनुरोध पर, सामान्य प्रशासन विंग ने सभी प्रधान महालेखकारों/महालेखकारों (लेखा एवं हकदारी) से अनुरोध किया है कि वे डिजिलॉकर के माध्यम से ई-पीपीओ, ई-जीपीओ, ई-सीपीओ, सामान्य भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करें। डिजिलॉकर पर ऑन-बोर्डिंग की सुविधा के लिए प्रत्येक लेखा एवं हकदारी कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित

किया गया है। पेंशन/ सामान्य भविष्य निधि प्राधिकरणों की ऑन-बोर्डिंग से नागरिकों को बिना किसी परेशानी के अपने पीपीओ तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पेंशन/ सामान्य भविष्य निधि के लिए डिजीलोकर सुविधा लागू की गई है। शेष सभी कार्यालय/राज्य डिजिलोकर को लागू करने/एकीकृत करने के विभिन्न चरणों में हैं।

4.5 आईएएडी संपदा प्रबंधन में आईटी पहल

हमने आईएएडी में संपदा प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख आईटी पहल की हैं। इन प्रयासों का केंद्रबिंदु सीएजी संपदा एक्सप्लोरर (सीएजीईई) है - एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आईएएडी में भूमि, आवासीय क्वार्टर, कार्यालय भवनों और अतिथि गृहों का विवरण एकत्र करता है। इस परियोजना का उद्देश्य संपदा से संबंधित दस्तावेज़ों का सत्यापन और कानूनी जाँच, टैबलो डैशबोर्ड का उपयोग करके आईएएडी संपदाओं की सुरक्षा और प्रस्तुतिकरण करना है, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में आसानी हो। हम प्रक्रिया स्वचालन (जैसे, ऑनलाइन आवंटन, कार्यप्रवाह आदि) भी कर रहे हैं, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, हमने आपदा प्रबंधन और परिचालन निरंतरता योजना (डीएमओसीपी), अधिभोग प्रवृत्तियों, संतुष्टि स्तर, क्वार्टरों के वैकल्पिक उपयोग आदि के आंकड़ों सहित प्रमुख रिपोर्टों और रिटर्न का डिजिटलीकरण किया है, और ओआईओएस प्लेटफॉर्म के तहत सुरक्षित इन-हाउस टूल्स का उपयोग किया है। इससे समय पर प्रस्तुतियाँ, निगरानी और डेटा अखंडता सुनिश्चित हुई है।

ये पहल आईएएडी में डिजिटल शासन और आधुनिक संपदा प्रशासन की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती हैं।

अनुलग्नक - I

पेंशन कार्य का आद्योपांत डिजिटलीकरण

पेंशन	महालेखाकार कार्यालय				राज्य सरकार		
राज्य	सिस्टम जनरेटेड पीपीओ/ई-जीपीओ/ई-सीपीओ	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ईपीपीओ / जीपीओ/सीपीओ	ई-पीपीओ/जीपीओ/ सीपीओ को आईएफएमएस/ एचआरएमएस/एजीओ वेबसाइट पर अपलोड करना या ईमेल के माध्यम से भेजना	इलेक्ट्रॉनिक डाक प्रणाली-पेंशन	पेंशन आवेदन की ऑनलाइन प्राप्ति	ई-सेवा पुस्तिका	पेंशन के संबंध में एचआरएमएस/ आईएफएमएस
हरियाणा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ओडिशा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
पंजाब	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
केरल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
महाराष्ट्र-I	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
पश्चिम बंगाल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
महाराष्ट्र- II	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
असम	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
तमिलनाडु	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
तेलंगाना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
त्रिपुरा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
नगालैंड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
मणिपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
जम्मू और कश्मीर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
झारखंड	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
कर्नाटक	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बिहार	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

अनुलग्नक- II

सामान्य भविष्य निधि कार्य का आद्योपांत डिजिटलीकरण

सामान्य भविष्य निधि	महालेखाकार कार्यालय				राज्य सरकार
राज्य	प्रणाली द्वारा उत्पन्न सामान्य भविष्य निधि प्राधिकरण	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई- सामान्य भविष्य निधि प्राधिकरण	आईएफएमएस/ एचआरएमएसएजीओ वेबसाइट पर ई-प्राधिकरण अपलोड करना या ईमेल के माध्यम से भेजना	इलेक्ट्रॉनिक डाक प्रणाली	ऑनलाइन सामान्य भविष्य निधि आवेदन
हरियाणा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
केरल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
छत्तीसगढ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
त्रिपुरा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ओडिशा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
मध्य प्रदेश-II	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
तमिलनाडु	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
उत्तराखंड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
महाराष्ट्र-I	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
तेलंगाना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
नगालैंड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
कर्नाटक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
महाराष्ट्र-II	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
अप-मैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
यूपी-II	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
पश्चिम बंगाल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
मणिपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
असम	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
गुजरात	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं

अनुलग्नक- III

राजपत्रित पात्रता (जीई) कार्य का आद्योपांत डिजिटलीकरण

राजपत्रित पात्रता / राज्य	महालेखाकार कार्यालय				राज्य सरकार	
	प्रणाली उत्पादित वेतन-पर्ची (राजपत्रित पात्रता)	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित वेतन पर्ची (राजपत्रित पात्रता)	वेतन पर्ची/अन्य की इलेक्ट्रॉनिक प्रति	जीईएमएस/ राजपत्रित पात्रता सॉफ्टवेयर (राजपत्रित पात्रता)/ भौतिक माध्यम से प्रसंस्करण	इलेक्ट्रॉनिक डाक सिस्टम-जेई (राजपत्रित पात्रता)	जीईएमएस और एचआरएमएस इंटरफ़ेस (राजपत्रित पात्रता)
केरल	हाँ	हाँ	हाँ	जीईएमएस	हाँ	हाँ
कर्नाटक	हाँ	हाँ	हाँ	जीईएमएस	हाँ	हाँ
तमिलनाडु	हाँ	हाँ	हाँ	जीईएमएस	हाँ	नहीं
बिहार	हाँ	हाँ	हाँ	स्थानीय रूप से विकसित जीई सॉफ्टवेयर	हाँ	नहीं
मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ	जीईएमएस	नहीं	नहीं
असम	हाँ	हाँ	हाँ	जीईएमएस/भौतिक (दोनों)	नहीं	नहीं
झारखंड	हाँ	नहीं	नहीं	जीईएमएस	नहीं	नहीं
नगालैंड	नहीं	नहीं	नहीं	भौतिक	नहीं	नहीं
मणिपुर	नहीं	नहीं	नहीं	भौतिक	नहीं	नहीं

अध्याय 5:

ऑडिट दिवस 2024

5.1 महत्व

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्था की जड़ें भारत में ब्रिटिश ताज के महालेखापरीक्षक से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत की गई थी। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद, 1950 में भारत के संविधान को अपनाने के साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत में कानूनों और प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुई है।

साई इंडिया की ऐतिहासिक स्थापना और पिछले 160 वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिह्नित करने के लिए, 2021 में हर साल 16 नवंबर को 'ऑडिट दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। चौथा ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2024 को मनाया गया।

निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से 'ऑडिट दिवस' 2024 मनाया गया।

5.2 मूल्य वर्धित उत्पादों का विमोचन

अपने वार्षिक समारोहों के हिस्से के रूप में, सीएजी संगठन हर साल अपने ढांचे में एक निर्णायक तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास करता है, जो भविष्य के लिए दिशा प्रदान करके या बेहतर कार्य प्रथाओं का समर्थन करके या हितधारक संबंधों को मजबूत करके अपने संचालन को समृद्ध बनाता है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण 11 मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रकाशन था। विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए ये उत्पाद न केवल संगठन की पहलों, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि लेखापरीक्षा और लेखा कार्यों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर भी ज़ोर देते हैं।

मूल्यवर्धित उत्पाद उन विषयों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे, जिन पर लेखापरीक्षित संस्थाओं में वरिष्ठ प्रबंधन का ध्यान अपेक्षित है, या शासन क्षेत्रों में सीएजी संगठन द्वारा किए गए लेखांकन और लेखापरीक्षा कार्य से उभरने वाले अनुभवों से जनता को अवगत कराना है।

इन मूल्यवर्धित उत्पादों से हमारे हितधारकों के लिए मूल्यवान संसाधन बनने की उम्मीद है, जिससे उन्हें संसाधनों की बेहतर योजना और प्रबंधन में मदद मिलेगी।

भारत में शिक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा पर संग्रह

यह संकलन 2011 से 2021 की अवधि के दौरान भारत में शिक्षा क्षेत्र पर लेखापरीक्षा का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो केंद्र/राज्यों के शिक्षा पर विनियोग अनुदान से वित्तपोषित स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार की गतिविधियों पर केंद्रित है। इसमें केंद्र सरकार और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 281 निष्पादन, अनुपालन और वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल हैं। ये प्रतिवेदन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक शिक्षा क्षेत्र के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास और पिछले 10 वर्षों के दौरान

शैक्षिक वित्तपोषण में रुझानों और बदलते पैटर्न का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया है।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर संग्रह: भारत भर में परिदृश्य (खंड I)

हाल के वर्षों में लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के बाद इनका महत्व और बढ़ गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए कई राज्यों में निष्पादन लेखापरीक्षाएँ आयोजित की गई हैं। इस संकलन में 18 राज्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं। यह संकलन इन 18 राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए अधिकारों के हस्तांतरण और स्वायत्तता के स्तर की तुलना करने का प्रयास करता है। यह संकलन पाठकों के लिए तुलनात्मक और लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समझने योग्य बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस संकलन में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का भी सारांश दिया गया है।

लेखापरीक्षा के प्रभाव का आंकलन' पर ई-पुस्तक

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी वित्तीय प्रबंधन, संचालन और प्रदर्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करके प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है; और साथ ही, लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की सीमा का आंकलन करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भी करना है। 'लेखापरीक्षा के प्रभाव का आंकलन' नामक ई-संग्रह भारतीय रेलवे की लेखापरीक्षा के प्रभाव को उजागर करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल निष्कर्षों पर रेल मंत्रालय द्वारा नीतिगत परिवर्तनों, प्रक्रियाओं में संशोधन या रेलवे को विभिन्न बकाया राशि की वसूली के माध्यम से की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। इन सुधारात्मक कदमों से रेलवे के परिचालन और कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, लागत कम हुई और प्रशासन सरल हुआ, सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ी या प्रभावशीलता में सुधार हुआ और अंततः समाज को लाभ हुआ।

खनिज और ऊर्जा संसाधनों के परिसंपत्ति लेखों पर संग्रह

सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) ने अक्टूबर 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखा जारी किया। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखा पर यह संकलन प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की प्रासंगिकता को दोहराता है और हितधारक सहयोग, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में गसब के नेतृत्व को उजागर करता है। इसके अलावा, यह विभिन्न राज्य प्रणालियों में मानकीकृत खनिज रिपोर्टिंग प्रथाओं के माध्यम से संसाधन प्रबंधन और राजस्व अनुकूलन में सुधार के प्रयासों को रेखांकित करता है।

जल संसाधनों परिसंपत्ति लेखों पर संग्रह

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर संकल्पना पत्र में निर्धारित कार्ययोजनाओं के मार्गदर्शन में, जल को एक प्रमुख संसाधन के रूप में पहचाना गया, जिससे मार्च 2023 में जल लेखांकन के लिए अस्थायी टेम्पलेट्स का विकास हुआ। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त इनपुट की सहायता से इन टेम्पलेट्स को तालिकाओं में अंतिम रूप दिया गया और अंततः जल संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखों के एक संग्रह के रूप में संकलित किया गया। यह संग्रह भारत के

जल क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें मीठे पानी की घटती उपलब्धता, जल की गुणवत्ता में गिरावट, भूजल का अत्यधिक दोहन, संसाधनों का असमान वितरण और जटिल अंतर-राज्यीय जल विवाद शामिल हैं। यह पहल न केवल आंकड़े-संचालित शासन को मजबूत करती है, बल्कि देश के महत्वपूर्ण जल संसाधनों के बेहतर नियोजन और सतत प्रबंधन का भी समर्थन करती है।

'उत्प्रेरक'... सुशासन की खोज में

भारत के सीएजी पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर सुशासन के उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीएजी संगठन ने कई पहल की हैं जो सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन के पारंपरिक तरीकों से परे हैं। नवाचार को अपनाते हुए, संगठन ने नई लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाया है, आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को एकीकृत किया है, और सरकारी कार्यों के व्यापक डिजिटल परिवर्तन के साथ संरेखित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रथाओं में उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। इन प्रगतिशील प्रयासों और सर्वोत्तम प्रथाओं को 'उत्प्रेरक... सुशासन की खोज में' शीर्षक से संकलन के चौथे संस्करण में संकलित किया गया। यह संस्करण अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने वाली पहलों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें डिजिटल उपकरणों पर ज़ोर दिया गया है जो लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य संग्रह, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और हितधारकों के साथ जुड़ाव को बढ़ाते हैं।

साई इंडिया : अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यावसायिक योगदान

पिछले कुछ वर्षों में, साई इंडिया ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय और निरंतर भागीदारी के माध्यम से दुनिया भर के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी का एक मज़बूत नेटवर्क बनाया है। यह संकलन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साई इंडिया के अधिकारियों के महत्वपूर्ण अनुभवों और प्रभावशाली योगदानों पर प्रकाश डालता है। इन अधिकारियों ने वैश्विक लेखापरीक्षा समुदाय के साथ सार्थक सहयोग को सुगम बनाया है और सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों ने न केवल साई इंडिया की विश्वसनीयता को मज़बूत किया है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा क्षेत्र में एक सम्मानित और प्रभावशाली आवाज़ के रूप में भी स्थापित किया है। यह मान्यता साई इंडिया द्वारा अपनाए गए उच्च मानकों को दर्शाती है और वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को आगे बढ़ाने में संस्थान की भूमिका की पुष्टि करती है।

कॉफी टेबल बुक - प्रणालियों को मजबूत करना, नागरिकों को सशक्त बनाना

भारत में गतिशील शासन पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी प्रगति, सेवाओं के बेहतर वितरण और बढ़ती सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित परिदृश्य को दर्शाता है। शासन और लोक प्रशासन की मज़बूत प्रणालियों से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही में वृद्धि के माध्यम से नागरिकों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। साई इंडिया ने मुख्य कार्यों के निर्वहन में अधिक चुस्त दृष्टिकोण अपनाकर और सुशासन की माँगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने वाली लचीली प्रणालियों का निर्माण करके बदलती गतिशीलता का जवाब दिया है। नवीन तरीकों और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर, संस्थान ने बेहतर परिणामों और अधिक कुशल लोक सेवा वितरण

में योगदान दिया है। इन परिवर्तनकारी पहलों को एक कॉफ़ी टेबल बुक में संकलित किया गया है, जो साई इंडिया की व्यवस्था को मज़बूत बनाने और नागरिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों का संग्रह

पिछले चार वर्षों में, 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि को लेते हुए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों को संकलित करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इन टिप्पणियों को व्यवस्थित रूप से छह प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: लाभप्रदता, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह विवरण, प्रकटीकरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य टिप्पणियाँ। इस संग्रह का उद्देश्य विधायकों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के लिए एक व्यापक और सुलभ संसाधन के रूप में कार्य करना है - जो वित्तीय लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सीएजी के कार्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है और अधिक वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान देता है।

ऊर्जा क्षेत्र में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर संग्रह

यह संग्रह 2013 से 2023 तक की दस वर्षों की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को समेकित करने के लिए विकसित किया गया था। यह पहल तीन प्रमुख मंत्रालयों - कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और विद्युत मंत्रालय - के अंतर्गत संस्थाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आच्छादित करती है। यह संग्रह 18 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को एक साथ लाता है जिसमें 193 व्यक्तिगत लेखापरीक्षा टिप्पणियां, आठ स्टैंडअलोन अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और इस अवधि के दौरान जारी 21 निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अतिरिक्त, यह इन टिप्पणियों के उत्तर में लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यों का भी प्रपत्रीकरण करता है। यह संकलन हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जो ऊर्जा क्षेत्र में सीएजी की निगरानी का समग्र और गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है

शासन को उत्प्रेरित करना: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि

यह संकलन वैश्विक लेखापरीक्षा समुदाय के प्रति साई इंडिया की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के संगठन (एसोसाई) के समर्थन में, जिसने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लेखापरीक्षा पर एक समर्पित कार्य समूह की स्थापना की है। आर्थिक विकास और स्थिरता को गति देने में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह संकलन साई इंडिया के लेखापरीक्षा अधिदेश, किए गए विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षाओं और इन उद्यमों के लेखापरीक्षा में अपनाई गई प्रक्रियाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसमें 2020 और 2024 के बीच संसद में प्रस्तुत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मुख्य अंश शामिल हैं। यह संकलन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन लेखापरीक्षाओं, अनुपालन लेखापरीक्षाओं और वित्तीय लेखापरीक्षाओं के प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है, साथ ही इस अवधि के दौरान सीएजी द्वारा उनके वित्तीय विवरणों पर जारी की गई उदाहरणात्मक टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षा में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अलावा, इस प्रकाशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के भीतर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और सामूहिक शिक्षा को और मजबूत करना है।

5.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पॉडकास्ट बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग' पर वीडियो पॉडकास्ट

वर्ष 2023 में, साई इंडिया ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का नेतृत्व संभाला और छठी शंघाई सहयोग संगठन - भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान प्रमुख बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में 'लेखापरीक्षा में उभरती तकनीकों का एकीकरण' विषय के तकनीकी सीमा पर चर्चा की गई, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा को सम्मलित किया गया और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के भीतर प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इसी पृष्ठभूमि में, सीएजी गठन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक पॉडकास्ट का प्रयास किया गया। यह पॉडकास्ट ट्रेन संचालन में ऊर्जा प्रबंधन और भारतीय रेलवे में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों पर निष्पादन लेखापरीक्षा - मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन (2024 की प्रतिवेदन संख्या 6) पर आधारित है, जिसे अगस्त 2024 में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे उपकरण और अनुप्रयोग प्रदान करता है जो पॉडकास्ट निर्माण के कई पहलुओं को स्वचालित कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखने से लेकर ऑडियो गुणवत्ता बढ़ाने और अंतिम पॉडकास्ट एपिसोड तैयार करने तक। विज़ुअल पॉडकास्ट का प्रयास 'विस्ला' का उपयोग करके किया गया था जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित वीडियो निर्माण उपकरण है। यह वीडियो पॉडकास्ट चौथे ऑडिट दिवस के अवसर पर जारी किया गया था।

5.4 निष्पादन लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा के अभिसरण के लिए सहयोग हेतु सीएजी और योजना एवं नीति अनुसंधान केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

साई इंडिया का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर है जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके अनुसरण में, यह भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही उन योजनाओं और कार्यक्रमों के लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनका व्यापक जनहित है। ऐसी योजनाओं की पहचान करने के उद्देश्य से जो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और सामाजिक लेखापरीक्षाओं के अभिसरण के लिए उत्तरदायी हैं, निष्पादन लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा के अभिसरण पर सहयोग करने के लिए सीएजी कार्यालय और योजना एवं नीति अनुसंधान केंद्र (सीआरआईएसपी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना एवं नीति अनुसंधान केंद्र (सीआरआईएसपी) एक अ-लाभकारी संस्था है, जो नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर काम करने वाले सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के एक समूह द्वारा की गई एक पहल है और इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकारों के साथ मिलकर समाज हित में कार्य करना है ताकि कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और नीतियों के विकासात्मक प्रभाव में सुधार हो सके। दोनों पक्षों ने ऑडिट दिवस 2024 के ऐतिहासिक अवसर पर समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

5.5 सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार

सीएजी ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा, लेखांकन, हकदारी और सहायता कार्यों के क्षेत्रों में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए वर्ष 2021 में 'सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए

सीएजी पुरस्कार' की योजना शुरू की।

नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने में प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ हैं। सीएजी पुरस्कार, संगठनात्मक दृष्टिकोण से टीम उत्कृष्टता के साथ-साथ समग्र गुणात्मक प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2024 के लिए सीएजी पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रदान किए गए:

श्रेणी I - सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार

ये पुरस्कार उन टीमों को दिए गए जो एक अभिनव, असाधारण और प्रभावशाली पहल की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन में शामिल थीं। इन पुरस्कारों का दायरा संगठन के कामकाज में लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा अन्य लेखापरीक्षा उत्पादों, लेखा प्रक्रियाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों, पात्रता प्रक्रियाओं तथा सेवा वितरण, प्रशासनिक दक्षता, ज्ञान तथा क्षमता निर्माण आदि में नए और रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

इस वर्ष, साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और सीएजी कार्यालय की शाखाओं से 26 पात्र आवेदन प्राप्त हुए। छह टीमों को पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, जिन्हें सीएजी द्वारा 'ऑडिट दिवस' - 16 नवंबर 2024 को सम्मानित किया गया।

पुरस्कार विजेता परियोजनाएं (वर्णमाला क्रम में) इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	पुरस्कृत परियोजना	कार्यालय	टीम
1.	तमिलनाडु के ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन लेखापरीक्षा	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु और पुडुचेरी	1. श्री विश्वनाथ सिंह जादोन, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 2. श्री जे.एस. मोहम्मद अशरफ़, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 3. सुश्री जी. राधिका, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री चार्ल्स देवदास सेल्विन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. सुश्री बी. निर्मला, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. सुश्री आर. अक्षया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2.	विभागीय कैंटीन प्रबंधन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन	प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा	1. श्री कुलवंत सिंह, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 2. श्री श्रीराज अशोक, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 3. श्री वी. आनंद भट्टा, सहायक लेखा अधिकारी 4. श्री गौरव यादव, सहायक लेखा अधिकारी 5. श्री बिस्वो प्रकाश साहू, कैंटीन प्रबंधक
3.	ई-एनडीसी का कार्यान्वयन	प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा	1. सुश्री एस. अरुणा, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 2. श्री सरोज कुमार बेहरा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 3. श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा अधिकारी 4. सुश्री निवेदिता, सहायक लेखा अधिकारी 5. श्री अशोक कुमार मिश्रा, सहायक लेखा अधिकारी 6. श्री कडू मुर्मू, सहायक पर्यवेक्षक

क्रम सं.	पुरस्कृत परियोजना	कार्यालय	टीम
4.	केरल में कृषि एवं रोजगार मंत्रालय (कृषि एवं रोजगार) में जीपीएफ प्रबंधन का चरण-3	महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), केरल	1. सुश्री उषा एस पिल्लई, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 2. श्री सुरेश ए, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सलाहकार) 3. श्री श्रीवलसन एम, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 4. सुश्री नवमी जे, सहायक लेखा अधिकारी 5. सुश्री जयाप्रसाद, सहायक लेखा अधिकारी 6. श्री कृष्ण कुमार पी, सहायक पर्यवेक्षक
5.	शिप्रा नदी के क्षरण" पर समस्या उन्मुख निष्पादन लेखापरीक्षा	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश	1. श्री मेहुल ग्रोवर, निदेशक, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 2. श्री देव प्रकाश, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री सुमित कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री सौरभ प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री उपेंद्र यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री अजय बत्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
6.	राज्य राजमार्ग विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्टेल गठन का निर्धारण करने में पायथन का उपयोग	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु और पुडुचेरी	1. श्री के.पी. आनंद, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 2. श्री विश्वनाथ सिंह जादोन, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 3. सुश्री नरेंद्र वी. निखिला, भा.लेप.एवं लेखा सेवा 4. सुश्री लीला शिवरामन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

श्रेणी II- वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कार्यालय के लिए सीएजी पुरस्कार

इस पुरस्कार का उद्देश्य वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदर्शन के साथ-साथ पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में सुधार के आधार पर लेखा, लेखापरीक्षा और ज्ञान एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यालयों को मान्यता देना है। 'वर्ष के कार्यालय' का चयन कार्य के प्रशासनिक और कार्यात्मक क्षेत्रों में कुछ निर्धारित मापदंडों पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। प्रत्येक कार्यालय ने निर्धारित मापदंडों के लिए एक स्व-मूल्यांकन किया और अंक प्रदान किए। स्व-मूल्यांकनों की जांच पहले कार्यात्मक शाखाओं द्वारा और फिर स्वतंत्र रूप से सीएजी कार्यालय के निरीक्षण और समकक्ष समीक्षा शाखा द्वारा की गई है। सीएजी पुरस्कार क्षेत्रीय कार्यालयों की चार श्रेणियों अर्थात लेखा एवं हकदारी, राज्य लेखापरीक्षा, केंद्रीय लेखापरीक्षा और क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र के अंतर्गत दिए गए।

इन श्रेणियों में 'वर्ष का कार्यालय' इस प्रकार थे:

केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय - प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलुरु

राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - I), केरल

लेखा एवं हकदारी कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-I), मुंबई

क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र - क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर

5.6 राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता

ऑडिट दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, सीएजी ने देश भर के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए तीसरी राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। पहली बार, यह प्रतियोगिता देश भर के 38 निर्दिष्ट स्थानों पर मौके पर आयोजित की गई। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित इस सम्मेलन में प्रतिभागियों को इस विषय पर लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था: "सीएजी लेखापरीक्षा प्राथमिक हितधारक अर्थात भारत के लोगों की बेहतर सेवा कैसे कर सकता है।"

इस कार्यक्रम को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और विभिन्न क्षेत्रों के 1,452 छात्रों ने इसमें भाग लिया। प्रस्तुत निबंधों का मूल्यांकन सीएजी के संगठन के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा दो चरणों में किया गया ताकि गहन एवं निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, प्रत्येक भाषा श्रेणी—अंग्रेजी और हिंदी—में तीन विजेताओं की घोषणा की गई। विजेता हैं:

अंग्रेज़ी

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	प्राप्तकर्ता का प्रोफ़ाइल
प्रथम	सुश्री मानवी सरकार	दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा
द्वितीय	श्री धर्मेंद्र कुमार जांगिड़	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का छात्र
तृतीय	सुश्री सानेया रफीक सिद्दीकी	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद की छात्रा

हिंदी

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	प्राप्तकर्ता का प्रोफ़ाइल
प्रथम	श्री अजय सिहाग	यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज, जयपुर का छात्र
द्वितीय	श्री रक्षक त्यागी	आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली का छात्र
तृतीय	श्री अब्दुल्ला	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली का छात्र

ऑडिट दिवस, 16 नवम्बर 2024 को सीएजी द्वारा विजेताओं को क्रमशः ₹ 50,000/- (प्रथम पुरस्कार), ₹ 40,000 (द्वितीय पुरस्कार), ₹ 30,000 (तृतीय पुरस्कार) के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

5.7 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

युवा आउटरीच पहल के अंतर्गत, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कॉलेज के छात्रों के लिए पहली बार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रारंभिक दौर 6 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र भर के 30 कॉलेजों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने प्रदर्शन के आधार पर, छह शीर्ष टीमों ने अंतिम दौर के लिए क्वालीफाई किया, जो 16 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। फाइनलिस्ट टीमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, रामजस कॉलेज और पीजीडीएवी कॉलेज से थीं।

प्रश्नोत्तरी का संचालन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस के एसोसिएट डीन और दिल्ली विश्वविद्यालय

के सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र श्री आर्यप्रिया गांगुली ने किया।
प्रतियोगिता के विजेता थे:

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	प्रतिभागी
विजेता	हिंदू कॉलेज	श्री समीर कुमार उपाध्याय श्री युवराज एस सिंह
उपविजेता	रामजस कॉलेज	श्री नवनीत एम कुमार श्री लक्ष्य रावतानी

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को क्रमशः ₹ 30,000 और ₹ 20,000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

5.8 कार्यस्थल से परे उत्कृष्टता सम्मान

जहाँ एक ओर सीएजी संगठन के कर्मचारी अपनी मूल ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कई कर्मचारियों ने अपने पेशेवर कर्तव्यों से परे अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को निभाते हुए प्रतिस्पर्धी खेलों में भी उत्कृष्टता हासिल की है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं श्री मोहम्मद राहील मौसीन, जो एक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी हैं और कर्नाटक के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने न केवल सीएजी संगठन का, बल्कि कर्नाटक राज्य और भारतीय राष्ट्रीय टीम का भी कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व किया है। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में रही, जहाँ वे उस भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य थे जिसने सफलतापूर्वक अपना खिताब बचाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ऑडिट दिवस के अवसर पर श्री मोहम्मद राहील मौसीन को सम्मानित किया।

अध्याय 6:

अन्य गतिविधियाँ, जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं

6.1 राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास

6.1.1 प्रकाशन

क. वर्ष 2024-25 के दौरान, राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) से त्रैमासिक ई-पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के चार अंक (145वाँ, 146वाँ, 147-148वाँ (संयुक्त अंक) एवं 149वाँ) प्रकाशित किए गए। राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु, पत्रिका में सामग्री एवं रचनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है।

ख. साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय भी वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक आधार पर अपनी हिंदी पत्रिकाएँ/ जर्नल प्रकाशित करते हैं। वर्ष के दौरान, 62 कार्यालयों ने अपनी पत्रिकाएँ/ जर्नल प्रकाशित कीं।

6.1.2 राजभाषा कार्यान्वयन

क. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा के लिए उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी अपेक्षित है।

उपर्युक्त के अनुपालन में, मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए 187वीं,188वीं,189वीं और 190वीं तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

ख. राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय ने 16 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, टिप्पण और प्रारूपण, हिंदी टंकण और हिंदी में निबंध लेखन जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। यह पहल हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई, जिससे कर्मचारियों में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता और उत्साह पैदा करने में मदद मिली।

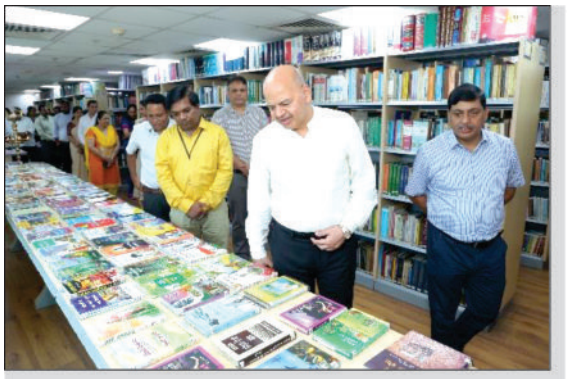

'हिन्दी पखवाड़ा' (सप्ताह) के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करते अधिकारी एवं कर्मचारी

सीएजी द्वारा 'हिन्दी पखवाड़ा' के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह

ग. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा 2024-25 के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया:

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	दिनांक
1.	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (वाणिज्यिक), हैदराबाद	23 अक्टूबर 2024
2.	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), नई दिल्ली	26 दिसंबर 2024
3.	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), मुंबई	16 जनवरी 2025
4.	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान, जयपुर	7 मार्च 2025
5.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, राजस्थान, जयपुर	7 मार्च 2025

घ. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 22-23 अक्टूबर 2024 को आयोजित 'केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सीओएलआईसी)' की 46$^{वीं}$ वार्षिक बैठक में भाग लिया गया।

ड. हमारे कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रत्येक तिमाही राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

6.1.3 मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुभागों का निरीक्षण

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रतिवर्ष सीएजी कार्यालय के न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय अनुभागों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2024-25 में 51 क्षेत्रीय कार्यालयों और 17 मुख्यालय अनुभागों की योजना बनाकर उनका निरीक्षण किया गया।

6.1.4 अनुवाद

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रचलन से पूर्व हिंदी में अनुवाद किया गया:

क. लेखापरीक्षा रिपोर्ट (लेखा, वाणिज्यिक, रेलवे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) संसद के समक्ष रखी जाएंगी।

ख. वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, द कैटेलिस्ट, सामान्य आदेश, नियम, भाषण, समझौता ज्ञापन, अधिसूचनाएं, अनुबंध और समझौते और निविदा सूचनाएं।

ग. लेखापरीक्षा दिवस 2024 के अवसर पर तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेज और प्रारूप।

घ. विभिन्न अनुभागों/सचिवालय से अल्प सूचना पर अन्य छोटे-मोटे अनुवाद मांगे गए।

6.1.5 ई-ऑफिस के माध्यम से राजभाषा का प्रचार

कागज़ रहित प्रणाली और डिजिटल भंडारण को बढ़ावा देने के लिए, राजभाषा अनुभाग में ई-ऑफिस लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न फ़ाइलें/दस्तावेज बनाए गए। कर्मचारी अब सभी जानकारी शीघ्रता और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत, सभी ऑनलाइन सरकारी पत्राचार हिंदी में किया जाता है।

6.1.6 प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम

क. क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग में अपनी मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए राजभाषा रिपोर्ट प्रबंधन प्रणाली (ओएमआरआरएमएस) पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल सफलतापूर्वक विकसित किया गया। इस संबंध में, मुख्यालय द्वारा 10 सितंबर, 2024 को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक पूर्ण दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। इसी कार्यक्रम में कंठस्थ 2.0 पर कार्यशाला भी शामिल थी। मुख्यालय के सभी अनुभागों को यही प्रशिक्षण ऑफलाइन भी दिया गया। अक्टूबर 2024 से, मुख्यालय अपने लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से ओएमआरआरएमएस के माध्यम से अपनी सभी रिपोर्टें ऑनलाइन प्राप्त कर रहा है।

ख. मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग ने 22 नवंबर, 2024 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के सभी आईएएंडएडी कार्यालयों को ओएमआरआरएमएस और कंस्थस्थ 2.0 पर एक ऑफ़लाइन प्रशिक्षण भी दिया।

ग. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 12 से 14 फरवरी 2025 तक हिंदी अनुवाद (अनुवाद) टूल 'कंठस्थ 2.0' पर आयोजित एक दिवसीय अभ्यास-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजभाषा अनुभाग के सभी अनुवादकों ने भाग लिया।

घ. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुपालन में, सीएजी मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों को हिंदी प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए। 56 क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आदि आयोजित कीं।

6.1.7 हिंदी पखवाड़ा/पखवाड़ा

सीएजी कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा/पखवाड़ा आयोजित करने के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी हिंदी पखवाड़ा/पखवाड़ा के साथ-साथ हिंदी दिवस मनाने के लिए हिंदी पखवाड़ा/पखवाड़ा मनाया।

6.2 स्टाफ रोटेशन नीति

संगठन के भीतर, उचित अंतराल पर, कर्मचारियों का एक भूमिका से दूसरी भूमिका में व्यवस्थित स्थानांतरण, या जॉब रोटेशन, आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह कर्मचारियों को ज्ञान, नए कौशल और संगठन की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करता है। संगठन के लिए, यह दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा में सुधार करने में मदद करता है।

एक सुदृढ़ और व्यवस्थित रोटेशन नीति अपनाना, साई इंडिया रणनीतिक योजना 2023-30 में निहित हमारे संस्थागत और जन-मूल्यों के अनुरूप होगा और हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं को मज़बूत करने में सहायक होगा। यह हमारे प्रतिभा पूल की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान देगा।

परिणामस्वरूप, मुख्यालय में मानव संसाधन विंग में स्टाफ रोटेशन नीति तैयार की गई और वर्ष 2024-25 के दौरान इसे लागू किया गया।

6.3 संभागीय लेखाकार संवर्ग का स्थानांतरण और पोस्टिंग

जनवरी 2025 से प्रभावी एक संशोधित नीति, तीन-सदस्यीय समिति (प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) और एक पीडी(पी)-नामित सदस्य) के माध्यम से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। सरकारी लेखा शाखा द्वारा 10 प्रतिशत वार्षिक नमूना जाँच अनुपालन सुनिश्चित करती है।

6.4 जनशक्ति का इष्टतम उपयोग

डीओएसएस समिति की सिफारिशों के बाद, वित्त एवं संचार विंग से अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रतिवेदन केंद्रीय विंग कार्यालयों में पुनः तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे लेखापरीक्षा विंग के अतिरिक्त कर्मचारियों को वाणिज्यिक और राज्य सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों में पुनः तैनात करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। डिजिटलीकरण के कारण संशोधित जनशक्ति मानदंडों पर जीए विंग के साथ परामर्श होने तक ले. एवं हक कार्यालयों में कार्यान्वयन स्थगित है।

6.5 एपीएआर में स्वीकृति प्राधिकरण का परिचय

निष्पादन मूल्यांकन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए तीन स्तरीय एपीएआर ढांचा (रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, स्वीकृति प्राधिकारी) शुरू किया गया है।

6.6 वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन (डीएफपीआर)

वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन (डीएफपीआर): मई 2025 से प्रभावी, संशोधित डीएफपीआर भारत सरकार के नियमों के अनुरूप है, जो वित्तीय निगरानी बनाए रखते हुए कुशल निर्णय लेने, स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

6.7 राजभाषा संवर्ग के लिए स्थानांतरण और पोस्टिंग नीति

सितंबर 2024 से प्रभावी, इस नीति का प्रबंधन प्रधान निदेशक/महानिदेशक (कर्मचारी) द्वारा तीन आईए एवं एएस अधिकारियों (निदेशक/उप निदेशक रैंक) की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

6.8 टाउन हॉल बैठकें

मुख्यालय स्थित स्टाफ विंग और क्षेत्रीय कार्यालयों के हितधारकों के बीच दोतरफ़ा संचार चैनल स्थापित करने के प्रयास में, टाउन हॉल बैठकों का उद्देश्य खुले संवाद और प्रतिक्रिया के लिए एक मंच तैयार करना है, जिससे हितधारक अपनी चिंताओं और सुझावों को सीधे वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष रख सकें, जिससे हितधारक जुड़ाव में सुधार हो। भारत भर में विभिन्न स्थानों पर टाउन हॉल बैठकें शुरू की गईं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, चेन्नई में टाउन हॉल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, हितधारकों से प्राप्त मुद्दों/शिकायतों/सुझावों पर चर्चा की गई और उनकी जाँच की गई।

6.9 खेलों में भागीदारी और उपलब्धि

सीएजी की खेल टीमें मुख्य रूप से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी खेल गतिविधियों (भारत और विदेश दोनों में) में सक्रिय रूप से भाग लेती रही हैं और कई पुरस्कार जीते हैं।

हॉकी में, टीम ने अक्टूबर 2024 में आयोजित के.डी. सिंह बाबू हॉकी टूर्नामेंट में उपविजेता ट्रॉफी जीती। दिल्ली के लेखापरीक्षा महानिदेशक (वित्त एवं संचार) कार्यालय के श्री राजकुमार पाल ने ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता।

फुटबॉल में, सीएजी की टीम ने जुलाई-अगस्त 2024 में आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

टेबल टेनिस में, हैदराबाद में 3 से 8 अप्रैल 2024 तक आयोजित 30$^{वीं}$ राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप 2023 में, सीएजी की वेटरन पुरुष टीमों (40+ और 50+ आयु वर्ग) ने दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। सीएजी की अनुभवी महिला टीम (40+ श्रेणी) ने भी एक कांस्य पदक जीता।

इंदौर में 17 से 23 फ़रवरी 2025 तक आयोजित 31$^{वीं}$ राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप 2024 में, सीएजी की वेटरन पुरुष टीम (40+ और 50+ आयु वर्ग) ने पाँच रजत और पाँच कांस्य पदक जीते। सीएजी की वेटरन महिला टीम (40+ आयु वर्ग) ने दो कांस्य पदक और मिश्रित युगल में एक स्वर्ण पदक जीता।

सीएजी की सीनियर पुरुष टीम ने इंटर इंस्टीट्यूशन टीटी चैंपियनशिप- 2024-25 में कांस्य पदक जीता।

बैडमिंटन में, सीएजी की सीनियर टीम ने अप्रैल 2024 में बैंगलोर में अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में मिश्रित युगल में रजत पदक जीता। टीम ने जुलाई 2024 में पुणे में वी.वी. नाटू मेमोरियल अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में पुरुष युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक भी जीता।

सीएजी की सीनियर टीम ने सितंबर 2024 में हैदराबाद में सेंट्रल जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और पुरुष टीम, महिला टीम, महिला एकल और महिला युगल स्पर्धा में चार रजत पदक जीते। टीम ने दिसंबर 2024 में बैंगलोर में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल स्पर्धा में रजत पदक भी जीता।

सीएजी की वेटरन टीम ने मार्च 2025 में गोवा में आयोजित मास्टर्स नेशनल्स में छह स्वर्ण और दो रजत पदक जीते।

6.10 अवसंरचना का विकास

पूरे भारत में विभिन्न स्टेशनों पर आईएएंडएडी के उपयोग के लिए कार्यालय स्थान के साथ-साथ आवासीय इकाइयों को बढ़ाने के लिए कई भवन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

6.10.1 निम्नलिखित परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं

क. रांची- खेल परिसर (फुटबॉल और हॉकी मैदान) का निर्माण।

ख. रांची- केंद्रीय लेखा परीक्षा कार्यालयों के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।

ग. शिमला- चैडविक हाउस की मरम्मत, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण।

घ. शिमला- गॉर्टन कैसल भवन का जीर्णोद्धार कार्य।

ङ. राजकोट- स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएएल) की स्थापना हेतु कार्यालय भवन का पुनर्गठन/सुसज्जितीकरण।

6.10.2 निम्नलिखित परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं

क. आइजोल- आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

ख. बेंगलुरु- एच. सिद्धैया रोड पर एक कार्यालय भवन का निर्माण।

ग. गांधीनगर- एक कार्यालय भवन का निर्माण।

घ. गांधीनगर- आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

ङ. रांची- खेल परिसर (क्रिकेट मैदान) का निर्माण।

च. कोलकाता- उल्टाडांगा में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

छ. मुंबई- भांडुप (चरण-I) में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

6.10.3 निम्नलिखित परियोजनाएँ नियोजन चरण में हैं

क. अगरतला- आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

ख. पुरी- ढेंकनाल हाउस का जीर्णोद्धार/रेट्रोफिटिंग।

ग. पुरी- नए कार्यालय भवन का निर्माण।

घ. राजकोट- अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीएएल) के लिए नया भवन।

ङ. तिरुवनंतपुरम- आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

च. इम्फाल- अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण।

छ. गोवा- एनेक्सी भवन का निर्माण।

ज. मुंबई- भांडुप (चरण-II) में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

झ. नई दिल्ली- के ब्लॉक, सातवीं मंजिल, डब्ल्यूटीसी, नौरोजी नगर में किराए पर लिए गए कार्यालय स्थल की साज-सज्जा।

6.11 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी

6.11.1 संग्रहालय का उद्घाटन और लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का दौरा

24 जून 2024 को, भारत के माननीय सीएजी ने, सीएजी के लेखापरीक्षा एडवाइजरी बोर्ड (एएबी) के सदस्यों के साथ, शिमला में भारत के सीएजी के समृद्ध इतिहास और महत्वपूर्ण योगदान को समर्पित एक संग्रहालय, 'चैडविक हाउस: नेविगेटिंग लेखापरीक्षा हेरिटेज' का उद्घाटन किया।

चैडविक हाउस शिमला

यह संग्रहालय आईए एवं एडी की चिरस्थायी विरासत का प्रतीक है और सुशासन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता तथा इस दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि सीएजी हमारे राष्ट्र के शासन की आधारशिला रहा है, जो सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करता है।

सीएजी द्वारा चैडविक हाउस शिमला का उद्घाटन

संग्रहालय में 10 दीर्घाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक सीएजी के इतिहास और महत्व से संबंधित विशिष्ट विषयों पर केंद्रित है। 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उद्घाटन समारोह में पूरे मनोयोग से भाग लिया और चैडविक हाउस की विभिन्न दीर्घाओं में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को इसकी पृष्ठभूमि और महत्व से अवगत कराने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। चैडविक हाउस ऐतिहासिक महत्व का एक प्रतीक है, जो आगंतुकों को भारतीय शासन में सीएजी के योगदान के बारे में शिक्षित करता है।

इस अवसर पर लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे। 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने अतिथियों के स्वागत में सक्रिय भूमिका निभाई और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों और अन्य अतिथियों को सभी दीर्घाओं का निर्देशित भ्रमण कराया।

अगले दिन, अकादमी में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित चुनिंदा उभरते क्षेत्रों पर गहन प्रस्तुतियाँ भी दीं:

1. प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरण
2. सार्वजनिक क्षेत्र वितरण में सुधार के लिए लेखापरीक्षा में एआई का उपयोग
3. सामाजिक लेखापरीक्षा और स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के बीच तालमेल
4. प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एनआरए): संसाधनों का सही मापन बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है।
5. आपदा लचीलेपन के लिए लेखापरीक्षा: जवाबदेही के माध्यम से समुदायों की सुरक्षा
6. सीएजी: भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर को बढ़ाना

अकादमी में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक

6.11.2 एनएएए के 75 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव का उद्घाटन

अकादमी 18 दिसंबर 2024 को अपने 75वें स्थापना दिवस की शुरुआत करेगी। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए, पूरे वर्ष कई गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने 18 दिसंबर 2024 को समारोह का उद्घाटन किया और इस अवसर पर डाक विभाग के सहयोग से एक विशेष डाक कवर जारी किया गया। इसके बाद, 1 फरवरी 2025 को ऐतिहासिक गेयटी थिएटर, द मॉल शिमला में "आईए एवं एएस अधिकारी प्रशिक्षुओं की यारोज़ में यात्रा" विषय पर एक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें यारोज़ में अधिकारी प्रशिक्षुओं के बीच विकसित होने वाले बंधन और सौहार्द को दर्शाया गया।

एनएएए के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल

6.11.3 हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल का चैडविक हाउस संग्रहालय का दौरा

हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला ने 7 फरवरी 2025 को चैडविक हाउस संग्रहालय का दौरा किया।

हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने 7 फरवरी 2025 को चैडविक हाउस संग्रहालय का दौरा किया और एनएएए के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष वीडियो का अनावरण किया, जिसमें संस्था की दशकों की यात्रा और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने शिमला के समर हिल स्थित आकाशवाणी कॉलोनी में बच्चों के पार्क का भी उद्घाटन किया। एनएएए द्वारा इस बच्चों के पार्क का विकास क्षेत्र के बच्चों के लिए एक मनोरंजक स्थान प्रदान करने के लिए किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए, राज्यपाल ने इस पहल की सराहना की क्योंकि यह बच्चों के कल्याण और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपरोक्त कार्यक्रम में 2023 और 2024 दोनों बैचों के ओटी ने सक्रिय भाग लिया।

6.11.4 हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त पर XVI वित्त आयोग के लिए रिपोर्ट

इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रासंगिक अनुभव को देखते हुए, सोलहवें वित्त आयोग ने अकादमी से 'हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राज्य वित्त का मूल्यांकन' विषय पर एक अध्ययन करने का अनुरोध किया था। अकादमी ने 2023 बैच के आईए एवं एएसप्रशिक्षु अधिकारियों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए रिपोर्ट तैयार की और वर्ष के दौरान वित्त आयोग को प्रस्तुत की। उपरोक्त रिपोर्ट तैयार करने के दौरान, अकादमी ने हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी और 14$^{वें}$ वित्त आयोग के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती जैसे विशेषज्ञों को मसौदा रिपोर्ट पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया।

6.11.5 प्रज्ञान एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान

अकादमी ने साइबर कानून विशेषज्ञ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता डॉ. पवन दुग्गल को 'भारत में साइबर सुरक्षा परिदृश्य' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त, प्रज्ञान व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा व्याख्यान देने की परंपरा को जारी रखते हुए, इस वर्ष अकादमी ने मार्च 2025 में प्रख्यात इतिहासकार प्रो. रामचंद्र गुहा द्वारा "पर्यावरण और विकास" विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया।

6.11.6 भारत के माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात

वर्ष के दौरान, 2024 बैच के आईए एवं एएसअधिकारी प्रशिक्षुओं ने 24 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शाही लेखापरीक्षा प्राधिकरण (आरएए) के दो भूटान के अधिकारियों सहित 19 आईए एवं एएसअधिकारी प्रशिक्षु थे।

माननीय राष्ट्रपति ने सभी अधिकारी प्रशिक्षुओं को बधाई दी और उन्हें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के महान राष्ट्रीय प्रयास में भूमिका निभाने की सलाह दी।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शाही लेखापरीक्षा प्राधिकरण (आरएए), भूटान के दो अधिकारियों सहित 19 आईए और एएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ

6.11.7 स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएएल) का उद्घाटन

राजकोट, गुजरात में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र (आईसीएएल) का उद्घाटन सीएजी द्वारा 18 जुलाई 2024 को किया गया। यह साई इंडिया की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों की लेखा परीक्षा क्षमता को बढ़ाना, वित्तीय प्रदर्शन मूल्यांकन को बढ़ावा देना और सेवा वितरण को बढ़ावा देना है। आईसीएएल, स्थानीय शासन से जुड़े लेखा परीक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यपालकों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में योगदान मिलेगा।

सीएजी ने आईसीएएल, राजकोट का उद्घाटन किया

आईसीएएल, आईसीआईएसए और आईसीईडी जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के साथ साई इंडिया के सफल ट्रैक रिकॉर्ड को आगे बढ़ाता है, जिससे स्थानीय शासन लेखा परीक्षा को बढ़ावा देने और सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (साई) के बीच वैश्विक ज्ञान साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता को बल मिलता है। सीएजी ने (नवंबर 2024) आईसीएएल को क्षेत्रीय एवं नगरपालिका लेखा परीक्षा पर एएसओएसएआई कार्य समूह (एएसओएसएआई डबल्यूजीआरएमएस) के लिए नोडल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है।

2024-25 के दौरान, आईसीएएल द्वारा छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 'सेवा वितरण उन्मुख लेखा परीक्षा: इस नए प्रतिमान का क्या अर्थ है और इसे लेखा परीक्षा में कैसे लागू किया जाए पर चार कार्यक्रम शामिल हैं।'

6.11.8 आईसीएएल द्वारा पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकार के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सीएजी कार्यालय ने स्थानीय निकायों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों का एक सेट विकसित करने हेतु अगस्त 2023 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को दो परीक्षाएँ देनी होंगी: स्क्रीनिंग परीक्षा और मुख्य परीक्षा।

पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पहले और दूसरे बैच की परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः सितंबर 2024 और मार्च 2025 में घोषित कर दिए गए हैं। कुल 191 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और स्थानीय निकायों में लेखा संबंधी कार्य करने हेतु प्रमाणित हैं। योग्य अभ्यर्थियों की सूची स्थानीय निकाय लेखाकार प्रमाणन बोर्ड (बीएलओएसी) की वेबसाइट https://lba.icaiarf.org.in/ पर प्रकाशित की गई है।

खंड 4

हितधारकों के साथ बातचीत

अध्याय 1
विधायी समितियों के साथ हमारा विचार-विमर्श

अध्याय 2
लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

अध्याय 3
अधिगम की प्रगति

साई इंडिया का मुख्यालय

अध्याय 1:

विधायी समितियों के साथ हमारा विचार-विमर्श

हमारे प्राथमिक हितधारकों में संसद, राज्य विधानमंडल और देश के नागरिक सम्मिलित हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में लोक लेखा समितियाँ (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ (सीओपीयू) हैं, जो साई इंडिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभाग और मंत्रालय, साथ ही साई इंडिया द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के विषयों में विशेष रुचि रखने वाले संगठन और व्यक्ति सम्मिलित हैं।

हमारे हितधारकों के साथ संवाद एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ग्राहकों और हितधारकों के साथ हमारी बातचीत हमें साई इंडिया से उनकी अपेक्षाओं को समझने में मदद करती है और हमारे काम के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले आश्वासन और जवाबदेही को सार्थक बनाती है।

1.1 लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ बातचीत

केंद्र और राज्य स्तर पर लोक लेखा समितियाँ (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ (सीओपीयू) सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारी प्रमुख सहयोगी हैं। संसद/विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसी/सीओपीयू को भेजे जाते हैं। सीएजी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते हैं। सीएजी और उनके प्रतिनिधि लोक लेखा समिति / सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठकों के दौरान साक्षियों से पूछताछ में उनकी सहायता करते हैं।

कार्यपालिका को समितियों की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके बाद समितियाँ एक अनुवर्ती प्रतिवेदन प्रकाशित करती हैं। यदि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर बैठकों में चर्चा नहीं की जाती है, तो कार्यपालिका को उन पर अनुवर्ती नोट प्रस्तुत करने होते हैं। समितियों को प्रस्तुत करने से पहले, अनुवर्ती प्रतिवेदन और अनुवर्ती नोट, दोनों की लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच की जाती है।

2024-25 के दौरान, केंद्रीय पीएसी/सीओपीयू ने 53 बैठकें आयोजित कीं, जिनमें 18 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की गई। पीएसी/सीओपीयू में आयोजित बैठकों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों की स्कन्धवार स्थिति नीचे दी गई है:

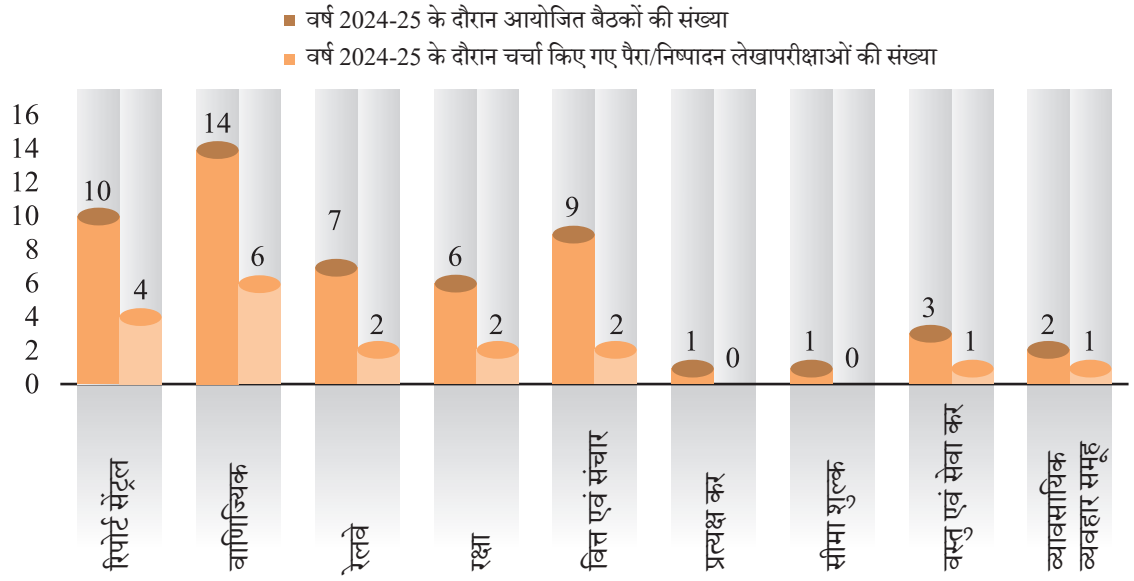

राज्यों में लोक लेखा समिति / सार्वजनिक उपक्रम समिति ने 2024-25 के दौरान 538 अवसरों पर बैठकें कीं और 1,207 लेखापरीक्षा पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

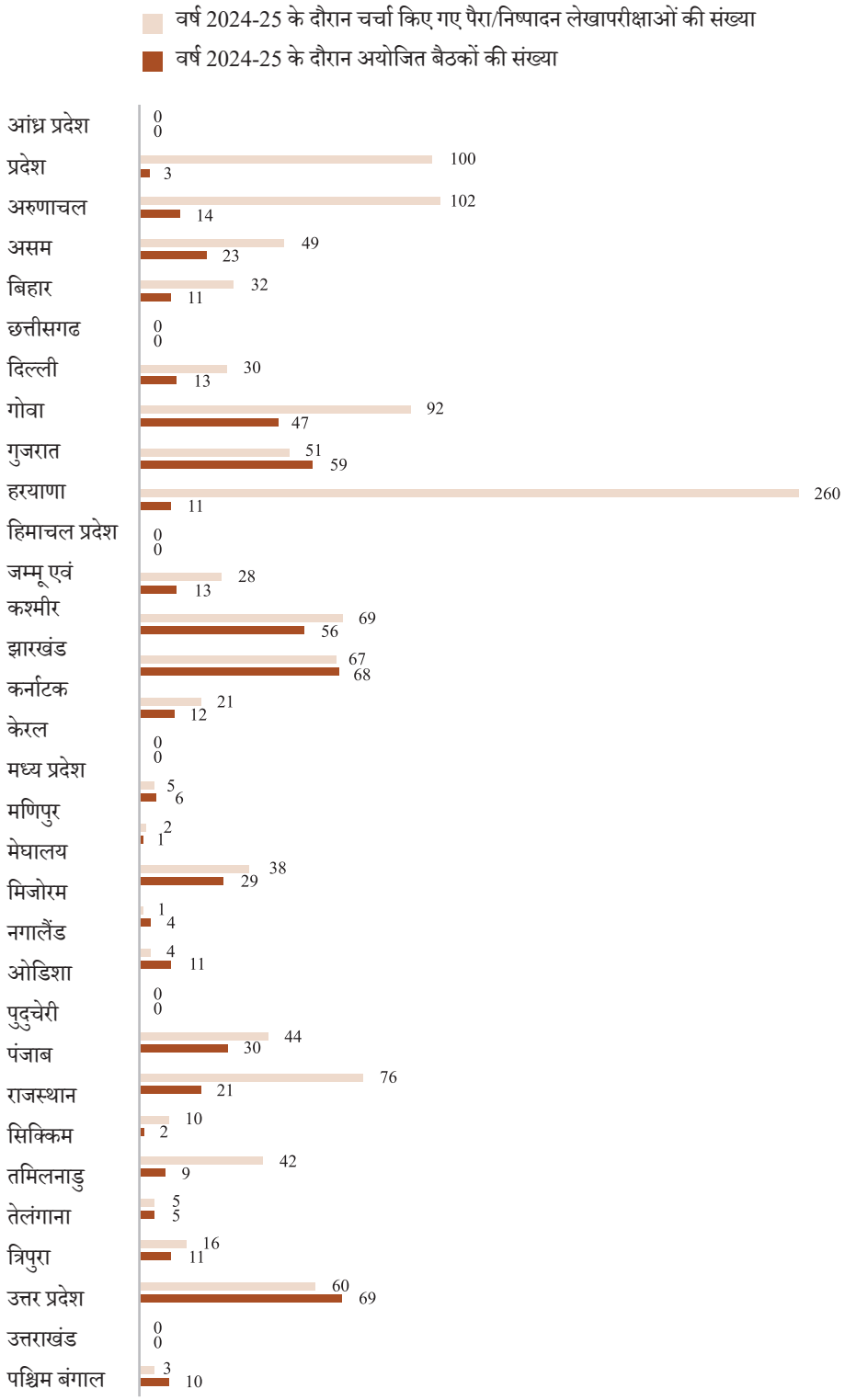

1.2 तमिलनाडु में लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के माननीय सदस्यों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम

तमिलनाडु की सोलहवीं विधान सभा द्वारा 29 जून 2024 को लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) का गठन किया गया था, जिसके बाद पीएसी और सीओपीयू के माननीय सदस्यों के लाभ के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय कार्यालयों द्वारा 30 जुलाई 2024 को अन्ना प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, राजा अन्नामलाई पुरम, चेन्नई में एक अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

तमिलनाडु विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा तमिलनाडु विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया।

कार्यक्रम में पीएसी और सीओपीयू के माननीय अध्यक्ष और सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा के प्रधान सचिव और सचिवालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में सीएजी की भूमिका, लेखापरीक्षा प्रक्रिया, समितियों के कार्य एवं शक्तियाँ, लंबित कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन)/अनुवर्ती प्रतिवेदन (एटीआर) आदि पर एक दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति सम्मिलित थी, जिसके बाद समितियों के माननीय सदस्यों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, लंबित एटीएन/एटीआर प्राप्ति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा को समितियों के ध्यान में लाया गया और इस संबंध में समितियों के विचारार्थ विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए।

1.3 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्य पद्धति पर कार्यशाला

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- द्वितीय, मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में अक्टूबर 2024 में पीएसी के सदस्यों के लिए और नवंबर 2024 में सीओपीयू के लिए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कार्य पद्धति पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

अध्याय 2:
लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

2.1 सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एएबी) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित लेखापरीक्षाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किया गया है। बोर्ड के कार्यक्षेत्र में लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में सीएजी को सलाह देना, जिसमें लेखापरीक्षाओं का कवरेज, दायरा और प्राथमिकता निर्धारण शामिल है, साथ ही सीएजी के संवैधानिक और वैधानिक अधिदेश के ढांचे के भीतर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और तकनीकों पर सुझाव देना शामिल है।

एएबी के सदस्य अवैतनिक कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग के उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पदेन सदस्य होते हैं। पहला एएबी 1999 में गठित किया गया था। तब से, बोर्ड का दस बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2021 और 2023) पुनर्गठन हो चुका है। 11$^{वें}$ एएबी के गठन की अधिसूचना अप्रैल 2023 में दो वर्षों की अवधि के लिए जारी की गई थी। 11$^{वें}$ एएबी के बाहरी सदस्यों का विवरण इस रिपोर्ट के खंड 1 के अध्याय 3 में दिया गया है।

अब तक बोर्ड की तीन बैठकें हो चुकी हैं। 4 अप्रैल 2024 को हुई पहली बैठक में लेखापरीक्षा योजना 2024-25 और ब्लू इकोनॉमी के क्षैतिज लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरी बैठक, 'भविष्य की दिशा तय करना: गतिशील वातावरण में प्रभावी लेखापरीक्षण के माध्यम से शासन को बढ़ावा देना' शीर्षक से एक संगोष्ठी के रूप में, 25 जून 2024 को शिमला में आयोजित की गई। ग्यारहवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक 18 फरवरी 2025 को हुई। बैठक में साई इंडिया के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2025-26 को अंतिम रूप देने और रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना 2026-30 के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ग्यारहवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक

सीएजी के ग्यारहवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अपनी तीसरी बैठक के दौरान

2.2 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी प्रकार, संबंधित राज्यों में राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एसएएबी) का गठन किया जाता है। ये एसएएबी विविध क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवरों के साथ विचार-विमर्श को बढ़ावा देकर लेखा परीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं। 2024 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एसएएबी की 245 बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेश लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (यूटीएएबी) की पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित की गई।

पश्चिम बंगाल में राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक

अध्याय 3:
अधिगम की प्रगति

3.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श

हमारी लेखापरीक्षित संस्थाएँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों में से हैं। उनके साथ हमारा संपर्क निरंतर होता रहता है - लेखापरीक्षा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद। लेखापरीक्षित संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना लेखापरीक्षित संस्थाओं को काफी पहले ही दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के आरंभ और समापन पर एंट्री और एक्जिट कांफ्रेस आयोजित करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण में, लेखापरीक्षित संस्थाओं को लेखापरीक्षा प्रश्नों और निष्कर्षों का उत्तर देने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, निरीक्षण प्रतिवेदनों और सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी भाग लेते हैं। लेखापरीक्षित संस्थाओं के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

वर्ष के दौरान हमने लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ काफी विचार विमर्श किया। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

3.1.1 संघ सरकार के मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श

i. 21 से 24 अक्टूबर 2024 के दौरान डीजीए (खान) कार्यालय और पीडीए (कोयला) कार्यालय, कोलकाता में डिप्टी सीएजी (वाणिज्यिक) के दौरे के दौरान, इन दोनों कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में सीपीएसयू/एबी के प्रमुखों के साथ अर्ध्ददिवसीय वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में दोनों कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में सीपीएसयू, निगमों और एबी सहित कुल 14 लेखापरीक्षितियों ने भाग लिया। इस कार्य के दौरान, हाल के वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सीएजी के लेखापरीक्षा पदचिह्न को लेखापरीक्षितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षितियों ने (क) संगठन द्वारा अपनाए गए रणनीतिक परिवर्तनों पर भी प्रस्तुतियां दीं जो निकट भविष्य में लेखापरीक्षा गतिविधियों को प्रभावित करेंगे; (ख) कोविड के बाद की अवधि के दौरान प्रमुख मील के पत्थर/उपलब्धियां और (ग) संभावित रणनीतिक और परिचालन मुद्दे जहां लेखापरीक्षिती चाहेंगे कि लेखापरीक्षा कार्यालय निकट भविष्य में उनके साथ जुड़े।

ii. लेखापरीक्षा पहलों को रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए, रक्षा विंग ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (एएपी) 2025-26 में क्रॉस-कटिंग निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फरवरी 2025 से प्रमुख हितधारकों के साथ संरचित जुड़ाव स्थापित किया। एएपी 2025-26 के लिए प्रस्तावित दो क्रॉस कटिंग प्रदर्शन लेखापरीक्षा विषयों के दिशानिर्देशों, कार्य योजनाओं और एडीएम (लेखापरीक्षा डिज़ाइन मैट्रिक्स) को पुख्ता करने के लिए, विषयों में शामिल मुख्य मुद्दों को समझने के लिए 5 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025 के बीच रक्षा विंग द्वारा लेखापरीक्षिती अर्थात रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा सेवा मुख्यालय, सेवा मुख्यालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रक्षा और स्थानीय सरकारी लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में इन विचार विमर्श में इन संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन और लेखापरीक्षा कर्मियों ने भाग लिया।

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा करने से पहले मुद्दों की बेहतर समझ के लिए डीजीएडीएस नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया गया था। 40 चयनित जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के बीच 16 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली प्रसारित की गई थी। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार, ईसीएचएस लाभार्थियों के सामने आने वाली सामान्य समस्याएँ बहुचिकित्सालय पर उच्च रोगी भार थीं, जिससे लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, दवाओं का आंशिक/अपूर्ण जारी होना आदि। इसके अलावा, प्रयागराज, पटना और मेरठ में डीजीएडीएस के तीन कमांड-स्तरीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय स्तर के पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान आम समस्याओं पर चर्चा की गई, जिनमें बहुचिकित्सालय पर अतिरिक्त भार, आसपास के क्षेत्र में सूचीबद्ध अस्पतालों की अनुपलब्धता, चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी आदि शामिल थे।

iv. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए रक्षा सेवाओं के महानिदेशक, लेखा परीक्षा कार्यालय, पुणे द्वारा 23 और 24 अप्रैल 2024 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान, डीआरडीओ खरीद में परियोजना प्रबंधन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों और ड्राफ्ट पैरा और अनुवर्ती नोट्स के लिए प्रक्रिया पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।

3.1.2 राज्य विशिष्ट अंत:क्रियाएँ

छत्तीसगढ

i. रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लगभग 200 अधिकारियों के लिए ''स्थानीय निकायों के लेखा और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना'' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

ii. राज्य के 30 बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई।

iii. माननीय अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता में ''लोक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही'' विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति (छत्तीसगढ़ विधान सभा) एवं माननीय सदस्य, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति उपस्थित थे।

iv. राज्य के कोषागार एवं वित्त अधिकारियों के लिए ''राज्य के वित्तीय लेखांकन एवं प्रबंधन'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

v. स्वायत्त संस्थानों के 100 अधिकारियों के लिए ''वित्तीय लेखांकन, खरीद और प्रशासन'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता, सनदी लेखाकार ने स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों को इस विषय पर जानकारी दी।

झारखंड

i. ऑडिट दिवस (29 नवंबर 2024) के अवसर पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, झारखंड में ''सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के साथ विचार-विमर्श - वार्षिक लेखों की समय पर तैयारी,

प्रस्तुति और लेखापरीक्षा'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य स्वायत्त निकायों, जैसे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल), झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीएल), झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी), झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड (जेएफडीसीएल), झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (जेआईआईडीसीओ), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल), झारखंड पर्यटन विकास निगम (जेटीडीसी), झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/स्वयंभू बैंकों द्वारा लेखा प्रस्तुत करने में लंबितता की स्थिति को साझा किया गया तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा में आने वाली चुनौतियों, जैसे लेखा प्रस्तुत करने में लंबितता, अपर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग, अपर्याप्त दस्तावेजीकरण, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, मानकीकरण की कमी और परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध आदि पर भी चर्चा की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई)/एबी के प्रतिनिधियों ने इन देरी के लिए मानव-शक्ति की कमी, निदेशक पद में लगातार बदलाव, सांविधिक लेखा परीक्षकों के असंतोषजनक प्रदर्शन आदि को जिम्मेदार ठहराया। जेबीवीएनएल (उप महाप्रबंधक) के एक प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि उच्च प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी और वार्षिक खातों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए एक समर्पित विंग बनाकर लेखा परीक्षा के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी से बचा जा सकता है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/स्वायत्त बैंकों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में लेखा प्रस्तुत करने में विलम्ब से बचने के लिए उनके संगठनों द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे।

झारखंड में कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी

मध्य प्रदेश

i. तकनीकी मार्गदर्शन सहायता (टीजीएस) के अंतर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय (डीएलएफए) के विभिन्न विषयों पर ज्ञान और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए 4 अप्रैल 2024 को हितधारकों - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीआरडीडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) और वित्त विभाग के अधिकारियों और प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश के अधिकारियों

के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य प्रस्तावित गतिविधियों के साथ वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न टीजीएस कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर टीजीएस कार्यसूची निर्धारित करनी थी। इसके अलावा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की क्षमता को मजबूत करने के लिए, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया।

ii. 20 नवंबर 2024 को राज्य सरकार और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ ''शासन में जवाबदेही को मजबूत करना: मीडिया, नागरिक समाज और सीएजी की भूमिका'' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

महाराष्ट्र

सीएसआईआर-नीरी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक द्वारा साक्ष्य संकलन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर व्याख्यान का आयोजन महाराष्ट्र के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II द्वारा किया गया। इस व्याख्यान में भू-स्थानिक विश्लेषण और सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। निकट भविष्य में निष्पादन और विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं में ऐसी तकनीकों के उपयोग की उम्मीद है।

मणिपुर

i. ऑडिट दिवस के एक भाग के रूप में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मणिपुर द्वारा नवंबर 2024 को संबंधित विभाग के संसाधन व्यक्तियों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर कार्यशाला सत्र आयोजित किए गए।

ii. 24 दिसंबर 2024 को मणिपुर सरकार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (आरडी एंड पीआर), नगरपालिका प्रशासन, आवास और शहरी विकास (एमएएचयूडी) विभाग और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (डीएलएफए) के निदेशक के अधिकारियों के साथ तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस), वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए स्थानीय निकायों की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर) की तैयारी और स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि (क) स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाए, (ख) संबंधित राज्य अधिनियमों में टीजीएस के प्रावधानों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम राज्य महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं, (ग) एटीआईआर की तैयारी के लिए आवश्यक जानकारी और डीएलएफए द्वारा किए गए स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा की निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां, एटीआईआर (टीजीएस प्रतिवेदन) आदि में राज्य कार्यालय की टिप्पणियों को आवश्यक रूप से शामिल करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएं।

iii. 14 फरवरी 2025 को मणिपुर सरकार के वित्त विभाग, आरडी एंड पीआर, एमएएचयूडी और डीएलएफए के अधिकारियों के साथ टीजीएस एजेंडा निर्धारण के लिए हितधारकों की एक और बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2025-26 के दौरान टीजीएस के कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मिजोरम

लेखापरीक्षा सप्ताह के दौरान 22 नवंबर 2024 को डीएलएफए के अधिकारियों के साथ ''लेखापरीक्षा प्रक्रिया का संवेदीकरण और प्रतिवेदन का प्रारूपण'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में डीएलएफए के निदेशक और सात अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जैसा कि विषय से स्पष्ट है, बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निधियों के लेखापरीक्षकों को संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं से परिचित कराना था। कार्यशाला में, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, नियोजन से लेकर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन तक, पर चर्चा की गई।

ओडिशा

i. महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-II), ओडिशा ने माननीय राज्यपाल के समक्ष इस मामले को सक्रियतापूर्वक उठाया और प्रणालीगत चुनौतियों और सार्वजनिक जवाबदेही पर बकाया खातों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। 14 फरवरी 2025 को माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों ने भाग लिया, लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी और बकाया खातों पर पड़ने वाले प्रभाव के मामले की गंभीरता को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बकाया लेखाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

ii. 'ब्लू इकोनॉमी' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रासंगिक और सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), ओडिशा ने भुवनेश्वर में ''ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण-विकास'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि जैसे शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, शोधकर्ताओं, समुदाय-आधारित संगठनों आदि से विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला के दौरान, ब्लू इकोनॉमी नीति, नवाचार, स्थिरता और विकास, ओडिशा तट अपने संसाधनों का सतत प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, आर्द्रभूमि की सुरक्षा, जंगली जैव विविधता का संरक्षण और समुदाय और प्रकृति दोनों के विकास के लिए स्थायी तरीके और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

राजस्थान

i. तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता गतिविधि के तहत स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग के 45 अधिकारियों के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, राजस्थान द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया (28-29 अगस्त 2024)।

ii. विभिन्न विभागों से लगभग एक सौ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को एक इंटरैक्टिव 'लेखापरीक्षा संवेदीकरण' सत्र के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें लेखा परीक्षक-लेखापरीक्षिती संबंध, लेखा परीक्षा के महत्व, लेखा परीक्षा ज्ञापन और निरीक्षण प्रतिवेदन आदि के लिए प्रतिक्रिया तैयार करने पर मार्गदर्शन पीएजी (लेखापरीक्षा)-II, राजस्थान द्वारा दिया गया।

तमिलनाडु

प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I) तमिलनाडु ने 2024-25 के दौरान 'जल जीवन मिशन' पर एक क्रॉस-कटिंग क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा किया। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना-2024-25 के दौरान जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा करने वाले कार्यालयों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यशालाओं की परिकल्पना की गई थी। क्षेत्रीय कार्यशाला 12-13 अगस्त 2024 को आयोजित की गई जिसमें प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-I) तमिलनाडु, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-I) कर्नाटक, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-I) केरल, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा) आंध्र प्रदेश और प्र.म.ले (लेखापरीक्षा-II) तमिलनाडु और पुदुचेरी के कार्यालयों की लेखापरीक्षा टीमों ने भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले कार्यालयों की प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जिसके दौरान चल रहे लेखापरीक्षा के निष्कर्ष साझा किए गए थे। कार्यशालाओं में एडीएआई (उत्तर मध्य क्षेत्र), एडीएआई (दक्षिणी क्षेत्र), एडीएआई (मध्य क्षेत्र) और एडीएआई (पश्चिमी क्षेत्र) के साथ-साथ प्रधान सहायक महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक और उनकी टीमों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

त्रिपुरा

ऑडिट दिवस 2024 के अवसर पर, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा कार्यालय द्वारा त्रिपुरा सरकार के लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कई डीडीओ और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने डीडीओ के सामने आने वाले विभिन्न लेखापरीक्षा और लेखा संबंधी मुद्दों पर एक पावरपॉइंट प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद, विभिन्न डीडीओ ने एक प्रश्नोत्तर सत्र में भी भाग लिया, जहाँ उनके विभिन्न संदेहों का समाधान किया गया।

3.2 शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ विचार-विमर्श

हम अनेक शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ संवाद करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) जैसी संस्थाओं की केंद्रीय परिषदों में नामित किया जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के परिषद सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को संस्थान की विभिन्न समितियों/बोर्डों, जैसे लेखा मानक बोर्ड, लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, नैतिक मानक बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, सहकर्मी समीक्षा बोर्ड आदि में भी नामित किया जाता है, जिससे इन व्यावसायिक निकायों के साथ निरंतर संवाद सुनिश्चित होता है। हमारे प्रशिक्षण संस्थान अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संपर्क में भी रहते हैं।

3.3 मीडिया के साथ विचार विमर्श

हमारे पास एक प्रलेखित संचार और आउटरीच नीति 2024 है, साथ ही इसकी मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी हैं जो साई इंडिया में बाहरी हितधारकों के साथ हमारे विचार विमर्श का मार्गदर्शन करती हैं।

हमारी संचार एवं आउटरीच गतिविधियाँ प्रिंट और डिजिटल दोनों मीडिया को कवर करती हैं। ये सभी प्लेटफ़ॉर्म मिलकर मीडिया से जुड़ने, सूचना प्रसारित करने और मीडिया विज्ञप्ति तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

संसद और राज्य विधानमंडलों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, हम अपने ग्राहकों तक लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह की कार्रवाई करते हैं। संसद/राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, उनकी विषय-वस्तु पर प्रकाश डालते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाते हैं। ये प्रतिवेदन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

इस तरह के संवाद का उद्देश्य विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी प्रसारित करना तथा हमारे हितधारकों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) जारी करना है।

3.4 कार्यशालाएँ, व्याख्यान और अन्य कार्यक्रम

शासन में जवाबदेही मज़बूत सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग की नींव पर टिकी है। साई इंडिया का उद्देश्य उच्च-गुणवत्तापूर्ण लेखा-परीक्षण और लेखांकन के माध्यम से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारकों, यानी विधायिका, कार्यपालिका और जनता को यह स्वतंत्र आश्वासन मिले कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

इस मिशन को पूरा करने के लिए, साई इंडिया निरंतर अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार करने का प्रयास करता है, जिसका तात्पर्य है कि लेखापरीक्षकों को शासन के उन्नयन में भागीदार के रूप में देखा जाता है, और इसकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शासन में सहायक के रूप में कार्य करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिस वातावरण में लेखापरीक्षित संस्थाएँ और फलस्वरूप लेखापरीक्षा कार्य करती हैं, वह गतिशील है, सार्वजनिक नीति की संरचना और कार्यान्वयन विधियों के साथ-साथ लेखापरीक्षा और लेखांकन की कार्यप्रणाली दोनों के संदर्भ में। इसलिए, इस गतिशील वातावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, साई इंडिया के लिए स्वयं को निरंतर नया रूप देना और उसका कायाकल्प करना महत्वपूर्ण है। हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक और बाह्य परामर्श, पेशेवर प्रथाओं और हमारी संरचनाओं और कार्यप्रणाली के तरीकों को अनुकूलित/उन्नत करने के इस प्रयास को सुगम बनाते हैं, साथ ही उस वातावरण के प्रति संवेदनशील बने रहने में भी मदद करते हैं जिसमें हमारी लेखापरीक्षित संस्थाएँ कार्य करती हैं। ऐसे परामर्शों को सुगम बनाने के लिए, साई इंडिया नियमित रूप से कई कार्यशालाओं, व्याख्यानों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है जहाँ क्षेत्र विशेषज्ञ और वरिष्ठ लोक सेवक भाग लेते हैं और अन्य कर्मियों के साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं।

वर्ष के दौरान आंतरिक/बाह्य विशेषज्ञों की भागीदारी वाली निम्नलिखित कार्यशालाएं/व्याख्यान आयोजित किए गए:

i. ऑडिट दिवस (22 नवंबर 2024) के अवसर पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, झारखंड में ''लेखापरीक्षा/निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूपण की गुणवत्ता में सुधार'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा करने वाले वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी दर्शकों के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान, अच्छी

लेखापरीक्षा/निरीक्षण प्रतिवेदनों की गुणवत्ता के विभिन्न पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न प्रतिवेदनों के उद्देश्य, अच्छी प्रतिवेदन लेखन शैली, समीक्षाओं की संरचना, परिशिष्ट आदि पर भी चर्चा की गई। यह कार्यशाला लेखापरीक्षा कार्यालय की चल रही क्षमता-निर्माण पहलों का एक प्रमुख घटक साबित हुई।

ii. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) ओडिशा कार्यालय, जो ''जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के कार्यान्वयन'' पर क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु अग्रणी कार्यालय है, ने 4 अक्टूबर 2024 को सीएजी की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय सहित 12 सहभागी कार्यालयों के साथ एक अखिल भारतीय कार्यशाला/ मध्यावधि समीक्षा का आयोजन किया। 12 सहभागी राज्यों के प्रधान महालेखाकारों/ महालेखाकारों ने निष्पादन लेखापरीक्षा पर अपने लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत/साझा किए।

iii. 27 जनवरी 2025 को ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (ग्रिडको), भुवनेश्वर में एसएपी आधारित लेखापरीक्षण पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सीनियर एओ और एएओ ने एसएपी के विभिन्न मॉड्यूल और लेखापरीक्षण वातावरण में इसके कार्यान्वयन पर बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए संगोष्ठी में भाग लिया।

iv. 20-21 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सूचना पध्दति एवं लेखापरीक्षा केंद्र, नोएडा में वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से 'टैब्यू और पावर बीआई का उपयोग करके डेटा विज़ुअलाइज़ेशन' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा, प्रशिक्षण सत्र के दौरान भारतनेट पर पीए और सीएससी 2.0 परियोजनाओं पर पीए पर लाइव केस स्टडी के माध्यम से डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के प्रदर्शन के लिए व्यावहारिक सत्र भी आयोजित किया गया।

झारखंड में ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी

v. गोवा में प्रत्यक्ष कर विंग के लिए 8 से 9 नवंबर 2024 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षा) और महानिदेशक (डीटी-I) के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों और मुख्यालय स्थित प्रत्यक्ष कर विंग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में, प्रत्येक खाद्य एवं कृषि संगठन के समूह अधिकारियों द्वारा विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) विषयों और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना पर पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गई। कार्यशाला में अनुपालन लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ एसएससीए में देखे गए मुद्दों पर चर्चा की गई।

vi. लेखापरीक्षा (केंद्रीय) मुंबई के प्रधान निदेशक के कार्यालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान 9 आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनमें से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी और इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) 101 से 108 पर दो आंतरिक प्रशिक्षण बाहरी संकाय द्वारा आयोजित किए गए।

vii. कोच्चि में महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नई शाखा कार्यालय में 5 अगस्त 2024 को, 'आयकर विभाग में मूल्यांकन प्रक्रियाएं' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 33 अधिकारियों ने भाग लिया और फेसलेस मूल्यांकन योजना, 2019 पर जोर देते हुए मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

viii. लेखापरीक्षा (केंद्रीय) हैदराबाद के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा धारा 234 ए, बी और सी के तहत घाटे और ब्याज गणना के सेट-ऑफ और आगे ले जाने, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान, धारा 115 जेबी / जेसी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और एमएटी क्रेडिट और वर्ष 2024-25 में ट्रस्टों, एओपी और धर्मार्थ संस्थानों के लिए छूट पर चार आंतरिक गृह प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

ix. महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़ द्वारा 2024-25 के दौरान तीन आंतरिक गृह प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें बाहरी विशेषज्ञों को आईटी अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों और आयकर विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में अपनी जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में पंद्रह अधिकारियों ने भाग लिया।

x. मुख्यालय स्थित सभी विभागाध्यक्षों द्वारा 9 से 30 अगस्त 2024 तक रक्षा लेखापरीक्षा (रक्षा एवं स्थानीय सरकारी लेखापरीक्षा) के समक्ष वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित अपने-अपने पीए/एसएससीए विषयों पर लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के संबंध में प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। इन बैठकों में मुख्यालय के महानिदेशक और उत्तरदायी अधिकारी; क्षेत्रीय कार्यालयों के समूह अधिकारी और लेखापरीक्षा दल शामिल थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शामिल अधिकारियों की पूरी श्रृंखला एकमत हो। ये प्रस्तुतियाँ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखापरीक्षा डिज़ाइन मैट्रिक्स तैयार करते समय विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थीं, जिनमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, केंद्रित क्षेत्र, स्कोपिंग, नमूनाकरण और विकासशील अनुशंसाएं शामिल हैं।

xi. ओडिशा कार्यालय द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2024-25 की मध्यावधि समीक्षा पर एक कार्यशाला 7 और 8 अगस्त 2024 को राज्य स्तरीय सम्मेलन केंद्र, शिलांग में आयोजित की गई।

xii. लेखापरीक्षा सप्ताह 2024 समारोह के दौरान 18 से 20 नवंबर 2024 तक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), केरल के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। लेखापरीक्षा कर्मचारियों के लिए विषय थे: 'केरल में पर्यावरण की स्थिति - स्थिति, चुनौतियाँ और आगे बढ़ना, केरल में बाढ़ के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तथा आईटी प्रणालियों का लेखापरीक्षा', और लेखा एवं अभियांत्रिकी के लिए विषय थे: 'साइबर स्वच्छता और आईटी प्रणालियों की सुरक्षा'।

xiii. 19 अक्टूबर 2024 को एएमजी-I (मुख्यालय) में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) के वरिष्ठ समन्वयक और सूचना केरल मिशन (आईकेएम) के डोमेन विशेषज्ञ द्वारा 'स्थानीय स्वशासन विभागों में नई योजनाएं और पहल' और के-स्मार्ट (एलएसजीडी का नव विकसित सिस्टम सॉफ्टवेयर) पर सत्र संचालित किए गए। एएमजी I विंग के सभी फील्ड पार्टी अधिकारियों और मुख्यालय के कर्मचारियों ने सत्र में भाग लिया, जिससे एलएसजीडी की योजनाओं और सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान में वृद्धि हुई, जो एएमजी I विंग का मुख्य लेखापरीक्षित विभाग है।

xiv. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I तमिलनाडु के कार्यालय द्वारा 'लेखापरीक्षा/आकस्मिक निरीक्षण के लिए मामलों के चयन में शामिल प्रक्रिया, लेखापरीक्षा/आकस्मिक निरीक्षण का संचालन और मूल्यांकन आदेश जारी करना, रिटर्न की जांच से संबंधित उचित अधिकारी के कर्तव्य, प्रतिदाय जारी करना', 'पंजीकरण के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे, नए अभिन्यास के संबंध में बाजार मूल्य दिशानिर्देशों का निर्धारण, नए अपार्टमेंट के लिए समग्र मूल्य का निर्धारण और लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले अन्य विशेष मुद्दे' और 'गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994, सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एक पहल इनुयिर कप्पोम थिट्टम (आईकेटी) के तहत नम्मई कक्कुम 48 (एनके 48) योजना' विषयों पर त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें बाहरी वक्ताओं ने अपनी प्रस्तुतियां/व्याख्यान दिए।

xv. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II तमिलनाडु एवं पुडुचेरी कार्यालय द्वारा 'तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिलिंग गतिविधियों' पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया।

xvi. ऑडिट दिवस समारोह, 2024 के एक भाग के रूप में, 20 नवंबर 2024 को मेघालय में 'आईटी लेखापरीक्षा का उपयोग-एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों (आईएफएमएस) पर विश्लेषण' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के दौरान, एनआईसी, मेघालय द्वारा एक प्रस्तुति दी गई और सभी अधिकारियों ने उक्त कार्यशाला में भाग लिया।

xvii. ऑडिट दिवस सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में 21 नवंबर, 2024 को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) आंध्र प्रदेश द्वारा ''जीएसटी - कानूनी पहलू, लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं और जीएसटी की अंतर्दृष्टि'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि हितधारकों के बीच सार्थक संवाद को

सुगम बनाया जा सके और नव नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को माल और सेवा कर (जीएसटी) का व्यापक अवलोकन प्रदान किया जा सके।

''जीएसटी - कानूनी पहलू, लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं और जीएसटी की अंतर्दृष्टि'' पर कार्यशाला

xviii. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय के अधिकारियों के लिए लेखांकन और लेखापरीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर ने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर प्रकाश डाला।

खंड 5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अध्याय 1
संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता

अध्याय 2
सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

अध्याय 3
सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

अध्याय 4
बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परस्पर संवाद

अध्याय 5
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

अध्याय 1:

संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता

1.1 अंतरराष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

सीएजी का संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और उसकी विशेष एजेंसियों के साथ समय-समय पर बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में लंबे समय से संबंध रहा है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाह्य लेखापरीक्षक होने के अलावा, साई इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), प्रकल्प सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओपीएस), विश्व व्यापार केंद्र (आईटीसी), संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग (यूएनसीसी), शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र आयुक्त, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएन हैबीटेट, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक / असैन्य सेवा आयोग की भी लेखापरीक्षा की है। 2024-25 के दौरान, साई इंडिया ने निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठनों की लेखापरीक्षा की थी:

1.1.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

सीएजी को दिसंबर 2024 को समाप्त वित्तीय अवधि से शुरू होकर 2024-2027 की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ और इसकी पांच अ-समेकित होस्ट संस्थाओं के बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की पांच असमेकित संस्थाएं हैं:

i. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (एसएचआई)
ii. कैंसर पर अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (आईएआरसी)
iii एचआईवी / एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मिलित कार्यक्रम (यूएनएआईडीएस)
iv संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगणक केंद्र (यूएनआईसीसी)
v यूएनआईटीएआईडी (एक वैश्विक स्वास्थ्य पहल जो प्रमुख बीमारियों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए नवाचार लाने हेतु साझेदारों के साथ काम करती है)

सात लेखापरीक्षा दलों ने डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय/देश के कार्यालयों और इसकी असमेकित संस्थाओं की वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा की। ये लेखापरीक्षा कार्य अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान कार्यस्थलों पर किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में 'एक बिलियन पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' (जीपीडब्ल्यू 13 के अंतर्गत रणनीतिक प्राथमिकता I) और 'इन्वेंट्री तथा वेयरहाउस प्रबंधन' शामिल थे।

1.1.2 कृषि एवं खाद्य संगठन (एफ़एओ)

एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष अभिकरण है जो भूख को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। एफएओ का मुख्यालय रोम, इटली में है।

सीएजी दिसंबर 2020 को समाप्त वित्तीय अवधि से शुरू होकर 2020-2025 की अवधि के लिए एफएओ के

बाह्य लेखापरीक्षक हैं। सात लेखापरीक्षा दलों ने एफएओ मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/देश के कार्यालयों की वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा की। ये लेखापरीक्षा कार्य नवंबर 2024 से मई 2025 के दौरान किए गए थे। लेखापरीक्षा में 'जलवायु परिवर्तन के कार्यालय' और 'हैंड-इन-हैंड इनिशिएटिव' की दो निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी।

1.1.3 रसायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडबल्यू)

ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और 29 अप्रैल 1997 से प्रभावी होते हुए रासायनिक हथियार अभिसमय के लिए कार्यान्वयन निकाय है। रासायनिक हथियारों को स्थायी और सत्यापन योग्य रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों की देख-रेख ओपीसीडब्ल्यू करता है। सीएजी को नवंबर 2024 में 2024-26 के लिए ओपीसीडब्ल्यू का बाह्य लेखापरीक्षक पुनः नियुक्त किया गया।

दिसंबर 2023 को समाप्त वित्तीय अवधि के लिए ओपीसीडब्ल्यू की बाह्य लेखापरीक्षा अप्रैल 2024 के दौरान की गई थी। दिसंबर 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा, 'ओपीसीडब्ल्यू के योगदान और कार्यक्रम बजट' पर निष्पादन लेखापरीक्षा भी लेखापरीक्षा में शामिल थी। इसके अलावा, 'यूनिट4 ईआरपी के कार्यान्वयन, टैंगो और आईटी सुरक्षा बुनियादी ढांचे जैसी अन्य विरासत आईटी प्रणालियों पर भी सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की गयी थी।

1.1.4 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए)

आईएईए परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए विश्व का केंद्र है और इसका मुख्यालय वियना में है। इसे संयुक्त राष्ट्र परिवार में, विश्व की "शांति के लिए परमाणु" संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह अभिकरण परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य देशों और दुनिया भर के कई साझेदारों के साथ काम करती है।

दिसंबर 2022 को समाप्त वित्तीय अवधि से शुरू होकर 2022 से 2027 तक छह वर्षों के कार्यकाल के लिए सीएजी आईएईए के बाह्य लेखापरीक्षक हैं। आईएईए की बाह्य लेखापरीक्षा नवंबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा में 'आईएईए द्वारा निर्माण परियोजनाओं के प्रबंधन', मेजर प्रोग्राम 2 - एसडीजी पर विशेष ध्यान देते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए परमाणु तकनीकें और 'आईएईए और एफएओ की संयुक्त रूप से वित्त पोषित गतिविधियां' की वित्तीय लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थीं। आईएईए निधि अधिकारी, आहारिका और स्टाफ सहायता निधियों की वित्तीय लेखापरीक्षा भी की गई। पांच लेखापरीक्षा दलों ने उपर्युक्त लेखापरीक्षा की।

1.1.5 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

14 मार्च 2023 को, अपने 347$^{वें}$ सत्र में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के शासी निकाय ने 1 अप्रैल 2024 से 79$^{वीं}$ और 80$^{वीं}$ वित्तीय अवधि हेतु आईएलओ के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी को चार साल (2024-2027) के लिए नियुक्त किया था।

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, आईएलओ मुख्यालय में वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के अलावा,

(क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अफ्रीकी क्षेत्रीय कार्यालय (आरओएएफ);

(ख) एशिया व प्रशांत क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय (आरओएपी);

(ग) इंडोनेशिया एवं तिमोर-लेस्टे हेतु अं श्र सं का देश कार्यालय (सीओ जकार्ता, इंडोनेशिया);

(घ) आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर वियतनाम (सीओ हनोई);

(ड) आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर थाईलैंड, कंबोडिया और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (सीओ-बैंकॉक);

(च) आईएलओ कंट्री ऑफिस इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, सूडान और दक्षिण सूडान (सीओ-अदीस अबाबा) की भी लेखापरीक्षा की गई। हमने भारतीय श्रम संगठन में निगम विकास रणनीति 2020-21 का कार्यान्वयन और 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठम का मानव संसाधन प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा भी की।

1.2 तकनीकी समूह और बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पैनल की बैठक

बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल ने 9 से 10 दिसंबर 2024 के दौरान पेरिस में यूनाइटेड नेशन्स एडुकेशनल, सांटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाईजेशन (यूनेस्को) मुख्यालय में अपना 64वां नियमित सत्र आयोजित किया। साई इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर, समन्वय और लीगल), महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध), और निदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध) शामिल थे, उन्होंने यूएन पैनल (9-10 दिसंबर 2024) और तकनीकी समूह की बैठकों (4-6 दिसंबर 2024) में भाग लिया।

10 दिसंबर 2024 को पेरिस में यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्रे अजौले के साथ पैनल सदस्यों की बैठक

बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ चिली और रूसी संघ के पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया। पैनल ने यूएन प्रणाली के बीच विभिन्न क्रॉस-कटिंग विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्रे अजोले से भी मुलाकात की। पैनल ने पैनल पत्र और तीन महत्वपूर्ण मुद्दों: वित्तीय प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा यूएन महासचिव की प्रतिक्रिया सहित कई विषयों पर चर्चा की। साई इंडिया ने डिजिटल मुद्दों की श्रेणी के अन्तर्गत 'डिजिटल संचालन से संबंधित लेखापरीक्षा जोखिमों' पर एक प्रस्तुति दी।

1.3 एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में तीसरा वरिष्ठ लेखापरीक्षा वृत्तिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएजी कई प्रतिष्ठित यूएन संगठनों के बाह्य लेखापरीक्षक हैं। यूएन संगठन अपने अत्यधिक संरचित और कठोर लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेखापरीक्षकों के रूप में, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम समय से आगे रहें तथा वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और उभरते मुद्दों के बारे में जानकारी रखें।

यूएन संगठनों की लेखापरीक्षा में हमारी तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए, विश्व स्तर पर शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों में से एक एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा वृत्तिकों के लिए तीसरा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन के लिए डेरिवेटिव, परिभाषित लाभ योजनाओं की रिपोर्टिंग, पर्यावरण, सामाजिक शासन और रिपोर्टिंग, जोखिम प्रबंधन, पोर्टफोलियो और जोखिम प्रबंधन, पेंशन फंड और मुद्रास्फीति से प्रभावित विश्व में परिसंपत्ति आवंटन का पुनर्संयोजन तथा वित्तीय विवरण, अनुपात और गैर-लाभ के लिए संदर्भ शामिल थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को यूएन और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए लेखापरीक्षा कार्य के संचालन और नेतृत्व हेतु उच्च और मध्यम स्तर के आईए और एएस अधिकारियों के ज्ञान और क्षमताओं में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अध्याय 2:
सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

2.1 इंटोसाई का अवलोकन

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाह्य सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक मुख्य संगठन के रूप में कार्य करता है। 1953 में स्थापित, इंटोसाई में 195 पूर्ण सदस्य, पांच सहयोगी सदस्य और दो संबद्ध सदस्य हैं। इंटोसाई यूएन की इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्श वाला एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। इंटोसाई का सिद्धांत 'पारस्परिक अनुभव सभी को लाभ' है।

इंटोसाई में चार मुख्य समितियां हैं जो इसके चार रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहायक हैं। ये समितियां हैं:

i. व्यवसासिक मानक समिति
ii. क्षमता निर्माण समिति
iii. ज्ञान सहभाजन एवं ज्ञान सेवा समिति
iv. नीति, वित्त एवं प्रशासन समिति

प्रत्येक समिति की अध्यक्षता साई के सदस्य में से एक द्वारा की जाती है।

2.2 इंटोसाई ज्ञान सहभाजन समिति (केएससी)

ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं (केएससी) पर इंटोसाई समिति की स्थापना के बाद से, सीएजी केएससी और इसकी संचालन समिति (केएससी एससी) के अध्यक्ष हैं।

केएससी सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन दस्तावेज़, पुस्तिकाएँ, सर्वोत्तम अभ्यास और शोध पत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अपनी वेबसाइट - इंटोसाइ कम्युनिटी पोर्टल के माध्यम से ज्ञान का प्रसार भी करता है। केएससी के 13 कार्य समूह[1] हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।

2.2.1 केन्या के नैरोबी में आयोजित केएससी संचालन समिति की 16वीं वार्षिक बैठक

इंटोसाई ज्ञान सहभाजन समिति (केएससी एससी) की संचालन समिति की 16वीं वार्षिक बैठक केन्या के महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को नैरोबी, केन्या में आयोजित की गई थी।

सीएजी ने इंटोसाई केएससी के अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में अपना प्रारंभिक भाषण दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि केएससी की यात्रा विश्व स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सहयोग, विकास और उत्कृष्टता की निरंतर प्रयास की यात्रा रही है। इंटोसाई केएससी की गतिविधियों की प्रगति के विषय में बताते हुए, उन्होंने कहा कि केएससी सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षकों और उनके संबंधित राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित समवर्ती मुद्दों पर ज्ञान प्रसार में सबसे आगे रहा है, जिसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

[1] https://cag.gov.in/en/page-involvement-with-intosai

नैरोबी, केन्या में 16वीं इंटोसाई केएससी बैठक के दौरान सीएजी और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि।

जबकि सीएजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केएससी का मूल साझा ज्ञान है एवं उनके समर्पण और अथक प्रयासों के लिए केएससी तथा उसके कार्य समूहों की सराहना की, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि केएससी संचालन समिति के सदस्य कार्यकुशलता और संसाधन उपयोग को बढ़ाने के लिए केएससी और उसके कार्य समूहों के कार्यों की नियमित समीक्षा की प्रक्रिया को मजबूत करें। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक कार्य समूह प्रत्येक तीन वर्ष में इंकोसाई के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उनकी उपलब्धियों और प्रगति का विवरण होगा।

बैठक के दौरान अपने समापन भाषण में, सीएजी ने सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भागीदारी और केएससी कार्यकारी समूहों के नेतृत्व में संचालन समिति की बैठक के सफलता की सराहना की।

2.2.2 नैरोबी, केन्या में आयोजित इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 33वीं वार्षिक बैठक

इंटोसाई सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआईटीए) की 33वीं वार्षिक बैठक केन्या के महानियंत्रक कार्यालय द्वारा 15 अक्टूबर, 2024 को नैरोबी, केन्या में आयोजित की गई।

नैरोबी, केन्या में 33वीं डब्ल्यूजीआईटीए बैठक के दौरान सीएजी और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि

सीएजी ने इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम में अपना प्रारंभिक भाषण दिया और कहा कि मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीक को अपनाना, जो सेवा वितरण, नीति निर्माण और सरकारी संचालन में क्रांति ला रही है, भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) ने डिजिटल विभाजन को पाटते हुए वित्तीय समावेशन और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षकों को तकनीकी प्रगति के साथ शासन ढांचे को संरेखित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकारों को जोखिम प्रबंधन, संसाधनों का अनुकूलन और रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता करने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा पद्धतियों का विकास करना चाहिए।

सीएजी ने प्रतिभागियों को बताया कि उभरते बदलावों और उन्नत प्रौद्योगिकी में आने वाली चुनौतियों के प्रति डब्ल्यूजीआईटीए के लचीलेपन को जारी रखते हुए, लेखापरीक्षकों के लिए क्षमता निर्माण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 2026-2028 के लिए डब्ल्यूजीआईटीए की अगली कार्य योजना में एआई और मशीन लर्निंग जैसी प्रासंगिक और अत्याधुनिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जाएगा। कार्य योजना में उभरते सूचना प्रोद्यौगिकी रुझानों पर अध्ययन, दिशा-निर्देशों और टूलकिटों का विकास, प्रशिक्षण सामग्री और प्रमाणन कार्यक्रमों का निर्माण तथा समुदाय के भीतर अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार एवं गोष्ठियों का आयोजन शामिल होगा।

अंत में, उन्होंने सभी प्रतिभागियों को सक्रिय चर्चा के साथ-साथ पूरे डब्ल्यूजीआईटीए समुदाय में शामिल होते हुए डब्ल्यूजीआईटीए की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लिए प्रोत्साहित किया।

2.2.3. डबल्यूजीआईटीए का "सूचना प्रोद्यौगिकी की प्रभावशाली लेखापरीक्षा हेतु सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का पुनर्स्थापन" पर संगोष्ठी

"सूचना प्रोद्यौगिकी की प्रभावशाली लेखापरीक्षा हेतु सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का पुनर्स्थापन" विषय पर डब्ल्यूजीआईटीए संगोष्ठी 16 अक्टूबर 2024 को 33$^{वीं}$ डब्ल्यूजीआईटीए बैठक के संयोजन में आयोजित की गई थी। संगोष्ठी ने साई समुदाय की सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर बहुमूल्य ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान किया। ब्राजील, मिस्र, केन्या, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और जाम्बिया के साई ने कई उभरते मुद्दों पर संबंधित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जैसे कि, रैंसमवेयर रक्षा, साइबर सुरक्षा और आंकड़ा सुरक्षा चुनौतियां और आंकड़ा गोपनीयता, उत्पादक एआई प्रणाली, प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना, डिजिटल परिवर्तन, एकीकृत वित्तीय लेखापरीक्षा आदि।

साई इंडिया के प्रतिनिधि ने "सूचना प्रोद्यौगिकी की प्रभावशाली लेखापरीक्षा हेतु सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के पुनर्स्थापन" पर प्रस्तुति दी, जिसमें मुख्य रूप से भारत में अधिक प्रभावशाली सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा के लिए पांच केंद्रित क्षेत्र, अर्थात् व्यापार नियमों का मानचित्रण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संबद्धता, डिजिटल इको-सिस्टम की शुरूआत, सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियां और मानव तत्व शामिल थे। प्रस्तुति में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि डिजिटल इकोसिस्टम के प्रभावी एकीकरण के माध्यम से भारत में सूचना प्रोद्यौगिकी

लेखापरीक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि (i) सरकार विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग की सुविधा वाली पंजीयनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, (ii) निजी संगठनों को ऐसी अनुप्रयुक्तियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सेवा वितरण और अनुपालन में सुधार करते हैं, (iii) महत्वपूर्ण जानकारी की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और अनुप्रयुक्ति नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि लेखापरीक्षा दलों को इन डिजिटल वातावरण की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए लगातार कौशल बढ़ाना चाहिए।

2.3 इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति (सीएएस) की 21वीं वार्षिक बैठक

इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति (सीएएस) की 21वीं वार्षिक बैठक वर्चुअल रूप से साई इंडिया संस्थान द्वारा 12 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न साई के 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बैठक की शुरुआत सीएजी और सीएएस अध्यक्ष द्वारा एक वीडियो संदेश के साथ हुई, जिन्होंने इंटोसाई वृत्तिक मानक समिति के रणनीतिक लक्ष्यों और उभरते मुद्दों, रिपोर्ट, "वैश्विक प्रवृत्तियों का मार्गदर्शन: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए भविष्य के निहितार्थ: 2025-2040" पर इंटोसाई पर्यवेक्षी समिति की अंतर्दृष्टि के साथ उप-समिति के प्रयासों को संरेखित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

सीएजी ने इस बात पर जोर दिया कि अनुपालन लेखापरीक्षा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल होते हुए जवाबदेही और वैधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएजी ने कहा, "विकास, सामाजिक कल्याण और शासन के लिए विश्वास सर्वोपरि है, तथा यह हमें अपने कार्य के माध्यम से इसे सुरक्षित रखने के दायित्व की याद दिलाता है।"

इंटोसाई रणनीतिक योजना 2023-2028 के साथ संरेखित असमानता को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया था। सीएजी ने "समावेशिता और समानता के अनुपालन लेखापरीक्षा" पर एक अवधारणा पत्र विकसित करने के लिए उप-समिति के प्रयासों की सराहना की। पत्र, यूएन 2030 के एजेंडे और सतत विकास लक्ष्यों, वैश्विक मामले अध्ययन, सर्वेक्षण निष्कर्ष और इन क्षेत्रों में अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए प्रवेश बिंदुओं से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है। सीएजी ने आशा व्यक्त की कि यह पत्र साई को उनके लेखापरीक्षण में समावेशिता और समानता को शामिल करने में मार्गदर्शन देगा।

बैठक में सीएएस कार्य योजना 2026-2028 पर चर्चा को भी प्राथमिकता दी गई। सीएजी ने वैश्विक रुझान रिपोर्ट से दूरदर्शी दृष्टिकोणों को कार्य योजना में शामिल करने का आग्रह किया, जिसमें स्थिरता पहल, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, डिजिटल शासन और राजकोषीय जवाबदेही की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह सुनिश्चित करेगा कि अनुपालन लेखापरीक्षा प्रासंगिक बनी रहे और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास, स्थिरता और लचीलेपन में योगदान दे।

अंत में, सीएजी ने अनुपालन लेखापरीक्षा के भविष्य को आकार देने और शासन में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए चर्चा में सक्रिय जुड़ाव का आह्वान किया। इस बैठक को विश्व स्तर पर सुदृढ़, अधिक समावेशी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

2.4 इंटोसाई दाता सहयोग के नेतृत्व में वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीएसएआई) के अंतर्गत साई बेलीज़ को साई इंडिया की तकनीकी सहायता

इंटोसाई डोनर सहयोग के नेतृत्व में वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीएसएआई) का उद्देश्य साई की क्षमता को मजबूत करना और बनाए रखना है एवं चुनौतीपूर्ण वातावरण में साई की पहचान करना और उनकी क्षमताओं एवं निष्पादन को मजबूत करने के लिए समर्थन प्रदान करना है। साई बेलीज़ के लिए मुख्य तकनीकी साझेदार के रूप में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के साथ 2023 में आधिकारिक तौर पर जीएसएआई समर्थन शुरू किया गया था।

साई बेलीज़ सपोर्ट प्रोजेक्ट हेतु साई इंडिया तकनीकी सहायता के लिए विस्तृत जरूरतों का आकलन करने के लिए साई इंडिया की एक टीम ने अगस्त 2023 में साई बेलीज़ का दौरा किया।

19 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान बेलीज, साई इंडिया एवं आईडीआई के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें परियोजना के चरण-I के रूप में 2024-2025 की अवधि के लिए तकनीकी सहायता के लिए निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं:

- डिजिटलीकरण और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की बेहतर गुणवत्ता
- सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की प्रबंधन सूचना प्रणाली (मानव संसाधन प्रबंधन, अभिलेख) का डिजिटलीकरण
- पहले से शक्तिशाली सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान स्वतंत्रता
- हितधारक सहभागिता (संयुक्त लोक लेखा समिति - जेपीएसी)

जीएसएआई कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, बेलीज के महालेखापरीक्षक सहित पांच सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान बेलीज प्रतिनिधियों ने 12 अगस्त से 17 अगस्त 2024 तक साई इंडिया का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य ज्ञान साझा करने, विकास और आईडीआई जीएसएआई सहकर्मी सहायता परियोजना पर आगे की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करके हमारे सहयोग को आगे बढ़ाना था, विशेष रूप से हितधारक जुड़ाव और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान स्वतंत्रता के क्षेत्रों में, जैसा कि सहयोग समझौते में रेखांकित किया गया है।

2.5 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कैरोसाई संगठन के साथ साई इंडिया का समस्तर सहयोग

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कैरेबियाई संगठन कैरोसाई (सचिवालय: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान जमैका) ने पहले साई इंडिया से अनुरोध किया था कि वह डेटा एनालिटिक्स में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कैरेबियाई संगठन सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान को समर्थन देने और सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए साई इंडिया के साथ पीयर-टू-पीयर सहयोग की संभावना का पता लगाए।

सीएजी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में साई इंडिया और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कैरेबियाई संगठन के बीच पीयर-टू-पीयर सहयोग के प्रस्ताव को "सैद्धांतिक" मंजूरी दी:

- लेखापरीक्षा अभ्यास में कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग (आभासी)
- लेखापरीक्षित सामान्य सूचना प्रोद्यौगिकी नियंत्रणों की समीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा को प्रभावित करने वाले जोखिम की पहचान करना। (आभासी)
- नमूना चयन, डुप्लिकेट परीक्षण, अंतराल विश्लेषण, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए विभिन्न सूचना प्रोद्यौगिकी उपकरणों का उपयोग करके आंकड़ा विश्लेषण (आभासी)
- सूचना प्रोद्यौगिकी अनुप्रयोग और सुरक्षा नियंत्रण लेखापरीक्षा - पायलट सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा (व्यक्तिगत रूप से) के लिए योजना, निष्पादन और रिपोर्टिंग पर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण - योजना/रिपोर्टिंग (भाग I) (आभासी) और निष्पादन/रिपोर्टिंग (भाग II) (व्यक्तिगत रूप से)

इस संदर्भ में, सीडीएमए के दो निदेशकों और एक सलाहकार ने जुलाई-अगस्त 2024 में उपरोक्त विषयों पर वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र लिया। नामित निदेशकों में से एक ने नवंबर-दिसंबर 2024 में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान जमैका का व्यक्तिगत दौरा भी किया।

2.6 जलवायु स्कैनर उपकरण

जलवायु स्कैनर एक वैश्विक पहल है, जिसका नेतृत्व लेखा का संघीय न्यायालय - ब्राजील (टीसीयू) द्वारा पर्यावरण लेखापरीक्षा पर इंटोसाइ कार्य समूह (डब्ल्यूजीईए) के सहयोग से डब्ल्यूजीईए कार्य योजना 2023-25 के अनुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जलवायु स्कैनर उपकरण नामक एक त्वरित मूल्यांकन उपकरण को विकसित और लागू करके जलवायु परिवर्तन से संबंधित सरकारी कार्यों का आकलन करना है।

इस पहल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित सरकारी कार्यों का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा त्वरित मूल्यांकन सम्मिलित है। मूल्यांकन में शासन, वित्तपोषण और सार्वजनिक नीतियों के तीन अक्षों पर सरकार की जलवायु परिवर्तन पहलों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य भविष्य के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान कार्य के लिए मूल्यवान जानकारी तैयार करना, प्रासंगिक निष्कर्षों को संप्रेषित करना तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों और शक्तियों पर वैश्विक ज्ञान साझा करने में योगदान देना है।

साई इंडिया ने जलवायु स्कैनर कार्यकारी समूह में भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व महानिदेशक, वरिष्ठ उपमहालेखाकार और पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जयपुर ने साई इंडिया के तकनीकी केंद्र बिंदु के रूप में किया।

2024-25 के दौरान, 'परिणाम और प्रभाव को बढ़ावा देने' पर जलवायु स्कैनर कार्यकारी समूह की बैठक 15 से 18 अक्टूबर 2024 तक ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित की गई थी।

क्लाइमेट स्कैनर उपकरण की तैनाती के साथ आगे बढ़ते हुए, परियोजना प्रमुख के रूप में, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ब्राज़ील को उम्मीद है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान अपने राष्ट्रीय आकलन को फरवरी 2025 तक पूरा कर लेंगे, ताकि नवंबर 2025 में सीओपी 30 में आगे के विश्लेषण और संचार के लिए तैयार हो सकें।

2.7 इंटोसाई के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

साई इंडिया, केएससी के अंतर्गत 13 कार्य समूहों में से कई का सदस्य है, जो विशिष्ट क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं को तैयार करने के लिए समर्पित हैं। एसएआई इंडिया अन्य इंटोसाई लक्ष्य समितियों, तीन इंटोसर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान उप-समितियों, दो इंटोसाई टास्क फोर्स और इंटोसाई दाता सहयोग संचालन समिति का भी सदस्य है।

साई इंडिया के प्रतिनिधियों ने कार्य समूहों/ इंटोसर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान निकायों के निम्नलिखित कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया:

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान
1	संयुक्त राष्ट्र/इंटोसाई संगोष्ठी	16-18 अप्रैल 2024	वियना, ऑस्ट्रिया
2	सतत विकास लक्ष्यों और प्रमुख सतत विकास संकेतकों पर इंटोसाई कार्य समूह की 5वीं बैठक (डब्ल्यूजीएसडीजी केएसडीआई)	20-22 अप्रैल 2024	रियाद, सऊदी अरब
3	अग्रगामी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान निष्पादन मापन रूपरेखा (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान पीएमएफ) कार्यशाला	4-7 जून 2024	मनीला, फ़िलीपींस
4	सार्वजनिक ऋण पर कार्य समूह की वार्षिक बैठक	5-7 जून 2024	अज़रबैजान
5	क्षमता निर्माण समिति संचालन समिति (सीबीसी एससी) की बैठक	12 जून 2024	ऑनलाइन
6	व्यावसायिक मानक समिति संचालन समिति (पीएससी एससी) की बैठक	26 जून 2024	ऑनलाइन
7	सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीईपीपीपी) की बैठक	20-21 जून 2024	बुखारेस्ट, रोमानिया
8	भ्रष्टाचार और धन शोधन के विरुद्ध लड़ाई पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीएफएसीएमएल) की 17वीं बैठक	3-5 सितंबर 2024	यूएई
9	25वीं व्यावसायिक मानक समिति संचालन समिति (पीएससी एससी) बैठक	9-10 सितंबर 2024	ब्रासीलिया, ब्राज़ील
10	बृहत आंकड़ों पर इंटोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीबीडी) की बैठक	10-12 सितंबर 2024	वियतनाम
11	21वीं वार्षिक नीति, वित्त और प्रशासन समिति (पीएफएसी) की बैठक	16 सितंबर 2024	बुखारेस्ट, रोमानिया
12	एनटीओएसएआई दाता सहयोग संचालन समिति (आईडीसी एससी) और इंटोसाई क्षेत्रीय समन्वय मंच (आईआरसीपी) की बैठक	17-20 सितंबर 2024	बुखारेस्ट, रोमानिया

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान
13	यूरोसाई सूचना प्रोद्यौगिकी कार्य समूह (यूरोसर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान आईटीडब्ल्यूजी) की 17वीं बैठक	24-25 सितंबर 2024	ओस्लो
14	वित्तीय और आर्थिक स्थिरता पर 11वीं कार्य समूह (डब्ल्यूजीएफईएस) बैठक	25-26 सितंबर 2024	ओटावा, कनाडा
15	आईडीआई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान युवा नेता 2024-2025	30 सितंबर - 4 अक्टूबर 2024	किगाली रवांडा
16	निष्कर्षण उद्योगों की लेखापरीक्षा पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीईआई) संचालन समिति की बैठक	8-10 अक्टूबर 2024	किगाली रवांडा
17	वित्तीय लेखापरीक्षा और लेखा उपसमिति (एफएएएस) की वार्षिक बैठक	15-16 अक्टूबर 2024	लंदन, यूनाइटेड किंगडम
18	सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा पर 33वीं कार्य समूह (डब्ल्यूजीआईटीए) बैठक और संगोष्ठी	15-16 अक्टूबर 2024	केन्या
19	16वीं ज्ञान साझाकरण समिति संचालन समिति (केएससी एससी) बैठक	14 अक्टूबर 2024	केन्या
20	साई लेखापरीक्षकों के लिए पायलट व्यावसायिक शिक्षा (पीईएसए) व्यक्तिगत बातचीत	14-16 अक्टूबर 2024	प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका
21	साई लेखापरीक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा (पीईएसए) सतत व्यावसायिक विकास	16-18 अक्टूबर 2024	प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका
22	78वीं इंटोसाई शासी बोर्ड बैठक	27-28 अक्टूबर 2024	मिस्र
23	उभरते मुद्दों पर इंटोसाई पर्यवेक्षी समिति (एससीईआई) की बैठक	29 अक्टूबर	मिस्र
24	पर्यावरण लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीईए) की संचालन समिति की 20वीं बैठक	28-31 अक्टूबर 2024	फ़िनलैंड
25	साई साइड इवेंट्स जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी29)	14 नवंबर 2024	बाकू, अज़रबैजान
26	डिजिटलीकरण और स्थिरता में योगदान देने वाले सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान लेखापरीक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन (आईडीआई)	18-19 नवंबर 2024	त्बिलिसी, जॉर्जिया
27	तकनीकी उन्नति का लाभ उठाना (एलओटीए) अग्रणी बैठक	20-22 नवंबर 2024	त्बिलिसी, जॉर्जिया
28	रणनीतिक विकास योजना (एसडीपी) कार्यशाला	25-26 नवंबर 2024	सोफिया, बुल्गारिया
29	कैरेबियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गनाइजेशन (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कैरेबियाई संगठन) पीयर-टू-पीयर कोऑपरेशन	25 नवंबर - 6 दिसंबर 2024	जमैका
30	21वीं अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) बैठक	12 दिसंबर 2025	ऑनलाइन

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान
31	इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान लेखापरीक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा (पीईएसए) मान्यता परियोजना	6-7 फरवरी 2025	लंदन, यूनाइटेड किंगडम

अध्याय 3:

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

3.1 एसोसाई का अवलोकन

1978 में स्थापित एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान संगठन (एसोसाई), इंटोसाई के सात क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। यह 1979 में क्रियाशील हुआ, और इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 48 है।

एसोसाई के उद्देश्य हैं:

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सतत शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सूचना के केंद्र और विश्व के अन्य भागों में स्थित संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय संपर्क के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सदस्य संस्थाओं की सरकारों की सेवा में लेखा परीक्षकों और क्षेत्रीय समूहों के बीच घनिष्ठ सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

3.2 16वीं एसोसाई सभा: साई इंडिया द्वारा एशिया में सहयोगात्मक लेखापरीक्षा के माध्यम से शासन, पारदर्शिता और सतत विकास को आगे बढ़ाना

21 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक आयोजित 16वीं एसोसाई असेंबली में उद्घाटन समारोह, दो पूर्ण सत्र और 9वीं एसोसाई संगोष्ठी जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल थे। बैठकें 21 सितंबर से कार्य-स्तरीय बैठकों के साथ शुरू हुईं, जिसके बाद 23 सितंबर 2024 को 60वीं शासी बोर्ड की बैठक हुई।

16वीं एसोसाई असेंबली के उद्घाटन समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति

यह सभा 24 सितंबर 2024 को एक प्रेरणादायक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई, जिसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। सभा को अपने संबोधन में माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शासन में साई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। मेजबान और आगामी एसोसाई अध्यक्ष के रूप में सीएजी ने स्वागत भाषण देते हुए उभरती क्षेत्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सदस्य साई के बीच मजबूत सहयोग की अनिवार्यता पर बल दिया।

समारोह में एसोसाई के अध्यक्ष महामहिम जनरल चनाथप इंदामरा ने भी संबोधन दिया। उद्घाटन समारोह ने प्रभावी रूप से सभा के लिए एक सहयोगात्मक और अग्रगामी रुख स्थापित किया, जिसमें एसोसाई क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक लेखापरीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। इस समारोह में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई), इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) और सदस्य साई के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3.3 16वीं एसोसाई सभा: रणनीतिक विचार-विमर्श और प्रमुख निर्णय

16वीं एसोसाई सभा में रणनीतिक चर्चा और निर्णय लेने के लिए समर्पित दो महत्वपूर्ण पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद आयोजित प्रथम पूर्ण अधिवेशन में मुख्य संगठनात्मक और परिचालन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, पिछली गतिविधियों की समीक्षा की गई और भविष्य के कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। सभा के समापन के अवसर पर आयोजित द्वितीय पूर्ण अधिवेशन में इन आधारों पर काम किया गया, जिसमें शासन संबंधी मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया तथा एसोसाई के लिए भविष्य की दिशा की रूपरेखा तैयार की गई। ये पूर्ण सत्र, एसोसाई के एजेंडे को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में इसकी निरंतर प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए, सभा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। इन सत्रों में चर्चा की गई प्रमुख एजेंडा मदों और लिए गए निर्णयों में शामिल थे:

- **वित्तीय प्रबंधन और बजट अनुमोदन:** सदस्य साई ने वित्तीय वर्ष 2021-2023 के लिए एसोसाई के वित्तीय विवरणों और वित्तीय वर्ष 2024-2027 के बजट की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दी, जिससे संगठन के आगामी त्रिवर्षीय अवधि के लिए जिम्मेदार वित्तीय प्रशासन सुनिश्चित हो सके।
- **रणनीतिक योजना और क्षमता विकास पहल:** आईडीआई के बहुमूल्य योगदान के साथ एसोसाई रणनीतिक योजना और क्षमता विकास गतिविधियों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इन चर्चाओं ने लक्षित और सहयोगात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सदस्य साई की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एसोसाई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **अनुसंधान और घोषणाएँ - लेखापरीक्षा अभ्यास मार्गदर्शन:** सभा को बैंकॉक घोषणापत्र और 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना के परिणामों पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। ये पहल साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के विकास के प्रति एसोसाई के समर्पण का उदाहरण हैं, जो पूरे क्षेत्र में लेखापरीक्षा पद्धतियों को सूचित और मजबूत करते हैं।
- **कार्य समूह अद्यतनीकरण और विस्तार:** मौजूदा एसोसाई कार्य समूहों की रिपोर्ट, पर्यावरण लेखापरीक्षा, सतत विकास लक्ष्य और संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित

करते हुए चल रहे सहयोगात्मक कार्य और ज्ञान साझाकरण को प्रदर्शित करती है। विशेष रूप से, सभा ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, आईटी लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स और क्षेत्रीय और नगरपालिका लेखापरीक्षा पर नए कार्य समूहों की स्थापना को मंजूरी दी, जो समकालीन चुनौतियों और विकसित लेखापरीक्षा परिदृश्यों को संबोधित करने के लिए एसोसाई के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

- **नियामक ढांचे में सुधार:** एसोसाई विनियमों के लिए गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर एसोसाई विनियमों में संशोधनों की समीक्षा और अनुमोदन से यह सुनिश्चित हुआ कि संगठन का परिचालन ढांचा मजबूत, प्रासंगिक और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बना रहे।
- **नेतृत्व परिवर्तन और निरंतरता:** इस सत्र में शासी बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति के लिए स्व-नामांकन के साथ-साथ इंटोसाई सीबीसी और यूरोसाई अध्यक्षों के वीडियो संदेश भी शामिल थे, जिससे वैश्विक लेखापरीक्षा समुदाय की अंतर्संबंधता को बल मिला। 2024-2027 की अवधि के लिए थाईलैंड के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान से भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान को एसोसाई की अध्यक्षता का औपचारिक हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करता है, जिससे साई इंडिया को आगामी त्रिवर्षीय अवधि के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सीएजी एसोसाई के नए अध्यक्ष के रूप में संगठन ध्वज के साथ

- **शासी बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों का चुनाव:** सभा ने 2024-2027 के कार्यकाल के लिए शासी बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति के लिए नए सदस्यों का चुनाव किया। अज़रबैजान, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान को शासी बोर्ड के लिए चुना गया।

नई दिल्ली में 16$^{वीं}$ एसोसाई सभा ने सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान और हितधारकों को उत्पादक संवाद, रणनीतिक निर्णय लेने और सहयोगात्मक योजना बनाने में सफलतापूर्वक शामिल किया। शासन, पारदर्शिता, सतत

विकास, डिजिटल समावेशन और लैंगिक समानता पर सभा का ध्यान एशियाई क्षेत्र के सामने उभरती प्राथमिकताओं और चुनौतियों को दर्शाता है। नई दिल्ली घोषणा को अपनाना और एसोसाई की अध्यक्षता का साई इंडिया को हस्तांतरण महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, जो 2024-2027 की अवधि के लिए साई इंडिया के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा को बढ़ाने और क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एसोसाई के निरंतर योगदान के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। सभा का समापन एसोसाई समुदाय के भीतर सहयोग और साझा उद्देश्य की मजबूत भावना की पुष्टि के साथ हुआ।

3.4 60वीं एसोसाई शासी बोर्ड बैठक

एसोसाई की 60वीं शासी बोर्ड की बैठक 23 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सीएजी ने बैठक में भाग लिया।

एसोसाई शासी बोर्ड की बैठक में अगले वर्ष के लिए गतिविधि योजनाओं पर निर्णय लिया गया। सीएजी द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई; जिन्हें शासी बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया:

- एसोसाई के भीतर आईटी लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स पर एक कार्य समूह की स्थापना पर रिपोर्ट
- 16वीं एसोसाई असेंबली की तैयारी और नई दिल्ली घोषणा के प्रस्ताव पर रिपोर्ट
- एसोसाई जर्नल पर रिपोर्ट।

60वीं शासी बोर्ड बैठक में बोर्ड सदस्यों की समूह तस्वीर

3.5 61वीं एसोसाई शासी बोर्ड बैठक

एसोसाई की 61वीं शासी बोर्ड की बैठक 27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सीएजी ने बैठक की अध्यक्षता की और नए शासी बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया। बैठक के दौरान निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई:

- 60वीं शासी बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
- 14वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना के विषय का प्रस्ताव
- 2027 में 17वीं एसोसाई सभा पर रिपोर्ट
- एसोसाई की 62वीं शासी बोर्ड बैठक की तिथि और स्थान
- दूरदर्शिता और सार्वजनिक वित्त मूल्यांकन पर एसोसाई कार्य समूह (एसोसाई डब्ल्यूजीएफपीएफई) की स्थापना का प्रस्ताव

27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एसोसाई की 61वीं शासी बोर्ड बैठक के दौरान शासी बोर्ड सदस्य

3.6 9वीं एसोसाई संगोष्ठी: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में समावेशन एवं लैंगिक समानता पर चर्चा

नौवीं एसोसाई संगोष्ठी में गणमान्य व्यक्ति

25 सितंबर 2024 को आयोजित 9वीं एसोसाई संगोष्ठी, "डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं लैंगिक विभाजन - समावेशन एवं पहुंच से जुड़े मुद्दे" के अत्यधिक प्रासंगिक विषय पर केंद्रित थी। सीएजी द्वारा उद्घाटित इस संगोष्ठी में, प्रमुख वक्तव्य श्रीमती लक्ष्मी एम. पुरी, सेवानिवृत्त राजदूत एवं प्रख्यात राजनयिक व विशेषज्ञ द्वारा दिया गया, जिन्होंने डिजिटल अवसंरचना विकास एवं लैंगिक समानता के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।

इंडोनेशिया, इज़राइल, मलेशिया, ओमान एवं थाईलैंड के साई द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने एवं लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों पर विविध राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किए। यह संगोष्ठी साई के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है, जहां वे समावेशन एवं समानता के दृष्टिकोण से डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में अपनी भूमिका पर विचार कर सकते हैं, जिससे सभी लिंगों के लिए डिजिटल पहुंच को बढ़ावा मिल सके।

3.7 एसोसाई जर्नल

सीएजी को 2021-2024 की अवधि के लिए एएसओसाई जर्नल ऑफ गवर्नमेंट लेखापरीक्षा संपादक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, एएसओसाई के शासी बोर्ड (जीबी) की पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। एसोसाई जर्नल वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है। एसोसाई जर्नल के लिए लेख साई सदस्यों द्वारा लिखे जाते हैं।

साई इंडिया ने अगस्त 2021 में एसोसाई जर्नल की नई वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें एक नया डिज़ाइन एवं डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ़ शामिल है ताकि गुणवत्तापूर्ण ज्ञान सामग्री, उन्नत डिज़ाइन एवं इंटरैक्टिव सुविधाओं के साथ अपने उपयोगकर्ताओं के पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। साई इंडिया ने सार्वजनिक जवाबदेही एवं लेखापरीक्षा समुदाय के बीच व्यापक पहुँच एवं प्रसार के लिए एसोसाई जर्नल का 'X' हैंडल @एसोसाई जर्नल भी लॉन्च किया।

अक्टूबर 2024 के ई-जर्नल का नवीनतम अंक "सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में एआई एवं मशीन लर्निंग: अवसर एवं चुनौतियां" विषय पर वेबसाइट www.asosaijournal.org पर होस्ट किया गया था।

3.8 14वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना

उभरते क्षेत्रों में लेखापरीक्षा पर ज़ोर देने के मद्देनज़र, साई इंडिया, एसोसाई की सभी शोध परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सितंबर 2024 में आयोजित एसोसाई की 61वीं शासी बोर्ड बैठक के दौरान, "सार्वजनिक लेखापरीक्षा में दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना" विषय को 14वीं एसोसाई शोध परियोजना के विषय के रूप में चुना गया था। अंतिम परिणाम 2027 में सऊदी अरब में आयोजित 17वीं एसोसाई सभा में प्रस्तुत किए जाएँगे।

3.9 एसोसाई संगोष्ठी 2024

"लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार से निपटना" विषय पर एसोसाई संगोष्ठी 2024 का आयोजन 21-25 अक्टूबर 2024 को मनीला, फिलीपींस में फिलीपींस गणराज्य के लेखा आयोग (साई फिलीपींस) के सहयोग से

एसोसाई द्वारा किया गया। संगोष्ठी के उद्देश्य थे: (i) "लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार से निपटना" विषय पर अनुभव एवं ज्ञान साझा करना; एवं (ii) इस विषय से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना। साई इंडिया से एक निदेशक ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

प्रतिभागियों, विषय विशेषज्ञों तथा एसोसाई सीडीए के प्रतिनिधियों का समूह फोटो

3.10 पर्यावरण लेखापरीक्षा पर 10वीं एसोसाई संगोष्ठी तथा एसोसाई डब्ल्यूजीईए की 10वीं कार्यकारी बैठक

इस संगोष्ठी का आयोजन एसोसाई डब्ल्यूजीईए के अध्यक्ष, साई चीन द्वारा, साई इंडोनेशिया के सहयोग से 24 से 26 फरवरी 2025 तक मध्य जावा स्थित योग्याकार्ता में किया गया। इंडोनेशिया गणराज्य के लेखामंडल (बीपीके) के अध्यक्ष ने योग्याकार्ता में पर्यावरण लेखापरीक्षा पर 10वीं एसोसाई संगोष्ठी तथा एसोसाई डब्ल्यूजीईए की 10वीं कार्यकारी बैठक का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 16 देशों के 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एडीएआई (एनसीआर) तथा साई इंडिया के एक निदेशक ने 10वीं एसोसाई संगोष्ठी एवं एसोसाई डब्ल्यूजीईए की 10वीं कार्यकारी बैठक में भाग लिया तथा "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लेखापरीक्षा कंट्री पेपर" पर प्रस्तुति दी, जिसमें भारत में ठोस अपशिष्ट की विविध श्रेणियों को उजागर किया गया। इस प्रस्तुति में भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन – शहरी एवं ग्रामीण का उल्लेख किया गया तथा इंदौर नगर निगम की सफलता के उदाहरण के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित किया गया।

पर्यावरण लेखापरीक्षा पर 10वीं एसोसाई डब्ल्यूजीईए संगोष्ठी में प्रतिभागियों का समूह फोटो

3.11 "लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार का निपटान" विषय पर एसोसाई क्षमता विकास कार्यक्रम – उप-क्षेत्रीय लेखापरीक्षा योजना बैठक

यह बैठक 3 से 7 मार्च 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुई एवं जिसकी मेजबानी साई थाईलैंड द्वारा की गई थी। साई दलों ने उनके द्वारा तैयार की गई मसौदा लेखापरीक्षा योजनाएं प्रस्तुत कीं, लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार करने में अपने अनुभव साझा किए तथा आवश्यकता अनुसार सलाहकारों की टिप्पणियों, सहकर्मी समीक्षा एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ चर्चा के आधार पर योजनाओं की समीक्षा एवं संशोधन किया।

इस कार्यक्रम में साई इंडिया के एक निदेशक एवं दो वरिष्ठ एओ उपस्थित थे।

बैंकॉक, थाईलैंड 3-7 मार्च 2025, उप-क्षेत्रीय लेखापरीक्षा योजना बैठक में प्रतिभागियों का समूह फोटो

3.12 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीएसओईए)

सितंबर 2024 में आयोजित 16वीं एसोसाई असेंबली ने कार्यकारी समूह की स्थापना को अनुमोदित किया। इस कार्यकारी समूह की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई कि सदस्य साई की भूमिका को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्रबंधन एवं शासन में नैतिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं सततता को बढ़ावा देने में सशक्त किया जा सके। साई इंडिया ने कार्यकारी समूह की गतिविधियों में, जिसमें कार्यकारी समूह की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन भी शामिल था, सक्रिय रूप से भाग लिया।

3.13 क्षेत्रीय एवं निगमित लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआरएमए)

सितंबर 2024 में आयोजित 16वीं एसोसाई असेंबली ने कार्यकारी समूह की स्थापना को अनुमोदित किया। इस कार्यकारी समूह का उद्देश्य स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एसोसाई सदस्यों के बीच ज्ञान साझा करने एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।

3.14 आईटी लेखापरीक्षा एवं डेटा विश्लेषण पर एसोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआईटीए एवं डीए)

सितंबर 2024 में आयोजित 16वीं एसोसाई महासभा ने कार्य समूह की स्थापना को अनुमोदित किया। इस कार्य समूह की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा करने के उद्देश्य से की गई है। एसोसाई के सदस्य साई को इस कार्य समूह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजे गए, जिनमें से 20 साई ने इसमें सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। उद्घाटन बैठक में कार्यकारी समूह के संदर्भ की शर्तों, प्रमुख प्राथमिकताओं एवं परिचालन रूपरेखा के प्रारूपण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अध्याय 4:

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परस्पर संवाद

4.1 साई इंडिया की बहुपक्षीय भागीदारी

4.1.1 साई 20 सहभागिता समूह

2024 में ब्राज़ील द्वारा जी 20 की अध्यक्षता के तत्वावधान में, फ़ेडरल कोर्ट ऑफ़ अकाउंट्स - ब्राज़ील (साई ब्राज़ील) ने साई 20 सहभागिता समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। साई ब्राज़ील ने 16-18 जून 2024 तक ब्राज़ील के बेलेम पारा में साई 20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की, जिसका विषय था 'जलवायु वित्तपोषण' एवं 'भूख एवं गरीबी के विरुद्ध लड़ाई'। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साई 20 विज्ञप्ति का समर्थन करना था, जो जलवायु वित्तपोषण एवं ऊर्जा परिवर्तन तथा गरीबी एवं भुखमरी के विरुद्ध लड़ाई से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर साई 20 सदस्यों के सामूहिक रुख एवं सिफारिशों का प्रतिनिधित्व करती है।

सीएजी ने ट्रोइका के सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने संबोधन में, सीएजी ने वैश्विक चुनौतियों के परस्पर संबंध पर ज़ोर दिया, विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है एवं अस्तित्व के लिए एक बुनियादी खतरा पैदा करता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जलवायु वित्त, जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय तंत्रों से जोड़ता है।

बेलेम ब्राज़ील में साई 20 शिखर सम्मेलन

गरीबी एवं भुखमरी के मुद्दों पर चर्चा करते हुए, सीएजी ने कहा कि उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, दुनिया भर में लाखों लोग अभी भी भोजन, स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच से वंचित हैं। उन्होंने बहुआयामी गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता के बीच मज़बूत सकारात्मक संबंध पर प्रकाश डाला तथा पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधानों एवं मज़बूत लेखापरीक्षा

तंत्रों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। सीएजी ने दोहराया कि इन जटिल क्षेत्रों की जटिलताओं, समझौतों एवं अवसर लागतों को ध्यान में रखते हुए, इनका प्रभावी ढंग से लेखा परीक्षण करना राज्य लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

साई20 शिखर सम्मेलन 2024 के समापन के रूप में, सदस्य साई द्वारा साई20 विज्ञप्ति को अपनाया गया। विज्ञप्ति में, साई20 सदस्यों ने जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा न्यायसंगत एवं समावेशी ऊर्जा परिवर्तनों को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए, भुखमरी एवं गरीबी से निपटने तथा जलवायु कार्रवाई की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों एवं हितधारकों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

4.1.2 ब्रिक्स साई बैठक 2024

चौथी ब्रिक्स साई बैठक का आयोजन साई रूस द्वारा किया गया एवं यह 30-31 जुलाई 2024 को रूस संघ के उफ़ा शहर में आयोजित हुई। इस बैठक में साई इंडिया से एक उप महालेखाकार एवं एक निदेशक ने भाग लिया तथा "भारत में स्थानीय स्व-शासन की संरचना तथा उस पर साई इंडिया द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा" विषय पर प्रस्तुति दी। बैठक के दौरान ब्रिक्स साई सदस्यों ने निम्नलिखित घोषणापत्र को अंगीकार किया–

(i) सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका बढ़ाना
(ii) सभी लोक प्रशासन स्तरों पर लेखापरीक्षा की प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता
(iii) भ्रष्टाचार का मुकाबला
(iv) पारदर्शिता एवं जवाबदेही

4.1.3 "सतत शहरी विकास का लेखापरीक्षण – सतत शहर एवं समुदाय, हरित शहर" पर ब्रिक्स संगोष्ठी

साई इंडिया ने 13 दिसंबर 2024 को "सतत शहरी विकास का लेखा-परीक्षण - सतत शहर एवं समुदाय, हरित शहर" विषय पर ब्रिक्स साई वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया। साई इंडिया द्वारा "सतत शहरी विकास का लेखा-परीक्षण (स्मार्ट सिटी मिशन: प्रमुख योजना)" पर एक प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में 41 "स्मार्ट शहरों" के नमूने एवं प्रारंभिक जोखिम विश्लेषण के आधार पर, इस पहल के व्यापक लेखा-परीक्षण के लिए लेखा-परीक्षण दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। लेखा-परीक्षण के महत्वपूर्ण घटकों जैसे स्मार्ट सिटी पहल की योजना लेखा-परीक्षण, वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी, एवं मिशन के परिणामों के व्यापक मूल्यांकन को रेखांकित किया गया।

4.1.4 लेखापरीक्षा में डेटा विश्लेषण के उपयोग" पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) वेबिनार

साई इंडिया ने 22 अप्रैल 2024 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) साई सदस्य देशों के लिए "लेखापरीक्षा में डेटा विश्लेषण के उपयोग" विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह जानना एवं साझा करना था कि एससीओ साई समुदाय किस प्रकार डेटा विश्लेषण का उपयोग जोखिम मूल्यांकन, संचालन को सुव्यवस्थित करने एवं बेहतर निर्णय लेने के लिए कर रहा है। साई इंडिया ने इस विषय पर प्रस्तुति दी, जिसमें डेटा

विश्लेषण का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा में साई इंडिया द्वारा प्राप्त अवसरों, चुनौतियों एवं उसके उत्तरों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया।

4.2 साई इंडिया की द्विपक्षीय भागीदारी

4.2.1 साई उज्बेकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सीएजी ने 12 अगस्त 2024 को ताशकंद में उज़्बेकिस्तान गणराज्य के लेखा चैंबर, साई उज़्बेकिस्तान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान बढ़ाना है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग एवं लेखापरीक्षा संचालन में पारस्परिक सहायता के माध्यम से लेखापरीक्षा पेशेवरों एवं तकनीकी दलों के बीच ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक मंच स्थापित किया गया है।

भारत के सीएजी, अदीज़ मुज़फ़्फ़रोविच बोबोयेव, अध्यक्ष, उज़्बेकिस्तान गणराज्य के लेखा चैंबर के साथ

4.2.2 साई बहरीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सीएजी ने अपनी पहुँच को आगे बढ़ाने के लिए 27 अगस्त 2024 को साई बहरीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह द्विपक्षीय समझौता लेखापरीक्षा गतिविधियों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने,

दोनों साई के कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल को विकसित करने एवं क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संगठनों की बैठकों में उनके प्रयासों के समन्वय के लिए किया गया।

सीएजी, बहरीन के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के महालेखापरीक्षक, श्री शेख अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा के साथ

4.2.3 साई सऊदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सीएजी ने 29 अगस्त 2024 को सऊदी अरब के रियाद में सऊदी अरब के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट (साई सऊदी अरब) के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करने एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के इस क्षेत्र में वित्तीय, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना एवं लेखापरीक्षा नियमावली एवं लेखापरीक्षा पद्धतियों का आदान-प्रदान शामिल है।

सऊदी अरब साम्राज्य के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉ. हुसाम अब्दुलमोहसिन अलंगारी के साथ भारत के सीएजी

4.2.4 साई संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सीएजी ने 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त अरब अमीरात जवाबदेही प्राधिकरण (साई) के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान संयुक्त अरब अमीरात जवाबदेही प्राधिकरण (एसएआई यूएई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों साई के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना था ताकि संबंधित संस्थानों की व्यावसायिक क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके और सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रतिबद्ध सहयोग के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान और आवश्यकतानुसार साई इंडिया या साई यूएई में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

सीएजी संयुक्त अरब अमीरात के यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री हुमैद ओबैद अबुशिब्स के साथ

4.2.5 साई सेशेल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सीएजी ने सेशेल्स गणराज्य के महालेखापरीक्षक कार्यालय, एसएआई सेशेल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस समझौता ज्ञापन पर 21 अक्टूबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

सऊदी अरब साम्राज्य के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉ. हुसाम अब्दुलमोहसिन अलंगारी के साथ भारत के सीएजी

सीएजी और सेशेल्स गणराज्य के महालेखापरीक्षक श्री गामिनी हेराथ द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य संबंधित संस्थानों की व्यावसायिक/पेशेवर क्षमता को सुदृढ़ करने और लोक वित्त की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना है। यह समझौता ज्ञापन ज्ञान साझा करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाने, विशेषज्ञों के दौरे, और लेखापरीक्षा में तकनीकी विशेषज्ञता एवं शोध निष्कर्षों के आदान-प्रदान के लिए एक सहयोगात्मक ढाँचा स्थापित करता है।

4.2.6 "महामारी के बाद आर्थिक सुधार" पर भारत-कुवैत संगोष्ठी

"महामारी के बाद आर्थिक सुधार" विषय पर भारत-कुवैत द्विपक्षीय संगोष्ठी 21-23 जनवरी 2025 को भारत में बेंगलुरु में आयोजित की गई। साई इंडिया का प्रतिनिधित्व महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) एवं प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, (कर्नाटक) ने किया। साई कुवैत का प्रतिनिधित्व निदेशक, तेल निकाय विपणन एवं निवेश लेखा परीक्षा विभाग, और सहायक/निदेशक, निष्पादन लेखापरीक्षा विभाग ने किया।

भारत-कुवैत संगोष्ठी के प्रतिनिधियों की सामूहिक तस्वीर

संगोष्ठी के दौरान, साई इंडिया ने भारत में महामारी के बाद आर्थिक सुधार और भारत में महामारी के बाद आर्थिक सुधार के कराधान सुधारों पर अपनी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। साई कुवैत ने महामारी के बाद कुवैत के आर्थिक सुधार पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें राजकोषीय उपायों और आर्थिक विविधीकरण प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, साई कुवैत ने देश की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रतिवेदन 2023 प्रस्तुत किया।

4.2.7 21वीं इंडो-पॉलिश संगोष्ठी

भारत-पोलैंड द्विपक्षीय संगोष्ठी 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक भारत के शिमला में आयोजित की गई। सीएजी और पोलैंड के सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय के अध्यक्ष के बीच द्विपक्षीय वार्ता 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

सीएजी पोलैंड के सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय (एनआईके) के अध्यक्ष श्री मैरियन बानश और पॉलिश प्रतिनिधियों के साथ भारत के सीएज 21वें इंडो-पॉलिश संगोष्ठी में भाग लेते हुए

21वीं भारत-पोलिश संगोष्ठी के प्रतिभागी

साई इंडिया के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व उप नियंत्रक महालेखापरीक्षा (सीआरए) एवं सीटीओ महानिदेशक, एनएएए शिमला और निदेशक (आईआर I) ने किया।

शिमला में संगोष्ठी के दौरान साई इंडिया ने आईटी वर्कफ्लो प्रणाली द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (रणनीतिक योजना) पर प्रस्तुतियाँ दीं। साई पोलैंड ने लेखापरीक्षा की गुणवत्ता (अपराध पीड़ितों के लिए विशेष न्याय कोष की लेखापरीक्षा) और पोलैंड में एसआईआरएएम मामले (साई की स्वतंत्रता को खतरा) पर प्रस्तुतियाँ दीं। इस यात्रा में चैडविक हाउस स्थित आईए एवं एडी संग्रहालय का भ्रमण भी शामिल था। शाम को यारोज़ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

4.2.8 साई सेशेल्स के साथ बैठक

साई सेशेल्स के महालेखापरीक्षक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 3-6 मार्च 2025 तक शैक्षिक भ्रमण के लिए साई इंडिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने 3 मार्च को साई इंडिया के मुख्यालय पर सीएजी से मुलाकात की।

सीएजी, सेशेल्स के महालेखापरीक्षक और साई सेशेल्स के प्रतिनिधियों के साथ साई इंडिया के अध्ययन दौरे के दौरान

शैक्षिक भ्रमण के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र का दौरा किया ताकि यह समझा जा सके कि साई इंडिया किस प्रकार प्रौद्योगिकी का उपयोग लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को रूपरेखा देने के लिए कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने साई इंडिया की पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और क्षमता निर्माण पहलों को समझने के लिए आईसीईडी जयपुर का भी दौरा किया। आईसीईडी पर्यावरणीय शासन को बेहतर बनाने के वैश्विक प्रयासों के साथ तालमेल बिठाते हुए, स्थिरता लेखापरीक्षा पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

4.2.9 वियतनाम की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष महामहिम श्री हगुयेन डुक हाई की अध्यक्षता में वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

वियतनाम की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष, महामहिम श्री हगुयेन डुक हाई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 17 मार्च 2025 को सीएजी से मुलाकात करने के लिए साई इंडिया के मुख्यालय का दौरा किया। बैठक में साई इंडिया के प्रतिभागियों में उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर, समन्वय और कानूनी), उप-नियंत्रक

महालेखापरीक्षक (रक्षा और स्थानीय सरकार लेखा परीक्षा), उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (रेलवे), उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (आरसी), उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (केंद्रीय राजस्व) और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध), प्रधान निदेशक और सीएजी के सचिव और निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) शामिल थे।

सीएजी तथा उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष श्री गुयेन डुक हाई और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ

अध्याय 5:
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

साई इंडिया अन्य साई को उनके कर्मचारियों के लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है। साई इंडिया कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री वास्तविक जीवन के लेखापरीक्षा परिदृश्यों से ली गई है और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2024-25 के दौरान ऐसे प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण आयोजित करती है।

साई इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव संसाधन क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साई इंडिया और साई भूटान ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद II में साई इंडिया द्वारा संचालित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के माध्यम से साई भूटान के अधिकारी प्रशिक्षुओं की क्षमता निर्माण का प्रावधान है। तदनुसार, प्रत्येक वर्ष, रॉयल ऑडिट अथॉरिटी (आरएए) के दो अधिकारियों को आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ एनएएए में प्रशिक्षित किया जाता है।

साई इंडिया और साई मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन (24 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित) के तहत, साई इंडिया ने फरवरी 2022 में मालदीव के महालेखापरीक्षक श्री हुसैन नियाज़ी की भारत यात्रा के दौरान साई मालदीव को क्षमता निर्माण और लेखापरीक्षा पद्धतियों को मजबूत करने पर प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश की। तदनुसार, साई मालदीव ने अपने दो अधिकारियों को राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला में प्रशिक्षण के लिए नामित किया और उन्होंने आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के 2022 बैच के साथ सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

2024-25 के दौरान, रॉयल ऑडिट अथॉरिटी, भूटान के 04 अधिकारियों (2023 और 2024 बैच के आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं में से दो-दो) को अकादमी में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा) दुनिया भर के सरकारी संस्थानों और सरकारी संगठनों के पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईसीआईएसए में प्रस्तुत कार्यक्रम अधिकारियों को सर्वोत्तम व्यावसायिक अभ्यासों के अनुरूप प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्रदान करते हैं।

2024-25 के दौरान, आईसीसा ने चार अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (बहुपक्षीय) के अंतर्गत आईटीईसी में जिसमें से 39 देशों के 110 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये गए।

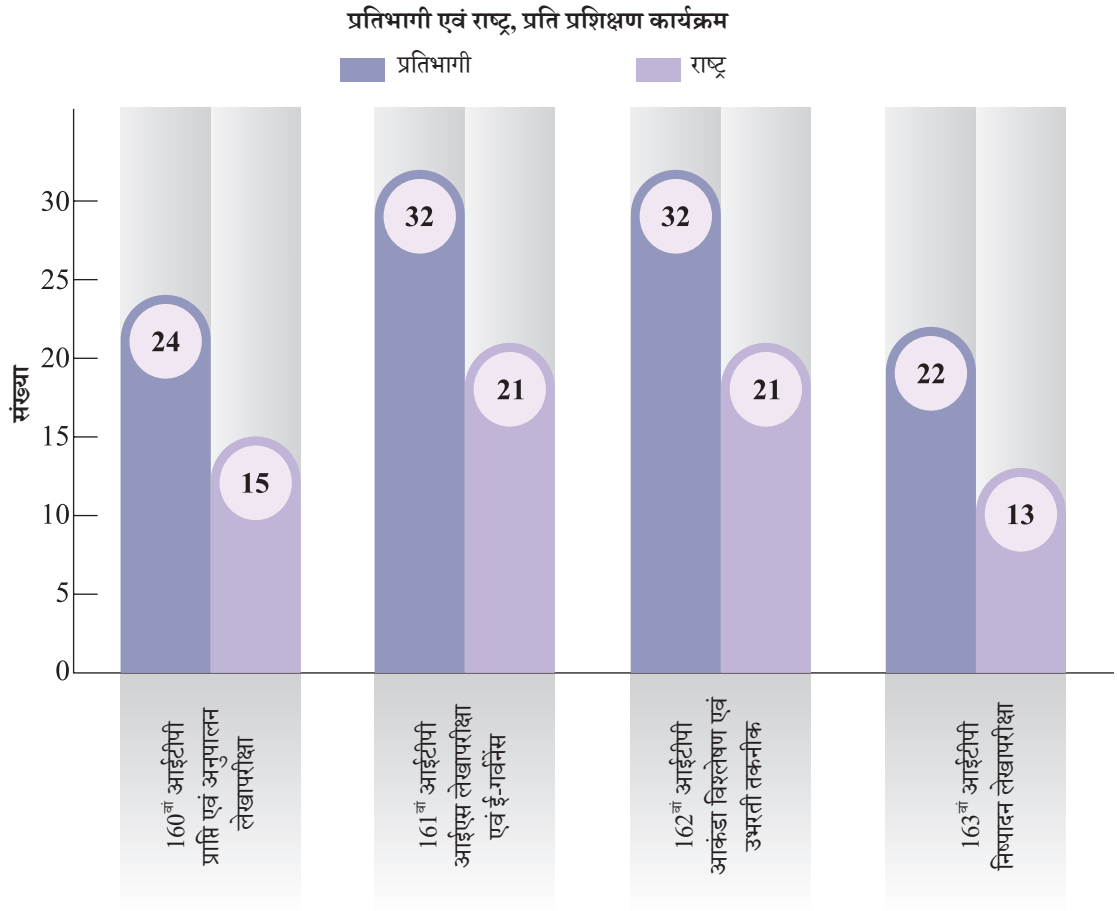

दो राष्ट्रों, साओ टोम गणराज्य और वेनेजुएला ने पहली बार इसमें भाग लिया, जिससे अब तक भाग लेने वाले राष्ट्रों की कुल संख्या 154 हो गई है।

आईसीसा की वैश्विक पहुंच

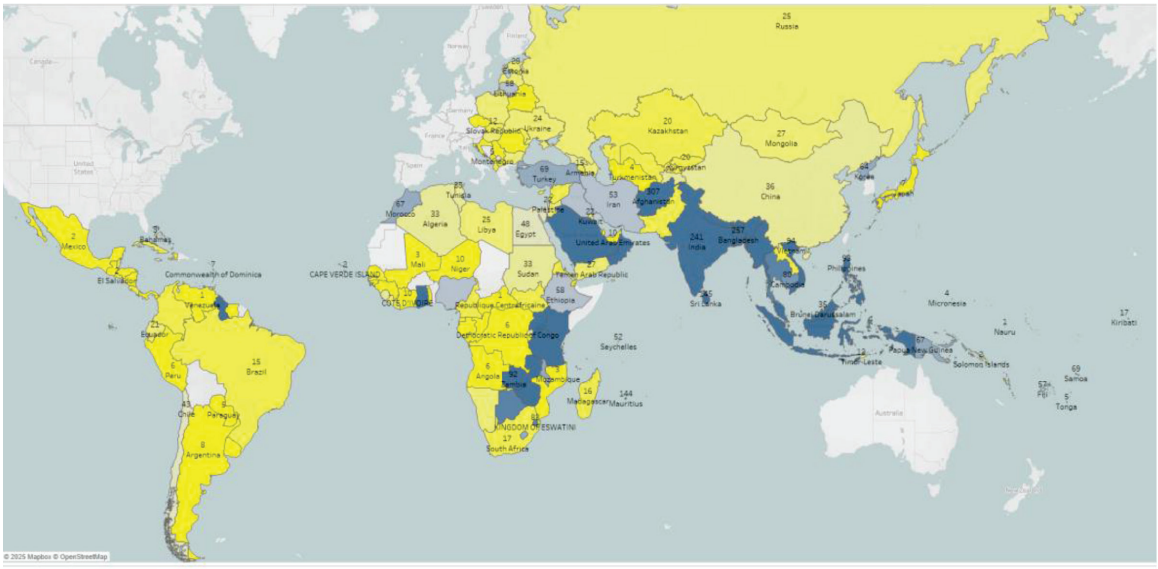

- **नवीन लेखापरीक्षा पद्धतियां:-** आईसीसा ने नवीन लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाया तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु नए पाठ्यक्रम शुरू किए, जैसा कि नीचे बताया गया है:
- **ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम :-** उडेमी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एनालिटिक्स (पावर बीआई और पायथन) पर एक लघु अवधि के ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक उप-समूह के रूप में पेश किया गया था।
- **द्विभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम :-** आईसीसा ने भाषा संबंधी बाधाओं को कम करने और सीखने के परिणामों को अधिकतम करने के लिए एक एआई टूल का उपयोग करके वास्तविक समय में स्पेनिश व्याख्या के साथ एक द्विभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण का भरपूर स्वागत किया

एआई टूल वर्डली का उपयोग करके स्पेनिश में अनुवाद

- **लेखापरीक्षा में आंकड़ा विश्लेषण और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर पाठ्यक्रम** - लगातार विकसित हो रहे आईटी परिदृश्य में लेखापरीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आईसीसा ने लेखापरीक्षा में आंकड़ा विश्लेषण और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विशेष रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- **क्षेत्रीय दौरे:** अनुभवात्मक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्षेत्रीय दौरे आईसीसा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग रहे हैं। 2024-25 के दौरान, पीडब्ल्यूसी की सामान्य एआई लैब, गुरुग्राम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी), नोएडा, सेंटर फॉर मशीन इंटेलिजेंस, डेटा साइंस (सी-एमआईएनडीएस) आईआईटी मुंबई, तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी, टी-हब-हैदराबाद, भारतीय संसद आदि का दौरा आयोजित किया गया। इन दौरों ने अंतर्राष्ट्रीय

प्रतिभागियों को उभरती सूचना प्रणालियों की अवधारणाओं, भारत सरकार के शासन और लेखापरीक्षा और जवाबदेही ढांचे के क्षेत्र में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की।

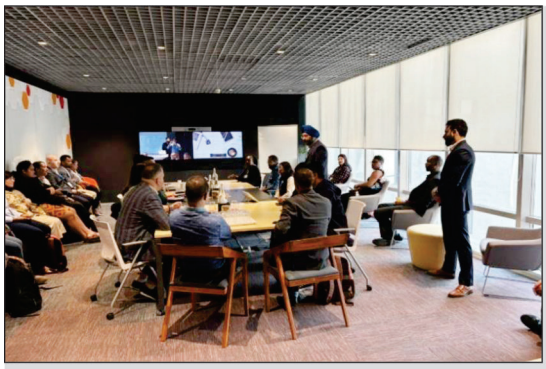

पीडब्ल्यूसी की सामान्य एआई लैब, गुरुग्राम

(सी-एमआईएनडीएस) आईआईटी मुंबई

टी-हब -हैदराबाद

संसद भवन का दौरा

- **राजदूतों/उच्चायुक्तों का दौरा**

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, भाग लेने वाले देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को अपने देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और शासन संबंधी मुद्दों पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह ज्ञान के आदान-प्रदान और विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एक रोचक मंच के रूप में कार्य करता है। फिजी, सेशेल्स और मंगोलिया के राजदूतों/उच्चायुक्तों ने 2024-25 के दौरान आईसीसा का दौरा किया।

एच.ई. श्री जगन्नाथ सामी, फ़िजी गणराज्य के उच्चायुक्त

एच.ई. श्रीमती लालटियाना एकौचे सेशेल्स के उच्चायुक्त

एच ई श्री गनबोल्ड डंबजाव मंगोलिया के राजदूत

इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र ने चार द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 83 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम	लक्षित दर्शक	अधिकारियों की संख्या	कार्यक्रम
इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विश्लेषण पर प्रशिक्षण	ओमान के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के अधिकारी	20	एसएफएस
गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन पर प्रशिक्षण	सीरिया के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के अधिकारी अरबी व्याख्या	13	आईटीईसी
प्रदर्शन लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण	कंबोडिया के निरीक्षण मंत्रालय के अधिकारी	20	आईटीईसी
वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर कार्यकारी विकास	मंगोलिया सरकार के अधिकारी	30	आईटीईसी

""मैं भारत सरकार, आईटीईसी, अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र के प्रबंधन और सभी कर्मचारियों तथा साथी प्रतिभागियों को 162वें आईटीपी का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले कुछ हफ़्तों में मुझे दिए गए प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इस ज्ञान को अपने सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के साथ साझा करूँगा और इसे अपने आत्म-विकास के लिए एक कदम के रूप में भी इस्तेमाल करूँगा।"

क्रिस्टोफर विलियम्स, गुयाना
लेखापरीक्षा में आंकड़ा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर 162वीं आईटीपी

"आईसीआईएसए के प्रबंधन और कर्मचारियों का धन्यवाद। मैं पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके स्नेह और उत्साह की सराहना करती हूँ। आईसीआईएसए में टीम भावना देखकर मुझे बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला क्योंकि उन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रभावशाली सत्र आयोजित किए। मेरे लिए इस जीवन बदल देने वाले प्रशिक्षण का हिस्सा बनना वाकई एक सराहनीय अनुभव था। मैं सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए निरंतर जुड़ाव की आशा करती हूँ। **नमस्ते।**"

अजीवा मर्सी, नाइजीरिया
161वीं आईटीपी आईएस लेखापरीक्षा और ई-गवर्नेंस की लेखापरीक्षा

"हम भारत में कार्यकारी कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। मंगोलिया सरकार के 30 प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करने और अपने देश के उल्लेखनीय विकास, समृद्ध संस्कृति और दीर्घकालिक इतिहास को हमारे साथ उदारतापूर्वक साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे हम मंगोलियाई सरकार के संचालन में सुधार के लिए अपनाने और लागू करने की आशा करते हैं। डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढाँचे के विकास और कुशल शासन में आपके अनुभवों ने हम पर अमिट छाप छोड़ी है।"

टीएस . मुंखजुल
मंगोलिया के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम

क्रोएशिया गणराज्य
राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय

क्रोएशिया गणराज्य के राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय की ओर से और अपनी ओर से, मैं भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इस पूरे प्रवास के दौरान हमारे सहयोगियों को दिए गए स्नेहपूर्ण आमंत्रण और अत्यंत सौहार्दपूर्ण आतिथ्य के लिए, और लेखापरीक्षा में आंकड़ा विश्लेषण और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर 162वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई उदार वित्तीय सहायता के लिए। हम अपने कर्मचारियों

को प्रदान किए गए इस अवसर के लिए आभारी हैं।

मैं इस अवसर पर आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे सहकर्मी क्रोएशिया से समृद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित अद्भुत अनुभवों से भरपूर होकर लौटे हैं, तथा भारत में उनके प्रवास के दौरान आवास की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ-साथ प्रशिक्षण की विषय-वस्तु भी बहुत अच्छी थी, जिसे उन्होंने अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला और उपयोगी बताया।

महालेखापरीक्षक साई क्रोएशिया

Tribunal de Contas da União

फेडरल कोर्ट ऑफ अकाउंट्स की ओर से, हम भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा) द्वारा 5 से 28 फरवरी, 2025 तक आयोजित "ऑडिट में आंकड़ा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर 162$^{वें}$ आईटीपी" में भाग लेने के अवसर के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम हमारे सिविल सेवकों की योग्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इसमें भाग लेने में महत्वपूर्ण उत्साह दिखाया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग संघीय लेखा न्यायालय – ब्राज़ील

5.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र का अधिदेश वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के विविध समुदाय को पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ज्ञान और अनुभव साझा करना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र ने 10 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारियों सहित 54 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के 324 प्रतिभागियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं और तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन्हें सभी प्रतिभागियों ने बहुत सराहा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एसडीजी-14 के विशेष संदर्भ में नीली अर्थव्यवस्था की लेखापरीक्षा के बहुआयामी पहलुओं, सौर ऊर्जा के विशेष संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विकास रणनीतियां और तंत्र तथा पर्यावरण लेखापरीक्षा (इंटोसाई डब्ल्यूजीईए) की शुरूआत पर सत्र शामिल थे, जिनका संचालन कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा किया गया, जिसमें वैश्विक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान /संगठनों जैसे एफरोसाई-ई, ब्राजील साई, फिनलैंड साई, इंडोनेशिया साई, केन्या साई, मालदीव साई, थाईलैंड साई, युगांडा साई, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के इक्कीस संकाय शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र की वर्ष 2024-25 में वैश्विक पहुंच

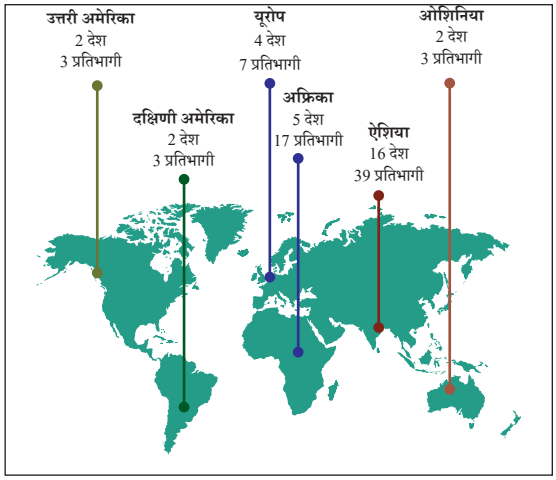

ऑनसाईट प्रशिक्षण कार्यक्रम

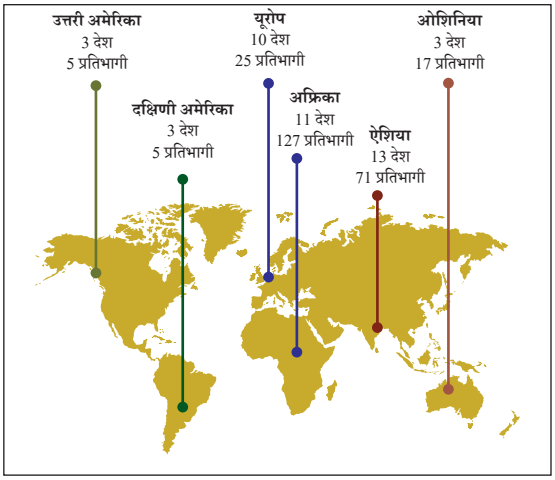

ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम

54 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों से 324 प्रतिभागी

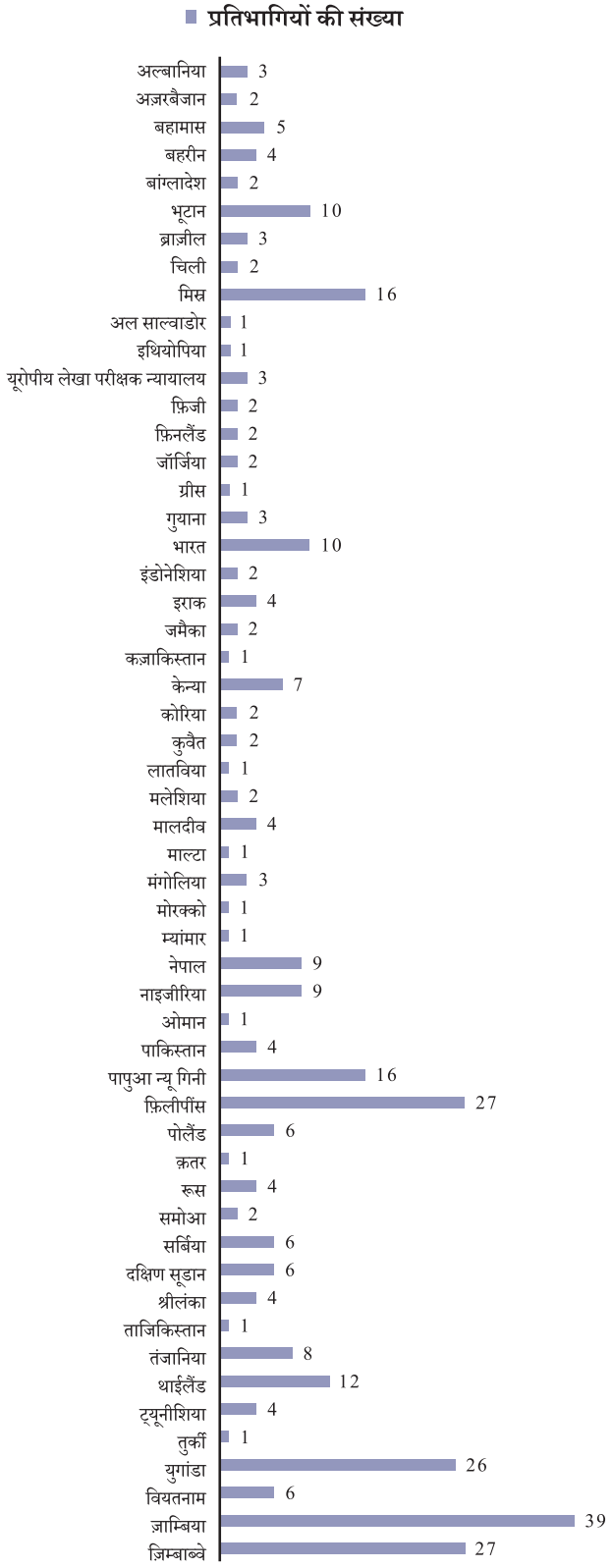

'वन संसाधनों के विशेष संदर्भ में जैव विविधता' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान समूह फोटो

पर्यावरण लेखा परीक्षा की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समूह फोटो

इंटोसाई डब्ल्यूजीइए जलवायु स्कैनर परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला समूह फोटो

आईसीईडी - उत्कृष्टता के लिए प्रयास

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया

इस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र और डब्ल्यूजीइआई को धन्यवाद, और साई इंडिया के सभी प्रोफेसरों और सहयोगियों को भी धन्यवाद, जिन्होंने इसे सफल बनाने के लिए आपके सभी प्रयासों को ध्यानपूर्वक पूरा किया।

साई ट्यूनीशिया
अप्रैल-2024

"समय देने और सतत परिवहन पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।"
सुश्री नेलिया मेलिसा ए. रिओडिक,

साई फिलीपींस
सितंबर-2024

" विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को आच्छादित करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम का समय पर्याप्त है"
श्री डोनाबेल एस्टासियो

साई फिलीपींस
सितम्बर-2024

"मैं इस क्षण आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र में पेशेवरों के इतने प्रतिभाशाली और समर्पित समूह के साथ सहयोग करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है।
इस दौरान साझा की गई अंतर्दृष्टि, अनुभव और दृष्टिकोण अमूल्य रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से विकसित हुए हैं। प्यार और देखभाल के साथ दी गई आपकी सहयोगात्मक सेवाओं के लिए धन्यवाद। पूरे प्रशिक्षण के दौरान आपकी कड़ी मेहनत, आपके उत्साह और आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद।"

सुश्री थिलाका इम्बुलडेनिया,
साई श्रीलंका
नवंबर-2024

"इस प्रशिक्षण में भाग लेने से प्राप्त ज्ञान परिवहन क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लेखापरीक्षा करने में सहायक होगा।"
सुश्री एलिसेंजेला पापस्ट,

साई ब्राज़ील
सितम्बर-2024

"निष्कर्षण उद्योगों के लेखा-परीक्षण पर बहुमूल्य प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे सभी सत्र बहुत उपयोगी लगे।"

यूरोपीय लेखापरीक्षक न्यायालय
अप्रैल-2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
http://www.cag.gov.in